

विनियोग लेखे

2009-10

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रस्तावना
विनियोग लेखे का सारांश

(v)

1-23

vunku ; k fofu; kx dh | a; k rFkk uke

1. आबकारी विभाग	25-26
2. आवास विभाग	27-31
3. उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	32-34
4. उद्योग विभाग(खानें और खनिज)	35
5. उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	36
6. उद्योग विभाग(हथकरघा उद्योग)	37
7. उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)	38-41
8. उद्योग विभाग(मुद्रण तथा लेखन—सामग्री)	42-43
9. ऊर्जा विभाग	44-49
10. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	50-54
11. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	55-67
12. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	68-69
13. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	70-76
14. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	77-80
15. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	81-85
16. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	86-89
17. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	90-92
18. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	93-96
19. कार्मिक विभाग(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	97-98
20. कार्मिक विभाग(लोक सेवा आयोग)	99
21. खाद्य तथा रसद विभाग	100-103
22. खेल विभाग	104-108
23. गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	109-110
24. गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	111-113
25. गृह विभाग (कारागार)	114-118
26. गृह विभाग (पुलिस)	119-126
27. गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	127-130
28. गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	131-134
29. गोपन विभाग(राज्यपाल सचिवालय)	135-136
30. गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	137
31. चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	138-140

vupku ; k fofo; kx dh | a; k rFkk uke

i "B | a; k

32. चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	141-148
33. चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	149-152
34. चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	153-155
35. चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	156-158
36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	159-161
37. नगर विकास विभाग	162-167
38. नागरिक उड्डयन विभाग	168-169
39. भाषा विभाग	170-172
40. नियोजन विभाग	173-182
41. निर्वाचन विभाग	183-186
42. न्याय विभाग	187-191
43. परिवहन विभाग	192-194
44. पर्यटन विभाग	195-199
45. पर्यावरण विभाग	200-202
46. प्राशासनिक सुधार विभाग	203-204
47. प्राविधिक शिक्षा विभाग	205-218
48. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	219-224
49. महिला एवं बाल कल्याण विभाग	225-229
50. राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	230-233
51. राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	234-236
52. राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	237-242
53. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	243-244
54. लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	245-247
55. लोक निर्माण विभाग (भवन)	248-254
56. लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	255-256
57. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	257-259
58. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सड़कें)	260-270
59. लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	271-276
60. वन विभाग	277-282
61. वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	283-293
62. वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	294-300
63. वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	301-302
65. वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	303-305
66. वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	306
67. विधान परिषद सचिवालय	307-308
68. विधान सभा सचिवालय	309-311
70. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	312-313

vupku ; k fofo; kx dh I q; k rFkk uke

i "B I q; k

71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	314-318
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	319-324
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	325-332
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	333-336
76.	श्रम विभाग(श्रम कल्याण)	337-340
77.	श्रम विभाग(सेवायोजन)	341-342
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	343-348
79.	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	349-353
80.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	354-358
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	359-364
82.	सतर्कता विभाग	365-367
83.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	368-382
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	383
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	384
86.	सूचना विभाग	385-386
87.	सैनिक कल्याण विभाग	387-390
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	391
89.	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	392-394
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकरण)	395
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	396-398
92.	संस्कृति विभाग	399-402
95.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	403-410
96.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	411-445

i f j f' k" V

i " B I a ; k

परिशिष्ट I- आकस्मिकता निधि से वर्ष 2009-10 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में आपूर्ति नहीं की गयी, के ब्यौरे	446
परिशिष्ट II- वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हे व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया है, अनुदान वार विवरण	447-451
परिशिष्ट III- उचन्त लेन-देन, अनुदान संख्या 96— सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व प्रभाग	452
परिशिष्ट IV- निदेशन एवं प्रशासन और मशीनरी एवं उपस्कर संयंत्र प्रभार (2009-10)	453-456
परिशिष्ट V- उचन्त लेन-देन, अनुदान संख्या 96— सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीगत प्रभाग	457-458

i Lrkouk

उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2009-10 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से तुलना करते हुए, 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इस लेखे में:-

“मूल” से तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है।

“पूरक” से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

“पुनर्विठि” से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंको में दर्शाये गये हैं।

Hkkj r ds fu; &d&egkys[kki j h{kd dk i ek. k i =

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गई देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए बाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं संकलन, लेखाओं के अनुरक्षण, वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के संकलन, उनकी तैयारी तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वाह प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेखे सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त हैं, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गयी राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जांच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक् रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

fnukd%
ubl fnYyh
egkys[kki j h{kd

(foukn jk;)
Hkkjr ds fu; #d

fofu; kx ys[ks dk l kj kd k

vunku ; k fofu; kx
dhl l a; k vkg uke
fofu; kx

dfy vunku
; k
fofu; kx

0; ;
cpr

¼ gtlj #lk; k e

1. आबकारी विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	72,80,88	71,83,38	97,50
प्रभारित	10,00	7,94	2,06

पूंजीगत—

दत्तमत	20,00	20,19	..
--------	-------	-------	----

2. आवास विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	33,89,97	30,12,80	3,77,17
प्रभारित	6,59,28	6,72,60	

पूंजीगत—

दत्तमत	11,68,47,43	9,88,27,81	1,80,19,62
प्रभारित	10,33,93	10,33,93	..

3. उद्योग विभाग(लघु उद्योग

एवं निर्यात प्रोत्साहन)—

राजस्व—

दत्तमत	98,77,84	88,60,03	10,17,81
प्रभारित	4,00	8,25	..

पूंजीगत—

दत्तमत	3,09,02	2,56,94	52,08
--------	---------	---------	-------

4. उद्योग विभाग(खाने

और खनिज)—

राजस्व—

दत्तमत	16,26,02	15,33,36	92,66
प्रभारित	1	..	1

पूंजीगत—

दत्तमत	8,00,00	7,96,61	3,39
--------	---------	---------	------

5. उद्योग विभाग (खादी

एवं ग्रामोद्योग)—

राजस्व—

दत्तमत	49,25,86	49,35,99	..
--------	----------	----------	----

6. उद्योग विभाग

(हथकरघा उद्योग)—

राजस्व—

दत्तमत	36,34,32	22,65,16	13,69,16
--------	----------	----------	----------

vunku ; k fofu; kx
dh I k; k vkj uke
dly vunku
; k
fofu; kx
0; ;
dly vunku@fofu:
cpr

1/ gtlj #lk; kse

7.	उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)– राजस्व—			
	दत्तमत	2,31,50,27	1,34,16,12	97,34,15
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	1,46,80,00	1,22,33,25	24,46,75
8	उद्योग विभाग(मुद्रण एवं लेखन सामग्री)– राजस्व—			
	दत्तमत	1,09,69,58	1,04,41,85	5,27,73
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	1,50,00	1,47,00	3,00
9.	उर्जा विभाग— राजस्व—			
	दत्तमत	27,10,80,09	26,42,94,13	67,85,96
	प्रभारित	30,61,72	27,14,29	3,47,43
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	70,05,95,03	51,35,36,23	18,70,58,80
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)– राजस्व—			
	दत्तमत	1,89,94,33	1,67,63,03	22,31,30
	प्रभारित	73,57	98,51	..
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	4,22,29	3,51,07	71,22
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)– राजस्व—			
	दत्तमत	23,08,38,27	15,88,05,28	7,20,32,99
	प्रभारित	15,10	..	15,10
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	3,22,03,79	2,89,29,88	32,73,91

vunku ; k fofu; kx
dī vunku
dī vunku@fofu:
dī vunku ; k
fofu; kx
cpr

1/4 gtlj #lk: kse

12.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)– राजस्व—	दत्तमत प्रभारित	1,93,27,54 20,80,95,67 10,00	1,69,35,31 20,47,87,86 2,29	23,92,23 33,07,81 7,71
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)– राजस्व—	पूंजीगत— दत्तमत	10,51,32,84	10,31,64,81	19,68,03
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)– राजस्व—	दत्तमत पूंजीगत— दत्तमत	17,66,86,94 6,30,00,04	14,32,52,27 6,12,42,84	3,34,34,67 17,57,20
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)– राजस्व—	दत्तमत प्रभारित पूंजीगत— दत्तमत	3,90,93,24 13,79	3,71,47,57 ..	19,45,67 13,79
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटाला विकास)– राजस्व—	दत्तमत प्रभारित पूंजीगत— दत्तमत	25,71,05 1	23,61,52 2,60	2,09,53 ..
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)– राजस्व—	दत्तमत	1	1,07,32	..
		दत्तमत	57,92,66	39,94,92	17,97,74

vupku ; k fofu; kx
dli l a; k vkj uke
dli vupku
; k
fofu; kx
0; ;
dli vupku@fofu:
cpr

1/ g tlj #lk; k e

18. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध

विभाग (सहकारिता)–

राजस्व—

दत्तमत	1,57,46,86	1,56,81,49	65,37
प्रभारित	5,82,95	7,93,09	..
पूंजीगत—			
दत्तमत	32,92,00	22,74,11	10,17,89
प्रभारित	11,73,70	11,39,00	34,70

19. कार्मिक विभाग

(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)–

राजस्व—

दत्तमत	6,94,90	3,88,44	3,06,46
20. कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)–			

राजस्व—

दत्तमत	2,24,28	2,22,16	2,12
प्रभारित	26,81,48	26,25,19	56,29

पूंजीगत—

प्रभारित	5,00	5,00	..
21. खाद्य तथा रसद			

विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	38,35,89	38,29,60	6,29
प्रभारित	1,44	1,44	..

पूंजीगत—

दत्तमत	1,17,27,12,75	1,10,99,62,37	6,27,50,38
प्रभारित	24,00,01,50	14,00,00,00	10,00,01,50

22. खेल विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	31,95,07	29,87,56	2,07,51
प्रभारित	1,00	59	41

पूंजीगत—

दत्तमत	32,60,87	26,87,07	5,73,80
--------	----------	----------	---------

vupku ; k fofu; kx
dli l a[; k vkj uke
dly vupku ; k
fofu; kx
0; ;
dly vupku@fofu;
cpr

¼ g t k j #lk; k a e s

23. गन्ना विकास विभाग (गन्ना)–

राजस्व—

दत्तमत	1,35,68,56	1,15,98,87	19,69,69
प्रभारित	1,50	1,00	50
पूंजीगत—			
दत्तमत	16,50,00	15,64,00	86,00

24. गन्ना विकास विभाग

(चीनी उद्योग)–

राजस्व—

दत्तमत	41,92,70	36,17,89	5,74,81
पूंजीगत—	5,09,00,00	5,45,28,50	..

25. गृह विभाग (कारागार)–

राजस्व—

दत्तमत	3,06,85,79	3,06,07,72	78,07
प्रभारित	8,00	2,55	5,45
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,52,57,30	1,70,03,93	82,53,37

26. गृह विभाग (पुलिस)–

राजस्व—

दत्तमत	59,09,18,01	58,08,09,28	1,01,08,73
प्रभारित	65,27	2,71	62,56
पूंजीगत—			
दत्तमत	3,48,52,04	2,03,17,58	1,45,34,46

27. गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)–

राजस्व—

दत्तमत	3,46,95,30	3,41,71,34	5,23,96
पूंजीगत—	9,91,81	9,21,21	70,60

28. गृह विभाग (राजनैतिक
पेशन तथा अन्य व्यय)–

राजस्व—

दत्तमत	97,69,25	91,83,84	5,85,41
पूंजीगत—	30,00	..	30,00

vupku ; k fofu; kx
dli l a[; k vkj uke
dly vupku
; k
fofu; kx
0; ;
dly vupku@fofu;
cpr

¼ gtlj #lk; k e

29.	गोपन विभाग(राज्यपाल सचिवालय)– राजस्व— प्रभारित	6,77,51	6,09,50	68,01
30.	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)– राजस्व— दत्तमत	3,07,15	2,86,74	20,41
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)– राजस्व— दत्तमत	7,22,68,42	6,95,31,45	27,36,97
	पूंजीगत— दत्तमत	3,93,41,99	3,85,84,19	7,57,80
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)– राजस्व— दत्तमत	23,74,78,57	19,60,11,00	4,14,67,57
	प्रभारित	20,00	..	20,00
	पूंजीगत— दत्तमत	5,88,44,66	4,36,66,29	1,51,78,37
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)– राजस्व— दत्तमत	3,53,36,06	3,10,59,29	42,76,77
	पूंजीगत— दत्तमत	15,43,02	15,40,01	3,01
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)– राजस्व— दत्तमत	1,71,02,19	1,46,02,42	24,99,77
	पूंजीगत— दत्तमत	11,62,80	10,22,38	1,40,42
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)– राजस्व— दत्तमत	13,30,91,63	12,46,69,01	84,22,62
	प्रभारित	15,00	..	15,00

vunku ; k fofu; kx
dh I k; k vkj uke
dly vunku
; k
fofu; kx
0; ;
dly vunku@fofu:
cpr

1/4 gtlj #lk; kse

पूंजीगत—

	दत्तमत	70,00,00	29,46,10	40,53,90
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) —			
	राजस्व—			
	दत्तमत	3,79,38,03	3,29,45,60	49,92,43
	प्रभारित	1,00	..	1,00
37.	नगर विकास विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	5,43,75,49	4,89,28,03	54,47,46
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	12,65,45,06	8,91,28,65	3,74,16,41
38.	नागरिक उड्डयन विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	31,22,18	31,26,14	..
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	1,24,78,15	1,13,00,72	11,77,43
39.	भाषा विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	9,75,86	8,61,87	1,13,99
40.	नियोजन विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	1,32,04,22	87,38,48	44,65,74
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	3,51,14,33	56,95,51	2,94,18,82
41.	निर्वाचन विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	1,03,83,03	1,01,95,80	1,87,23
42.	न्याय विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	7,98,46,16	6,06,58,36	1,91,87,80
	प्रभारित	1,39,81,03	1,32,39,16	7,41,87
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	1,39,75,05	32,53,00	1,07,22,05

vunku ; k fofu; kx
dh I t; k vkj uke
dly vunku
; k
fofu; kx
0; ;
dly vunku@fofu:
cpr

¼ gtlj #lk; kse

43.	परिवहन विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	74,80,45	72,61,92	2,18,53
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	2,73,43	2,65,35	8,08
44.	पर्यटन विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	19,34,66	14,04,95	5,29,71
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	2,21,90,41	1,90,48,28	31,42,13
45.	पर्यावरण विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	15,55,33	4,11,20	11,44,13
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	5,01	5,00	1
46.	प्राशासनिक सुधार विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	7,79,73	5,73,64	2,06,09
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	1	..	1
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	3,06,95,40	2,53,69,71	53,25,69
	प्रभारित	1,02	..	1,02
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	2,41,91,16	1,66,54,95	75,36,21
48.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	8,13,42,71	4,63,38,74	3,50,03,97
	प्रभारित	2,05	4,05	..
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	2,31,16,72	96,55,14	1,34,61,58
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	31,91,14,98	29,72,86,72	2,18,28,26
	प्रभारित	10,00	..	10,00

vupku ; k fofu; kx
dli l a[; k vkj uke
dli vupku ; k
fofu; kx
0; ;
dli vupku@fofu:
cpr

¼ gtlj #lk; ka ea

पूंजीगत—

	दत्तमत	1,29,06	32,68	96,38
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) —			
	राजस्व—			
	दत्तमत	4,11,23,10	3,77,33,46	33,89,64
	प्रभारित	17,54	..	17,54
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	1,41,02,24	1,21,19,14	19,83,10
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) —			
	राजस्व—			
	दत्तमत	9,37,65,59	3,36,35,19	6,01,30,40
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	1	..	1
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) —			
	राजस्व—			
	दत्तमत	14,29,48,37	13,64,83,45	64,64,92
	प्रभारित	69,77	2,26,58	..
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	48,15	98,80	..
	प्रभारित	10,51	62	9,89
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—			
	राजस्व—			
	दत्तमत	1,31,32	69,84	61,48
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	1,00	15	85
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) —			
	राजस्व—			
	दत्तमत	10,34,53,02	5,92,42,26	4,42,10,76
	प्रभारित	4,00	..	4,00

vunku ; k fofu; kx
dh I k; k vkj uke
dly vunku
; k
fofu; kx
0; ;
dly vunku@fofu:
cpr

1/ gtlj #lk; kse

55. लोक निर्माण विभाग (भवन)–

राजस्व—

दत्तमत	30,65,00	32,04,04	..
--------	----------	----------	----

प्रभारित	2,61,87	2,69,67	..
----------	---------	---------	----

पूंजीगत—

दत्तमत	37,84,67	3,99,97,37	..
--------	----------	------------	----

प्रभारित	2,10,50	1,56,40	54,10
----------	---------	---------	-------

56. लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)–

राजस्व—

दत्तमत	25,00,00	24,16,80	83,20
--------	----------	----------	-------

प्रभारित	..	24,32	..
----------	----	-------	----

पूंजीगत—

दत्तमत	3,13,93,15	3,02,42,59	11,50,56
--------	------------	------------	----------

57. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)–

राजस्व—

दत्तमत	11,00,00	11,80,45	..
--------	----------	----------	----

पूंजीगत—

दत्तमत	6,20,42,92	5,91,85,87	28,57,05
--------	------------	------------	----------

58. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन —सड़क)–

राजस्व—

दत्तमत	12,84,37,86	14,16,77,34	..
--------	-------------	-------------	----

प्रभारित	5,00	..	5,00
----------	------	----	------

पूंजीगत—

दत्तमत	31,03,96,76	42,44,80,46	..
--------	-------------	-------------	----

प्रभारित	5,50,00	4,31,18	1,18,82
----------	---------	---------	---------

59. लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)–

राजस्व—

दत्तमत	90,94,30	84,53,34	6,40,96
--------	----------	----------	---------

पूंजीगत—

दत्तमत	1,02,47,02	1,04,50,35	..
--------	------------	------------	----

vunku ; k fofu; kx
dh I k; k vkj uke
dly vunku
; k
fofu; kx
0; ;
dly vunku@fofu
cpr

1/ gtlj #lk; kse

60. वन विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	3,74,44,46	3,09,32,18	65,12,28
प्रभारित	13,70	3,02	10,68
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,66,89,21	1,64,04,53	2,84,68

61. वित्त विभाग(ऋण सेवा

तथा अन्य व्यय)—

राजस्व—

दत्तमत	44,91,05,25	42,73,79,43	2,17,25,82
प्रभारित	1,69,58,93,18	1,66,06,74,39	3,52,18,79
पूंजीगत—			
दत्तमत	4,60,00,50	1,85,87,82	2,74,12,68

62. वित्त विभाग (अधिवर्ष

भत्ते तथा पेंशनें)—

राजस्व—

दत्तमत	92,20,18,75	91,42,34,93	77,83,82
प्रभारित	17,54,67	7,84,63	9,70,04
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,50,00,00	56,44,91	93,55,09

63. वित्त विभाग (कोषागार

तथा लेखा प्रशासन)—

राजस्व—

दत्तमत	1,20,72,49	1,14,50,52	6,21,97
प्रभारित	1	..	1
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,71,71	1,64,40	1,07,31

65. वित्त विभाग (लेखा

परीक्षा, अल्प बचत आदि)—

राजस्व—

दत्तमत	1,37,74,55	1,27,87,00	9,87,55
पूंजीगत—			
दत्तमत	8,50	7,76	74

vupku ; k fofu; kx
dli l a[; k vkj uke
dly vupku ; k
fofu; kx
0; ;
dly vupku@fofu;
cpr

¼ g t k j # lk; k e s

66. वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)–

राजस्व—

दत्तमत	2,17,37	2,11,40	5,97
प्रभारित	1,31,48,90	1,31,51,77	..

पूंजीगत—

दत्तमत	75,46	70,80	4,66
--------	-------	-------	------

67. विधान परिषद सचिवालय—

राजस्व—

दत्तमत	21,97,90	18,82,87	3,15,03
प्रभारित	46,54	30,57	15,97

पूंजीगत—

दत्तमत	16,00	10,00	6,00
--------	-------	-------	------

68. विधान सभा सचिवालय—

राजस्व—

दत्तमत	57,20,49	53,96,33	3,24,16
प्रभारित	61,00	35,44	25,56

पूंजीगत—

दत्तमत	5,00,55	4,89,65	10,90
--------	---------	---------	-------

70. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	47,78,42	42,51,87	5,26,55
--------	----------	----------	---------

पूंजीगत—

दत्तमत	10,00	10,00	..
--------	-------	-------	----

71. शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)—

राजस्व—

दत्तमत	1,23,06,16,64	1,09,92,71,26	13,13,45,38
--------	---------------	---------------	-------------

पूंजीगत—

दत्तमत	9,34,30	7,78,09	1,56,21
--------	---------	---------	---------

72. शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)—

राजस्व—

दत्तमत	49,42,91,31	46,84,56,11	2,58,35,20
--------	-------------	-------------	------------

प्रभारित	2,70	..	2,70
----------	------	----	------

पूंजीगत—

दत्तमत	51,23,90	47,55,94	3,67,96
--------	----------	----------	---------

vupku ; k fofu; kx
dli l a[; k vkg uke
dly vupku ; k
fofu; kx
0; ;
dly vupku@fofu:
cpr

1/ gtlj #lk; ka ea

73. शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)–

राजस्व—

दत्तमत	11,39,41,96	10,45,91,78	93,50,18
--------	-------------	-------------	----------

प्रभारित	1	..	1
----------	---	----	---

पूंजीगत—

दत्तमत	72,71,03	52,16,50	20,54,53
--------	----------	----------	----------

75. शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)–

राजस्व—

दत्तमत	97,37,79	81,64,32	15,73,47
--------	----------	----------	----------

पूंजीगत—

दत्तमत	10,04	16,00	..
--------	-------	-------	----

76. श्रम विभाग(श्रम कल्याण)–

राजस्व—

दत्तमत	1,60,27,86	1,57,21,97	3,05,89
--------	------------	------------	---------

77. श्रम विभाग(सेवायोजन)–

राजस्व—

दत्तमत	43,27,57	42,15,94	1,11,63
--------	----------	----------	---------

पूंजीगत—

दत्तमत	18,25	20,22	..
--------	-------	-------	----

78. सचिवालय प्रशासन विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	3,48,88,52	3,18,15,84	30,72,68
--------	------------	------------	----------

पूंजीगत—

दत्तमत	62,82,45	1,00,00	61,82,45
--------	----------	---------	----------

79. समाज कल्याण विभाग (विकलांग

एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)–

राजस्व—

दत्तमत	14,33,47,72	14,27,94,43	5,53,29
--------	-------------	-------------	---------

पूंजीगत—

दत्तमत	1,14,05,14	1,09,28,12	4,77,02
--------	------------	------------	---------

vupku ; k fofu; kx
dli l a[; k vkj uke
fofu; kx

dly vupku ; k
fofu; kx

0; ;
cpr

1/4 gtlj #lk; k e

80.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)– राजस्व—	दत्तमत प्रभारित पूँजीगत— दत्तमत सतर्कता विभाग— राजस्व—	28,18,93,96 42,46,06 10 8,11,94 28,07,05 2,66,82 9,69,30 36,35,57,67 49,02,67,52 1,14,73 3,50,67 3,42,78 45,92,04	27,27,53,15 30,55,26 .. 50,18 26,33,30 2,14,28 4,31,99 33,44,01,91 41,78,37,85 1,02,48 7,89 39,82,42	91,40,81 11,90,80 10 7,61,76 1,73,75 52,54 5,37,31 2,91,55,76 7,24,29,67 12,25 7,89
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)– राजस्व—	दत्तमत प्रभारित पूँजीगत— दत्तमत	42,46,06 10 8,11,94 28,07,05	30,55,26 .. 50,18 26,33,30	11,90,80 10 7,61,76 1,73,75
82.	सतर्कता विभाग— राजस्व—	दत्तमत प्रभारित पूँजीगत— दत्तमत	2,66,82 9,69,30 2,14,28 4,31,99	52,54 5,37,31 7,24,29,67 12,25	
83.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)– राजस्व—	दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	36,35,57,67 49,02,67,52 1,14,73	33,44,01,91 41,78,37,85 1,02,48	2,91,55,76 7,24,29,67 12,25
84.	सामान्य प्रशासन विभाग— राजस्व—	दत्तमत	3,50,67	3,42,78	7,89
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग— राजस्व—	दत्तमत	85,74,46	45,92,04	39,82,42
86.	सूचना विभाग— राजस्व—				

vupku ; k fofu; kx
dli l a; k vkg uke
dly vupku ;
fofu; kx
0; ;
dly vupku@fofu:
cpr

¼ gtlj #lk; k e

87. सैनिक कल्याण विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	54,12,35	37,22,59	16,89,76
--------	----------	----------	----------

प्रभारित	10	..	10
----------	----	----	----

पूंजीगत—

दत्तमत	86,00	5,19	80,81
--------	-------	------	-------

88. संस्थागत वित्त विभाग

(निदेशालय)—

राजस्व—

दत्तमत	34,22,56	19,32,86	14,89,70
--------	----------	----------	----------

89. संस्थागत वित्त विभाग

(वाणिज्य कर)—

राजस्व—

दत्तमत	3,91,70,16	3,70,51,90	21,18,26
--------	------------	------------	----------

प्रभारित	65,44,39	65,34,41	9,98
----------	----------	----------	------

पूंजीगत—

दत्तमत	7,20,51	4,33,61	2,86,90
--------	---------	---------	---------

90. संस्थागत वित्त विभाग

(मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व—

दत्तमत	65,10,57	63,35,25	1,75,32
--------	----------	----------	---------

91. संस्थागत वित्त विभाग

(स्टाम्प एवं पंजीकरण)—

राजस्व—

दत्तमत	1,35,50,38	1,24,02,17	11,48,21
--------	------------	------------	----------

प्रभारित	4	..	4
----------	---	----	---

पूंजीगत—

दत्तमत	2,00,00	1,93,06	6,94
--------	---------	---------	------

92. संस्कृति विभाग—

राजस्व—

दत्तमत	25,61,56	23,19,26	2,42,30
--------	----------	----------	---------

प्रभारित	5	..	5
----------	---	----	---

पूंजीगत—

दत्तमत	44,31,41	39,57,63	4,73,78
--------	----------	----------	---------

vunku ; k fofu; kx
dh I k; k vkj uke
dly vunku
; k
fofu; kx
0; ;
dly vunku@fofu:
cpr

¼ gtlj #lk; kse

95. सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)–

राजस्व—

दत्तमत	15,85,40,09	15,68,63,91	16,76,18
प्रभारित	50,00	6,15	43,85

पूंजीगत—

दत्तमत	2,78,93,20	2,78,06,32	86,88
--------	------------	------------	-------

96. सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)–

राजस्व—

दत्तमत	14,08,94,41	12,50,42,60	1,58,51,81
--------	-------------	-------------	------------

पूंजीगत—

दत्तमत	26,30,90,56	26,08,77,76	22,12,80
प्रभारित	10,00,00	6,72,90	3,27,10

कुल राजस्व—

दत्तमत	7,93,49,27,68	7,24,45,55,65	<u>70,38,45,09</u>
			-69,03

प्रभारित	1,74,00,37,12	1,70,27,40,99	<u>3,77,45,17</u>
			-3,72,

कुल पूंजीगत—

दत्तमत	4,02,50,91,50	3,62,41,60,17	<u>55,52,25,64</u>
			-40,05

प्रभारित	1,83,06,68,70	80,81,26,27	<u>1,02,25,42,43</u>
			-1,02,2

egk; kx&	15,53,07,25,00	13,37,95,83,08	<u>2,31,93,58,33</u>
			-2,15,1

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित हैः—

		(jktLo Hkkx)
(i)	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सड़कें)

		(i thxr Hkkx)
(i)	1	आबकारी विभाग
(ii)	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटशाला विकास)
(iii)	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)
(iv)	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सड़कें)
(v)	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित हैः—

		(jktLo Hkkx)
(i)	3	उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)
(ii)	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)
(iii)	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटशाला विकास)
(iv)	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
(v)	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)
(vi)	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

निम्नलिखित प्रकरणों में भी दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय हुआ वि
अधिक व्यय वर्ष 1987-88 से 2000-01 तक के आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों के
प्रतिपूर्ति के समायोजन के कारण था जैसा कि सम्बन्धित अनुदानों में टिप्पणी की गयी है, जि
व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित नहीं हैः—

		(jktLo nRrer)
(i)	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)

(jktLo iHkkfjr)

(i)	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)
(ii)	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

निम्नलिखित प्रकरणों में भी दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय हुआ किन्तु अधिक व्यय विभागीय समायोजन उचन्त लेखे के समायोजन एवं वर्गीकरण से सम्बन्धित त्रुटियों सुधार के कारण था जैसा कि सम्बन्धित अनुदानों में टिप्पणी की गयी है, जिसमें अधिक व्यय नियमानुकूलन अपेक्षित नहीं है:-

(jktLo nrer)

(i)	5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)
(ii)	38	नागरिक उड़डयन विभाग
		(iHkxr nrer)
(i)	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)
(ii)	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)
(iii)	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)
(iv)	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)
		(jktLo iHkkfjr)
(i)	2	आवास विभाग
(ii)	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

निम्नलिखित प्रकरणों में भी दत्तमत अनुदानों से अधिक व्यय हुआ किन्तु यह अधिक व्यय प्र समायोजन के कारण था जैसा कि सम्बन्धित अनुदानों में टिप्पणी की गयी है, जिसमें अधिक का नियमानुकूलन अपेक्षित नहीं है:-

(jktLo nrer)

(i)	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)
(ii)	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)

विनियोग लेखे के सार में दिखाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से र से व्यय की गई कोई भी राशि शामिल नहीं है, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि को गई, जिसका ब्यौरा परिशिष्ट I में दिखाया जाता था।

अनुदान और विनियोग व्यय हेतु आवश्यक सकल राशियों के रूप में है उनके विरुद्ध दर्शाये गये आंकड़ों में वे वसूलियाँ (ब्यौरे परिशिष्ट II में दिये गये हैं) सर्वजनका समायोजन लेखाओं में व्यय में से कटौती करके किया गया है। निवल व्यय के 3 लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2009-10 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष व में दिखाये गये कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:—

i Hkkfj r

jktLo

i thxr

jktLo

(gtlj #i; kse)

विनियोग लेखे के

अनुसार कुल व्यय	1,70,27,40,99	80,81,26,27	7,24,45,55,65
-----------------	---------------	-------------	---------------

घटाइये—परिशिष्ट-II में दिखाई

गई कुल वसूलियाँ	..	5	99,35,51
-----------------	----	---	----------

कुल—निवल व्यय	1,70,27,40,99	80,81,26,22	7,23,46,20,14
---------------	---------------	-------------	---------------

वित्त लेखे के विवरण

संख्या 10 में दर्शाया

गया कुल निवल व्यय	1,70,27.41	80,81.26	7,23,46.20
-------------------	------------	----------	------------

(djklM#i; kse)

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

½

..

..

19

(19274)

..

13,32

(1332262)

..

..

..

4,25

(424655)

..

..

..

..

10,13

(1012676)

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

%

..

..

..

..

..

..

..

..

24,94

(2494432)

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

%

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2,59

(258964)

1,07,31

(10731000)

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

½

..
2,10,14
(21013858)

..
..

..

..
..

..

..
..

..

..
..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

½

..

..

..

..

36,28,50

(362850000)

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

½

..

..

..

..

..

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

γ_2

..

..

..

..

..

3,96
(396236)

..

..

..

..

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

%

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2,00
(200132)

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

½

..

..

..

..

..

..

..

1,56,81

(15680679)

50,65

(5064934)

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

%

1,39,04
(13903638)
7,80
(779555)
3,62,12,70
(3621269807)

..

..

24,32
(2432000)

..

80,45
(8044757)

..

1,32,39,48
(1323947731)

..

11,40,83,70
(11408370440)

..

..

2,03,33
(20333267)

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

%

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

½

..
2,87

(286713)

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

½

..

..

..

..

5,96
(596000)

..

..

1,97
(196910)

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

%

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

½

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

; kx dh ryuk es 0;

vf/kd 0; ;

%

..

..

..

..

..

..

1,34,73,06
3,72,03
4,49,04
96,13

15,42,94,31
3,31,33
..
5,42,43

16,82,16,41
1,41,92

$\frac{1}{4}$ #lk; lk ea $\frac{1}{2}$

3,64,96,467

19,274

30,99,000
3,59,47,07,743

8,84,21,74,996

2,03,33,267

4,24,655

24,94,432

2,58,964
2,00,132

11,35,946
2,86,713

ଫନ୍ଟୁ ଯହ
ସମାଶୋଧନ /
ରସମେ ଅଧିକ

यह
के
का

गोराटा
व्यय

चोकूत अग्रिमों
पूर्ति नहीं की

ने के कारण
भैलित नहीं है
संकड़े वित्त

ठे वित्त लेखे

nRrer

i withxr

)

3,62,41,60,17

1,06,21,19,13

2,56,20,41,04

2,56,20.41

vupku | a; k 1&vkcdkj h foHkkx

e[; ' kh"kl	dy vupku ; k	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
	fofu; kx		

(gtkj #lk; ka e)

jktLo&

- 2039- राज्य उत्पाद शुल्क,
 2052- सचिवालय—सामान्य सेवाएं,
 2059- लोक निर्माण कार्य तथा
 2216- आवास

nRrer&

मूल	72,80,88			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)				2,24,54

i Hkkfj r&

मूल	10,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)				5

intxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
 nRrer&

मूल	20,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)				5

fVi f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06 और 2006-07 के विभागीय समायोजन उचन्त लेखे के ₹ 30.88 लाख और वर्ष 2003-04 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के ₹ 1.47 लाख सम्मिलित हैं। ₹ 1,29.85 लाख (₹ 97.50 लाख+₹ 30.88 लाख +₹ 1.47 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 2,24.54 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl
dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k #lk; k[e])

2059- लोक निर्माण कार्य—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

03- अनावासीय भवनों की—मरम्मत

व रख रखाव—

मूल	25.00				
पुनर्विभाजित	-0.84	24.16	17.62	-6.54	

₹ 0.84 लाख का अभ्यर्पण अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अभ्यर्पण के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- मंहगाई भत्ते के लिये

एकमुश्त प्रावधान—

मूल	10,66.08				
पुनर्विभाजित	-1.75	10,64.33	11,91.68	+1,27.35	

₹ 1.75 लाख का अभ्यर्पण अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अभ्यर्पण के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

िथरैं&

नररैं&

(iv) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 19,274 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

vupku | a; k 2&vkokl foHkkx

ed; 'kh"kl

dy vupku
; k
fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(gtlj #lk; k e)

jktLo&

- 2029- भू-राजस्व,
- 2049- ब्याज अदायगियां,
- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,
- 2205- कला एवं संस्कृति,
- 2217- शहरी विकास,
- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
- 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	33,89,95			
पूरक	2			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)		33,89,97	30,12,80	-3,77,17

i Hkkfjr&

मूल	6,59,28			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		6,59,28	6,72,60	+13,32

i Hkxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर
पूंजीगत परिव्यय,
- 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
- 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण और
- 6217- शहरी विकास के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	6,41,27,07			
पूरक	5,27,20,36			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)		11,68,47,43	9,88,27,81	-1,80,19,62

1,80,19,61

ed[; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr&
	fofu; kx		

(gtlj #lk; ka e)

i Hkkfj r&

मूल	9,82,33			
पूरक	51,60			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		10,33,93	10,33,93	..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

(ylk/lk #lk; ka e)

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	4,70.84			
पुनर्विभाग	-51.05	4,19.79	3,80.31	-39.48

₹ 51.05 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- विहित अधिकारियों का अधिष्ठान—

मूल	3,74.83			
पुनर्विभाग	-57.32	3,17.51	3,19.66	+2.15

₹ 57.32 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण नहीं दिये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k #lk; kg eg)

2217- शहरी विकास-

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों

का समेकित विकास-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

06- नगर तथा ग्राम्य नियोजन

अधिष्ठान-

मूल	13,33.86				
पुनर्विभाजित	-1,54.33	11,79.53	11,84.18	+4.65	

₹ 1,54.33 लाख का अभ्यर्पण पदों के खाली रहने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2010)।

80- सामाचर-

800- अन्य व्यय-

06- सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रान्जिट

हास्टल का रख—रखाव-

मूल	50.00				
पुनर्विभाजित	-50.00

₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण यथासमय परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(ii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

104- निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना—सरकारी

भविष्य निधि—

03- आवास विभाग-

मूल	0.70				
पुनर्विभाजित	-0.01	0.69	20.91	+20.22	

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

- (iii) वास्तविक व्यय ₹ 6,72.60 लाख में वर्ष 2002-03 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के ₹ 19.66 लाख सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 6.34 लाख (₹ 19.66 लाख—₹ 13.32 लाख) में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl

dy
fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k #lk; kg e)

2049- ब्याज अदायगियां—

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज—

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज—

04- भारत के जनरल इन्स्योरेंस कारपोरेशन

अथवा उससे सम्बद्ध अन्य सहायक कम्पनियों,

आदि से प्राप्त ऋण पर ब्याज	2,22.21	2,41.22	+19.01
----------------------------	---------	---------	--------

वास्तविक व्यय ₹ 2,41.22 लाख में वर्ष 2002-03 की आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे से सम्बन्धित ₹ 19.66 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत(₹ 19.01लाख—₹ 19.66 लाख=—₹ 0.65लाख) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

Iktihxr&

nRrer&

(v) ₹ 1,80,19.62 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 5,27,20.36 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k #lk; kg e)

4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय—

01- राज्य की राजधानी का विकास—

051- निर्माण—

03- लखनऊ नगर का समग्र विकास—

मूल	4,00,00.00			
पूरक	1,00,00.00	1,66,85.59	1,66,85.59	..
पुनर्वित्र	-3,33,14.41			

प्रावधान में ₹ 3,33,14.41 लाख की शुद्ध बचत में से प्रावधान में ₹ 1,80,19.52 लाख के अभ्यर्पण और ₹ 1,52,94.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k #lk; kg eg)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय—

01- राज्य की राजधानी का विकास—

051- निर्माण—

04- डाओभीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन

स्थल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दीर्घकालीन

स्थायित्व प्रदान करने के लिये आवश्यक

कार्य—

मूल	0.01			
पूरक	57,66.95	83,48.14	83,48.14	..
पुनर्विभाग	25,81.18			

प्रावधान में ₹ 25,81.18 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 25,81.20 लाख की वृद्धि और ₹ 0.02 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- गोमती नदी के दायें तटबंध से लामार्टीनियर तक

भूमि का अधिग्रहण एवं विकास—

मूल	25,00.00			
पुनर्विभाग	1,27,13.69	1,52,13.69	1,52,13.69	..

प्रावधान में ₹ 1,27,13.69 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(32)

vunku | a; k 3&m | kx foHkkx (y?kq m | kx , oa fu; k| i k&l kgu)

eq[; 'kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k	cpr&
	fofu; kx	

(gtlj #lk; ka e)

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2851- ग्राम और लघु उद्योग,

2852- उद्योग और

3453- विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन

nRrer&

मूल	98,47,83			
पूरक	30,01		98,77,84	88,60,03
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				-10,17,81

iHkkfj r&

मूल	4,00			
पूरक	..		4,00	8,25
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				+4,25

intxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए कर्ज

nRrer&

मूल	3,09,02			
पूरक	..		3,09,02	2,56,94
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				-52,08

2

fVif.k; ka , oa Vhdः &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 88,60.03 लाख के वास्तविक व्यय में विभागीय समायोजन उचन्त लेखे (₹ 0.54 लाख) और आपत्ति पुस्तिका उचन्त (₹ 39.88 लाख) के समाशोधन के ₹ 40.42 लाख की धनराशि सम्मिलित है। अन्तिम बचत ₹ 10,58.23 लाख (₹ 10,17.81 लाख

+ ₹ 40.42 लाख)में से, मात्र ₹ 9,09.06 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 10,58.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 और फरवरी 2010

में प्राप्त ₹ 30.01 लाख का अनुपूरक अनुदान यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vunku okLrfod l; ;

vf/kd l; ; \$

cpr&

(yk[k #lk; k e)

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	8,27.97			
पुनर्विभाग	-7,86.28	41.69	52.13	+10.44

वास्तविक व्यय में ₹ 18.93 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05 और 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 7,86.28 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश न मिलने के कारण हुआ।

20- उद्यमिता विकास संस्थान

को अनुदान-

पूरक	25.00	25.00	14.22	-10.78
------	-------	-------	-------	--------

800- अन्य व्यय-

14- हवाई जहाज किराया

सहायता योजना-

मूल	1,00.00			
पुनर्विभाग	-95.00	5.00	5.00	..

₹ 95.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक देयों के आधार भुगतान किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i #kkfj r&

(iv) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 4,24,655 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(v) व्याधिक्य (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ:—

' kh"kl	dly fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	-----------------	--------------	-----------------------

(yk[k #lk; ka es)

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग—

102- लघु उद्योग—

06- जिला उद्योग केन्द्र	2.00	8.25	+6.25
-------------------------	------	------	-------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

intxr&

nRrer&

(vi) ₹ 52.08 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 0.02 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के प्रत्याशित की जा सकी।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

' kh"kl	dly vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	-----------	--------------	-----------------------

(yk[k #lk; ka es)

6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों के

लिये कर्ज—

102- लघु उद्योग—

03- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को			
----------------------------------	--	--	--

व्यापार कर राशि के आस्थगन योजना

के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण	1,25.00	72.94	-52.06
---------------------------	---------	-------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a[; k 4&m | kx foHkkx ([kku] vkg [kfut])

ed[; 'kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k	cpr&
	fofu; kx	

(gtlj #lk; k[e]

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें और

2853- अलौह खनन तथा

धातु कर्म उद्योग

nRrer&

मूल	16,26,02]	16,26,02	15,33,36	-92,66
पूरक

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i Hkkfj r&

मूल	I]	I	..	-I
पूरक

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i thxr&

4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर

पर पंजीगत परिव्यय—

मूल	8,00,00]	8,00,00	7,96,61	-3,39
पूरक

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVli.kh@Vhd&

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 92.66 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

vunku | a; k 5&m | kx foHkkx ([kknh , oa xkeks| kx)

eq[; 'kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
-------------	-----------------------	-----------------------

(gtlj : lk; ka ed)

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग

nRrer&

मूल	49,25,86		
पूरक	..	49,25,86	49,35,99
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)			+10,13 5,01

fVlif.k; ka , oa Vhd़k; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 49,35.99 लाख में वर्ष 2001-02 और 2005-06 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 18.84 लाख की धनराशि सम्मिलित है। अन्तिम बचत ₹ 8.71 लाख (₹ 18.84 लाख-₹ 10.13 लाख) में से, मात्र ₹ 5.01 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) व्याधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
--------	-----------------------	-----------------------

(yklj : lk; ka ed)

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान	4,35.49	4,39.84	+4.35
-----------------------	---------	---------	-------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग—

105- खादी ग्रामोद्योग—

21- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार	10,00.00	10,08.95	+8.95
------------------------------------	----------	----------	-------

वास्तविक व्यय में ₹ 17.00 लाख आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे वर्ष 2005-06 के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत [₹ 8.95 लाख - ₹ 17.00 लाख = (-) ₹ 8.05 लाख, के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a[; k 6&m | ks foHkkx (gFkdj ?kk m | ks)

eq[; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

(g t k j : lk; ks e)

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें और

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग

nRrer&

मूल	36,34,32			
पूरक	..	36,34,32	22,65,16	-13,69,16
वर्ष की अवधि में अन्यर्पित राशि (मार्च 2010)				13,64,46

fVII f.k; ka , oa Vhdः &

jktLo&

nRrer&

- (i) अन्तिम बचत ₹ 13,69.16 लाख में से, ₹ 13,64.46 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

- (ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

(yk[k : lk; ks e)

2052- सचिवालय सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	1,97.56			
पुनर्विद्युत	-21.48	1,76.08	1,77.30	+1.22

₹ 21.48 लाख की कुल बचत में से ₹ 13.98 लाख के अभ्यर्पण और प्रावधान में ₹ 7.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग—

103- हथकरघा उद्योग—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोगिधानित योजनायें—

मूल	22,90.03			
पुनर्विद्युत	-12,48.39	10,41.64	10,41.64	..

₹ 12,48.39 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vunku | a; k 7&m | kx foHkkx (Hkkjh , oa e/; e m | kx)

eq[; 'kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
-------------	-----------------------	-----------------------

(gtkj : lk; ka es)

jktLo&

- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,
- 2220- सूचना तथा प्रचार,
- 2852- उद्योग,
- 2885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय और
- 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	1,21,38,94				
पूरक	1,10,11,33				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)		2,31,50,27	1,34,16,12	-97,34,15	97,02,03

intxr&

- 4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों
पर पूंजीगत परिव्यय तथा
- 6885- उद्योग और खनिज के लिये अन्य कर्ज

nRrer&

मूल	1,46,80,00				
पूरक	..	1,46,80,00	1,22,33,25	-24,46,75	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)					24,59,49

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 97,34.15 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 97,02.03 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 97,34.15 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,10,11.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k : lk; ka es)

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान	18.81	..	-18.81
-----------------------	-------	----	--------

2852- उद्योग—

07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रा/निक

उद्योग—

202- इलेक्ट्रा/निक्स—

04- आईटी0इ—गवर्नेन्स

पुरस्कार	10.00	..	-10.00
----------	-------	----	--------

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

06- न्यायालयों में वादों की पैरवी—

मूल	20.00			
पुनर्विधि	-6.90			
		13.10	10.48	-2.62

₹ 6.90 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान को प्रयुक्त न किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

09- नेशनल—ई—गवर्नेन्स एक्शन

प्लान—

मूल	24,00.00			
पुनर्विधि	-24,00.00			
	

₹ 24,00.00 लाख का अभ्यर्पण यूपी स्वान प्रोजेक्ट एवं स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे प्रोजेक्ट में तात्कालिक आवश्यकता न होने के कारण हुई।

10- भारी उद्योग निवेश नीति के अन्तर्गत

औद्योगिक ईकाइयों को प्रोत्साहन—

मूल	88,00.00			
पूरक	1,00,00.00	1,15,70.00	1,15,70.00	..
पुनर्विधि	-72,30.00			

₹ 72,30.00 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का समय से उपभोग न होने का कारण हुआ।

' kh"kl
dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k : lk; k e)

2885- उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय—

60- अन्य—

800- अन्य व्यय—

18- इन्स्टीट्यूट आफ दूल रुम
ट्रेनिंग,उत्तर प्रदेश (इटप) —

मूल	1,35.09				
पुनर्विं	-25.09		1,10.01	1,10.01	..

₹ 25.09 लाख का अभ्यर्पण वित्त विभाग द्वारा धनराशि की द्वितीय किश्त में कटौती किये जाने के कारण हुआ ।

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें—

090- सचिवालय—

03- पत्रावली प्रबन्ध प्रणाली—

मूल	90.00				
पुनर्विं	-40.00		50.00	50.00	..

₹ 40.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ ।

intixr&

nRrer&

(iv) वास्तविक व्यय ₹ 1,22,33.25 लाख में वर्ष 1994-95 की आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 2,17.81 लाख सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 26,64.56 लाख

(₹ 24,46.75 लाख+₹ 2,17.81 लाख)में से, ₹ 26,59.49 लाख का अभ्यर्पण किया गया ।

(v) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुईः—

6885- उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज—

01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं

को कर्ज—

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों

को कर्ज—

' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k : lk; k e)

- 03- प्रदेशीय इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को व्यापार कर राशि के आस्थागन योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित कर्ज-

मूल	45,00.00				
पुनर्विद्युत	-26,59.49		18,40.51	27,43.70	+9,03.19

₹ 26,59.49 लाख का अभ्यर्पण ईकाइयों के प्रार्थना पत्र में कम धनराशि का उल्लेख होने के कारण हुआ।

- 04- प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को व्यापार कर आस्थागन की सुविधा प्राप्त रुगण औद्योगिक ईकाइयों को आस्थगन के स्थान पर ब्याज रहित ऋण योजना के अन्तर्गत

ऋण	10,00.00	96.81	-9,03.19
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।			

- (vi) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

- 4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-

02- इलेक्ट्रा/निक्स-

- 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

02- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड को

सावधि जमा पर देय मूलधन/ब्याज के

भुगतान के लिए कर्ज .. 2,17.81 +2,17.81

वास्तविक व्यय ₹ 2,17.81 लाख वर्ष 1994-95 की आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित है।

vupku | a; k 8&m | kx foHkkx (enz k rFkk ys[ku | kexh)

eq; ' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(gtkj : lk; ka e)

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें और

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण

nRrer&

मूल	1,07,69,58			
पूरक	2,00,00	1,09,69,58	1,04,41,85	-5,27,73
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				5,90,16

inthr&

4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर
पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	1,50,00			
पूरक	..	1,50,00	1,47,00	-3,00
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				2,99

fVlif.k; ka , oa Vhdः &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 1,04,41.85 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03 और 2003-04 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 63.19 लाख की धनराशि सम्मिलित है। अन्तिम बचत ₹ 5,90.92 लाख (₹ 5,27.73 लाख + ₹ 63.19 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 5,90.16 लाख का अभ्यर्पण हुआ।
- (ii) ₹ 5,90.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(43)

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
(ykfk : lk; ka e)

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	12,32.66				+0.05
पुनर्विभाग	-1,44.80		10,87.86	10,87.91	

₹ 1,44.80 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | a; k 9&Åtkl foHkkx

ed[; 'kh"kl	dy vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k	cpr&
	fofu; kx	

(gtkj : lk; k e)

jktLo&

- 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,
- 2049- ब्याज अदायगियां,
- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2059- लोक निर्माण कार्य,
- 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ और
- 2801- बिजली

nRrer&

मूल	27,09,53,39		
पूरक	1,26,70		

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

iHkkfj r&

मूल	30,61,72		
पूरक	..		

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) ..

iHkxr&

- 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा
- 6801- बिजली परियोजनाओं के लिये ऋण—

nRrer&

मूल	70,05,95,00		
पूरक	3		

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) ..

18,71,08,10

fVif.k; ka , oa fVdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) अन्तिम बचत ₹ 67,85.96 लाख में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

- (ii) अन्तिम बचत ₹ 67,85.96 लाख को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,26.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kz d^g vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

($yk[k : lk; ka] e\#$)

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति

लाभ-

01- सिविल-

200- अन्य पेंशन-

03- राज्य विद्युत परिषद के विधान पूर्व
कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मचारियों को

सेवा नैवृत्तिक सुविधाएं 8,12,96.00 7,45,21.00 -67,75.00
 उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	1,95.83			
पुरक	32.35	2,28.18	2,30.88	+2.70

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 2.70 लाख के अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i ~~kkfj~~ r &

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh" kZ	dly	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	fofu; kx		cpr&

(ykfk : lk; ka es)

2049- ब्याज अदायगियां—

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज—

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज—

03- राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त

ऋण पर ब्याज—

मूल	30,18.00	26,70.57	26,70.57
पुनर्विभाग	-3,47.43		..

₹ 3,47.43 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में धनराशि प्राप्त न होने के कारण ब्याज का आरोपण कम होने के कारण हुआ।

i ~~thxr~~ &

nRrer &

(vi) ₹ 51,35,36.23 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 1999-2000 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 49.30 लाख की धनराशि सम्मिलित है। अन्तिम बचत

₹ 18,71,08.10 लाख (₹ 18,70,58.80 लाख+₹ 49.30 लाख) समर्पित किये गये।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh" kZ	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

(ykfk : lk; ka es)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

01- हाइड्रेल उत्पादन—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों में निवेश—

04- उ0प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम में

अंशपूंजी विनियोजन—

मूल	15,50.00	3,50.00	3,50.00
पुनर्विभाग	-12,00.00		..

₹ 12,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 6,97.38 लाख का अभ्यर्पण डी0पी0आर0

अनुमोदित न होने के कारण हुआ और प्रावधान में ₹ 5,02.62 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k : lk; ka ed)

02- ताप विद्युत शाकित उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों मे निवेश—

10- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को अनपरा

"डी"(2*600 मे0वा0) विस्तार हेतु अंशपूंजी

विनियोजन—

मूल	4,09,00.00				
पुनर्विं0	-4,09,00.00

प्रावधान मे ₹ 4,09,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

14- उ0प्र0विद्युत निर्माण निगम लिमिटेड—

मूल	11,61,25.00				
पूरक	0.02	2,23,00.01	2,23,00.01
पुनर्विं0	-9,38,25.01				

₹ 9,38,25.01 लाख का अभ्यर्पण 2*250 मेगावाट के स्थान पर 660 मेगावाट की एक ईकाई की स्थापना का निर्णय लिये जाने, 500 मेगावाट के स्थान पर 660 मेगावाट की दो सुपर किटिकल थर्मल यूनिट की स्थापना का निर्णय लिये जाने, कार्य की भौतिक प्रगति को देखते हुए धन की आवश्यकता न होने, निजी क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना हेतु परीक्षण कराने का निर्णय लिये जाने, परियोजना पुनर्विचार हेतु स्थगित होने, बी0एच0ई0एल0 से पर्याप्त सामग्री प्राप्त न होने, कार्ययोजना तैयार न होने तथा फतेहपुर के स्थान पर कानपुर जिले मे परियोजना की स्थापना का निर्णय लिये जाने के कारण, चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण और आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

05- संचरण एवं वितरण—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों मे निवेश—

05- उ0प्र0 विद्युत निगम लि0 को ए0पी0डी0आर0पी0

की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अंशपूंजी विनियोजन—

मूल	1,00,00.00				
पुनर्विं0	-1,00,00.00

₹ 1,00,00.00 लाख का अभ्यर्पण योजना समाप्त हो जाने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(ykfk : lk; ka e)

06- ग्रामीण विद्युतीकरण—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों मे निवेश—

03- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन(के—100)—

मूल	10,00,00.00				
पुनर्विं	-8,09,59.90	1,90,40.10	1,90,40.10	..	

₹ 8,09,59.90 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

80- सामान्य—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों मे निवेश—

07- निजी क्षेत्रों में विद्युत गृहों की स्थापना हेतु शेल कम्पनियों के गठन हेतु अंशपूँजी—

मूल	80,00.00				
पुनर्विं	-19,58.81	60,41.19	60,41.19	..	

₹ 19,58.81 लाख की कुल बचत में से, ₹ 16,25.81 लाख का अभ्यर्पण पूर्व गठित शेल कम्पनियों को निजी क्षेत्र में दिये जाने के कारण तथा नई शेल कम्पनियों में तत्काल आवश्यकता न होने के कारण धनराशि जारी नहीं किये जाने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 3,33.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय—

02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों मे निवेश—

11- अनपरा 'डी' 2*500 मेगावाट के विस्तार हेतु

उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0 को अंशपूँजी विनियोजन—

पूरक	0.01				
पुनर्विं	4,09,00.00	4,09,00.01	4,09,00.01	..	

प्रावधान में ₹ 4,09,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr&

(yk[k : lk; ka es)

05- संचरण एवं वितरण—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों मे निवेश—

08- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण

नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूंजी—

मूल	17,48,83.00				..
पुनर्विभाग	8,35.62	17,57,18.62	17,57,18.62		

प्रावधान में ₹ 8,35.62 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

6801- पावर प्रोजेक्ट के लिये ऋण—

800- इलेक्ट्रसीटी बोर्ड को अन्य ऋण—

06- उर्जा परियोजनाओं की वित्तीय सहायता हेतु

उ0प्र0विद्युत परिषद् को कर्ज	..	49.30	+49.30
------------------------------	----	-------	--------

वास्तविक व्यय ₹ 49.30 लाख वर्ष 1999-2000 की आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे क समाशोधन से सम्बन्धित है।

vunku | a; k 10&df"k rFkk vU; | Ec) foHkkx
(vk\$| kfud , oaj\$ke fodkl)

ed[; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr &
	fofu; kx		
		%"gtkj #lk; ka eg%	

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2401- फसल कृषि—कर्म ,

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन ,

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा तथा

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

nRrer&

मूल	1,89,94,32			
पूरक	1	1,89,94,33	1,67,63,03	-22,31,30
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				21,69,29

i Hkkfj r&

मूल	73,57			
पूरक	..	73,57	98,51	+24,94
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				1,89

i nthxr&

4401- फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत

परिव्यय

nRrer&

मूल	4,22,29			
पूरक	..	4,22,29	3,51,07	-71,22
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				83,17

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jkTkLo&

nRrer&

(i) ₹ 22,31.30 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 21,69.29 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 & cpr &
 % yk[k #lk; ka e%'

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग—

107- माडल चाकी कीट पालन—

01- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित

कैटालेटिक विकास योजना—

मूल	4,66.00		2,66.10	2,66.10	..
पुनर्विभाग	-1,99.90				

₹ 1,99.90 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2401- फसल कृषि-कर्म —

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- अधिष्ठान व्यय-रेशम

निदेशालय—

मूल	4,91.32		5,15.13	5,29.66	+14.53
पुनर्विभाग	23.81				

₹ 23.81 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 24.82 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 48.63 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा —

80- सामान्य—

004- अनुसंधान —

06- प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र —

मूल	5,21.46		5,16.80	5,80.34	+63.54
पुनर्विभाग	-4.66				

₹ 4.66 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 17.73 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में

₹ 13.07 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

(iv) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 24,94,432 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(v) ₹ 24.94 लाख के अन्तिम व्याधिक्य को देखते हुए, ₹ 1.89 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(vi) व्याधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ :—

' kh"kl	dly fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

%"yk[k #lk; ka e@%

2401- फसल कृषि—कर्म —

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- केन्द्रीय निदेशालय	0.90	16.93	+16.03
------------------------	------	-------	--------

119- बागवानी तथा बनस्पति फसलें—

03- नर्सरी—

मूल	64.82		
पुनर्विभाग	-1.67	63.15	81.58

₹ 1.67 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

2052- सचिवालय—सामान्य सेवाएँ—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	7.60		
पुनर्विभाग	-0.22	7.38	..

₹ 0.22 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i nthxr&

nRrer&

(viii) ₹ 71.22 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 83.17 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

%"yk[k #lk; ka e@%

4401- फसल कृषि—कर्म पर

पूंजीगत परिव्यय—

119- बागवानी तथा बनस्पति फसलें—

03- नर्सरी—

मूल	15.00		
पुनर्विभाग	-15.00	..	1.49

₹ 15.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; ka e@%

04- सघन क्षेत्रों में व्यवसायिक

औद्यानिक विकास-

मूल	2,07.25				
पुनर्विनियोग	-56.13	1,51.12	1,49.58		-1.54

₹ 56.13 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
 (जून 2010)।

vunku | a[; k 11&df"k rFkk vU; | Ec) foHkkx (df"k ½

eq; 'kh"kz dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
; k cpr &
fofu; kx
%

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद्,

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2401- फसल कृषि-कर्म,

2402- मृदा तथा जल संरक्षण,

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा तथा

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम

nRrer&

मूल	23,08,18,26			
पूरक	20,01		23,08,38,27	15,88,05,28
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				-7,20,32,99 6,73,64,70

i ~~kkfj~~ r&

मूल	<i>15,10</i>			
पूरक	<i>..</i>		<i>15,10</i>	..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				<i>6.37</i>

intxr&

4401- फसल कृषि—कर्म पर

ਪੁੰਜੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰ,

4402- मृदा तथा जल संरक्षण

पर पूंजीगत परिव्यय,

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

पर पूंजीगत परिव्यय तथा

6435- अन्य कृषि कार्यक्रम

के लिए कर्ज

nRrer&

मूल	3,08,16,40			
		3,22,03,79	2,89,29,88	-32,73,91
पूरक	13,87,39			

fVIIif.k; ka , oa Vhdk; &

ijkl&

nRrer&

- (i) ₹ 7,20,32.99 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 6,73,64.70 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

- (ii) ₹ 7,20,32.99 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 20.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kz dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr & *½ ykTk #lk; kq e g ½*

2401- फसल कृषि-कर्म-

102- खाद्यान फसले-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा प्रोनिधानित योजनायें—

মূল	1,50,17.92			
পুনর্বিন্দি	-35,52.57	1,14,65.35	1,14,41.54	-23.81

₹ 35,52.57 लाख का अध्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मितव्ययिता तथा प्रावधान भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक होने के कारण था।

2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 14,23.06 लाख

(प्रावधान का 16 प्रतिशत), ₹ 48,59.93 लाख (प्रावधान का 39 प्रतिशत) तथा ₹ 38,57.94 लाख

(प्रावधान का 25 प्रतिशत) की बचत थी।

103- बीज-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	5,34.57			
पुनर्विधि	-5,34.57	..	2.10	+2.10

₹ 5,34.57 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि प्राप्त होने के कारण

था ।

04- प्रमाणित बीजों पर अनुदान-

মূল	70,00.00			
পুনর্বিন্দি	-21,51.10	48,48.90	48,08.04	-40.86

₹ 21,51.10 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

105- खाद तथा उर्वरक-

05- प्रदेश के कृषकों को अनुदानित

दर पर जिंक सल्फेट का वितरण—

মূল	12,00.00			
পুনর্বিন্দু	-1,24.77	10,75.23	10,32.54	-42.69

₹ 1,24.77 लाख का अभ्यर्पण जिंक सल्फेट की उपलब्धता न होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &

% yk[k #lk; k[e%%

107- वनस्पति संरक्षण —

03- पौध संरक्षण सेवा तथा

कृषि रक्षा सेवा—

मूल	55,29.24		47,17.01	46,31.52	-85.49
पुनर्विभाग	-8,12.23				

₹ 8,12.23 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग के आधार पर था।

108- वाणिज्यिक फसलें—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,13.77		87.23	94.67	+7.44
पुनर्विभाग	-26.54				

₹ 26.54 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होने तथा भारत सरकार द्वारा समय से धनराशि निर्गत न होने के कारण हुआ।

109- विस्तार तथा किसानों

को प्रशिक्षण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	8,20.00		3,73.79	3,74.39	+0.60
पुनर्विभाग	-4,46.21				

₹ 4,46.21 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुआ।

03- कृषि प्रसार प्रायोजना

तथा प्रदर्शनीयां—

मूल	1,41,73.55		1,22,58.14	1,22,73.09	+14.95
पुनर्विभाग	-19,15.41				

₹ 19,15.41 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 13,74.59 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण था जबकि प्रावधान में ₹ 5,40.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- रहमान खेड़ा राज्य कृषि

प्रबन्ध संस्थान—

मूल	3,57.35		2,64.00	2,64.00	..
पुनर्विभाग	-93.35				

₹ 93.35 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; ka e8%

05- किसान मित्र योजना—

मूल	58,35.76		3,73.45	3,33.19	-40.26
पुनर्विभाग	-54,62.31				

₹ 54,62.31 लाख का अभ्यर्पण योजनाओं के स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

97- यू० पी० डाइवर्सीफाइड

एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट					
फेज- II (विश्व बैंक पोषित)-					
मूल	18,00.00		9,00.00	9,00.00	..
पुनर्विभाग	-9,00.00				

₹ 9,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 17,31.65 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान, ₹ 8,65.83 लाख (प्रावधान का 50 प्रतिशत) तथा ₹ 17,32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत हुई।

110- फसल बीमा —

04- फसल बीमा हेतु :

कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड					
को प्रीमियम का भुगतान—					
मूल	50,00.00		12,50.00	12,50.10	+0.10
पुनर्विभाग	-37,50.00				

₹ 37,50.00 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—					
मूल	4,85.92		3,74.46	3,56.87	-17.59
पुनर्विभाग	-1,11.46				

₹ 1,11.46 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययिता तथा भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण हुआ।

03- कृषि आंकड़ों में सुधार

हेतु कार्यक्रम—					
मूल	6,03.78		5,53.41	5,17.15	-36.26
पुनर्विभाग	-50.37				

₹ 50.37 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; ka e8%

05- फसलों की उत्पादकता तथा

उत्पादन के आंकड़ों का

डाटा बैंक—

मूल	4,56.80				-17.71
पुनर्विभाग	-2,34.63	2,22.17	2,04.46		

₹ 2,34.63 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, संविदा आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने तथा मितव्ययिता के कारण था।

112- दालों का विकास—

03- रबी दलहन उत्पादन

कार्यक्रम—

मूल	31,40.90				..
पुनर्विभाग	-31,40.90

₹ 31,40.90 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 28,86.90 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण था जबकि प्रावधान में ₹ 2,54.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

113- कृषि इंजीनियरी—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	54.07				-0.01
पुनर्विभाग	-11.87	42.20	42.19		

₹ 11.87 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने तथा प्रावधान भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की तुलना में अधिक प्राप्त हुआ।

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	3,44.00				+9.04
पुनर्विभाग	-3,37.66	6.34	15.38		

₹ 3,37.66 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण हुआ।

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	5,17,31.47				-2,24.68
पुनर्विभाग	-3,45,03.10	1,72,28.37	1,70,03.69		

₹ 3,45,03.10 लाख का अभ्यर्पण योजनाओं की स्वीकृति न मिलने@विलम्ब से मिलने, प्रावधान स्वीकृति योजनाओं से अधिक होने मितव्ययिता तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; ka e8%

2402- मृदा तथा जल संरक्षण –

101- मृदा—संरक्षण तथा परीक्षण—

05- जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं
 का सदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के
 प्रयोग को प्रोत्साहित करने का
 कार्यक्रम—

मूल	3,23.40		90.00	89.43	-0.57
पुनर्विभाग	-2,33.40				

₹ 2,33.40 लाख का अभ्यर्पण निविदा की शर्तें अनुमोदित न होने के कारण हुआ।

102- मृदा—संरक्षण –

03- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा
 जल संचयन एवं सिंचाई
 की योजना—

मूल	1,02,07.00		76,54.95	76,41.88	-13.07
पुनर्विभाग	-25,52.05				

₹ 25,52.05 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

04- कृषि क्षेत्र हेतु कुशल

जल प्रबन्धन—

मूल	16,78.70		11,60.89	11,53.42	-7.47
पुनर्विभाग	-5,17.81				

₹ 5,17.81 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

05- मृदा स्वास्थ्य का सदृढ़ीकरण –

मूल	10,78.59	
पुनर्विभाग	-10,78.59				

₹ 10,78.59 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,21.67 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण था जबकि प्रावधान में ₹ 5,56.92 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

11- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	92,18.22		48,26.92	48,02.00	-24.92
पुनर्विभाग	-43,91.30				

₹ 43,91.30 लाख का अभ्यर्पण प्रावधान भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक प्राप्त होने तथा मितव्ययिता के कारण था।

103- भूमि सुधार तथा विकास—

97- बाह्य सहायतित योजनायें	50,00.00	7,60.00	-42,40.00
----------------------------	----------	---------	-----------

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; ka ea %

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—

01- फसल कृषि कर्म—

277- शिक्षा—

03- राजकीय कृषि विद्यालय—

मूल	3,36.03				-3.06
पुनर्विर्ग	-92.71	2,43.32	2,40.26		

₹ 92.71 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

80- सामान्य—

120- अन्य संस्थाओं को सहायता—

20- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की

आडिट फीस के लिए व्यवस्था—

मूल	3,00.00				-37.50
पुनर्विर्ग	-75.00	2,25.00	1,87.50		

₹ 75.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

24- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों

में कृषि प्रसार योजना—

मूल	2,00.00				..
पुनर्विर्ग	-28.28	1,71.72	1,71.72		

₹ 28.28 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

26- उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में

कृषि शोध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण—

मूल	2,00.00				..
पुनर्विर्ग	-2,00.00		

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

27- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा

की स्थापना—

पूरक	20.00				+0.01
पुनर्विर्ग	-10.20	9.80	9.81		

₹ 10.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr & % yk[k #lk; ka e8%

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-

101- विपणन सुविधाएँ-

03- कृषि उत्पादन का व्यापार

संगठन-

मूल	8,30.33		5,82.66	5,86.27	+3.61
पुनर्विभाग	-2,47.67				

₹ 2,47.67 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,46.86 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण था जबकि प्रावधान में ₹ 0.81 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- बाजार विनियमन एवं

प्रशिक्षण केन्द्र-

मूल	1,95.44		1,10.87	1,05.96	-4.91
पुनर्विभाग	-84.57				

₹ 84.57 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	89,08.06		88,31.51	89,11.21	+79.70
पुनर्विभाग	-76.55				

₹ 76.55 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,01.55 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण था जबकि प्रावधान में ₹ 1,25.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2401- फसल कृषि-कर्म-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

05- जिला संगठन-

मूल	35,49.68		37,99.61	38,25.33	+25.72
पुनर्विभाग	2,49.93				

प्रावधान में ₹ 2,49.93 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,65.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 15.07 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; ka ea%

105- खाद तथा उर्वरक—

03- उर्वरक एवं कीटनाशक गुण

नियंत्रण प्रयोगशालायें—

मूल	1,08.11		94.00	1,16.66	+22.66
पुनर्विंशति	-14.11				

₹ 14.11 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

04- आपूर्ति एवं पीठ के काम्प्लेक्स

उर्वरक पर देय वैट की प्रतिपूर्ति—

मूल	3,58.15		3,58.14	3,77.75	+19.61
पुनर्विंशति	-0.01				

₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

109- विस्तार तथा किसानों

को प्रशिक्षण—

07- कृषि उत्पादन में वृद्धि के

लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश

तथा तकनीकी प्रबन्धन—

मूल	15,86.19		21,31.13	21,22.74	-8.39
पुनर्विंशति	5,44.94				

प्रावधान में ₹ 5,44.94 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 5,56.92 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 11.98 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी—

04- कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी

तथा प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध

में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन

एवं डिजाइन तैयार करना—

मूल	3,00.54		3,46.79	3,51.61	+4.82
पुनर्विंशति	46.25				

प्रावधान में ₹ 46.25 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 54.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 7.75 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % ykfk #lk; ka ea %

2402- मृदा तथा जल संरक्षण—

101- मृदा—संरक्षण तथा परीक्षण—

04- प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि
 परीक्षण प्रयोगशालाओं की
 राइजोवियम कल्वर उत्पादन
 हेतु सुदृढीकरण योजना—

मूल	82.34
पुनर्विनियोग	-0.46

₹ 0.46 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

81.88 88.13 +6.25

102- मृदा—संरक्षण —

10- नाबार्ड सहायतित इन्टीग्रेटेड
 रेन वाटर मैनेजमेंट (वाटर
 शैड डेवलपमेन्ट) प्रोजेक्ट

2,19,00.95 2,19,14.12 +13.17

103- भूमि सुधार तथा विकास—

04- किसान हित योजना—

मूल	11,48.00
पुनर्विनियोग	1,98.97

13,46.97 13,19.72 -27.25

प्रावधान में ₹ 1,98.97 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 1.03 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—

80- सामान्य—

120- अन्य संस्थाओं को सहायता—

04- उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,

कानपुर को अनुदान 19,65.63 20,03.18 +37.55

09- इलाहाबाद एग्रीकल्वरल

इन्स्टीट्यूट को अनुदान—

मूल	4,82.05
पुनर्विनियोग	1,65.82

6,47.87 5,84.23 -63.64

प्रावधान में ₹ 1,65.82 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

(v) ₹ 15.10 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 6.37 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #lk; ka e@%

2401- फसल कृषि—कर्म—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- कृषि निदेशालय का सामान्य

अधिष्ठान—

मूल	15.00				-8.67
पुनर्विभाग	-6.33		8.67	..	

₹ 6.33 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i nthxr&

nRrer&

(vii) ₹ 2,89,29.88 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 1991-92 तथा 2000-01 से सम्बन्धित आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 4,03.13 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(viii) ₹ 36,77.04 लाख (₹ 32,73.91 लाख + ₹ 4,03.13 लाख ½ की अन्तिम बचत में से , मात्र ₹ 34,41.72 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ix) ₹ 36,77.04 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 13,87.39 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(x) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #lk; ka e@%

4401- फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत

परिव्यय—

105- खाद तथा उर्वरक—

04- नेशनल प्रोजेक्ट आन मैनेजमेंट

आफ स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी—

पूरक	2,45.85				..
पुनर्विभाग	-2,45.85		

₹ 2,45.85 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; ka e8%

107- वनस्पति संरक्षण—

04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों

द्वारा कीट / रोग नियंत्रण—

मूल	4,00.60				+0.10
पुनर्विंशति	-3,95.60	5.00	5.10		

₹ 3,95.60 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर हुआ।

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा

अन्य उपकरणों में निवेश—

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	39,87.60				+0.42
पुनर्विंशति	-29,10.63	10,76.97	10,77.39		

₹ 29,10.63 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 8,74.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 20,36.34 लाख का अभ्यर्पण विलम्ब से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	42,74.66				..
पुनर्विंशति	-31,64.90	11,09.76	11,09.76		

₹ 31,64.90 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 24,03.38 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 7,61.52 लाख का अभ्यर्पण विलम्ब से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुआ।

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर

पूँजीगत परिव्यय —

80- सामान्य—

277- शिक्षा—

16- कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद

में वी० आई० पी० गेस्ट हाउस

का निर्माण	4,72.70	3,77.21	-95.49
------------	---------	---------	--------

18- कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में

प्राशासनिक भवन का निर्माण

10,00.00	8,50.00	-1,50.00
----------	---------	----------

19- कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद

में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण

5,43.00	4,52.11	-90.89
---------	---------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत / व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(xi) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

'kh"kz dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr & *½ yk[k #lk; ka e ½*

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत

परिव्यय-

102- खाद्यान्नों की फसलें-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पुनर्विनियोग 2,89.35 2,89.35 2,89.76 +0.41
 प्रावधान में ₹ 2,89.35 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,89.74 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 0.39 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हआ।

103- बीज-

04- आधारिक बीज भंडार-

મૂલ	51,01.20				
પનર્વીં	29,86.93	80,88.13	83,94.26	+3,06.13	

वास्तविक व्यय में वर्ष 2000-01 से सम्बन्धित आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के ₹ 3,61.13 लाख सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 29,86.93 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 29,87.93 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 1.00 लाख का अन्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हआ।

107- वनस्पति संक्षण -

03- कीटनाशक औषधियों की

खरीद की लागत जिसमें

प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है 13,00.00 13,05.37 +5.37

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर

पूंजीगत परिव्यय –

80- सामान्य-

277- शिक्षा-

12- कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कालेज आफ बेसिक

साइंस का निर्माण 8,00.63 9,75.63 +1,75.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

6435- अन्य कृषि कार्यक्रम

के लिए ऋण-

60- अन्य-

101- विपणन सुविधायें—

04- बाजार का विनियमन

योजना के अन्तर्गत ऋण .. 42.00 +42.00^{वास्तविक व्यय वर्ष 1991-92 के आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित है।}

vunku | a; k 12&df"k rFkk vU; | Ec) foHkkx
1Hkfe fodkl , o a ty | LFkku%

ed[; 'kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% gtlj #lk; ka es%

jktLo&

- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा
- 2705- कमान क्षेत्र विकास

nRrer&

मूल	1,88,09,84				
पूरक	5,17,70		1,93,27,54	1,69,35,31	-23,92,23
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)					23,99,91

fVif.k; ka , o a Vhdk; &

jktTkLo&

nRrer&

(i) ₹ 23,92.23 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 23,99.91 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(ii) ₹ 23,92.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 5,17.70 लाख का अनुपूरक अनुदान यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yklj #lk; ka es%

- 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष

कार्यक्रम—

- 02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम—
- 800- अन्य व्यय—
- 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	12,28.83		6,52.08	6,58.08	+6.00
पुनर्विना	-5,76.75				

₹ 5,76.75 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4,09.92 लाख का अभ्यर्पण अपेक्षित केंद्रांश प्राप्त न होने के कारण था तथा प्रावधान में ₹ 1,66.83 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr &

॥ yk[k #lk; ka e॥

05-	बंजर भूमि विकास—				
101-	राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम—				
01-	केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
	मूल	10,48.00			
	पुनर्विंग	-6,95.83	3,52.17	3,46.32	-5.85

₹ 6,95.83 लाख का अभ्यर्पण केद्रांश की अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने के कारण था।

2705- कमान क्षेत्र विकास —

800- अन्य व्यय—

01-	केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
	मूल	1,53,20.10			
	पूरक	5,17.70	1,47,11.05	1,47,09.95	-1.10
	पुनर्विंग	-11,26.75			

₹ 11,26.75 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 12,93.58 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 1,66.83 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	12,12.90				
पुनर्विंग	-0.58	12,12.32	12,20.97	+8.65	

₹ 0.58 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

वुप्पुकु | ल; क 13&df"क rFkk vU; | Ec) foHkkx (xkE; fodkl ½

ed[; 'kh"kl

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

अधिक व्यय +

या

बचत -

विनियोग

(हजार रुपयों में)

jktLo&

- 2013- मंत्रि परिषद्,
- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2215- जल पूर्ति तथा सफाई,
- 2230- श्रम तथा रोजगार ,
- 2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम,
- 2505- ग्राम रोजगार,
- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
- 2702- लघु सिंचाई तथा
- 3054- सड़क तथा सेतु

nRrer&

मूल	18,13,59,31			
पूरक	2,67,36,36	20,80,95,67	20,47,87,86	-33,07,81
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				39,87,36

i Hkkfj r&

मूल	10,00			
पूरक	..	10,00	2,29	-7,71
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				5,00

i nthxr&

- 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर
- पूंजीगत परिव्यय,
- 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा
- 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	7,38,32,84			
पूरक	3,13,00,00	10,51,32,84	10,31,64,81	-19,68,03
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				43,62,61

fVif. k; ka , oa Vhdळ; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 33,07.81 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 39,87.36 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

- (ii) ₹ 33,07.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,64,63.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl
dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #lk; kg ea%

2230- श्रम तथा रोजगार —

01- श्रम —

103- सामान्य श्रम कल्याण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,31,00.00				
पूरक	33,88.00		32,75.00	32,75.00	..
पुनर्विभाजित	-1,32,13.00				

₹ 1,32,13.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 21,40.74 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 1,10,72.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—

003- प्रशिक्षण—

03- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय /

जिला ग्राम विकास)—

मूल	20,68.05				
पुनर्विभाजित	-3,05.43		17,62.62	17,66.41	+3.79

₹ 3,05.43 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

102- सामुदायिक विकास—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,98.00				
पुनर्विभाजित	-1,17.52		80.48	99.70	+19.22

₹ 1,17.52 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- अम्बेडकर रोजगार योजना—

पूरक	16,20.00				
पुनर्विभाजित	-1,18.83		15,01.17	14,03.87	-97.30

₹ 1,18.83 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; k[e@%

2702- लघु सिंचाई—

02- झू-जल-

005- अन्वेषण—

04- भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण

एवं गहरे भूजल स्रोतों पर

पेरामीटर टेस्ट-

मूल	88.00				-10.48
पुनर्विं	-9.76				

₹ 9.76 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

03- ब्लास्टिंग यूनिटों के कुओं

को गहरा करने की योजना

(जिला योजना) —

मूल	11.16				-1.25
पुनर्विं	-6.32				

₹ 6.32 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	4,99.09				-15.27
पुनर्विं	-1,98.06				

₹ 1,98.06 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2215- जल पूर्ति तथा सफाई—

01- जलपूर्ति—

102- ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	3,12,25.00				+73.54
पूरक	1,64,63.85				
पुनर्विं	58,29.46				

प्रावधान में ₹ 58,29.46 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #lk; k[e@%

2505- ग्राम रोजगार—

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम—

702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाये—

मूल	88,26.00			
पूरक	40,93.61	1,86,16.33	1,90,49.69	+4,33.36
पुनर्विभाग	56,96.72			

प्रावधान में ₹ 56,96.72 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 31.90 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 57,28.62 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाये	2,37,00.00	2,38,87.95	+1,87.95
----------------------------	------------	------------	----------

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—

001- निवेशन तथा प्रशासन—

03- विकास आयुक्त (मुख्यालय)—

मूल	5,38.66			
पुनर्विभाग	29.85	5,68.51	5,77.15	+8.64

प्रावधान में ₹ 29.85 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 0.64 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 30.49 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

102- सामुदायिक विकास—

06- संग्रहीत जिला कार्यालय—

मूल	52,90.04			
पूरक	5,44.00	64,04.10	62,90.51	-1,13.59
पुनर्विभाग	5,70.06			

प्रावधान में ₹ 5,70.06 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 5,71.68 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1.62 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

04- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना—

मूल	1,57.48			
पुनर्विभाग	1,06.20	2,63.68	2,63.70	+0.02

प्रावधान में ₹ 1,06.20 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; ka e@%

2702- लघु सिंचाई—

80- सामान्य—

799- उचन्त—

03- भण्डार उचन्त	..	2,00.47	+2,00.47
------------------	----	---------	----------

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 68.11 लाख, ₹ 3,91.05 लाख तथा ₹ 4,85.76 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

04- विविध कार्य अग्रिम	..	1,98.40	+1,98.40
------------------------	----	---------	----------

2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 19.60 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

800- अन्य व्यय—

04- पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई

निर्माण कार्य योजना

(जिला योजना) —

मूल	6,00.00			
पुनर्विभाजित	-0.16	5,99.84	6,21.76	+21.92

₹ 0.16 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- लघु तथा सीमान्त कृषकों को

कृषि उत्पादन हेतु सहायता

(बोरिंग तथा पम्प सेट निर्माण

हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान)

(जिला योजना)

27,74.00	27,85.92	+11.92
----------	----------	--------

08- डाठो अम्बेडकर सामूहिक

नलकूप योजना—

मूल	4,30.00			
पुनर्विभाजित	-0.65	4,29.35	4,61.60	+32.25

₹ 0.65 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

(v) ₹ 7.71 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 5.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

i nthxr&

nRrer&

(vi) ₹ 19,68.03 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 43,62.61 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(vii) ₹ 19,68.03 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(viii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr & % yk[k #lk; k[e%

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

337- सड़क निर्माण कार्य—

03- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण—

मूल	35,02.00		7,78.41	..	-7,78.41
पुनर्विभाग	-27,23.59				

₹ 27,23.59 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

04- प्रधानमंत्री ग्राम सदन योजना के

अन्तर्गत सेन्ट्रेज चार्ज—

मूल	17,19.00		80.00	80.00	..
पुनर्विभाग	-16,39.00				

₹ 16,39.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(ix) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर

पूंजीगत परिव्यय—

102- सामुदायिक विकास—

03- जिला विकास कार्यालय भवनों

का निर्माण तथा सामुदायिक

विकास खण्ड कार्यालयों / केन्द्रों

आदि के भवनों का निर्माण

0.01 7,03.81 +7,03.80

800- अन्य व्यय—

03- विधायक निधि

6,30,00.00 6,42,37.50 +12,37.50

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

799- उचन्त—

03- भण्डार उचन्त

.. 8,12.96 +8,12.96

बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 9,61.72 लाख, ₹ 25,62.64 लाख तथा ₹ 20,52.93 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

04- विविध कार्य अग्रिम

.. 4,26.46 +4,26.46

व्यय बिना प्रावधान के था। 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 4,12.60 लाख, ₹ 9,22.08 लाख तथा ₹ 6,80.71 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; kse%

800- अन्य व्यय—

04- लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत बोरिंग गोदामों का निर्माण (जिला योजना)	48.00	66.43	+18.43
---	-------	-------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | a; k 14&df"k rFkk vU; | Ec) foHkkx (ipk; rh jkt ½

eq; 'kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
½ gtlj #lk; lk ea ½

jktLo&

- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,
- 2204- खेल—कूद तथा युवा सेवायें,
- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा
- 2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

nRrer&

मूल	17,66,79,38			
पूरक	7,56	17,66,86,94	14,32,52,27	-3,34,34,67
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				2,95,41,84

iRhr&

- 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय तथा
- 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	6,30,00,04			
पूरक	..	6,30,00,04	6,12,42,84	-17,57,20
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				17,89,03

fVif.k; ka , oa Vhdः &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 3,34,34.67 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,95,41.84 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 3,34,34.67 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 7.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr & % yk[k #lk; kq e@%

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	56,13.00				
पुनर्विभाग	-8,48.96		47,64.04	10,88.72	-36,75.32

प्रावधान में ₹ 8,48.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- पंचायती राज निदेशालय—

मूल	2,86.16				
पुनर्विभाग	-29.38		2,56.78	2,54.90	-1.88

₹ 29.38 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

101- पंचायती राज —

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,00,00.00				
पुनर्विभाग	-22,67.65		77,32.35	78,05.62	+73.27

₹ 22,67.65 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- जिला पंचायत प्रशासन

मूल	16,28.58				
पुनर्विभाग	-2,59.35		13,69.23	14,74.95	+1,05.72

₹ 2,59.35 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- ग्रामीण स्वच्छता अभियान के

अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का

निर्माण—

मूल	1,04,55.00				
पुनर्विभाग	-69,84.74		34,70.26	33,76.59	-93.67

₹ 69,84.74 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[l #lk; k[e@%

800- अन्य व्यय—

08- राज्य निर्वाचन आयोग

(जिला स्तरीय)

मूल	1,19.93				
पुनर्विभाग	-24.92		95.01	1,07.22	+12.21
		₹ 24.92 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

11- पंचायती राज चुनाव

हेतु व्यवस्था—

मूल	1,30,00.00				
पुनर्विभाग	-95,47.74		34,52.26	34,44.17	-8.09

₹ 95,47.74 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 95,07.74 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम—

02- पिछङ्गे क्षेत्र—

800- अन्य व्यय—

03- पिछङ्गे क्षेत्र अनुदान निधि

पोषित कार्यक्रम—

मूल	70,00.00				
पुनर्विभाग	-49,74.00		20,26.00	20,26.00	..

₹ 49,74.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 21,29.50 लाख (प्रावधान का 43 प्रतिशत) तथा ₹ 69,50.50 लाख (प्रावधान का 99 प्रतिशत) की बचत हुई।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- प्रादेशिक विकास दल—

मूल	8,85.87				
पूरक	3.61		13,28.85	13,21.74	-7.11
पुनर्विभाग	4,39.37				

प्रावधान में ₹ 4,39.37 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 4,09.59 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 8,48.96 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #lk; k[e@%

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—

101- पंचायती राज —

04- मंडल पंचायत प्रशासन—

मूल	1,74.76			
		1,42.88	2,44.93	+1,02.05
पुनर्विनियोग	-31.88			

₹ 31.88 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

07- राज्य निर्वाचन आयोग—

मूल	2,42.25			
		2,74.54	2,85.10	+10.56
पुनर्विनियोग	32.29			

प्रावधान में ₹ 32.29 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 7.71 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i nthxr&
nRrer&

(v) ₹ 17,57.20 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 17,89.03 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी थी।

vunku | a; k 15&df"k rFkk vU; | Ec) foHkkx (i 'kqku ½

ed[; 'kh"kl

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

अधिक व्यय +

बचत -

या

विनियोग

(हजार रुपयों में)

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद्,

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

2403- पशु पालन

nRrer&

मूल

3,90,93,24

पूरक

..

3,90,93,24

3,71,47,57

-19,45,67

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

22,12,82

i Hkkfj r&

मूल

13,79

पूरक

..

13,79

..

-13,79

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

13,79

i thxr&

4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल

19,70,01

पूरक

1

19,70,02

11,16,14

-8,53,88

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

9,03,55

fVif.k; ka , oa Vhdळ; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 19,45.67 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 22,12.82 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
			% yk[k #lk; k[e%%

2403- पशु पालन—

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा

पशु स्वास्थ्य—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	23,08.90	11,37.91	11,37.64	-0.26
पुनर्विभाग	-11,70.99			

₹ 11,70.99 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, केन्द्राश कम प्राप्त होने, बिलों के प्राप्त न होने, जनपदों में न्यूनतम बचत तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 7,66.91 लाख

(प्रावधान का 33 प्रतिशत), ₹ 2,82.53 लाख (प्रावधान का 18 प्रतिशत) तथा

₹ 11,92.84 लाख (प्रावधान का 49 प्रतिशत) की बचत थी।

102- पशु तथा भैंस विकास—

04- पैरावेट की योजना

मूल	7,01.68	5,34.83	5,30.90	-3.93
पुनर्विभाग	-1,66.85			

₹ 1,66.85 लाख का अभ्यर्पण योजनान्तर्गत कम दरों पर सामान क्रय किये जाने तथा मशीने और सज्जा हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 1,36.54 लाख

(प्रावधान का 99.66 प्रतिशत), ₹ 10,68.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान तथा ₹ 2,17.77 लाख

(प्रावधान का 20 प्रतिशत) की बचत थी।

107- चारा और चारागाह विकास—

04- चारा एवं चारागाह विकास

की योजना (जिला योजना) —

मूल	20.00	10.00	10.30	+0.30
पुनर्विभाग	-10.00			

₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति कम प्राप्त होने, तथा जिलों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl
dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #lk; kg e g %

2403- पशु पालन-

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा

पशु स्वास्थ्य-

04- पशु चिकित्सालयों एवं पशु
सेवा केन्द्रों का सुदृढीकरण
(जिला योजना)

1,00.00 1,19.09 +19.09

102- पशु तथा भैंस विकास-

09- नैसर्गिक अभिजनन हेतु
(गाय / भैंस) साड़ -

मूल	0.08	..	2.41	+2.41
पुनर्विनियोग	-0.08			

₹ 0.08 लाख का अभ्यर्पण बजट का सांकेतिक प्रावधान था।

106- अन्य पशुधन विकास-

03- राज्य पशुधन एवं कृषि
सम्बन्धी प्रक्षेत्र -

मूल	13,15.94	12,88.87	13,91.48	+1,02.61
पुनर्विनियोग	-27.07			

₹ 27.07 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 52.61 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 79.68 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने पर पदों के रिक्त रहने, विद्युत दरों में वृद्धि न होने, मितव्ययिता तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

06- पंडित दीन दयाल पशु चिकित्सा

विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ

अनुसंधान संस्थान, मथुरा-

मूल	7,43.12	10,82.81	10,84.14	+1.33
पुनर्विनियोग	3,39.69			

प्रावधान में ₹ 3,39.69 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 10.31 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

(iv) बचत निम्न के अधीन हुई :—

' kh" kZ	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

% yk[k #lk; k e%

2403- पशु पालन—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- निदेशालय—

मूल	13.79
पुनर्विंग	-13.79			

सम्पूर्ण विनियोग ₹ 13.79 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 12.75 लाख (विनियोग का 92 प्रतिशत) की बचत थी।

i wthxr&

nRrer&

(v) ₹ 8,53.88 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 9,03.55 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

% yk[k #lk; k e%

4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय—

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा

पशु स्वास्थ्य—

03- पशु चिकित्सालयों का निमार्ण

(जिला योजना)—

मूल	10,00.00	1,46.97	1,96.64	+49.67
पुनर्विंग	-8,53.03			

₹ 8,53.03 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 27.31 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 8,25.72 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

07- पशु सेवा केन्द्र / 'द' श्रेणी पशु

औषधालय (जिला योजना)—

मूल	2,00.00	1,43.82	1,43.82	..
पुनर्विंग	-56.18			

₹ 56.18 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 11.81 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 44.37 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; k e% %

103- कुक्कुट विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	40.00		23.64	23.64	..
पुनर्विभाग	-16.36				

₹ 16.36 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुआ।

107- चारा तथा चारागाह विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	14.00		7.00	7.00	..
पुनर्विभाग	-7.00				

₹ 7.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुआ।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा

पशु स्वास्थ्य-

04- पशु चिकित्सा पांलीकलीनिक

बड़ौत, जनपद बागपत-

पूरक	0.01		39.13	39.13	..
पुनर्विभाग	39.12				

प्रावधान में ₹ 39.12 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vupku | a[; k 16&df"k rFkk vU; | Ec) foHkkx
 ¼ n[k/k' kkyk fodkl)

eq; 'kh"kl

dy vupku
 ; k
 fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
 cpr &

%gtkj #lk; ka es%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवाये तथा

2404- डेरी विकास

nRrer&

मूल	25,71,05				
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		25,71,05	23,61,52	-2,09,53	

i Hkkfj r&

मूल	1				
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		1	2,60	+2,59	1

i nthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय,

4404- डेरी विकास पर पूंजीगत

परिव्यय तथा

6404- डेरी विकास के लिए

कर्ज

nRrer&

मूल	1				
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		1	1,07,32	+1,07,31	1

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jkTkLo&

nRrer&

- (i) ₹ 23,61.52 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2000-01 के आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के ₹ 48.53 लाख सम्मिलित हैं। ₹ 2,09.53 लाख (₹ 2,09.53 लाख + ₹ 48.53 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 3,07.23 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl

dyv vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

% yk[k #lk; k[e g%

2404- डेरी विकास

102- डेरी विकास परियोजनायें—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 1,55.25

31.62

31.62

..

पुनर्विभाग -1,23.63

₹ 1,23.63 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

03- दुग्ध विकास कार्यक्रम—

मूल 1,50.03

1,25.00

1,25.76

+0.76

पुनर्विभाग -25.03

₹ 25.03 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति न होने के कारण हुआ तथा बजट का सांकेतिक प्रावधान था।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

191- सहकारी समितियां तथा अन्य

निकायों को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 2,00.00

89.09

1,37.62

+48.53

पुनर्विभाग -1,10.91

₹ 1,37.62 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2000-01 के आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के

₹ 48.53 लाख सम्मिलित हैं।

₹ 1,10.91 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल 2,36.58

2,36.28

2,49.54

+13.26

पुनर्विभाग -0.30

₹ 0.30 लाख का अभ्यर्पण वास्तविकता के आधार पर हुआ।

' kh"kl

dly vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

% yk[k #lk; ka e% %

2404- डेरी विकास

102- डेरी विकास परियोजनायें—

02- अनुसूचित जातियों के लिए
विशेष कम्पोनेन्ट प्लान

.. 2.01 +2.01

191- सहकारी समितियों तथा अन्य
निकायों को सहायता—02- अनुसूचित जातियों के लिए
विशेष कम्पोनेन्ट प्लान

.. 32.04 +32.04

796- जनजाति क्षेत्र के लिए
उपयोजना—03- गैर आपरेशन पलड क्षेत्र में
दुर्घट्याकाला विकास हेतु

.. 1.63 +1.63

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

- (iv) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 2,58,964 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (v) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl

dly fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

% yk[k #lk; ka e% %

2404- डेरी विकास

001- निवेशन तथा प्रशासन—

03- सहकारी दुर्घट्याकाला विकास परियोजनायें—

मूल	0.01	..	2.60	+2.60
-----	------	----	------	-------

पुनर्विनियोग	-0.01
--------------	-------

₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i wthxr&

nRrer&

- (vi) ₹ 1,07.32 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 1991-92 के आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के ₹ 76.32 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

- (vii) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 30,99,000 (₹ 1,07,31,000 लाख – ₹ 76,32,000 लाख) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl

dly vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

% yk[k #lk; ka es%

4404- डेरी विकास पर पूंजीगत

परिव्यय—

190- लोक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों में निवेश—

04- चालू दुर्घट केन्द्र योजना

के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित

करने के लिए दुर्घट संघों में

अंशपूंजी का निवेश

..

31.00

+31.00

बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

6404- डेरी विकास पर पूंजीगत

परिव्यय के लिए कर्ज—

190- लोक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों के लिए कर्ज—

24- दीनदयाल विकास योजना के

अन्तर्गत सम्पादित की जाने

वाली सघन मिनी डेरी परियोजना

हेतु कर्ज

..

76.32

+76.32

वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1991-92 से सम्बन्धित है।

vunku | क ; क 17&df;k rFkk vU; | Ec) foHkkx ¼ eRL; ½

ek; 'kh"kl

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

अधिक व्यय +
बचत -

(हजार रुपयों में)

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

2405- मछली पालन

nRrer&

मूल	57,92,66		57,92,66	39,94,92	-17,97,74
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)					19,61,37

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jKTkLo&

nRrer&

- (i) ₹ 17,97.74 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 19,61.37 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।
- (ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

½ yk[k #lk; ka egl½

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	5,63.75		4,93.00	4,91.99	-1.01
पुनर्विभाजित	-70.75				
₹ 70.75 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।					

2405- मछली पालन —

101- अन्तर्देशीय मछली पालन—

04- मत्स्य विकास कार्यक्रम—

मूल	1,04.03		50.00	46.88	-3.12
पुनर्विभाजित	-54.03				
₹ 54.03 लाख का अभ्यर्पण कैट-फिश बीजों की उपलब्ध न होने तथा राज्य के सूखा ग्रस्त रहने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के चिह्नित न होने के कारण हुआ।					

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 6,85.40 लाख (प्रावधान का 99 प्रतिशत) तथा ₹ 22,64.07 लाख (प्रावधान का 97 प्रतिशत) की बचत थी।

% yk[k #lk; ka egl%

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

मूल	60.00		..	0.25	+0.25
पुनर्विभाग	-60.00				

₹ 60.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 22.12 लाख (प्रावधान का 55 प्रतिशत), ₹ 67.00 लाख (सम्पूर्ण प्रावधान) तथा ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत थी।

120- मछली पालन सहकारी समितियां-

03- मत्त्य विपणन का विकास-

मूल	10.00	
पुनर्विभाग	-10.00				

₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण कार्यदायी संस्था द्वारा अपने श्रोत्रों से व्यय करने से धनराशि निर्गत न होने के कारण हुआ।

04- मत्त्य विकास योजना-

मूल	80.00		40.00	41.88	+1.88
पुनर्विभाग	-40.00				

₹ 40.00 लाख का अभ्यर्पण बैंक से ऋण स्वीकृति में कठिनाइयों के रहते प्रावधान का उपयोग न होने के कारण हुआ।

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 78.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान तथा ₹ 1,63.20 लाख (प्रावधान का 82 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा।

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपकरणों को सहायता-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	7,43.30		3,74.86	4,90.27	+1,15.41
पुनर्विभाग	-3,68.44				

₹ 3,68.44 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम स्वीकृति मिलने के कारण तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; ka egl

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	13,48.66		3,17.77	3,27.58	+9.81
पुनर्विभाग	-10,30.89				

₹ 10,30.89 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम स्वीकृति होने के कारण हुआ।

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 9,89.95 लाख (प्रावधान का 74 प्रतिशत) तथा ₹ 9,28.72 लाख (प्रावधान का 70 प्रतिशत) की बचत थी।

03- अनुसंधान—सामान्य—

मूल	23,44.97		20,60.45	20,63.85	+3.40
पुनर्विभाग	-2,84.52				

₹ 2,84.52 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मित्तव्ययिता तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

04- प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास

अभिकरण की स्थापना —

मूल	70.43		57.98	56.99	-0.99
पुनर्विभाग	-12.45				

₹ 12.45 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2405- मछली पालन —

101- अन्तर्देशीय मछली पालन—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	0.50		..	39.04	+39.04
पुनर्विभाग	-0.50				

₹ 0.50 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 18&df" k rFkk vU; | Ec) foHkkx (| gdkfj rk ½

eq; ' kh" kZ	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
--------------	-----------------------------	---------------	----------------------

(हजार रुपयों में)

jktLo&

- 2013- मंत्रि परिषद्,
- 2049- व्याज अदायगियां,
- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा
- 2425- सहकारिता

nRrer&

मूल	1,45,75,89		
पूरक	11,70,97		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		1,57,46,86	1,56,81,49

i Hkkfj r&

मूल	5,82,95		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		5,82,95	7,93,09

i withxr&

- 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
- 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण तथा
- 6425- सहकारिता के लिए कर्ज

nRrer&

मूल	16,38,00		
पूरक	16,54,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		32,92,00	22,74,11

i Hkkfj r&

मूल	11,73,70		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		11,73,70	11,39,00

34,71

fVif.k; ka , oVhdk; &

jktTkLo&

nRrer&

- (i) ₹ 65.37 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 88.73 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

- (ii) ₹ 65.37 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 11,70.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) बचत (अन्य शीषों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr & % yk[k #lk; ka e g %

2425- सहकारिता

800- अन्य व्यय—

04- एकीकृत विकास परियोजना

(एन० सी० डी० सी० पोषित)—

मूल	2,73.00				
पुनर्विता	-56.00	2,17.00	2,17.00	..	

₹ 56.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 0.68 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण था ।

प्रावधान में ₹ 55.32 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

- (iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

2425- सहकारिता

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- सामान्य अधिष्ठान एवं

अधीक्षण—

मूल	53,17.57				
पुनर्विता	-28.70	52,88.87	53,34.12	+45.25	

₹ 28.70 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 51.74 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आवश्यकता न होने, विलम्ब से नियुक्ति होने आदि के कारण था । प्रावधान में ₹ 23.04 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

06- उत्तर प्रदेश सहकारी

संस्थागत सेवा मंडल—

मूल	34.29				
पुनर्विता	25.15	59.44	57.87	-1.57	

प्रावधान में ₹ 25.15 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 32.28 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 7.13 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

i Hkkfj r&

- (v) ₹ 7,93.09 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के "आपत्ति पुस्तिका उचन्त" के समायोजन के ₹ 3,02.10 लाख सम्मिलित हैं । ₹ 91.96 लाख (₹ 3,02.10 लाख – ₹ 2,10.14 लाख) की अन्तिम बचत अभ्यर्पित कर दी गयी थी ।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl	dly fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

2049- ब्याज अदायगियां —

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज—

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर

ब्याज—

03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

से प्राप्त ऋणों पर ब्याज—

मूल	4,56.95			
पुनर्विभाजित	-83.42	3,73.53	3,73.53	..

₹ 83.42 लाख का अभ्यर्पण प्रत्याशा से कम ऋण प्राप्त होने के कारण हुआ।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

2049- ब्याज अदायगियां —

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज—

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर

ब्याज—

04- भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय

कृषि ऋण निधि से प्राप्त ऋणों

पर ब्याज—

मूल	1,25.00			
पुनर्विभाजित	-7.54	1,17.46	4,19.56	+3,02.10

₹ 4,19.56 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्ति पुस्तिका उच्चत के समायोजन के ₹ 3,02.10 लाख सम्मिलित हैं।

₹ 7.54 लाख का अभ्यर्पण प्रत्याशा से कम ऋण प्राप्त होने के कारण हुआ।

i nthxr&

nRrer&

(viii) ₹ 22,74.11 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 1994-95 की आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 21.46 लाख

सम्मिलित हैं। ₹ 10,39.35 लाख (₹ 10,17.89 लाख + ₹ 21.46 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 10,39.50 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(ix) ₹ 10,39.35 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 एवं फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 16,54.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(x) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kz dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr & % yk[k #lk; ka es% %

6425- सहकारिता के लिए कर्ज-

108- अन्य सहकारी समितियों

को कर्ज-

04- उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी

ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड

के ऋणपत्रों (डिबेन्चर्स)

में विनियोजन-

মূল	10,50.00
পুনর্বিন্দি	-10,50.00			

₹ 10,50.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 10,39.50 लाख के अन्यर्पण तथा ₹ 10.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(xi) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

6425- सहकारिता के लिए कर्ज-

107- क्रेडिट सहकारी समितियों

को कर्ज—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा प्रोनिधानित योजनायें

.. 21.46 +21.46

+21.46

वास्तविक व्यय वर्ष 1994-95 की आकस्मिकता निधि प्रतिपर्ति से सम्बन्धित है।

800- अन्य व्यय—

04- एकीकृत सहकारी विकास

योजना के अन्तर्गत ऋण

(एन० सी० डी० सी० पोषित)—

মূল	1,88.00	1,98.50	1,98.50	
পুনর্বিন্দু	10.50			..

प्रावधान में ₹ 10.50 लाख की वृद्धि के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

vupku | a; k 19&dkfeld foHkkx ¼ f' k{k.k rFkk vU; 0; ; ½

ed; 'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr&
%gtkj #lk; ka e/

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

nRrer&

मूल	6,94,90			
पूरक	..	6,94,90	3,88,44	-3,06,46

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) 3,11,97

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 3,06.46 लाख की अन्तिम बचत के सापेक्ष, ₹ 3,11.97 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का दोतक था।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
%ykjk #lk; ka e/

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	42.43			
पुनर्विभाजन	-27.48	14.95	11.04	-3.91

₹ 27.48 लाख का अभ्यर्पण उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की रिपोर्ट लागू नहीं होने तथा उठ प्र० गुड—गवर्नर्स केन्द्रों में पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

003- प्रशिक्षण—

07- प्रशिक्षण समन्वय कोषक का

गठन—

मूल	31.35			
पुनर्विभाजन	-6.65	24.70	24.70	..

₹ 6.65 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &

%ykl[k #lk; k] e%

11- उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन

अकादमी, लखनऊ—

मूल	5,41.67				
पुनर्विना	-2,22.12	3,19.55	3,28.96	+9.41	

₹ 2,22.12 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होने, द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नामांकन प्राप्त न होने तथा पदों के रिक्त होने के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

800- अन्य व्यय—

04-सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स—

मूल	55.72				
पुनर्विना	-55.72	

₹ 55.72 लाख का अभ्यर्पण अधिकारियों की नियुक्ति न होने तथा गुड-गवर्नेन्स केन्द्रों को संचालित न किये जाने के कारण हुआ।

vunku | a; k 20& dkfeld foHkkx ½ykd | ok vk; kx½

eq; 'kh"kl
; k
fofu; kx
jktLo&

dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
½gtkj #lk; ka e½

2051- लोक सेवा आयोग तथा
2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें

nRrer&

मूल	1,64,86			
पूरक	59,42	2,24,28	2,22,16	-2,12

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) 2,13

i Hkkfj r&

मूल	21,58,59			
पूरक	5,22,89	26,81,48	26,25,19	-56,29

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

i nthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

i Hkkfj r&

मूल	5,00			
पूरक	..	5,00	5,00	..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

i Hkkfj r&

- (i) ₹ 56.29 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 56.29 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 5,22.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

vupku | a; k 21& [kk| rFkk j| n foHkkx

ed[; 'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
; k
fofu; kx cpr &

%tkj #lk; kee%

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2075- विविध सामान्य सेवायें,

2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार,

3456- सिविल पूर्ति तथा

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	38,30,89			
पूरक	5,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		38,35,89	38,29,60	-6,29

i Hkkfj r&

मूल
पूरक	1,44	1,44	1,44	..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i thxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार

पर पूंजीगत परिव्यय तथा

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

nRrer&

मूल	69,12,38,76			
पूरक	48,14,73,99	1,17,27,12,75	1,10,99,62,37	-6,27,50,38
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				6,65,13,24

i Hkkfj r&

मूल	24,00,01,50			
पूरक	..	24,00,01,50	14,00,00,00	-10,00,01,50
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				10,00,01,39

fVif.f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 6.29 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,74.67 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) ₹ 6.29 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 5.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh^hkz d^gy vupku okLrfod Ø; ; vf/kd Ø; ; +
cpr & /ykl^hk #lk; ka e^h

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें—

106- भार और माप का विनियमन—

03- अधिष्ठान व्यय-

ਮੂਲ	18,05.17			
ਪੁਨਰ्वਿ0	-2,22.55	15,82.62	16,42.11	+59.49

₹ 2,22.55 लाख की कुल बचत में से ₹ 1,72.55 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किया गये हैं। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जन 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआः—

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भूगतान—

مूल	5,64.34			
پونریو	-1,66.96	3,97.38	6,57.51	+2,60.13

₹ 1,66.96 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 9.82 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 1,57.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2075- विविध सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय—

04- उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान निगम-

مूल	3,07.35		3,67.27	3,67.27	..
پونریج	59.92				

₹ 59.92 लाख के कुल व्ययाधिक्य में से, प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.08 लाख के अर्भर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-

01- खाद्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय(खाद्य एवं पूर्ति)–

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i ~~thxr&~~
nRrer&

- (v) ₹ 6,27,50.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 6,65,13.24 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।
- (vi) ₹ 6,27,50.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 48,14,73.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &
		kyk[k #lk; ka e/	

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार

पर पूंजीगत परिव्यय—

01- खाद्य—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- अवशेषों का भुगतान—

मूल	26,37.36				-5,75.06
पुनर्विद्युत	-0.52	26,36.84	20,61.78		

₹ 0.52 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

04- अन्य व्यय—

मूल	4,41,74.00				-3,19,13.33
पुनर्विद्युत	-1,22,60.67	3,19,13.33	..		

₹ 1,22,60.67 लाख का अभ्यर्पण कुछ चीनी मिलों द्वारा चीनी के उठान के विरुद्ध स्थगन आदेश लेने के कारण किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—

60- अन्य भवन—

051- निर्माण—

03- जिला आयोग के भवन का निर्माण—

पुनर्विद्युत	1,75.25	1,75.25	1,75.25	..
प्रावधान में ₹ 1,75.25 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

i ~~kkfj~~ r &

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
%yklk #lk; ka e%

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—

107- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्ज—

03- खाद्यान्नों के क्रय के लिये प्राप्त

कर्ज का प्रतिदान—

मूल	20,00,00.00					
पुनर्विद्युत	-10,00,00.00					
₹ 10,00,00.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।		10,00,00.00	10,00,00.00			..

vupku | a; k 22& [ksy foHkkx

ed; 'kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
; k
fofu; ks cpr &
%gtkj #lk; ka e%

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद्,

2052- सचिवालय—सामान्य सेवाये,

2059- लोक निर्माण तथा

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें

nRrer&

मूल	31,75,07				
पूरक	20,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		31,95,07	29,87,56	-2,07,51	

i Hkkfj r&

मूल	1,00				
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		1,00	59	-41	1,00

i atxir&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत

परिव्यय तथा

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	31,90,64				
पूरक	70,23				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		32,60,87	26,87,07	-5,73,80	5,73,79

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय ₹ 29,87.56 लाख में विभागीय समायोजन उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष से 2002-03 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 1,44.31 लाख सम्मिलित है। ₹ 3,51.82 लाख (₹ 2,07.51 लाख + ₹ 1,44.31 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 3,08.38 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये गये।

(ii) ₹ 3,51.82 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr & %ykl[k #lk; ka e%

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें—

104- खेलकूद—

04- कीड़ा छात्रावास के आवासीय

खिलाड़ियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु)—

मूल	28.24			
पुनर्विभाग	-5.59	22.65	22.69	+0.04

₹ 5.59 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

08- मेयोहाल इलाहाबाद में स्थापित

कीड़ा स्थल—

मूल	49.55			
पुनर्विभाग	-8.55	41.00	39.59	-1.41

₹ 8.55 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

09- कीड़ागनों/स्टेडियमों/बहुउद्देशीय हालों/

तरणतालों/छात्रावासों एवं भवनों का अनुरक्षण—

मूल	2,00.00			
पुनर्विभाग	-74.00	1,26.00	1,17.63	-8.37

₹ 74.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

11- कीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का

आयोजन (राज्य सेक्टर) —

मूल	1,35.00			
पुनर्विभाग	-27.00	1,08.00	1,07.39	-0.61

₹ 27.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

13- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं

] के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार—

मूल	2,00.00			
पुनर्विभाग	-75.45	1,24.55	1,23.28	-1.27

₹ 75.45 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 43.55 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 31.90 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

' kh"kl
 dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
 /ykl[k #lk; ka e/

18- प्रशिक्षण(राज्य सेक्टर)–

मूल	1,45.00				
पुनर्विदी	-34.00	1,11.00	1,04.87		-6.13

₹ 34.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

29- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल

प्रतियोगिताओं का आयोजन–

मूल	5.00				
पुनर्विदी	-5.00

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2052- सचिवालय–सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	2,53.22				
पुनर्विदी	-4.38	2,48.84	2,61.80		+12.96

₹ 4.38 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें—

001- निदेशन एवं प्रशासन—

03- खेलकूद निदेशालय—

मूल	13,06.59				
पुनर्विदी	-20.42	12,86.17	13,85.40		+99.23

₹ 20.42 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 60.42 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया तथा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

intxr&

nRrer&

(v) ₹ 5,73.80 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 70.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr & %ykl[k #lk; ka e%

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय—

03- खेलकूद तथा युवा सेवा—

800- अन्य व्यय—

06- जनपद कांशीराम नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम

एवं बहुउद्देशीय कीड़ा हाल का निर्माण—

मूल	1,80.00			
पुनर्विभाग	-44.37	1,35.63	1,35.63	..

₹ 44.37 लाख का अभ्यर्पण भूमि उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

08- बागपत में मिनी तरणताल का निर्माण—

मूल	60.00			
पुनर्विभाग	-20.00	40.00	40.00	..

₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

09- सहारनपुर में ट्यूबवेल, पैवेलियन शेड, बास्केटबाल

कोर्ट का पुनर्निर्माण तथा वालीबाल कोर्ट,

बास्केटबाल कोर्ट में फ्लॅट लाइट का निर्माण—

मूल	25.00			
पुनर्विभाग	-25.00

₹ 25.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

11- मिर्जापुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण—

मूल	1,00.00			
पुनर्विभाग	-60.00	40.00	40.00	..

₹ 60.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया तथा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

14- कौशाम्बी में मिनी ट्यूबवेल एवं

अण्डरग्राउन्ड पाइप का निर्माण—

मूल	20.00			
पुनर्विभाग	-20.00

₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kl
dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
%ykl[k #lk; ka e#

16- महोबा में जिम्नेजियम हाल का निर्माण—

मूल	60.00				..
पुनर्विदी	-35.00	25.00	25.00		

₹ 35.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

17- कानपुर में विभागीय पवेलियन

(लिफट सहित)का निर्माण—

मूल	5,00.00				..
पुनर्विदी	-3,40.00	1,60.00	1,60.00		

₹ 3,40.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया।

43- राज्य सेक्टर की चालू योजनाओं के

कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	3,00.00				..
पुनर्विदी	-1,65.51	1,34.49	1,34.49		

प्रावधान में ₹ 1,65.51 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय—

03- खेलकूद तथा युवा सेवा—

800- अन्य व्यय—

26- जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय कीड़ा

संकुल का निर्माण—

मूल	5,00.00				..
पुनर्विदी	1,65.51	6,65.51	6,65.51		

प्रावधान में ₹ 1,65.51 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

71- नये निर्माण कार्यों/खेल

अवस्थापनाओं का सृजन

(जिला योजना) —

पुनर्विदी	50.00	50.00	50.00	..

प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vunku | a[; k 23& xUuk fodkl foHkkx ¼ xUuk ½

ed[; 'kh"kl	dly vunku ; k fofu; ks	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
-------------	------------------------------	--------------	-----------------------

gkj #lk; ka e#

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

2401- फसल कृषि कर्म

nRrer&

मूल	1,31,86,56	
पूरक	3,82,00	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		..

i Hkkfj r&

मूल	1,50	
पूरक	..	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		..

intxr&

5054- सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	16,50,00	
पूरक	..	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		..

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 19,69.69 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 19,69.69 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 3,82.00 लाख का अनुपूरक अनुदान यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dly vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
--------	-----------	--------------	-----------------------

kyk[lk #lk; ka e#

2401- फसल कृषि कर्म—

001- निदेशन एवं प्रशासन—

04- क्षेत्रीय कार्यालय

26.09	18.59	-7.50
-------	-------	-------

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
 /ykl[k #lk; k e#

108- वाणिज्यिक फसले—

03- गन्ना आयुक्त (पर्यवेक्षक
 कर्मचारी वर्ग)

50,10.93 42,05.44 -8,05.49

04- गन्ने की खेती का विकास तथा

उसका प्रगाढ़ीकरण 50,91.35 39,99.92 -10,91.43

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2010)।

intxr&

nkrer&

(iv) ₹ 86.00 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

vunku | a; k 24& xlluk fodkl foHkkx ¼ phuh m | kx ½

ed[; 'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

%gtkj #lk; ka e\$

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2401- फसल कृषि कर्म तथा

2852- उद्योग

nRrer&

मूल

41,92,70

..

41,92,70

36,17,89

-5,74,81

पूरक

वर्ष की अवधि में अन्यर्पित राशि

..

intxr&

4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

nRrer&

मूल

3,09,00,00

5,09,00,00

5,45,28,50

+36,28,50

पूरक

2,00,00,00

वर्ष की अवधि में अन्यर्पित राशि

..

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 5,74.81 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अन्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की

सकी।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

%yk[k : lk; ka e\$

2852- उद्योग—

08- उपभोक्ता उद्योग—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- चीनी आयुक्त का अधिष्ठान

10,15.03

8,13.07

-2,01.96

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr -
 /yklk : lk; k e

201- चीनी—

04- उ0प्र0 के अभाव ग्रस्त शक्कर फैक्टरियों
को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु
ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा
प्रवर्तन के लिये उ0प्र0 शक्कर विशेष
निधि समिति को भुगतान

9,00.00 7,90.65 -1,09.35

05- उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण
तथा प्रवर्तन के लिए विशेष शक्कर
समिति उ0प्र0को भुगतान 3,00.00 30.17 -2,69.83
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान 1,77.67 1,89.38 +11.71
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

intxr&

nRrer&

(iv) ₹ 5,45,28.50 लाख के वास्तविक व्यय में ₹ 1,65,28.50 लाख (वर्ष 2008-09) तथा
₹ 290,00.00 लाख(वर्ष के 1999-2000) क्रमशः विभागीय समायोजन उचन्त लेखे तथा आपत्ति
पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

(v) ₹ 2,19,00.00 लाख(₹ 2,55,28.50 लाख – ₹ 36,28.50 लाख) की अन्तिम बचत में से,
कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) ₹ 2,19,00.00 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया
₹ 2,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के
अधीन हुई:—

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज—

04- चीनी—

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज—

04- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ
द्वारा सहकारी बैंकों/एन•सी•डी•सी• से
लिये गये ऋण की पूर्ति हेतु ब्रिज लोन—

पूरक	1,50,00.00	1,50,00.00	..	-1,50,00.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण पूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।				

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
 /ykl[k #lk; k[e

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों
को कर्ज—

07- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी
मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान एवं
अन्य प्रयोजन हेतु कर्ज 1,29,00.00 1,10,00.00 -19,00.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज —

04- चीनी—

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों
में निवेश—

03- उत्तर प्रदेश स्टाफ चीनी संघ के अंशकां
का कर्य .. 1,65,28.50 +1,65,28.50

वास्तविक व्यय 2008-2009 के विभागीय समायोजन उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज—

04- चीनी—

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज—

03- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ
की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य
भुगतान एवं अन्य प्रयोजन हेतु कर्ज— 1,50,00.00 1,84,00.00 +34,00.00
वास्तविक व्यय में 1999-2000 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के
₹ 34,00.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों
को कर्ज—

04- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड
द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से लिए
गये ऋण की पूर्ति हेतु ब्रिज लोन—

पूरक 50,00.00 50,00.00 56,00.00 +6,00.00
वास्तविक व्यय 1999-2000 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | a[; k 25& xg foHkkx ¼ dkjkxkj ½

ed[; 'kh"kl	dy vupku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
<i>Ygtkj #lk; ka e\$</i>			
jktLo&			

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

2056- जैल

nRrer&

मूल	2,45,64,99			
पूरक	61,20,80			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		3,06,85,79	3,06,07,72	-78,07

i Hkkfj r&

मूल	8,00			
पूरक	..	8,00	2,55	-5,45
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				2,14

i thxr&

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय

nRrer&

मूल	2,52,57,30			
पूरक	..	2,52,57,30	1,70,03,93	-82,53,37
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				82,53,37

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 78.07 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 69.08 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 78.07 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 61,20.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr & /ykl[k #lk; k[e&

2056- जेल—

800- अन्य व्यय—

04- जनोपयोगी योजनाओं द्वारा बन्दियों

का पुनर्वासन—

मूल	89.26				
पुनर्विभाग	-26.94		62.32	62.49	+0.17

₹ 26.94 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 3.63 लाख की कमी के कारण

सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 23.31 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण किया गया।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

2056- जेल—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- मुख्य—

मूल	5,64.86				
पूरक	34.00		6,02.00	6,03.14	+1.14
पुनर्विभाग	3.14				

प्रावधान में ₹ 3.14 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 17.67 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं

किये गये हैं तथा ₹ 14.53 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

101- जेल—

03- समस्त कारागार—

मूल	2,08,56.56				
पूरक	42,45.17		2,53,33.88	2,53,07.46	-26.42
पुनर्विभाग	2,32.15				

प्रावधान में ₹ 2,32.15 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2,50.14 लाख की वृद्धि के कारण सूचित

नहीं किये गये हैं। ₹ 11.61 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में

₹ 6.38 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

03- कारागार प्रशिक्षण विद्यालय—

मूल	1,16.56				
पुनर्विभाग	-2.05		1,14.51	1,33.65	+19.14

₹ 2.05 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 8.43 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण था तथा

प्रावधान में ₹ 6.38 लाख की वृद्धि के कारण नहीं सूचित किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2010)।

i Hkkfj r&

- (v) ₹ 5.45 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2.14 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
 (vi) बचत निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr &
lyk[k #lk; k e

2056- जेल-

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- मुख्य—

मूल	8.00			
पुनर्विभाग	-2.14	5.86	2.55	-3.31

₹ 2.14 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i thxr&

nRrer&

- (vii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr &
lyk[k #lk; k e

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

04- कारागार कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण (75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश पर आधारित पंचवर्षीय जेल सुधार योजना (केठो + राठो) —	10,00.00
मूल	10,00.00			
पुनर्विभाग	-10,00.00			

₹ 10,00.00 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
 /yklk #lk; k e#

05- वर्तमान कारागारों का विस्तार / नवीनीकरण

(75% प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25% प्रतिशत

राज्यांश पर आधारित पंचवर्षीय जेल

सुधार योजना के 0 + रा0) —

मूल	15,00.00
पुनर्विभाग	-15,00.00

₹ 15,00.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 14,92.89 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 7.11 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- जलाधार्ति तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार

(75% प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25% प्रतिशत

राज्यांश पर आधारित पंचवर्षीय जेल

सुधार योजना के 0 + रा0) —

मूल	10,00.00
पुनर्विभाग	-10,00.00

₹ 10,00.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 9,91.11 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 8.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- कारागारों का निर्माण —

मूल	1,87,77.58		
पुनर्विभाग	-26,17.82	1,61,59.76	1,61,59.76

₹ 26,17.82 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

09- नवसृजित जनपदों में कारागार के

निर्माण हेतु भूमि क्य के लिये

एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	10,00.00		
पुनर्विभाग	-1,71.85	8,28.15	8,28.15

₹ 1,71.85 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

11- कारागार विभाग के भवनों / परिसर में

लघु निर्माण कार्य—

मूल	10.20		
पुनर्विभाग	-10.20		

₹ 10.20 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
 ॥yklk #lk; kse॥

13- कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों

एवं वाहन, आदि की व्यवस्था—

मूल	18,69.46
पुनर्विभाजित	-18,69.46

₹ 18,69.46 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

15- कारागारों में तालाबों के माध्यम से रेन

वाटर हार्डिस्टिंग—

मूल	1,00.00
पुनर्विभाजित	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत

परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

12- कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण

कार्यों हेतु व्यवस्था—

मूल	0.02	16.02	16.02	..
पुनर्विभाजित	16.00			

प्रावधान में ₹ 16.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vupku | a[; k 26 &xg foHkkx ¼ ifyl ½

ed[; 'kh"kl

dy vupku
; k
fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

kgtkj #lk; ka e\$

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद्,

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2055- पुलिस,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा

2251- सचिवालय—सामाजिक सेवायें

nRrer&

मूल

57,01,74,64

पूरक

2,07,43,37

59,09,18,01

58,08,09,28

-1,01,08,73

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

i Hkkfj r&

मूल

65,27

65,27

2,71

-62,56

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

i thxr&

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय तथा

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल

3,35,90,44

3,48,52,04

2,03,17,58

-1,45,34,46

पूरक

12,61,60

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 1,01,08.73 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 1,01,08.73 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,63,61.96 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
/ykl[k #lk; k[e/

2055- पुलिस—

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता—

04- अनुसंधान अनुभाग—

मूल	59,13.90			
पूरक	30.00	53,18.86	50,80.03	-2,38.83
पुनर्विभाजन	-6,25.04			

₹ 6,25.04 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 6,90.94 लाख की कमी तथा ₹ 65.90 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

103- असम राईफल्स—

04- विवरण उपलब्ध नहीं—

पुनर्विभाजन	17.00	17.00	..	-17.00
-------------	-------	-------	----	--------

प्रावधान में ₹ 17.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

104- विशेष पुलिस—

06- इण्डिया रिजर्व बैंक का गठन—

मूल	21,98.29			
पुनर्विभाजन	-1,99.66	19,98.63	19,52.23	-46.40

₹ 1,99.66 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,99.66 लाख की कमी तथा ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

109- जिला पुलिस—

06- वाराणसी में नदी पुलिस से सम्बन्धित

भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने

वाला व्यय—

मूल	80.19			
पुनर्विभाजन	-16.60	63.59	65.79	+2.20

प्रावधान में ₹ 16.60 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

110- ग्राम पुलिस—

03- मुख्य—

मूल	1,59,55.08			
पुनर्विभाजन	-92,64.49	66,90.59	63,61.27	-3,29.32

प्रावधान में ₹ 92,64.49 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
 /ykl[k #lk; k[e

114- बेतार और कम्प्यूटर-

03- पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र-

मूल	5,29.67		4,92.84	4,46.16	-46.68
पुनर्विभाग	-36.83				

₹ 36.83 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 38.83 लाख की कमी तथा ₹ 2.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

04- भारत सरकार की ओर से रखा गया

पुलिस दल-जिला पुलिस-					
मूल	59.28		41.03	41.33	+0.30
पुनर्विभाग	-18.25				

प्रावधान में ₹ 18.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- नक्सल प्रभावित जनपदों में सुरक्षा कार्यों

पर व्यय		6,61.39	4,87.67	-1,73.72
---------	--	---------	---------	----------

12- गृह विभाग के लम्बित दायित्वों के

भुगतान हेतु एकमुश्त बजट प्रावधान-

मूल	50,00.00				
पूरक	30,00.00		14,62.06	..	-14,62.06
पुनर्विभाग	-65,37.94				

प्रावधान में ₹ 65,37.94 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

105- विशेष जाँच आयोग-

03- राज्य आयोग और समितियाँ-

मूल	1,43.62		1,34.25	65.94	-68.31
पुनर्विभाग	-9.37				

प्रावधान में ₹ 9.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

108- अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें		2,50.00	41.22	-2,08.78
----------------------	--	---------	-------	----------

800- अन्य व्यय-

04- राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन-

मूल	2,28.66		2,67.83	2,27.46	-40.37
पूरक	39.17				

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
 /ykl[k #lk; k[e]

05- राज्य प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद् (यू•पी•एस•ए•सी•)	75.81	3.21	-72.60
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—			
200- अन्य कार्यक्रम—			
03- कर्तव्य पालन के दौरान मारे गये/ घायल हुये पुलिस/अग्नि शमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान	1,80.00	1,07.09	-72.91
04- असामाजिक तत्वों द्वारा मारे गये/ पुलिस/अग्नि शमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान	10.00	0.31	-9.69
05- पुलिस की हिंसा विरोधी कार्यवाही के फलस्वरूप मारे/घायल हुए गैर सरकारी व्यक्तियों को/ आश्रितों को आर्थिक सहायता	10.00	..	-10.00
11- दंगा पीड़ितों की सहायता	12,00.00	3,94.25	-8,05.75
800- अन्य व्यय—			
03- लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाली आतंकवादी घटनाएं, अग्निकाण्ड, आदि उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।	10,00.00	7.78	-9,92.22
(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—			
2055- पुलिस—			
101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता—			
03- अभिसूचना अनुभाग—मुख्य—			
मूल 1,17,70.58			
पूरक 6,67.27			
पुनर्विभ 8,90.97			
प्रावधान में ₹ 8,90.97 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।	1,33,28.82	1,33,87.11	+58.29
108- राज्य मुख्यालय पुलिस—			
03- राज्य पुलिस मुख्यालय—			
मूल 16,88.18			
पुनर्विभ 24.12			
प्रावधान में ₹ 24.12 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 68.12 की वृद्धि तथा ₹ 44.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।	17,12.30	17,58.21	+45.91

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
 /ykl[k #lk; k[e

109- जिला पुलिस—

03- जिला पुलिस (मुख्य) —

मूल	28,30,73.77			
पूरक	66,75.06	29,81,30.62	29,97,49.41	+16,18.79
पुनर्विभाग	83,81.79			

प्रावधान में ₹ 83,81.79 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1,62,98.38 की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 79,16.59 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

113- पुलिस कार्मिकों का कल्याण—

05- खेलकूद निधि तथा खेलकूद समारोहों

एवं टूर्नामेन्ट आदि के सम्बन्ध में व्यय	50.00	56.22	+6.22
---	-------	-------	-------

800- अन्य व्यय—

03- भारत सरकार की ओर से रखा गया पुलिस दल (आपराधिक जाँच और सतर्कता)—

मूल	11,48.86			
पुनर्विभाग	2,15.06	13,63.92	22,56.60	+8,92.68

प्रावधान में ₹ 2,15.06 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,15.56 की वृद्धि तथा ₹ 0.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- लोक सभा निर्वाचन—

मूल	79,28.50			
पुनर्विभाग	72,00.00	1,51,28.50	1,44,57.77	-6,70.73

प्रावधान में ₹ 72,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- पुलिस सुधार आयोग—

मूल	0.13			
पुनर्विभाग	9.37	9.50	2.54	-6.96

प्रावधान में ₹ 9.37 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड—

मूल	10,22.28			
पुनर्विभाग	14,72.74	24,95.02	16,83.99	-8,11.03

प्रावधान में ₹ 14,72.74 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
lyk[k #lk; k e

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 कार्यक्रम—

200- अन्य कार्यक्रम—

10- पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के
 प्रकरणों में मृतक / घायल के आश्रितों/
 पीड़ितों को आर्थिक सहायता

50.00 94.57 +44.57

800- अन्य व्यय—

04- लावारिस शब्दों के अन्तिम संस्कार

हेतु व्यवस्था 10.00 13.81 +3.81
 उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
 (जून 2010)।

i Hkkfj r &

- (v) ₹ 62.56 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
lyk[k #lk; k e

2055- पुलिस—

109- जिला पुलिस—

03- जिला पुलिस—मुख्य 60.27 2.53 -57.74

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

108- अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण—

03- प्रशासक 5.00 .. -5.00
 उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं
 किये गये हैं (जून 2010)।

i thxr &

nRrer &

- (vii) ₹ 1,45,34.46 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) ₹ 1,45,34.46 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया

₹ 12,61.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(ix) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr &
kyk[k #lk; k e&

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय—

207- राज्य पुलिस—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	1,97.40	1,97.40	..	-1,97.40
------	---------	---------	----	----------

04- पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण	91,55.00	31,09.61	-60,45.39
-------------------------------	----------	----------	-----------

05- पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना

के अन्तर्गत अनावासीय भवनों का

निर्माण

60,00.00	38,76.64	-21,23.36
----------	----------	-----------

06- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों

का निर्माण—

मूल	5,00.00	4,21.11	2,33.13	-1,87.98
-----	---------	---------	---------	----------

पुनर्विनियोग	<u>-78.89</u>			
--------------	---------------	--	--	--

प्रावधान में ₹ 78.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

211- पुलिस आवास—

05- पुलिस विभाग की आधुनिकीकरण योजना	64,00.00	47,07.24	-16,92.76
-------------------------------------	----------	----------	-----------

के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण

06- पुलिस विभाग के आवासीय भवनों

का निर्माण

20,00.00	4,36.98	-15,63.02
----------	---------	-----------

07- केन्द्रीय पुलिस बल (आर०ए०एफ० /

सी०आर०पी०एफ०) / राज्य पुलिस बल

के भवनों के लिए भूमि क्य, आदि

40,00.00	30,10.54	-9,89.46
----------	----------	----------

08- नव सृजित जनपदों में पुलिस के

आवासीय एवं अनावासीय भवनों

का निर्माण

25,00.00	19,51.37	-5,48.63
----------	----------	----------

09- अग्निशमन केन्द्रों के अवासीय / अनावासीय

भवनों का निर्माण

25,00.00	20,65.89	-4,34.11
----------	----------	----------

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	5,52.20	5,52.20	..	-5,52.20
------	---------	---------	----	----------

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &

~~lyk[lk #lk; kse]~~

08- शवों को रखे जाने हेतु मैटलिक
 शेल का निर्माण—
 पुनर्विं 78.89 78.89 .. -78.89
 प्रावधान में ₹ 78.89 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत
 पूंजीगत परिव्यय—
 800- अन्य व्यय—
 05- राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन—
 पूरक 5,00.00 5,00.00 3,08.62 -1,91.38
 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय—
 02- विमान पत्तन—
 800- अन्य व्यय—
 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
 पुरोनिधानित योजनायें—
 पूरक 12.00 12.00 .. -12.00
 उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं
 किये गये हैं (जून 2010)।

(x) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय—
 207- राज्य पुलिस—
 03- गृह (पुलिस) विभाग की विभिन्न इकाइयों
 के निर्माण कार्य हेतु व्यवस्था 3,00.00 3,82.12 +82.12
 उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 27& xg foHkkx ¼ ukxfjd | j{kk ½

ed; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &

jktLo&

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	3,12,31,68				
पूरक	34,63,62		3,46,95,30	3,41,71,34	-5,23,96
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)					5,73,82

intxr&

4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय तथा
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय

nRrer&

मूल	9,61,81				
पूरक	30,00		9,91,81	9,21,21	-70,60
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)					70,61

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 3,41,71.34 लाख के वास्तविक व्यय में ₹ 77.52 लाख वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 की आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्बलित हैं। ₹ 6,01.48 लाख (₹ 5,23.96 लाख + ₹ 77.52 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 5,73.82 लाख अभ्यर्पित किये जा सके।

(ii) ₹ 6,01.48 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 34,63.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr & %yklk #lk; k e%

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

106- सिविल रक्षा—

01- कन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	1,30.37	1.19	1.19	..
पुनर्वि०	-1,29.18			

₹ 1,29.18 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा एल० टी० सी० सुविधा का उपभोग न किये जाने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

05- प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय

(25% भा०स० द्वारा प्रतिपूर्ति)—

मूल	8,02.77	6,44.30	6,46.06	+1.76
पुनर्वि०	-1,58.47			

₹ 1,58.47 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,55.27 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कम प्रशिक्षितों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने, अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा एल० टी० सी० सुविधा का उपभोग न किये जाने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 3.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

107- होमगार्ड्स—

03- सामान्य अधिष्ठान—

मूल	2,33,75.23	2,27,58.21	2,27,33.93	-24.28
पूरक	31,80.17			
पुनर्वि०	-37,97.19			

₹ 37,97.19 लाख की कुल बचत में से, ₹ 10.79 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मितव्ययिता के कारण हुआ तथा ₹ 37,86.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr & /ykl[k #lk; k e/

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

106- सिविल रक्षा—

03- राज्य मुख्यालय स्थापना—

मूल	1,01.23		97.73	1,10.70	+12.97
पुनर्विं०	-3.50				

₹ 3.50 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 6.70 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मितव्ययिता के कारण हुआ तथा ₹ 3.20 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

107- होमगार्ड्स—

04- भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति

किये जाने वाला व्यय(25%)—

मूल	49,72.81		50,39.98	51,60.25	+1,20.27
पुनर्विं०	67.17				

₹ 67.17 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,84.03 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 1,16.86 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय के आधार पर, मितव्ययिता तथा महगाई अधिक होने से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित न होने के कारण हुआ।

05- लोक सभा निर्वाचन—

मूल	9,83.06		44,08.47	43,71.22	-37.25
पुनर्विं०	34,25.41				

₹ 34,25.41 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 37,86.40 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 2,77.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 83.91 लाख का अभ्यर्पण गाड़ों की तैनाती किये जाने तथा गृह विभाग द्वारा भुगतान करने के कारण हुआ।

06- विधान सभा निर्वाचन—

मूल	0.05		29.79	25.93	-3.86
पुनर्विं०	29.74				

₹ 29.74 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 93.05 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 63.31 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। उपरोक्त शीषों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

intxr&

nRrer&

- (v) ₹ 70.60 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 30.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

$\frac{1}{4}yk \lceil k \# lk; ka e^{\frac{1}{2}}$

4059- लोक निर्माण पर पंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

परोनिधानित योजनायें—

पूरक	30.00
पुनर्विद्या	-30.00

₹ 30.00 लाख का अभ्यर्पण समय से क्षय की कार्यवाही पूरा न करने के कारण हुआ।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत

परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

05- होमगार्ड्स विभाग की आधुनिकीकरण

योजना के अन्तर्गत अनावासीय भवनों

का निर्माण-

ਮੂਲ	8,85.00
ਪੁਨਰ्वਿ0	-2,42.46

642 54

₹ 2,42.46 लाख की कुल बचत में से, ₹ 36.55 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ तथा प्रावधान में ₹ 2,05.91 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

06- होमगार्ड्स विभाग की आधुनिकीकरण
योजना (के0 60 / रा0 40 के0+रा0)–

مُول	76.81
پُنرْدِیو	2,01.85

2.78.66 2.78.67

+0.01

₹ 2,01.85 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,05.91 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 4.06 लाख का अन्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

vupku | a; k 28& xg foHkkx ¼ jktufrd iku rFkk vU; 0; ; ½

ed; 'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
%gtkj #lk; ka e%

jktLo&

2014- न्याय प्रशासन,
2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
2053- जिला प्रशासन,
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
2251- सचिवालय—सामाजिक सेवायें तथा
3055- सड़क परिवहन

nRrer&

मूल	97,69,25			
पूरक	..	97,69,25	91,83,84	-5,85,41
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)			12,19,28	

i thxr&

nRrer&

4050- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	30,00			
पूरक	..	30,00	..	-30,00
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)			30,00	

fVif.f. k; ka , o a Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 91,83.84 लाख के वास्तविक व्यय में ₹ 9,11.37 लाख वर्ष विभागीय समायोजन उचन्त लेखे के समाशोधन वर्ष 22001-02, 2002-03 तथा 2003-04), तथा आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के ₹ 5.39 लाख वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 15,02.17 लाख (₹ 5,85.41 लाख + ₹ 9,11.37 लाख + ₹ 5.39 लाख) की अन्तिम बचत के सापेक्ष मात्र ₹ 12,19.28 लाख अभ्यर्पित किये जा सके।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हईः—

'kh^hkz d^gy vur^gku okLrfod Ø; ; vf/kd Ø; ; +
cpr &
/y^gk/ k # lk; kg e^g

2014- न्याय प्रशासन-

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–

03- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय-

মূল	46,35.43			
পুনর্বিন্দি	-6,03.00	40,32.43	38,98.51	-1,33.92

₹ 6,03.00 लाख का अभ्यर्पण मितव्यधिता के कारण हुआ।

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

०९१- संलग्न कार्यालय-

03- वीजा तथा पासपोर्ट पर व्यय-

ਮੂਲ	1,00.81			
ਪੁਨਰ्वਿੰਗ	-14.12	86.69	91.73	+5.03

₹ 91.73 लाख के वास्तविक व्यय में ₹ 4.23 लाख वर्ष 2001-02, 2005-06 तथा 2008-09 की आपत्ति प्रस्तिका उचन्त लेखे के सम्मिलित हैं।

₹ 14.12 लाख के अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हआ।

04- जिला पासपोर्ट ब्रकोष्टों के लिये

अनषांगिक व्यय—

مُول	24.54	19.82	17.67	-2.15
پُونر्विं	0	-4.72		

₹ 4.72 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक संरक्षा तथा कल्याण

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

800- अन्य व्यय-

03- आपातकाल अवधि के दौरान मीसा तथा

डी आई आर के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये

राजनीतिक बंदियों को मानदेय का भगतान—

पुनर्विं 0 1,90.68 1,90.68 .. -1,90.68
 ₹ 1,90.68 लाख के शुद्ध प्रत्याशित व्ययाधिक्य में से, ₹ 6.10 लाख का अन्यर्पण मितव्ययिता के कारण हआ तथा प्रावधान में ₹ 1,96.78 लाख की बढ़िया के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
kyk[k #lk; ka e

2251- सचिवालय—सामाजिक सेवाये—

092- अन्य कार्यक्रम—

03- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण

परिषद् से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय—

मूल	59.63				
पुनर्विभाग	-18.96		40.67	40.65	-0.02

₹ 18.96 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदस्यों की संख्या कम होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, कार्यक्रम—

107- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना—

03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके

आश्रितों को पेंशन—

मूल	40,00.00				
पुनर्विभाग	-7,86.38		32,13.62	42,47.64	+10,34.02

वास्तविक व्यय ₹ 42,47.64 लाख में, ₹ 9,11.37 लाख वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा

2003-04 के विभागीय समायोजन उच्चत लेखे के तथा ₹ 1.16 लाख वर्ष 2001-02, 2003-04

तथा 2004-05 आपत्ति पुस्तिका उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 7,86.38 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,64.90 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 2,21.48 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

3055- सड़क परिवहन—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों

को सहायता—

03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उत्तर प्रदेश

राज्य सड़क परिवहन निगम बसों से निःशुल्क

यात्रा की सुविधा के लिए निगम को भुगतान—

मूल	5.00				
पुनर्विभाग	24.58		29.58	29.96	+0.38

₹ 24.58 लाख की प्रावधान में शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 24.70 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 0.12 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

intxr&

nRrer&

(v) बचत निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kz d^gy vurku okLrfod Ø; vf/kd Ø; +
cpr &
/ykl[k #lk; kg e^g

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत

परिव्यय-

800- अन्य व्यय—

03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा
स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/
स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी
समारोहों आदि के लिए सहायक अनुदान-

मूल	30.00]			
पुनर्विनाश	-30.00	

₹ 30.00 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ।

vunku | a[; k 29& xks u foHkkx ¼ jkT; i ky | fpoky; ½

ed[; 'kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
%gtkj #lk; ka e%

jkLo&

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति / राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें

i Hkkfj r&

मूल	6,77,51			
पूरक	..	6,77,51	6,09,50	-68,01

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) 67,97

fVif.k; ka , oa Vhdk; %

jkLo&

i Hkkfj r&

- (i) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
%yk[l #lk; ka e%

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति / राज्यपाल,

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के

प्रशासक—

090- सचिवालय—

03- अधिष्ठान व्यय—

मूल	4,04.31			
पुनर्विभाग	-40.54	3,63.77	3,63.77	..

₹ 40.54 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 36.28 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ। विनियोग में ₹ 4.76 लाख की कमी तथा ₹ 0.50 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dy fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr &
kyk[k #lk; k e&

105- चिकित्सा सुविधायें—

03- चिकित्सा सम्बन्धी व्यय—

मूल	37.26			
पुनर्विदी	-6.58	30.68	30.66	-0.02

₹ 6.58 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 6.68 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कम वेतनमान वाले अधिकारी की नियुक्ति होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ। विनियोग में ₹ 0.10 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

04- राजभवन में स्वच्छता—

मूल	32.58			
पुनर्विदी	-8.04	24.54	24.56	+0.02

₹ 8.04 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	85.97			
पुनर्विदी	-11.14	74.83	74.83	..

₹ 11.14 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2.97 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ तथा विनियोग में ₹ 8.17 लाख की कमी के 26 कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2010)।

(ii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल,

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—

106- मनोरंजन खर्च—

03- मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा

आतिथ्य व्यय 2.60 4.98 +2.38

800- अन्य व्यय—

03- राज्यपाल के लिये कार का क्या—

मूल	0.01			
पुनर्विदी	6.78	6.79	6.80	+0.01

विनियोग में ₹ 6.78 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | a[; k 30& xki u foHkkx ¼ jktLo fof' k"V vfHkl puk
fun\$ kky; rFkk vU; 0; ; ½

eq[; 'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
%gt;j #lk; ka e%

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2053- जिला प्रशासन तथा

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

nRrer&

मूल	2,57,15			
पूरक	50,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		3,07,15	2,86,74	-20,41

2

fVif.k; ka , oa Vhd़k; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 20.41 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 0.02 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 20.41 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
%yk[k #lk; ka e%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान 23.35 .. -23.35
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय—

मूल	1,33.80			
पुनर्विना	-0.02	1,33.78	1,37.80	+4.02

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 31&fpfdRI k foHkkx (fpfdRI k] f' k{kk , oa i f' k{k.k)

ef[; ' kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(gtkj : lk; ka eg)

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद् और
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

nRrer&

मूल	7,11,14,42			
पूरक	11,54,00	7,22,68,42	6,95,31,45	-27,36,97

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

iRthxr&

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर
पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	2,25,01,34			
पूरक	1,68,40,65	3,93,41,99	3,85,84,19	-7,57,80

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

fVif.k; ka , oa Vldk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 27,36.97 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 27,36.97 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया

₹ 11,54.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा उसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k : lk; ka eg)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण

तथा अनुसंधान-

105- एलोपैथी-

04- प्रशिक्षण

2,59.88 2,26.52 -33.36

' kh"kl
dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k : lk; k e9)

05- अनुसंधान		2,80.09	1,61.71	-1,18.38
14- राजकीय मेडिकल कालेजों में पुस्तकों एवं जर्नल्स की व्यवस्था		50.00	24.00	-26.00
80- सामान्य—				
800- अन्य व्यय—				
03- अवशेषों का भुगतान—				
मूल	66,33.06			
पुनर्विद्युत	-25.00			
प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।		66,08.06	53,86.52	-12,21.54

i thxr&

nkrer&

- (iv) ₹ 7,57.80 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।
- (v) ₹ 7,57.80 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 88,03.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण

तथा अनुसंधान—

105- एलोपैथी—

04- डा० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ
मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर लखनऊ—

मूल	20,00.00			
पूरक	35,00.00			

22- जे०के०इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी

एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर

23- राजकीय मेडिकल कालेजों में ट्रैमा

सेन्टर की स्थापना

3,00.00 1,95.12 -1,04.88

50.00 .. -50.00

' kh"kl
dly vunku okLrfod 0; ; \$
cpr&

(yk[k : lk; k e9)

38- मेडिकल कालेज आगरा-

मूल	6,10.00			
पुनर्विभाग	-1,41.66	4,68.34	4,24.77	-43.57

प्रावधान में ₹ 1,41.66 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

39- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल

कालेज कानपुर	8,60.00	7,61.54	-98.46
40- मेडिकल कालेज इलाहाबाद	7,60.00	5,75.85	-1,84.15
41- मेडिकल कालेज मेरठ	8,10.00	6,26.41	-1,83.59
52- सरकारी मेडिकल कालेजों के पुस्तकालय			

में इन्टरनेट सुविधा मेडलर पद्धति 50.00 33.30 -16.70

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूँजीगत परिव्यय—

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण

तथा अनुसंधान—

105- एलोपैथी—

03- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

लखनऊ को अनुदान 65,00.00 85,42.93 +20,42.93

06- छत्रपति शाहू जी महराज मेडिकल

यूनीवर्सिटी, उत्तर प्रदेश—

मूल	45,00.00			
पूरक	5,00.00	50,00.00	58,10.00	+8,10.00

42- मेडिकल कालेज झांसी—

मूल	3,60.00			
पुनर्विभाग	1,41.66	5,01.66	4,68.33	-33.33

प्रावधान में ₹ 1,41.66 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

43- मेडिकल कालेज गोरखपुर	4,35.00	5,40.70	+1,05.70
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।			

vunku | a; k 32&fpfdRI k foHkkx (, yki \$kh)

ed; 'kh"kl
 dly vunku okLrfod 0; ;
 ; k
 fofu; kx
 vf/kd 0; ; \$
 cpr&

(gtlj : lk; ka e)

jktLo&

- 2013- मंत्री परिषद् तथा
 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

nRrer&

मूल	23,74,78,57		
पूरक	..	23,74,78,57	19,60,11,00
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)			3,94,33,35

iHkkfj r&

मूल	20,00		
पूरक	..	20,00	-20,00
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)			15,39

iHthxr&

- 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर
 पूंजीगत परिव्यय और

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	5,88,44,66		
पूरक	..	5,88,44,66	4,36,66,29
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)			1,43,87,19

fVI if. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 4,14,67.57 लाख की अन्तिम बचत मे से, मात्र ₹ 3,94,33.35 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी।

(ii) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl d^g vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

($y_k[k : lk; ka es]$)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी—

110- अस्पताल तथा औषधालय-

04- एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय

और औषधालय—

মূল	10,22,92.48			
পুনর্বিন্দি	-3,30,28.36	6,92,64.12	6,99,80.50	+7,16.38

प्रावधान में ₹ 3,30,28.36 लाख की कुल बचत में से ₹ 3,29,07.36 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्त होने और मितव्ययिता के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 1,21.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- जिला / संयुक्त चिकित्सालयों में

विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें—

मूल	6,58.79			
पुनर्विदी	-2,38.78	4,20.01	4,85.79	+65.78

₹ 2,38.78 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

42- प्रदेश के चिकित्सालयों में उत्सर्जित होने वाले

बायो मेडिकल वेस्ट के संग्रहण ,उपचार व

निस्तारण तथा परिवहन पर होने वाला

४५

10,00,00

-10,00,00

97- बाह्य सहायतित परियोजनायें-

মূল	20,00.00		17,41.49	5,41.49	-12,00.00
পুনর্বিন্দু	-2,58.51				

₹ 2,58.51 लाख के अभ्यर्पण के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kz dʒy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

($y_k[k : lk; k \neq es]$)

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

مُول	2,77,42.44			
پُونڈیو	-53,07.47	2,24,34.97	2,16,73.52	-7,61.45

₹ 53,07.47 लाख की कुल बचत में से ₹ 30,17.47 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 22,90.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

06- आरोग्य निधि की

स्थापना—

مूल	5,00.00
پونریو	-5,00.00

(iii) ~~अधिकारी नाम~~ किसे को ~~अधिकारी नाम~~

2210 दिल्ली नगर सेक्टर

03 સારી કાળજી તેણો સત્તોની

110 असाताल तथा औषधालय-

10- एलोपैथी अस्पताल और

औषधालय-

मूल	10,01,38.36		10,00,73.01	10,02,43.21	+1,70.20
प्रत्येक	-65 35				

प्रावधान में ₹ 65.35 लाख की शुद्ध बचत में से ₹ 21,65.35 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता और मितव्ययिता के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 21,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सचित नहीं किये गये हैं

(जन 2010) |

i kkfjr&

- (iv) ₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत मे से, मात्र ₹ 15.39 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी।

(v) बचत निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kz d^gy fofu; k^x okLrfod 0; vf/kd 0; ; \$ cpr&

($yk[k : lk; ka] e\circ$)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशन-

মূল	<i>20.00</i>			
পুনর্বিন্দি	<i>-15.39</i>		<i>4.61</i>	<i>-4.61</i>

₹ 15.39 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

int hr&

nRrer&

- (vi) ₹ 1,51,78.37 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,43,87.19 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हई:-

'kh"kz dʒy vunku okLrfod ə; ; vf/kd ə; ; \$ cpr&

($yk[k : lk; ka] e\circ$)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय—

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

04- टी०बी०क्लीनिक बिल्डिंग

का निर्माण—

মূল	3,50.00			
প্রতিপাদিত	3,46.84	3.16	1,84.19	-1,81.03

₹ 3,46,84 लाख का अमार्पण स्थीकृति निर्गत ज होने के कारण हआ।

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k : lk; ka e)

06- मण्डल मुख्यालय पर 300 शत्यायुक्त संयुक्त

चिकित्सालय की स्थापना—

मूल	20,00.00			
पुनर्विभाग	-4,14.76	15,85.24	15,85.24	..

₹ 4,14.76 लाख की कुल बचत में से ₹ 0.10 लाख का अभ्यर्पण और प्रावधान में ₹ 4,14.66 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- 100 शत्यायुक्त बाल रोग चिकित्सालय

भवन का निर्माण—

मूल	7,05.47			
पुनर्विभाग	-7,05.47

₹ 7,05.47 लाख की कुल बचत में से ₹ 2,78.04 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण किया गया और प्रावधान में ₹ 4,27.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- चीरघर का निर्माण—

मूल	1,53.00			
पुनर्विभाग	-1,53.00

₹ 1,53.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

13- महिला चिकित्सालयों में रोगी आश्रय

स्थल का निर्माण—

मूल	2,00.00			
पुनर्विभाग	-2,00.00

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

19- प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट भवन

निर्माण (जिला योजना) —

मूल	1,04.00			
पुनर्विभाग	-1,04.00

₹ 1,04.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k : lk; ka e)

42- जिला पुरुष / महिला चिकित्सालय में सुधार,

विस्तार एवं नवीनीकरण—

मूल	47,12.92				
पुनर्विभाग	-23,25.70	23,87.22	27,30.99	+3,43.77	

₹ 23,25.70 लाख की कुल बचत में से ₹ 13,42.73 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण किया गया और प्रावधान में ₹ 9,82.97 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

64- जिला / संयुक्त चिकित्सालयों में

विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें—

मूल	1,19,25.34				
पुनर्विभाग	-61,83.27	57,42.07	57,42.00	-0.07	

₹ 61,83.27 लाख का अभ्यर्पण परिधगत अधिकारियों द्वारा समर्पण किये जाने के कारण तथा स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

75- लखनऊ में मोहान रोड पर

औषधालय भवन का निर्माण—

मूल	10.01				
पुनर्विभाग	-10.01

₹ 10.01 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—

06- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के

भवनों का निर्माण—

मूल	20,00.00				
पुनर्विभाग	-15,19.23	4,80.77	4,61.54	-19.23	

₹ 15,19.23 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

08- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

की अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण—

मूल	6,50.00				
पुनर्विभाग	-5,11.09	1,38.91	1,38.91

₹ 5,11.09 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k : lk; ka e)

104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

03- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों

का भवन निर्माण-

मूल	1,00,00.00				+2,47.15
पुनर्विंशति	-38,24.17	61,75.83	64,22.98		

₹ 38,24.17 लाख की कुल बचत में से ₹ 20,52.74 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण किया गया और प्रावधान में ₹ 17,71.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

15- 100 शैयायुक्त चिकित्सालयों की

स्थापना-

मूल	9,95.47				..
पुनर्विंशति	-5,33.66	4,61.81	4,61.81		

प्रावधान में ₹ 5,33.66 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

97- बाह्य सहायतित परियोजनायें 5,00.00 .. -5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूँजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

51- जनपद रामपुर में 300 शैयायुक्त चिकित्सालय

भवन का निर्माण-

पुनर्विंशति 7,97.74 7,97.74 4,00.37 -3,97.37

प्रावधान में ₹ 7,97.74 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

54- जनपद ज्योतिबाफूले नगर मुख्यालय, अमरोहा

में 100 शैयायुक्त संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण-

पुनर्विंशति 2,30.32 2,30.32 2,30.32 ..

प्रावधान में ₹ 2,30.32 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k : lk; ka e)

67- जनपद कौशाम्बी में 100 शाय्यायुक्त संयुक्त

चिकित्सालय का निर्माण—

पुनर्विद्धि	1,30.65	1,30.65	1,30.65	..
प्रावधान में ₹ 1,30.65 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

72- 100 शाय्यायुक्त चिकित्सालयों की

स्थापना—

मूल	5,00.00			
पुनर्विद्धि	20,30.44	25,30.44	21,89.09	-3,41.35

प्रावधान में ₹ 20,30.44 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—

04- नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों

का निर्माण (चालू अंश)

(जिला योजना) —

मूल	50,00.00			
पुनर्विद्धि	3,65.26	53,65.26	53,26.14	-39.12

₹ 3,65.26 लाख की कुल वृद्धि में से ₹ 4,06.17 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत

न होने के कारण किया गया और प्रावधान में ₹ 7,71.43 लाख की वृद्धि के कारण सूचित
नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय—

01- सहकारी रिहायशी भवन—

700- अन्य आवास—

03- जनपद कुशीनगर में 100 शाय्यायुक्त संयुक्त

चिकित्सालय हेतु आवासीय भवन—

पुनर्विद्धि	45.08	45.08	45.08	..
प्रावधान में ₹ 45.08 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

06- जनपद महोबा में 100 शाय्यायुक्त संयुक्त

चिकित्सालय हेतु आवासीय भवन—

पुनर्विद्धि	4.49	4.49	4.49	..
प्रावधान में ₹ 4.49 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

vupku l a[; k 33&fpfdRI k foHkkx (vk; p^fnd , oa ; wukuh)
 ed[; 'kh"kl d^fy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr&
 (gtkj : lk; ka e)

jktLo&

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

nRrer&

मूल	3,53,36,06			-42,76,77
पूरक	..	3,53,36,06	3,10,59,29	
अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				42,09,10

intxr&

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	6,00,00			
		15,43,02	15,40,01	-3,01
पूरक	9,43,02			

अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) 3.01

fVlif k· I

iktlo&

- (i) ₹ 42,76,77 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 42,09.10 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हैः—

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य

चिकित्सा पद्धतियाँ-

101- आयर्वेद-

03- निदेशन तथा प्रशासन-

মূল	13,56.12		9,80.05	9,91.61	+11.56
পনর্বিদ্বারা	-3.76.07				

प्रावधान में ₹ 3,76.07 लाख की शुद्ध कमी में से, ₹ 64.88 लाख का अभ्यर्पण पद खाली रहने के कारण हुआ। ₹ 3,46.54 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 35.35 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

04- विभागीय औषधि विनिर्माण-

مُول	4,64.81	3.87.24	3,59.71	-27.53
پنونیو	-77.57			

₹ 77.57 लाख का अभ्यर्थण वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सुचना के कारण हुआ।

05- अस्पताल तथा रुजालय—

مُول	49,64.48			
پنڈیو	-5.71.04	43,93.44	43,69.89	-23.55

₹ 5,71.04 लाख की कुल कमी में से, ₹ 4,78.23 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ। ₹ 92.81 लाख का अभ्यर्पण सरकार द्वारा स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

103- युनानी-

03- निदेशन तथा प्रशासन-

مُول	73.53				
پنڈیو	-23.25	50.28	56.68	+6.40	

₹ 23.25 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सुचना के कारण हुआ।

05- अस्पताल तथा रुजालय-

مُول	3,01.59			
پنڈیو	-85.40	2,16.19	2,54.57	+38.38

₹ 85.40 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सुचना के कारण हुआ।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण

तथा अनुसंधान-

101- आयर्वेद-

03- शिक्षा-

مُول	11,93.86		10,17.49	10,27.77	+10.28
پنڈیو	-1 76.37				

₹ 1,76.37 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 1,80.37 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्त रहने के कारण और वास्तविक व्यय के आधार पर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ। प्रावधान में रूपये 4.00 लाख की वृद्धि के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dy vupku okLrfod 0; ; \$
cpr&

(yk[k : lk; kg ed)

06- अन्य व्यय—

मूल	27,04.24				
पुनर्विद्या	-6,63.96	20,40.28	20,34.01		-6.27

₹ 6,63.96 लाख का कुल अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचना के कारण हुआ।

103- यूनानी—

03- यूनानी कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध

अस्पतालों का प्रांतीयकरण—

मूल	7,75.50				
पुनर्विद्या	-1,61.32	6,14.18	6,45.99		+31.81

प्रावधान में ₹ 1,61.32 लाख की शुद्ध कमी में से, ₹ 58.81 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्त रहने के कारण, ₹ 1,34.79 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 32.28 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	52,16.11				
पुनर्विद्या	-5,79.35	46,36.76	42,99.21		-3,37.55

प्रावधान में ₹ 5,79.35 लाख की कुल कमी में से, ₹ 5,01.32 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्त रहने के कारण और वास्तविक व्यय के आधार पर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 78.03 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—अन्य

चिकित्सा पद्धतियां—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr& (yk[k : lk: ka e)

103- यूनानी—

04- विभागीय औषधि विनिर्माण—

मूल	77.99			
पुनर्विद्युत	-7.40	70.59	98.82	+28.23

₹ 7.40 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—

103- यूनानी—

03- अस्पताल तथा रुजालय—

मूल	1,59.96			
पुनर्विद्युत	-56.86	1,03.10	2,95.42	+1,92.32

प्रावधान में ₹ 56.86 लाख की शुद्ध कमी में से, ₹ 58.26 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 1.40 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i thxr&

nRrer&

(iv) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

05- आयुर्वेदिक कालेजों तथा उनसे

सम्बद्ध अस्पतालों का प्रांतीयकरण—

पूरक	3,50.00	3,50.00	3,02.48	-47.52
------	---------	---------	---------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(v) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

07- राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हण्डिया, इलाहाबाद

के बाउन्ड्री वाल का निर्माण—

पूरक	0.01	0.01	47.53	+47.52
------	------	------	-------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 34&fpfdRI k foHkkx (gkE; ki \$Fkd fpfdRI k)

ed; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
------------	----------	--------------	-----------------------

(gtlj : lk; ka e)

jktLo&

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

nRrer&

मूल	1,71,02,19		
पूरक	..	1,71,02,19	1,46,02,42
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)			-24,99,77

intxr&

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	9,67,80		
पूरक	1,95,00	11,62,80	10,22,38
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)			-1,40,42

fVif.k; ka , oa Vhdः &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 24,99.77 लाख की अंतिम बचत मे से, मात्र ₹ 20,78.99 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः-

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
--------	----------	--------------	-----------------------

(ylk/k #i; ka e)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

02- शहरी स्वास्थ्य सेवाये—

अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—

102- हौम्योपैथी—

03- निदेशन और प्रशासन—

मूल	1,26.63		
पुनर्विभाग	-17.49	1,09.14	1,08.79

₹ 17.49 लाख का अभ्यर्पण पद खाली रहने के कारण हुआ।

' kh"kl
 dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr&
 (yk[k #i ; ka e)

04- अस्पताल और औषधालय—

मूल	16,69.64				
पुनर्विभाग	-3,39.93	13,29.71	14,17.62	+87.91	

₹ 3,39.93 लाख का अभ्यर्पण पद खाली रहने और वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य

चिकित्सा पद्धतियाँ—

102- हौम्योपैथी—

03- अस्पताल और औषधालय—

मूल	1,14,58.09				
पुनर्विभाग	-15,91.20	98,66.89	99,73.01	+1,06.12	

₹ 15,91.20 लाख का अभ्यर्पण पद खाली रहने और वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण

और अनुसंधान—

102- हौम्योपैथी—

03- शिक्षा—

मूल	12,47.39				
पुनर्विभाग	-1,23.13	11,24.26	10,49.73	-74.53	

₹ 1,23.13 लाख का अभ्यर्पण पद खाली रहने और वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	26,00.35				
पुनर्विभाग	-7.15	25,93.20	20,52.76	-5,40.44	

₹ 7.15 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(जून 2010)।

i n t h x r &
n R r e r &

(iii) ₹ 1,40.42 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया

₹ 1,95.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iv) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुईः—

' kh " kZ

dly vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

(yk [k # i ; k e g)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

04- होमियोपैथिक भवन का निर्माण

(जिला योजना)	2,27.43	..	-2,27.43
---------------	---------	----	----------

09- राजकीय होम्योपैथी मेडिकल

कालेज और अस्पताल—

मूल	1,14.00			
पूरक	1,95.00	2,08.58	2,78.58	+70.00
पुनर्विंग	-1,00.42			

₹ 1,00.42 लाख का अभ्यर्पण प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण

सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(v) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

102- सहायक स्वास्थ्य केन्द्र—

03- होम्योपैथी औषधि निर्माणशाला /

परीक्षणशाला—

मूल	2,00.00			
पुनर्विंग	-40.00	1,60.00	3,17.43	+1,57.43

₹ 40.00 लाख का अभ्यर्पण औषधि निर्माणशाला योजना स्थगित होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2010)।

vupku | a[; k 35&fpfdI k foHkkx (ifjokj dY; k.k)

ed[; 'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr&
	fofu; kx		

(gtkj : lk; kse)

jktLo&

2211- परिवार कल्याण

nRrer&

मूल	11,70,08,93			
पूरक	1,60,82,70	13,30,91,63	12,46,69,01	-84,22,62

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i Hkkfj r&

मूल	15,00			
पूरक	..	15,00	..	-15,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

intxr&

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	70,00,00			
पूरक	..	70,00,00	29,46,10	-40,53,90

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 84,22.62 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 84,22.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया

₹ 1,60,82.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

(yk[k #lk; kse)

2211- परिवार कल्याण—

003- प्रशिक्षण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें	18,54.48	10,61.04	-7,93.44
----------------------	----------	----------	----------

' kh"kz dʒy vupku okLrfod ə; ; vf/kd ə; ; \$ cpr&

($yk[k \neq l; k \in e]$)

103- मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य-

01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें—

মূল	1,51,10.91			
পূরক	38,79.82	1,89,90.73	1,83,48.75	-6,41.98

200- अन्य सेवायें तथा पूर्तियां-

03- प्रसवोत्तर कार्यक्रम-

মূল	42,43.24			
পূরক	2,03.39	44,46.63	37,44.50	-7,02.13

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें

03- अवशेषों का भूगतान

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfjr&

(iv) ₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(v) बचत निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

($yk[k \neq lk; k \in e]$)

2211- परिवार कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

प्रारोनिधानित योजनायें

10.00 .. *-10.00*

200- अन्य सेवायें तथा पूर्तियां-

04- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / ग्रामीण परिवार

कल्याण केन्द्र

5,00 .. -5,00

2007-08 और 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण

विनियोग प्रत्येक वर्ष में अप्रयुक्त रहा।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जन 2010)।

intxr&
nRrer&

(vi) ₹ 40,53.90 लाख की अंतिम बचत मे से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(vii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k #lk; kse)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाये-

101- स्वास्थ्य उप केन्द्र-

03- उपकेन्द्रों के भवनों का

निर्माण

70,00.00

29,46.10

-40,53.90

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | a[; k 36&fpfdRI k foHkkx (ykd LokLF;)

ed[; ' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 ; k cpr&
 fofu; kx

(gtlj : lk; ka e)

jktLo&

2210- विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

nRrer&

मूल	3,79,38,02			
पूरक	1	3,79,38,03	3,29,45,60	-49,92,43
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				50,03,18

iHkkfj r&

मूल	1,00			
पूरक	..	1,00	..	-1,00
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				1,00

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 49,92.43 लाख की अंतिम बचत के सापेक्ष ₹ 50,03.18 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

- (ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr&

(yklk : lk; ka e)

2210- विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

06- लोक स्वास्थ्य—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- अधिष्ठान व्यय—

मूल	6,06.79			
पुनर्विना	-2,00.44	4,06.35	4,11.86	+5.51

₹ 2,00.44 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पद खाली रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

'kh"kz d̥y vurnku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

($yk[k : lk; ka] e\circ$)

003- प्राशिक्षण-

04- सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रशिक्षण केन्द्र—

मूल	7,37.31			
पुनर्विधि	-3,51.17	3,86.14	3,80.26	-5.88

₹ 3,51.17 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पद खाली रहने तथा मितव्ययिता के कारण हआ।

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-

03- स्वास्थ्य अधिकारी-

मूल	2,99,46.43			
पुनर्विनापन	-30,12.71	2,69,33.72	2,68,08.63	-1,25.09

₹ 30,12,71 लाख का अभ्यर्पण मख्यतः पद खाली रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

102- खाद्य अपसिंशुण का निवारण—

03- सरकारी जन विश्लेषक उत्तर पंदेश की

पर्याप्तशाला-

मूल	6,55.30			
पनविं०	-2,42.22	4,13.08	5,22.87	+1,09.79

₹ 2,42,22 लाख का अभ्यर्पण मरम्मतः पद खाली रहने तथा सितव्ययिता के कारण हआ।

107- लोक स्वास्थ्य परिवर्गालाये—

03- पुभाग के मरव्य स्थानों पर

पर्योगशालाये-

मूल	30.38		..	15.02	+15.02
पनविं	-30.38				

₹ 30.38 लाख का अभ्यर्पण इस शीर्ष के अन्तर्गत बजट की आवश्यकता न होने के कारण हआ।

८०- सामान्य-

800- अन्य व्यय—

03- न्यनतम आवश्यकता कार्यक्रम-

मूल	2,83.36			
पुनर्विनापन	-71.92	2,11.44	2,45.90	+34.46

₹ 71.92 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पद खाली रहने के कारण हआ।

' kh" kz
 dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr&

(yk[k : lk; ka e)

05- अवशेषों का भुगतान—

मूल	56,78.44			
पुनर्विद्युत	-10,94.32	45,84.12	45,61.07	-23.05

₹ 10,94.32 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2010)।

vunku | q; k 37&uxj fodkl foHkkx

ed; ' kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		%gtkj #i;kae%	

jktLo&

2015- निर्वाचन,

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2053- जिला प्रशासन,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2215- जलपूर्ति तथा सफाई,

2217- शहरी विकास,

2230- श्रम तथा रोजगार तथा

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा समनुदेशन

nRrer&

मूल	5,38,75,49			
पूरक	5,00,00	5,43,75,49	4,89,28,03	-54,47,46
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				50,16,92

intxr&

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय,

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर

पूंजीगत परिव्यय,

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत

परिव्यय तथा

6215- जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

nRrer&

मूल	12,65,45,06			
पूरक	..	12,65,45,06	8,91,28,65	-3,74,16,41
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				3,70,71,07

fVif.k; ka , oVhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 54,47.46 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 50,16.92 की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 54,47.46 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kz d̥y vuŋku okLrfod ɻ; vf/kd ɻ; \$
cpr & ¼ yk[ɻ #1; kə eŋ ½

2015- निर्वाचन-

800- अन्य व्यय—

04- स्थानीय निकायों के

निर्वाचन हेतु—

মূল	2,00.00			
পুনর্ধো	-1,09.26	90.74	89.36	-1.38

₹ 1,09.26 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 9.26 लाख का अभ्यर्पण कर्मचारियों के निर्वाचन कार्य में व्यस्त होने के परिणामस्वरूप भूगतान न होने के कारण हुआ।

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

092- अन्य कार्यालय-

03- स्थानीय निकाय निदेशालय—

مُول	2,48.22			
پُونڈیو	-42.29	2,05.93	2,09.82	+3.89

₹ 42.29 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययिता के कारण हआ।

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भगतान-

মূল	3,80.70			
পর্যবেক্ষণ	-1.89	3,78.81	1,48.34	-2,30.47

₹ 1.89 लाख के अध्यर्पण के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

2053- जिला पश्चासन-

०९४- अन्य स्थापनाये—

05- स्थानीय निकायों के क्षेत्र में

लगने वाले प्रान्तीकरण मेलों एवं

प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था—

पुनर्विं० 87.95 87.95 .. -87.95 प्रावधान में ₹ 87.95 लाख की वृद्धि के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k[e%

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं—

800- अन्य व्यय—

03- राज्य सफाई कर्मचारी आयोग—

मूल	51.71		9.94	9.98	+0.04
पुनर्विं०	-41.77				

₹ 41.77 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2215- जलपूर्ति तथा सफाई—

01- जलपूर्ति—

101- शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम—

97- वाह्य सहायतित परियोजनाएं—

मूल	10,00.00		..	0.05	+0.05
पुनर्विं०	-10,00.00				

₹ 10,00.00 लाख पी०एम०सी० की सभी प्रक्रिया विलंबित होने से कार्य देर से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

2217- शहरी विकास—

04- मलिन बस्तियों का सुधार—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—

मूल	1,54,50.00		1,25,41.73	1,25,41.73	..
पुनर्विं०	-29,08.27				

₹ 29,08.27 लाख मुख्यतः प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—

मूल	1,00.00		50.00	45.09	-4.91
पुनर्विं०	-50.00				

₹ 50.00 लाख कार्मिकों की नियुक्ति न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k[e@%

2230- श्रम तथा रोजगार—

02- रोजगार सेवाएँ—

101- रोजगार सेवाएँ—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 12,54.04]

6,27.30 6,27.30 ..

पुनर्विंश -6,26.74]

₹ 6,26.74 लाख मुख्यतः द्वितीय किश्त का प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—

200- अन्य विविध क्षतिपूर्तियां

और समनुदेशन—

04- स्थानीय निकायों के क्षेत्र में

लगने वाले मेला प्रदर्शनियों

के लिए अनुदान—

मूल 5.50]
 पूरक 5,00.00]
 पुनर्विंश -5.50]

5,00.00 3,25.78 -1,74.22

₹ 5.50 लाख औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत / व्याधिक्य / सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2053- जिला प्रशासन—

094- अन्य स्थापनायें—

03- माघ-मेला अधिष्ठान—

मूल 9,82.78]
 पुनर्विंश -0.13]

9,82.65 10,40.16 +57.51

₹ 0.13 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि, प्रावधान में

₹ 92.20 लाख की कमी तथा ₹ 7.93 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kz d^gy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
½ yk[k #i; ka e^g ½

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्ड आदि को सहायता—

12- 12वे वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन-

मूल	1,03,40.00			
पुनर्विं	4.25	1,03,44.25	1,03,45.54	+1.29

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.25 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

intxr&

nRrer&

- (v) ₹ 3,74,16.41 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,70,71.07 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हर्फ़:-

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर

पूंजीगत परिव्यय—

02- मल-जल तथा सफाई-

106- मल-जल सेवाएं-

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास

निधि से व्यय—

मूल	1,20,00.00			
पुनर्विद्०	-16,20.43	1,03,79.57	1,03,79.57	..

₹ 16,20,43 लाख वित्त विभाग द्वारा सहमति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

800- अन्य व्यय—

- ## 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	6,00.02			
पुनर्विंश	-4,83.02	1,17.00	1,17.00	..

₹ 4,83.02 लाख भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k[e%

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत

परिव्यय-

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों

का समेकित विकास-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	3,02,00.00
पुनर्विंश	-2,74,30.38

27,69.62 27,69.62 ..

₹ 2,74,30.38 लाख भारत सरकार से अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने तथा प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

04- गंदी बस्तियों का विकास-

800- अन्य व्यय-

03- स्लम सर्वे / लिवलीहुड सेल-

मूल	45.00
पुनर्विंश	-45.00

..

₹ 45.00 लाख मांग न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

60- अन्य शहरी विकास योजनायें-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	5,00,00.00
पुनर्विंश	-66,96.80

4,33,03.20 4,33,03.20 ..

₹ 66,96.80 लाख प्राप्त केन्द्रांश तथा राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत

परिव्यय-

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों

का समेकित विकास-

800- अन्य व्यय-

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास

निधि से व्यय 1,00,00.00 1,00,50.00 +50.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 38&ukxfj d mMM; u foHkkx

e[; 'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

%gtkj #i;kae%

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2203- तकनीकी शिक्षा तथा

3053- नागर विमानन

nRrer&

मूल	20,20,12			
पूरक	11,02,06	31,22,18	31,26,14	+3,96
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				6.92

intxr&

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	53,10,02			
पूरक	71,68,13	1,24,78,15	1,13,00,72	-11,77,43
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				11,77,42

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 11,09,176 सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 7.13 लाख (₹ 11,09,176 - ₹ 3,96,236) की अन्तिम बचत में से; ₹ 6.92 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

%yklkj #i;kae%

3053- नागर विमानन-

02- विमान पत्तन-

102- हवाई अड्डा-

03- हवाई पट्टियों का अनुरक्षण-

मूल	10.00		
पुनर्विं	-5.22	4.78	4.78

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

..

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #i ; kg e@%

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

114- वाहन का क्य तथा

रख रखाव—

03- नागरिक उड़डयन निदेशालय—

मूल	18,98.26			
पूरक	9,98.65	28,98.49	29,09.19	+10.70
पुनर्विं०	1.58			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 10.91 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1.58 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.05 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 4.47 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः सांकेतिक प्रावधान, आर्थिक मितव्ययिता, आवश्यकतानुसार व्यय तथा प्रशिक्षण आदि न होने के कारण हुआ।

intxr&

nRrer&

(v) ₹ 11,77.43 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 71,68.13 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय—

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- हेलीकाप्टर/वायुयान का क्य—

मूल	12,60.00			
पूरक	10,90.00	11,72.60	11,72.60	..
पुनर्विं०	-11,77.40			

₹ 11,77.40 लाख का अभ्यर्पण अगुस्ता हेलीकाप्टर क्य किये जाने के समय विनिमय दर में कमी होने के कारण हुआ।

vupku | ॥ ; क ३९&क्क"क्क फोक्क्क

एक्सेस करने की विधि का अध्यर्थित राशि (मार्च 2010)

एक्सेस करने की विधि का अध्यर्थित राशि (मार्च 2010)	विवरण	विवरण
मूल	9,75,86	विवरण
पूरक	..	विवरण
		विवरण

जटिलता &

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2058- लेखन—सामग्री तथा मुद्रण,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा

2202- सामान्य शिक्षा

नियमित राशि &

मूल	9,75,86	विवरण	विवरण	विवरण
पूरक	..	विवरण	विवरण	विवरण
		विवरण	विवरण	विवरण

वर्ष की अवधि में अभ्यर्थित राशि (मार्च 2010)

विवरण

जटिलता &

नियमित राशि &

- (i) ₹ 1,13.99 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,17.16 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।
- (ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

एक्सेस करने की विधि का अध्यर्थित राशि (मार्च 2010)

एक्सेस करने की विधि का अध्यर्थित राशि (मार्च 2010)	विवरण	विवरण	विवरण
मूल	9,75,86	विवरण	विवरण
पूरक	..	विवरण	विवरण
		विवरण	विवरण

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	79.59	विवरण	विवरण
पुनर्वितरण	-79.59	विवरण	विवरण

₹ 79.59 लाख का अभ्यर्पण धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; ka e% %

2202- सामान्य शिक्षा-

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों
को सहायता-

06- उत्तर प्रदेश संस्कृत
संस्थान को अनुदान-

मूल	98.72		76.00	76.00	..
पुनर्विं०	-22.72				

₹ 22.72 लाख का अभ्यर्पण उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के कार्मिकों को छठे वेतन आयोग
का लाभ अनुमन्य न होने तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के निदेशक का पद रिक्त होने
के कारण हुआ।

05- भाषा विकास-

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं
तथा साहित्य का संवर्धन-

05- उत्तर प्रदेश सिन्धी

अकादमी को अनुदान-

मूल	33.40		27.97	28.00	+0.03
पुनर्विं०	-5.43				

₹ 5.43 लाख की कुल बचत में से, ₹ 4.53 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 0.90 लाख की
कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	5.00	
पुनर्विं०	-5.00				

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(iii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kz

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

$$\frac{1}{4} yk[k \neq i; k \neq e] \frac{1}{2}$$

2202- सामान्य शिक्षा-

05- भाषा विकास-

800- अन्य व्यय-

03- उत्तर प्रदेश हिन्दी उर्दू

साहित्य अवार्ड कमेटी लखनऊ को

इन्टरनेशनल लिट्रेसी फेरिट्वल

एवं सेमिनार के आयोजन के

लिये आवर्तक अनुदान—

মূল	10.00
পুনর্ধি০	3.00

प्रावधान में पनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.00 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

मूल	10.00			
पुनर्विंश	3.00	13.00	13.00	..

vunku | a; k 40&fu; kstu foHkkx

eq[; 'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

%gtkj #i;kae%

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2401- फसल कृषि कर्म,

2402- मुदा तथा जल संरक्षण,

2403- पशु पालन,

2404- डेरी विकास,

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,

2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम,

2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत,

3451- सचिवालय—आर्थिक सेवायें तथा

3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

nRrer&

मूल	1,01,71,22			
पूरक	30,33,00	1,32,04,22	87,38,48	-44,65,74

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

44,44,62

iHixr&

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय,

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय,

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत

परिव्यय,

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,

4406- वानिकी तथा बन्ध जीव पर

पूंजीगत परिव्यय,

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों

पर पूंजीगत परिव्यय,

4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों

पर पूंजीगत परिव्यय,

kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

$\frac{1}{4} yk[k \# i; k] \rightarrow \frac{1}{2}$

04- राज्य भूमि उपयोग परिषद-

মূল	1,05.42			
পনর্ভি	-11.59	93.83	93.82	-0.01

₹ 11.59 लाख मरव्यतः पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक सिवियिता के कारण अस्पृष्टि किये गये।

२५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—

004- अनसंधान-

03- विकास अन्वेषणालय-

মূল	3,02.62			
পনর্গি	-43.84	2,58.78	2,58.77	-0.01

₹ 43.84 लाख पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता तथा आवश्यकता न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

102- सामुदायिक विकास-

05- अग्रगामी विकास प्रयोजना.

इतापा-

مُول	1,25.46			
پناریں	-30.47	94.99	94.95	-0.04

₹ 30.47 लाख पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता तथा आवश्यकता न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-

02- पिछडे क्षेत्र-

800- अन्य व्यय—

03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें—

पूरक	30,00.00	
पनर्वि०	-30,00.00	

₹ 30,00.00 लाख अपरिहार्य कारणों से स्वीकृतियां निर्गत न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत-

01- बायो ऊर्जा-

800- अन्य व्यय-

03- बायो एनर्जी मिशन सेल-

মূল	7.20			
পনর্ভি	-6.97	0.23	0.22	+0.01

₹ ६९७ लाख आर्थिक सिविलियता तथा आवश्यकता न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #i;k e%%

04- मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन

प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण—

मूल	9,24.58			
पुनर्विं	-1,87.42	7,37.16	7,41.92	+4.76

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्ता लेखे के समाशोधन के ₹ 4.31 लाख तथा वर्ष 2002-03 के विभागीय समायोजन उचन्ता लेखे के समाशोधन के ₹ 1.19 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

₹ 1,87.42 लाख मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, देयक प्राप्त न होने, आर्थिक मितव्ययिता तथा गाड़ियों का क्रय न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

800- अन्य व्यय—

05- गिरि विकास अध्ययन संस्थान,

लखनऊ को अनुदान—

मूल	63.00			
पुनर्विं	-11.00	52.00	52.00	..

₹ 11.00 लाख भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा चतुर्थ/अन्तिम किश्त अवमुक्त न किये जाने के फलस्वरूप समतुल्य धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय—

मूल	43,96.65			
पुनर्विं	-4,48.48	39,48.17	39,62.64	+14.47

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्ता लेखे के समाशोधन के ₹ 15.47 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

₹ 4,48.48 लाख मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता तथा गाड़ियों का क्रय न किये जाने आदि के कारण अभ्यर्पित किये गये।

' kh"kl
dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #i;k e@%

06- जिला योजना की संरचना

(जिला योजना समिति)—

मूल	18.00		9.59	9.49	-0.10
पुनर्विंश	-8.41				

₹ 8.41 लाख आर्थिक मितव्ययिता तथा प्रबुद्ध सलाहकारों को सम्मिलित न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किये गये ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

08- अर्थ एवं संख्या भवन का

नवीनीकरण, विस्तार, सुदृढ़ीकरण

तथा रिमाडलिंग—

मूल	3,91.21		2,69.50	2,69.50	..
पुनर्विंश	-1,21.71				

₹ 1,21.71 लाख धनराशि अवमुक्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये ।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—

800- अन्य व्यय—

03- जिला स्तर पर स्थापित

एन०आई०सी० का रख—रखाव

मूल	60.04		58.48	63.68	+5.20
पुनर्विंश	-1.56				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05, तथा 2005-06 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 5.65 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

₹ 1.56 लाख आर्थिक मितव्ययिता तथा देयक प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये ।

intxr&
nRrer&

- (v) ₹ 2,94,18.82 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,83,24.83 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
 - (vi) ₹ 2,94,18.82 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,70,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।
 - (vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुईः—
- | | | | |
|---------|----------|--------------|---------------|
| ' kh"kl | dy vupku | okLrfod 0; ; | vf/kd 0; ; \$ |
| | | | cpr & |
- % yk[k #i ; kse%

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय—

207- राज्य पुलिस—

03- बार्डर एरिया डेवलपमेंट

कार्यक्रम	3,00.00	48.39	-2,51.61
-----------	---------	-------	----------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 9.16 लाख सम्मिलित हैं।

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 4,34.70 लाख (प्रावधान का 84 प्रतिशत) तथा ₹ 2,47.41 लाख (प्रावधान का 72 प्रतिशत) की बचत थी।

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

05- पुराना हैदराबाद लखनऊ में

कालाकांकर हाउस के समीप

कार्यालय भवनों का निर्माण—

मूल	10,00.00		-4,00.00
पुनर्विं	-6,00.00	4,00.00	..

₹ 6,00.00 लाख अल्प समय में व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

60- अन्य भवन—

800- अन्य व्यय—

07- अर्थ एवं संख्या भवन का

नवीनीकरण, विस्तार, सुदृढ़ीकरण

तथा रिमाडिंग—

मूल	2,00.00		..
पुनर्विं	-2,00.00

₹ 2,00.00 लाख वित्त विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #i;k e%

08- न्यू हैदराबाद लखनऊ स्थित

प्रशिक्षण विभाग, राज्य नियोजन
 संस्थान के कार्यालय भवन एवं
 छात्रावास भवनों का सुदृढ़ीकरण,
 आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण तथा
 परिसर का सौन्दर्यीकरण हेतु व्यवस्था—

मूल	5,17.33
पुनर्विं०	-1,49.07

3,68.26

3,68.26

..

₹ 1,49.07 लाख परियोजना आगणन के आधार पर अभ्यर्पित किये गये।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

01- सामान्य शिक्षा—

201- प्रारम्भिक शिक्षा—

03- बार्डर एरिया डेवलपमेंट

कार्यक्रम	50.00	..	-50.00
-----------	-------	----	--------

2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 43.07 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत

परिव्यय—

60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ—

800- अन्य व्यय—

03- पूंजीगत विकास कार्यों के

लिए व्यवस्था—

मूल	7,10.00		
पुनर्विं०	-55.27	6,54.73	6,39.01

₹ 55.27 लाख जनपदों में नये कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

4406- वानिकी तथा वन्य जीव

पर पूंजीगत परिव्यय—

01- वानिकी—

800- अन्य व्यय—

03- बार्डर एरिया डेवलपमेंट

कार्यक्रम	50.00	..	-50.00
-----------	-------	----	--------

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 7.39 लाख

(प्रावधान का 26 प्रतिशत), ₹ 30.05 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान तथा ₹ 25.00 लाख (प्रावधान का 33 प्रतिशत) की बचत थी।

' kh"kl dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #i;k e%%

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों

पर पूंजीगत परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

03- बार्डर एरिया डेवलपमेंट

कार्यक्रम

1,50.00

40.59

-1,09.41

05- पूंजीगत विकास कार्यों

के लिए व्यवस्था—

मूल

28,40.00

25,19.51

24,51.09

-68.41

पुनर्विं०

-3,20.49

₹ 3,20.49 लाख जनपदों में नये कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों

पर पूंजीगत परिव्यय—

02- पिछड़े क्षेत्र—

800- अन्य व्यय—

03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं—

पूरक

2,70,00.00

..

2,95.56

+2,95.56

पुनर्विं०

-2,70,00.00

₹ 2,95.56 लाख का वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

₹ 2,70,00.00 लाख अपरिहार्य कारणों से स्वीकृतियां निर्गत न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं

पर पूंजीगत परिव्यय,

01- बाढ़ नियंत्रण—

103- सिविल निर्माण कार्य—

04- बार्डर एरिया डेवलपमेंट

कार्यक्रम

50.00

..

-50.00

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर

पूंजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

337- सड़क निर्माण कार्य—

06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट

कार्यक्रम

20,87.00

14,27.55

-6,59.45

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत / सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | ॥; k 41&fuokpu foHkkx

eq; ' kh"kl
 dly vupku okLrfod ॥; vf/kd ॥; \$
 cpr &
 %gtkj #i;k e%
 jktLo&

2015- निर्वाचन तथा

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें

nRrer&

मूल	1,01,40,03			
पूरक	2,43,00	1,03,83,03	1,01,95,80	-1,87,23
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				3,90,68

fVif.k; ka , oa Vhdळ; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 1,87.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,90.68 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (ii) ₹ 1,87.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 2,43.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl
 dly vupku okLrfod ॥; vf/kd ॥; \$
 cpr &
 %ykjk #i;k e%

2015- निर्वाचन—

103- निर्वाचक नामावली तैयार

करना और मुद्रण—

06- फोटो पहचान पत्र—

मूल	7,20.00			
पुनर्विं०	-1,71.01	5,48.99	5,66.75	+17.76

₹ 1,71.01 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,23.97 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 47.04 लाख का अभ्यर्पण जिला स्तर पर कतिपय ठेकेदारों द्वारा बिल के साथ मिनियेचर अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने तथा कुछ जनपदों द्वारा बिलों का निपटारा न किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; kse%

106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के

विधानमण्डल के चुनाव

कराने के लिये प्रभार-

07- विधान सभा निर्वाचन कार्य में

लगाये गये व्यक्तियों का

दुर्घटना बीमा-

मूल	10.00	
पुनर्विं०	-10.00	

₹ 10.00 लाख अनुग्रह राशि का कोई प्रकरण प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

09- लोक सभा/विधान सभा उप-

निर्वाचन कार्य में लगाये गये

व्यक्तियों का दुर्घटना बीमा-

मूल	10.00	
पुनर्विं०	-10.00	

₹ 10.00 लाख अनुग्रह राशि का कोई प्रकरण प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2015- निर्वाचन-

103- निर्वाचक नामावली तैयार

करना और मुद्रण-

04- विधान परिषद्-

मूल	0.80		9.77	9.88	+0.11
पुनर्विं०	8.97				

₹ 8.97 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 9.47 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.50 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व बिल प्राप्त न होने तथा सांकेतिक प्रावधान के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 & cpr &
 % yk[k #i; kse%

106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के

विधानमण्डल के चुनाव
कराने के लिये प्रभार-

03- सामान्य निर्वाचन-राज्य

विधान सभा-

मूल	26.54		27.16	1,55.04	+1,27.88
पुनर्विं०	0.62				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के विभागीय समायोजन उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,07.63 लाख तथा वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 9.54 लाख सम्मिलित हैं।

₹ 0.62 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2.09 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1.47 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व बिल प्राप्त न होने तथा सांकेतिक प्रावधान के कारण हुआ।

04- सामान्य निर्वाचन-राज्य

विधान परिषद्-

मूल	6.34		82.99	83.52	+0.53
पुनर्विं०	76.65				

₹ 76.65 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 79.42 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 2.77 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व बिल प्राप्त न होने तथा सांकेतिक प्रावधान के कारण हुआ।

05- उप निर्वाचन-राज्य

विधान सभा-

मूल	35.51		2,97.63	3,17.42	+19.79
पूरक	2,43.00				
पुनर्विं०	19.12				

₹ 19.12 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 44.62 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 25.50 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व बिल प्राप्त न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 & cpr &
 % yk[k #i; kse%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	2,59.64			
पुनर्विं०	-2.99	2,56.65	2,68.78	+12.13

₹ 2.99 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 4.51 लाख का अभ्यर्पण जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अंतिम क्षणों में अवशेष धनराशि के वापसी के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 1.52 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 42&U; k; foHkkx

eq; 'kh"kl	dy vunku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr &
------------	-----------------------------	--

%gtkj #i;kae%

jktLo&

- 2014- न्याय प्रशासन,
 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति
 हितलाभ तथा
 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	7,97,24,78			
पूरक	1,21,38	7,98,46,16	6,06,58,36	-1,91,87,80

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

iHkkfj r&

मूल	1,35,76,48			
पूरक	4,04,55	1,39,81,03	1,32,39,16	-7,41,87

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

inthxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर
 पूंजीगत परिव्यय,
 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा
 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	1,31,25,05			
पूरक	8,50,00	1,39,75,05	32,53,00	-1,07,22,05

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 1,91,87.80 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

- (ii) ₹ 1,91,87.80 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 1,21,38 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kz d^gy vupku okLrfod ɻ; vf/kd ɻ; ; \$
cpr &
%

2014- न्याय प्रशासन-

105- सिविल और सेशन्स न्यायालय—

03- जिला तथा सेशन न्यायाधीश	4,55,12.26	3,95,26.86	-59,85.40
09- पारिवारिक न्यायालय	6,58.20	4,56.21	-2,01.99
95- ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	37.98.49	25.82.50	-12.15.99

106- लघवाद न्यायालय-

03- अधिकारी 11.28.99 7.98.85 -3.30.14

108- दण्ड न्यायालय-

03- नियमित अधिष्ठान-

مُول	84,22.61			
پُورک	3.83	84,26.44	69,69.29	-14,57.15

04- रेलवे मजिस्ट्रेटों का

अधिकारी 4,21,56 2,74,37 -1,47,19

800- अन्य व्यय—

06- विभागीय आवासीय भवनों
के अनुरक्षण हेतु प्रावधान 50.00 .. -50.00

07- राज्य विधि आयोग-

मूल	64.15			
		1,81.70	1,57.07	-24.63
पूरक	1,17.55			

09- लोक सेवा अधिकरण

2052- सचिवालय—सामान्य

०९१- संलग्न कार्यालय-

विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश			
भवन, नई दिल्ली	87.58	75.38	-12.20

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

মূল	1,05,74.48			
পনর্পি০	-14.00.39	91,74.09	3,30.40	-88,43.69

प्रावधान में ₹ 14,00.39 लाख की कमी के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; ka e% %

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम—

200- अन्य कार्यक्रम—

05- लोक अदालत	3,62.40	25.83	-3,36.57
06- अधिवक्ता कल्याण निधि से सम्बन्धित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण	4,80.00	4,08.71	-71.29

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं
किये गये हैं (जून 2010) ।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2014- न्याय प्रशासन-

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता

(काउन्सिल)—

03- महाधिवक्ता—

मूल	1,47.70			
पुनर्विंशति	45.94	1,93.64	2,07.63	+13.99

₹ 45.94 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 59.66 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में
₹ 13.72 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय क्रमशः प्रावधान
(₹ 1,09.76 लाख) से ₹ 68.54 लाख, प्रावधान (₹ 1,77.61 लाख) से ₹ 69.34 लाख
तथा प्रावधान (₹ 1,22.46 लाख) से ₹ 30.35 लाख अधिक हुआ था ।

04- विधि परामर्शी तथा

सरकारी अधिवक्ता—

मूल	58,24.76			
पुनर्विंशति	13,34.35	71,59.11	68,13.86	-3,45.25

₹ 13,34.35 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 13,39.98 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान
में ₹ 5.63 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; ka e@%'

06- महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद तथा लखनऊ
 स्थित पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण
 एवं विधि पुस्तकों / पत्रिकाओं /
 जर्नल्स के क्रय एवं वार्षिक चन्दे
 तथा पुस्तकों की बाइंडिंग के लिए
 व्यवस्था—

मूल	0.01			
पुनर्विं	3.50	3.51	3.46	-0.05

प्रावधान में ₹ 3.50 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत / व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
 (जून 2010)।

i Hkkfj r&

- (v) ₹ 7,41.87 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 7,41.87 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 4,04.55 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।
- (vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &

% yk[k #i; ka e@%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान 16,36.91 11,00.86 -5,36.05

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2014- न्याय प्रशासन—

800- अन्य व्यय—

05- विभागीय भवनों के अनुरक्षण

हेतु प्रावधान 15.00 56.11 +41.11

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

in the &
nRrer&

- (ix) ₹ 1,07,22.05 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(x) ₹ 1,07,22.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 8,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(xi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kz d^gy vupku okLrfod ɻ; vf/kd ɻ; ; \$
cpr &
%

4059- लोक निर्माण कार्य पर पुंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

মূল	1,15,00.00			
পুনর্বিন্দি	4,18.26	1,19,18.26	19,18.26	-1,00,00.00

प्रावधान में ₹ 4,18.26 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय—

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाये—				
मूल	15,00.00			
प्रतिशत	-4.18 26	10,81.74	3,61.13	-7,20.61

प्राप्तिका में ₹ 118.26 लाख की कमी के कारण सचिव द्वारा किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सचित नहीं किये गये हैं (जन 2010)।

vunku | a; k 43&i fjogu foHkkx

e[; 'kh"kl

dly vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

%gtkj #i;kae%

jktLo&

2041- वाहन कर,

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2059- लोक निर्माण कार्य,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा

3055- सड़क परिवहन

nRrer&

मूल	74,80,45		74,80,45	72,61,92	-2,18,53
पूरक	..				2,66,71

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

intxr&

4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय तथा

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	2,73,43		2,73,43	2,65,35	-8,08
पूरक	..				2

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

fVlif.k; ka , o@ Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 2,18.53 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,66.71 लाख का अभ्यर्णण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl

diy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

% yk[k #i;k e%

2041- वाहन कर—

800- अन्य व्यय—

03- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट

अधिष्ठान—

मूल

55.96

]

36.93

39.37

+2.44

पुनर्विं

-19.03

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 2.48 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 19.03 लाख पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण अभ्यर्पित किये गये।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम—

200- अन्य कार्यक्रम—

04- बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों

की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता—

मूल

30.00

]

13.00

16.64

+3.64

पुनर्विं

-17.00

₹ 17.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 24.00 लाख (प्रावधान का 80 प्रतिशत), ₹ 25.20 लाख (प्रावधान का 84 प्रतिशत) तथा ₹ 20.87 लाख (प्रावधान का 70 प्रतिशत) की बचत थी।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i ~~thxr&~~
nRrer&

(iii) ₹ 8.08 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 0.02 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की सकी।

(iv) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl

dly vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

% yk[k #i ; ka e@%

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

04- परिवहन आयुक्त कार्यालय

के प्रशासकीय भवन का विस्तार—

मूल	1,00.00			
पुनर्विं	-45.85			

54.15

54.15

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 45.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(v) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

03- सम्भागीय / उप सम्भागीय परिवहन

कार्यालय का निर्माण—

मूल	1,73.41			
पुनर्विं	45.85			

2,19.26

2,11.20

-8.06

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 45.85 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 44&lk; Mu foHkkx

eq; ' kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

%gtkj #i;kae%

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

3452- पर्यटन

nRrer&

मूल	18,94,66			
पूरक	40,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		19,34,66	14,04,95	-5,29,71

5,22,03

intxr&

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	57,77,99			
पूरक	1,64,12,42			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		2,21,90,41	1,90,48,28	-31,42,13

34,41,31

fVif.k; ka , oa Vhdः &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 5,29.71 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 5,22.03 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 5,29.71 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 40.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसको यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kz dly vunku okLrfod Ø; ; vf/kd Ø; ; \$
cpr & *% yk[k #i; ka eø%*

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुंगतान—

ਮੂਲ	1,80.33				
ਪੁਨਰ्वਿੱਧ	-44.33	1,36.00	1,32.93	-3.07	

₹ 44.33 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

3452- ਪਰਿਵਾਰ-

80- सामान्य-

104- संवर्धन तथा प्रचार-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	40.00		
		15.00	15.00
पुनर्विना	-25.00		

₹ 25.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

08- पर्यटन पुलिस बल का गठन-

مُول	1,77.34			
پنپیو	-1,06.89	70.45	61.58	-8.87

₹ 1,06.89 लाख की कुल बचत में से, ₹ 74.73 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 32.16 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

09- शिल्पग्राम आगरा का

वर्ष पर्यन्त संचालन—

मूल	2,46.00		60.76	60.76	..
पनविं०	-1.85.24				

₹ 1,85,24 लाख के अभ्यर्पण के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

800- अच्छा हारा-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

दारा परोनिधानित योजनायें—

पुनर्विंशति 10.57 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

' kh"kl
dgv vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #i; k[e%

07- " डिस्कवर योर रूट्स " योजना—

मूल	7.00
पुनर्विं०	-7.00

₹ 7.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

97- वाह्य सहायतित योजनायें—

मूल	1,00.00
पुनर्विं०	-1,00.00

₹ 1,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 89.43 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 10.57 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 1,10.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख तथा ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

3452- पर्यटन—

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

04- प्रदर्शनियों में भाग लेने

पर व्यय—

मूल	10.00				
पुनर्विं०	-0.07	9.93	13.19	+3.26	

वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 के विभागीय समायोजन उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 3.26 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 0.07 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

intxr&

nRrer&

(v) ₹ 1,90,48.28 लाख के वास्तविक व्यय में आक्रिमकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 2,99.18 लाख सम्मिलित हैं, जो वर्ष 1994-95 से सम्बन्धित हैं। ₹ 34,41.31 लाख (₹ 31,42.13 लाख + ₹ 2,99.18 लाख) की अन्तिम बचत अभ्यर्पित कर दी गई।

(vi) ₹ 34,41.31 लाख (₹ 31,42.13 लाख + ₹ 2,99.18 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,56,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
			% ykfk #i; kg ea%

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय—

80- सामान्य—

104- संवर्धन तथा प्रचार—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	40,67.98			
पूरक	3,12.42	11,40.01	13,76.05	+2,36.04
पुनर्विनापन	-32,40.39			

वास्तविक व्यय में वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 2,36.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 32,40.39 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 27,54.49 लाख के अभ्यर्पण, प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 14.10 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- बुन्देलखण्ड परिपथ के अन्तर्गत

गढ़मऊ लेक, ढुकवा बांध, जल प्रपात एवं बरुआसागर किला / झील का पर्यटन विकास—

मूल	1,00.00			
पुनर्विनापन	-1,00.00			

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- बृज क्षेत्र का पर्यटन विकास—

मूल	10,00.00			
पुनर्विनापन	-10,00.00			

₹ 10,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 6,71.80 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 3,28.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl dgy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #i ; kqe%

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

104- संवर्धन तथा प्रचार-

03- पर्यटक आवास गृहों के

लिए भूमि की अध्यापि-

मूल	10.00		9,19.85	9,19.85	..
पुनर्विंश	9,09.85				

₹ 9,09.85 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 9,14.10 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4.25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

69- ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न जनपदों

में निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण	..	63.14	+63.14
वास्तविक व्यय वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि के प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित है।			

vunku | a; k 45&lk; kbj . k foHkkx

eq; ' kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

%gtkj #i; kgeg%

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

nRrer&

मूल	15,47,63				
पूरक	7,70		15,55,33	4,11,20	-11,44,13

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

inthxr&

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय

अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय—

nRrer&

मूल	5,01				
पूरक	..		5,01	5,00	-1

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVif.k; ka , oahdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 11,44.13 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹11,44.13 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 7.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसको यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

' kh"kl
 dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i ; ka e%%

3435- परिस्थिति विज्ञान तथा

पर्यावरण—

04- प्रदूषण का निवारण

तथा नियंत्रण—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- क्षेत्रीय कार्यालय—

मूल	48.38		56.17	51.87	-4.30
पुनर्विनियोग	7.79				

प्रावधान में ₹ 7.79 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a[; k 46&lkz' kk| fud | qkkj foHkkx

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा

2202- सामान्य शिक्षा

nRrer&

मूल	7,70,91			
पूरक	8,82			
वर्ष की अवधि में अन्यर्पित राशि (मार्च 2010)		7,79,73	5,73,64	-2,06,09

intxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर

ਪੁੰਜੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰ

nRrer&

मूल	1				
पूरक	..		1	..	-1
वर्ष की अवधि में अन्यर्पित राशि (मार्च 2010)					1

fVII if. k; ka , oa Vhdk; &

jkLo&

nRrer&

- (i) ₹ 2,06.09 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,43.86 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(ii) ₹2,06.09 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 8.82 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसको यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हई:-

' kh"kz d^g y vupku okLrfod Ø; vf/kd Ø; ; \$
cpr &
½ yk[k #i; k^g e^g ½

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

مُول	97.66			
پُونਵਿੰਦੀ	-63.19	34.47	61.73	+27.26

रु 63.19 लाख वास्तविक व्यय के आधार पर अन्यर्पित किये गये।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाये-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाये—		
पूरक	5.00	[
पुनर्विंश	-5.00

₹ 5.00 लाख केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

03- उत्तर प्रदेश सचना आयोग

का गठन-

मूल	4,54.96				
पूरक	3.82		3,01.90	3,01.99	+0.09
पनविं०	-1.56.88				

₹ 1,56.88 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मितव्ययिता के कारण हआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हआः—

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

०९१- संलग्न कार्यालय-

04- प्रशासनिक संधार निदेशालय-

مُول	51.46			
پنڈیو	-4.89	46.57	53.91	+7.34

₹ 4.89 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग न होने, मितव्ययिता तथा बिलों के भगतान के उपरान्त अवशेष होने के कारण हआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सचित नहीं किये गये हैं (जन 2010)।

vunku | a; k 47&i kfof/kd f' k{kk foHkkx

ed[; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr &
	fofu; kk		
		g t k j # i ; k o e s %	

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2203- तकनीकी शिक्षा तथा

2230- श्रम तथा रोजगार

nRrer&

मूल	2,92,14,92			
पूरक	14,80,48			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		3,06,95,40	2,53,69,71	-53,25,69

i Hkkfjr&

मूल	1,02			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		1,02	..	-1,02

intixr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूँजीगत परिव्यय,

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं

पर पूँजीगत परिव्यय तथा

6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	2,26,22,16			
पूरक	15,69,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		2,41,91,16	1,66,54,95	-75,36,21

39,74,77

fVif.k; ka , o a Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 53,25.69 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 14,60.67 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 53,25.69 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 14,80.48 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसको यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dy vuñku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr & % ykfk #i; ka e%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	35,42.66		29,54.23	31,20.01	+1,65.78
पुनर्विं०	-5,88.43				

₹ 5,88.43 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,04.66 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 83.77 लाख का अभ्यर्पण कम बजट स्वीकृत होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

2203- तकनीकी शिक्षा—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- क्षेत्रीय कार्यालय—

मूल	96.13		84.10	84.15	+0.05
पुनर्विं०	-12.03				

₹ 12.03 लाख पदों के रिक्त रहने, धनराशि कम होने तथा देयकों के प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

104- अराजकीय तकनीकी कालेजों

तथा संस्थानों को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें .. -5,00.00

04- मुरलीधर गजानन्द बहुधन्धी

संस्था, हाथरस—

मूल	1,10.76		61.67	61.67	..
पुनर्विं०	-49.09				

₹ 49.09 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 47.05 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 2.04 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

05- हंडिया बहुधन्धी संस्था, हंडिया—

मूल	82.69		36.46	36.46	..
पुनर्विं०	-46.23				

₹ 46.23 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 27.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 19.15 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; kae%

06- चन्दौली बहुधन्धी संस्था, चन्दौली-

मूल	75.93				
पुनर्विंशति	-29.69	46.24	46.24	..	

₹ 29.69 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 10.22 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

105- बहुशिल्प (पालीटेक्निक) विद्यालय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	15,00.00	..	-15,00.00	
-----------------------------	----------	----	-----------	--

05- प्राविधिक शिक्षा का कम्प्यूटरीकरण

एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति का

क्रियान्वयन-

मूल	10.00			
पुनर्विंशति	-0.94	9.06	4.16	-4.90

₹ 0.94 लाख आवश्यकतानुसार व्यय के कारण अभ्यर्पित किये गये।

11- राजकीय महिला पालीटेक्निक कुम्हार

खेड़ा सहारनपुर की स्थापना-

मूल	9.08			
पुनर्विंशति	-9.08

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

18- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नवीन

पालीटेक्निकों (पुरुष / महिला)

की स्थापना-

मूल	27.50			
पुनर्विंशति	-17.23	10.27	10.07	-0.20

₹ 17.23 लाख की कुल बचत में से, ₹ 12.43 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod ॥; vf/kd ॥; \$
 cpr &
 % ykfk #i; kae%

112- इंजीनियरी / तकनीकी कालेज

तथा संस्थान—

11- बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज,

झांसी को अनुदान—

मूल	2,06.99			
पुनर्विंशति	-90.00	1,16.99	1,16.99	..

₹ 90.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा वित्त विभाग द्वारा धनराशि फ्रीज किये जाने के कारण हुआ।

16- उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी

संस्थान, कानपुर—

मूल	1,57.21			
पुनर्विंशति	-20.00	1,37.21	1,37.21	..

₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा वित्त विभाग द्वारा धनराशि फ्रीज किये जाने के कारण हुआ।

17- प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र में

चिकित्सीय, अभियंत्रण संस्थाओं

में परास्नातक, स्नातक व डिप्लोमा

पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विभाग द्वारा

संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों

में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश तथा

फीस निर्धारण हेतु 30.29 6.18 -24.11

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 31.29 लाख (प्रावधान का 64 प्रतिशत), ₹ 35.24 लाख (प्रावधान का 64 प्रतिशत) तथा ₹ 33.58 लाख (प्रावधान का 82 प्रतिशत) की बचत थी।

19- वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना—

मूल	2,50.00			
पुनर्विंशति	-2,50.00

₹ 2,50.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा वित्त विभाग द्वारा धनराशि फ्रीज किये जाने के कारण हुआ।

97- विश्व बैंक सहायतित तकनीकी

शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम 20,00.02 25.00 -19,75.02

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; k e% %

2230- श्रम तथा रोजगार—

03- प्रशिक्षण—

003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों
का प्रशिक्षण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	1,07.80
पुनर्विद्या	-1,02.15

5.65 5.87 +0.22

₹ 1,02.15 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

10- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं

शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का
आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण—

मूल	5,20.36
पुनर्विद्या	-1,21.65

3,98.71 3,87.27 -11.44

₹ 1,21.65 लाख की शुद्ध बचत में से ₹ 1,23.65 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा वास्तविक व्यय
के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	1,39.50
पुनर्विद्या	-58.13

81.37 71.94 -9.43

₹ 58.13 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

में नये व्यवसायिक प्रशिक्षण—

मूल	36.97
पुनर्विद्या	-28.62

8.35 7.02 -1.33

₹ 28.62 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; k e% %

05- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना—

मूल	2,83.39				
पुनर्विं०	-2,73.67	9.72	9.45		-0.27

₹ 2,73.67 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,40.17 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 1,33.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

97- वाह्य सहायतित योजनायें—

मूल	2,31.89				
पुनर्विं०	-93.77	1,38.12	1,29.58		-8.54

₹ 93.77 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

102- शिक्षिता प्रशिक्षण—

03- शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना—

मूल	78.94				
पुनर्विं०	-3.52	75.42	64.83		-10.59

₹ 3.52 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2203- तकनीकी शिक्षा—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

05- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय—

शोध विकास एवं प्रशिक्षण

संस्थान का सुदृढ़ीकरण—

मूल	1,09.75				
पुनर्विं०	4.55	1,14.30	1,13.09		-1.21

₹ 4.55 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 6.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1.45 लाख का अभ्यर्पण बजट प्रावधान कम होने, देयक प्राप्त न होने, सांकेतिक प्रावधान तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k e%

104- अराजकीय तकनीकी कालेजों

तथा संस्थानों को सहायता—

07- एम० पी० पालीटेक्निक, गोरखपुर—

मूल	99.68			
पुनर्विं०	16.76	1,16.44	1,16.43	-0.01

प्रावधान में ₹ 16.76 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- इलाहाबाद पालीटेक्निक,

इलाहाबाद—

मूल	2,90.30			
पुनर्विं०	1,46.19	4,36.49	4,36.49	..

₹ 1,46.19 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,47.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.81 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

09- डी० जी० पालीटेक्निक, बड़ौत—

मूल	78.84			
पुनर्विं०	16.12	94.96	94.96	..

प्रावधान में ₹ 16.12 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- गाँधी पालीटेक्निक, मुजफ्फर नगर—

मूल	77.70			
पुनर्विं०	16.33	94.03	94.03	..

प्रावधान में ₹ 16.33 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

12- टाउन पालीटेक्निक, बलिया—

मूल	83.87			
पुनर्विं०	32.98	1,16.85	1,16.85	..

प्रावधान में ₹ 32.98 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

13- डी० एन० पालीटेक्निक, मेरठ—

मूल	1,10.97			
पुनर्विं०	42.52	1,53.49	1,75.89	+22.40

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्ति पुस्तका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 22.40 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 42.52 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; k e% %

15- हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ—

मूल	1,12.58				
पुनर्विं०	36.00	1,48.58	1,48.58	..	

प्रावधान में ₹ 36.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

16- जहांगीराबाद बुलन्दशहर में

बहुधन्धी संस्था की स्थापना—

मूल	33.96				
पुनर्विं०	74.05	1,08.01	1,08.01	..	

प्रावधान में ₹ 74.05 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय क्रमशः प्रावधान (₹ 27.16 लाख) से ₹ 13.23 लाख, प्रावधान (₹ 28.16 लाख) से ₹ 23.99 लाख तथा प्रावधान (₹ 33.96 लाख) से ₹ 11.17 लाख अधिक हुआ था।

19- फिरोज गाँधी बहुधन्धी संस्थान,

रायबरेली—

मूल	72.90				
पुनर्विं०	69.96	1,42.86	1,42.86	..	

₹ 69.96 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 70.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.04 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

20- जवाहरलाल नेहरू पालीटेक्निक

महमूदाबाद, सीतापुर—

मूल	88.05				
पुनर्विं०	58.36	1,46.41	1,46.41	..	

₹ 58.36 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 58.37 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

22- बलवन्त विद्यापीठ रुरल इस्टीट्यूट

बिचपुरी, आगरा—

मूल	31.72				
पुनर्विं०	34.80	66.52	66.52	..	

प्रावधान में ₹ 34.80 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; k e% %

24- कानपुर गल्स पालीटेक्निक,

कानपुर-

मूल	29.50		70.10	70.10	..
पुनर्विं०	40.60				

प्रावधान में ₹ 40.60 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

25- मथुरा में महिला पालीटेक्निक

की स्थापना-

मूल	43.02		55.75	54.42	-1.33
पुनर्विं०	12.73				

प्रावधान में ₹ 12.73 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

105- बहुशिल्प (पालीटेक्निक) विद्यालय-

06- राजकीय पालीटेक्निक, मऊ-

मूल	33.19		42.72	42.93	+0.21
पुनर्विं०	9.53				

₹ 9.53 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 13.88 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 4.35 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

112- इंजीनियरी / तकनीकी कालेज

तथा संरक्षण-

07- कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ

साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर
 को सहायक अनुदान (जिला योजना)-

मूल	2,90.35		2,40.35	3,10.76	+70.41
पुनर्विं०	-50.00				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 70.41 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा वित्त विभाग द्वारा धनराशि फ्रीज किये जाने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; k e% %

2230- श्रम तथा रोजगार—

03- प्रशिक्षण—

101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—

03- अल्प सम्बन्धक बाहुल्य विकास

खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना—

मूल	1,95.24				
पूरक	1,85.19	4,62.50	4,60.52	-1.98	
पुनर्विना	82.07				

₹ 82.07 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,33.50 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 51.43 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मांग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2010)।

in thxr&

nRrer&

- (v) ₹ 75,36.21 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 39,74.77 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) ₹ 75,36.21 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 15,69.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसको यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।
- (vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

02- तकनीकी शिक्षा—

104- बहुशिल्प—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,35,00.00				
पुनर्विना	-14,29.00	1,20,71.00	85,71.00	-35,00.00	

₹ 14,29.00 लाख का अभ्यर्पण राज्य समेकित निधि में धनराशि जमा न होने से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; kae%

47- राजकीय पालीटेक्निक का

उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण तथा
 अन्य अवस्थापना सुविधाओं का
 विकास (जिला योजना)—

मूल	5,00.00		3,54.01	3,52.29	-1.72
पुनर्विंश	-1,45.99				

₹ 1,45.99 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकतानुसार व्यय तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

50- राजकीय पालीटेक्निकों

में विभिन्न निर्माण कार्य
 (जिला योजना)—

मूल	2,00.00		1,23.43	1,23.43	..
पुनर्विंश	-76.57				

₹ 76.57 लाख का अभ्यर्पण शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किये जाने के कारण हुआ।

59- राजकीय पालीटेक्निकों के

वर्चुअल क्लास रूम्स की
 स्थापना—

मूल	1,00.00		7.45	7.45	..
पुनर्विंश	-92.55				

₹ 92.55 लाख का अभ्यर्पण वित्त विभाग द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में धनराशि स्वीकृत न होने के कारण हुआ।

105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज

तथा संस्थान—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	5,00.01		1,20.00	..	-1,20.00
पुनर्विंश	-3,80.01				

₹ 3,80.01 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की सहमति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kz dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr & *½ yk[k #i; ka eø½*

10- अभियन्त्रण संस्थाओं में

छात्रावास का निर्माण—

مूल	4,00.00		
پुنर्वित	-52.34	3,47.66	3,47.66

₹ 52.34 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की सहमति प्राप्त न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

800- अन्य व्यय—

03- प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-

ਮੂਲ	1,00.00		
ਪੁਨਰ्विंਗ	-1,00.00		

₹ 1,00,00 लाख का अभ्यर्पण प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में न होने के कारण हआ।

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं

पर पंजीगत परिव्यय—

203- रोजगार-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	1,54.00			
पूरक	15,69.00	10,44.02	9,93.58	-50.44
प्रनविर्ति	-6.78.98			

₹ 6,78,98 लाख का अस्याप्त भारत सरकार से केन्द्रांश पाप्त न होने के कारण हआ।

03- अल्प संदर्भाकृ बाहेल्या तिकास

स्वार्थों परं अहा क्षेत्रों में राजकीय

औद्योगिक पश्चिकण संशोधन की स्थापना—

मूल	6,00.00		..	3.52	+3.52
प्रतिरूप	-6,00.00				

₹ 6,00,00 लाख का अर्थात् सातकीकरण ज होने के कारण हआ।

12. अपेक्षित विकास उम्मीदों पर

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की

सथाना हेतु अहिंसा-

मूल	1,00.00
प्रतिरोध	-1.00.00

₹ 1,00,00 लाख का अस्पर्धित वित्त विभाग के निर्देशानन्दसार नियमावली तैयार न होने के कारण हआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; k e% %

97- वाह्य सहायतित योजनायें—

मूल	6,16.55				
पुनर्विं०	-3,04.19	3,12.36	3,62.12	+49.76	

₹ 3,04.19 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

02- तकनीकी शिक्षा—

104- बहुशिल्प—

42- कु0 मायावती राजकीय महिला पालीटेक्निक

बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर—

मूल	0.01				
पुनर्विं०	-0.01	..	5.60	+5.60	

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

₹ 0.01 लाख सांकेतिक धनराशि के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज

तथा संस्थान—

03- मदनमोहन मालवीय इंजीनियरिंग

कालेज, गोरखपुर को सहायक

अनुदान—

मूल	0.01				
पुनर्विं०	-0.01	..	19.63	+19.63	

₹ 0.01 लाख सांकेतिक धनराशि के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05- हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल

इंस्टीट्यूट, कानपुर को सहायक

अनुदान—

मूल	0.01				
पुनर्विं०	-0.01	..	30.00	+30.00	

₹ 0.01 लाख सांकेतिक धनराशि के कारण अभ्यर्पित किया गया।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % ykfk #i; k e% %

06- कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ
 साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, सुल्तानपुर
 को सहायक अनुदान (जिला योजना)—

मूल	0.01		..	50.00	+50.00
पुनर्विंश	-0.01				

₹ 0.01 लाख सांकेतिक धनराशि के कारण अभ्यर्पित किया गया।

09- उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी

संस्थान, कानपुर—					
मूल	0.01		..	20.00	+20.00
पुनर्विंश	-0.01				

₹ 0.01 लाख सांकेतिक धनराशि के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय—

203- रोजगार—

10- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2.50	5.27	+2.77
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।			

vupku | a; k 48&vYi | a; d dY; k.k foHkkx

ef; 'kh"kl	dy vupku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ; %	vf/kd 0; ; \$ cpr &
------------	-----------------------------	-------------------	------------------------

%gtkj #i;kre%

jktLo&

- 2049- ब्याज अदायगियां,
- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,
- 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ,
- 2075- विविध सामान्य सेवायें,
- 2202- सामान्य शिक्षा,
- 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,
- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा
- 2250- अन्य सामाजिक सेवायें

nRrer&

मूल	7,64,61,71			
पूरक	48,81,00	8,13,42,71	4,63,38,74	-3,50,03,97
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				3,49,41,37

iHkfj r&

मूल	2,05			
पूरक	..	2,05	4,05	+2,00
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				60

iHhxR&

- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा

eq; 'kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 %gtkj #i;kae%

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	2,31,16,72			
पूरक	..	2,31,16,72	96,55,14	-1,34,61,58
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				1,34,61,58

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 3,50,03.97 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 3,49,41.37 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।
- (ii) ₹ 3,50,03.97 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 48,81.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसको यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 %yklk #i;kae%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवाएँ—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	27,86.49			
पुनर्विं०	-1,78.84	26,07.65	23,58.05	-2,49.60

₹ 1,78.84 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- मण्डलीय तथा जिला कार्यालय—

मूल	4,13.94			
पूरक	50.00	3,79.06	3,82.56	+3.50
पुनर्विं०	-84.88			

₹ 84.88 लाख की कुल बचत में से, ₹ 84.13 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कतिपय पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता, मांग न होने तथा शासन की नीति के अन्तर्गत व्यय आदि के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 0.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k e g %

06- रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी

फारसी मदरसा उत्तर प्रदेश,
 इलाहाबाद—

मूल	37.33		12.52	13.17	+0.65
पुनर्विं	-24.81				

₹ 24.81 लाख की कुल बचत में से, ₹ 15.31 लाख का अभ्यर्पण कतिपय पदों के रिक्त रहने, कोई प्रकरण न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 9.50 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2202- सामान्य शिक्षा—

01- प्रारम्भिक शिक्षा—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	45,42.00		20,29.47	20,35.20	+5.73
पुनर्विं	-25,12.53				

₹ 25,12.53 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

10- सौ नये आलिया स्तर के

स्थाई मान्यता प्राप्त अरबी

फारसी मदरसों को अनुदान—

मूल	10,00.00		12.57	3.75	-8.82
पुनर्विं	-9,87.43				

₹ 9,87.43 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े

वर्गों का कल्याण—

80- सामान्य—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों को सहायता—

03- अल्प संख्यकों का कल्याण—

मूल	46.15		18.69	15.12	-3.57
पुनर्विं	-27.46				

₹ 27.46 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k e% %

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	89,55.00			
पूरक	48,31.00	94,38.07	94,46.01	+7.94
पुनर्विं०	-43,47.93			

₹ 43,47.93 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- मौलाना मुहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति—

मूल	36.00			
		..	1.80	+1.80
पुनर्विं०	-36.00			

₹ 36.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	3,00,00.01			
		36,97.98	37,00.80	+2.82
पुनर्विं०	-2,63,02.03			

₹ 2,63,02.03 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2250- अन्य सामाजिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- प्रान्तीय हज समिति को

अनुदान	1,19.27	99.84	-19.43
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत / व्याधिक्य कारण सूचित नहीं किये गये हैं			
(जून 2010)।			

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

105- विशेष जांच आयोग—

04- अल्प संख्यक आयोग

को अनुदान—

मूल	81.87			
		93.63	92.75	-0.88
पुनर्विं०	11.76			

₹ 11.76 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 11.81 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.05 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k e%'

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति

हितलाभ –

01- सिविल–

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन–

03- पेंशन आदि का भुगतान–

मूल	1,35.75			
पुनर्विं०	-12.22	1,23.53	3,14.46	+1,90.93

₹ 12.22 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2202- सामान्य शिक्षा–

01- प्रारम्भिक शिक्षा–

800- अन्य व्यय–

03- अरेबिया पाठशालाओं

को अनुदान–

मूल	1,32,48.31			
पुनर्विं०	-15.84	1,32,32.47	1,32,56.04	+23.57

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 61.28 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 15.84 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा अन्तिम दिनों में धनराशि समर्पित किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य / बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2010)।

i Hkkfj r&

- (v) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 2,00,132 अधिक हुआ; अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (vi) ₹ 2.00 लाख के अन्तिम व्याधिक्य को देखते हुए, ₹ 0.60 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (vii) व्याधिक्य (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &

% yk[k #i; k e%

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें–

001- निदेशन तथा प्रशासन–

04- मण्डलीय तथा जिला

कार्यालय	..	2.60	+2.60
----------	----	------	-------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

in the &
nRrer&

(viii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kz dʒy vʊŋku okLrfod ə; vf/kd ə; \$
cpr & ¼ yk[k #i; kə eə ¼

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	26,76.68
पुनर्विंशति	-26,76.68

₹ 26,76.68 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय—

02- समाज कल्याण-

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

मूल	2,00,00.01		
पुनर्विंशति	-1,07,84.87	92,15.14	92,15.14

₹ 1,07,84.87 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vunku | ॥; k 49&efgyk , oaky dY; k.k foHkkx

ef[; 'kh"kl	dy vunku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
-------------	--------------------------	--------------	------------------------

%gtkj #i;kae%

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	29,35,80,82			
पूरक	2,55,34,16			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (जून 2010)		31,91,14,98	29,72,86,72	-2,18,28,26

1,83,54,60

iHkkfjr&

मूल	10,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		10,00	..	-10,00

..

iHhxsr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय तथा

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	1,29,06			
पूरक	..	1,29,06	32,68	-96,38
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (जून 2010)				3

fVlif.k; ka , oahdk; &

jktLo&

nRrer&

- ₹ 2,18,28.26 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,83,54.60 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 2,18,28.26 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,55,34.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #i; kg ea%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	36,12.76			
पुनर्विं०	-3,48.89	32,63.87	31,40.26	-1,23.61

₹ 3,48.89 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- महिला कल्याण निदेशालय—

मूल	2,83.49			
पुनर्विं०	1.50	2,84.99	2,49.59	-35.40

प्रावधान में ₹ 1.50 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

102- बाल कल्याण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	6,89,26.92			
पूरक	52,54.17	6,07,39.07	6,09,96.67	+2,57.60
पुनर्विं०	-1,34,42.02			

₹ 1,34,42.02 लाख का अभ्यर्पण कतिपय पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

06- महामाया गरीब बालिका

आशीर्वाद योजना—

मूल	6,75,00.00			
पुनर्विं०	-32,31.50	6,42,68.50	2,22,05.59	-4,20,62.91

₹ 32,31.50 लाख का अभ्यर्पण पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

08- परिवीक्षा सेवा क्षेत्र—

मूल	11,94.05			
पूरक	0.01	12,65.87	10,74.13	-1,91.74
पुनर्विं०	71.81			

प्रावधान में ₹ 71.81 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; kse%

09- बाल कल्याण कोर्ट

बोर्ड की स्थापना—

मूल	9,15.59
-----	---------

8,58.79	70.69	-7,88.10
---------	-------	----------

पुनर्विं०	-56.80
-----------	--------

प्रावधान में ₹ 56.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

13- संस्थानों/गृहों का

संचालन—

मूल	29,43.04
-----	----------

29,26.53	22,72.51	-6,54.02
----------	----------	----------

पुनर्विं०	-16.51
-----------	--------

₹ 16.51 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 21.51 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

15- उत्तर प्रदेश बाल अधिकार

संरक्षण आयोग

2,27.10	12.75	-2,14.35
---------	-------	----------

97- वाह्य सहायतित योजनायें—

मूल	25.00
-----	-------

..	1.68	+1.68
----	------	-------

पुनर्विं०	-25.00
-----------	--------

₹ 25.00 लाख का अभ्यर्पण योजना संचालन प्रारम्भ न होने के कारण हुआ।

103- महिला कल्याण—

11- अनैतिक व्यापार निरोधक

अधिनियम 1956 के अधीन

अतिरिक्त उद्धार संगठनों

की स्थापना

88.63	66.51	-22.12
-------	-------	--------

18- विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त

किये एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन

के लिये राज्य सहायता

10.00	2.24	-7.76
-------	------	-------

23- न्यूट्रीशन प्रोग्राम फार

एडोलसेन्ट गल्स

(केन्द्र 90/राज्य 10)

मूल	4,55.42
-----	---------

..
----	----	----

पुनर्विं०	-4,55.42
-----------	----------

₹ 4,55.42 लाख का अभ्यर्पण गत वर्ष की धनराशि पी०एल०ए० में जमा होने के कारण हुआ।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 2,06.12 लाख (प्रावधान का 94 प्रतिशत), ₹ 5,18.00 लाख (प्रावधान का 52 प्रतिशत) तथा ₹ 3,80.98 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत थी।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; kse%

24- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम

से वृद्ध महिला आश्रमों की
 स्थापना 6,19.92 3,38.35 -2,81.57

25- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से

रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 18,95.29 8,50.00 -10,45.29
 उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण
 सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

102- बाल कल्याण-

05- किशोर न्याय निधि 0.01 65.69 +65.68

07- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत

समन्वित बाल विकास परियोजनाओं

पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने

वाला पोषाहार (केन्द्र 50 / राज्य 50)-

मूल 9,01,49.00

पूरक 2,00,00.00

पुनर्विना -2,16.12

10,99,32.88

15,16,99.69

+4,17,66.81

₹ 2,16.12 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

103- महिला कल्याण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0.01 90.87 +90.86

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2005-06 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के

₹ 76.13 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-

03- श्रमजीवी महिला आवासों के

निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों /

संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा

दिये गये अनुदान में राज्य सरकार

का सहयोग

5.00

8.30

+3.30

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

- (v) ₹ 10.00 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
 (vi) बचत निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

% yk[k #i; kg ea%

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—			
102- बाल कल्याण—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ	10.00	..	-10.00

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 9.69 लाख (विनियोग का 97 प्रतिशत), ₹ 9.99 लाख (विनियोग का 99.9 प्रतिशत) तथा ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की बचत थी।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i thxr&

nRrer&

- (vii) ₹ 96.38 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 0.03 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
 (viii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

% yk[k #i; kg ea%

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूँजीगत परिव्यय—

02- समाज कल्याण—			
103- महिला कल्याण—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ—	1,29.02	32.68	-96.34

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 50&jktLo foHkkx ¼ ftyk itkkl u ½

ed; 'kh"kl	dly vunku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ; %	vf/kd 0; ; \$ cpr & %gtkj #i;kre%
------------	------------------------------	-----------------------	---

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2053- जिला प्रशासन,

2059- लोक निर्माण कार्य,

2216- आवास तथा

3053- नागर विमानन

nRrer&

मूल	4,11,23,10	4,11,23,10	3,77,33,46	-33,89,64
पूरक	..			

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

i Hkkfj r&

मूल	17,54	17,54	..	-17,54
पूरक	..			

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

i thxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय तथा

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	1,41,02,23	1,41,02,24	1,21,19,14	-19,83,10
पूरक	1			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				23,55,59

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 33,89.64 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—
 'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr &
 % yk[k #i; ka e% %

2059- लोक निर्माण कार्य—

80- सामान्य—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

03- मंडल/जनपद/तहसीलों

के अनावासीय भवनों के

अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य

1,25.00

77.78

-47.22

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

(iii) ₹ 17.54 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr &
 % yk[k #i; ka e% %

2053- जिला प्रशासन—

093- जिला स्थापनाएं

03- कलेक्टरी स्थापना—

15.54

..

-15.54

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 15.00 लाख (विनियोग का 97 प्रतिशत), ₹ 15.54 लाख तथा ₹ 15.54 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की बचत थी।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i thxr&

nRrer&

(v) ₹ 1,21,19.14 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 3,43.25 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(vi) ₹ 23,26.35 लाख (₹ 19,83.10 लाख + ₹ 3,43.25 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 23,55.59 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kz dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr & *% yk[k #i; kaeq%*

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

05- तहसीलों में अनावासीय

भवनों का निर्माण—

مُول	4,00.00		
پُونرِیو	-3,10.00	90.00	90.00

₹ 3,10.00 लाख परिपक्व प्रस्तावों के उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

07- कलेकट्रॉट अभिलेखागारों

में रैक्स का निर्माण—

ਮੂਲ	87.37		31.72	31.72	..
ਪੁਨਰ्वਿੱਠ	-55.65				

₹ 55.65 लाख प्रस्ताव के परिपक्व न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

800- अन्य व्यय-

21- प्रदेश के मण्डल/जनपद/

तहसीलों के अनावासीय

भवनों के चालू कार्यों एवं

भूमि क्रय हेतु—

मूल	90,00.00		73,00.95	72,73.33	-27.62
पनविं	-16,99.05				

₹ 16,99.05 लाख की कुल बचत में से, ₹ 15,71.35 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हआ। प्रावधान में ₹ 1,27.70 लाख की कमी के कारण संचित नहीं किये गये हैं।

4216- आवास पर पुंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पुल आवास-

09- तहसीलों में आवासीय भवनों

का निर्माण-

مُول	2,00.00			
		1,85.00	50.00	-1,35.00
پُونرِدِیو	-15.00			

₹ 15.00 लाख प्रस्ताव के परिपक्व न होने के कारण अभ्यर्थित किये गये।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl
dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #i; k e% %

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

08- जिलाधिकारी कांशीराम नगर के
कार्यालय भवन का निर्माण—

पूरक	0.01			
पुनर्विं०	1,27.70	1,27.71	1,27.71	..

प्रावधान में ₹ 1,27.70 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

05- अभिलेखागार कक्ष का

निर्माण	..	3,15.00	+3,15.00
---------	----	---------	----------

वास्तविक व्यय वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि के प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित है।

60- अन्य भवन—

051- निर्माण—

14- जनपद फिरोजाबाद मुख्यालय में विद्युत उप-केन्द्र का निर्माण	..	28.25	+28.25
--	----	-------	--------

वास्तविक व्यय वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि के प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित है।

31- भारत नेपाल सीमा स्तम्भों

की मरम्मत हेतु प्रावधान (भारत सरकार से)	0.01	71.85	+71.84
--	------	-------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | a[; k 51&jktLo foHkkx ¼ nþh foi fRr; k ds | EcU/k eajkgr ½

ed[; 'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
jktLo&

- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
nRrer&

मूल	6,87,65,58			
पूरक	2,50,00,01	9,37,65,59	3,36,35,19	-6,01,30,40

वर्ष की अवधि में अभ्यर्थित राशि

iwlhx&

- 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं
पर पूँजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	1			
पूरक	..	1	..	-1

वर्ष की अवधि में अभ्यर्थित राशि

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 6,01,30.40 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 6,01,30.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 2,50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसको यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
jykl[k #i ; kae#%

- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

090- सचिवालय—

03- दैवी आपदा सम्बन्धी

अधिष्ठान	32.99	15.14	-17.85
----------	-------	-------	--------

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान	26.88	..	-26.88
-----------------------	-------	----	--------

' kh"kl
dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #i ; kae%

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—

05- आपदा राहत निधि—

800- अन्य व्यय—

03- आपदा राहत निधि

से व्यय—

मूल	3,32,75.00			
पूरक	2,50,00.00	5,82,75.00	..	-5,82,75.00

80- सामान्य—

102- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक

विनाश, आकर्षिक योजनाओं

का प्रबन्ध—

03- स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड

को अन्तरण	2,50.00	..	-2,50.00
-----------	---------	----	----------

04- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पान्स

फण्ड को अन्तरण

2,50.00	..	-2,50.00
---------	----	----------

05- स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन

फण्ड को अन्तरण

2,50.00	..	-2,50.00
---------	----	----------

06- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन

फण्ड को अन्तरण

2,50.00	..	-2,50.00
---------	----	----------

800- अन्य व्यय—

06- उत्तर प्रदेश आपदा

प्रबन्ध प्राधिकरण—

मूल	11,51.70		
पुनर्विभाग	-3,45.49	8,06.21	..

प्रावधान में ₹ 3,45.49 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 11,16.23 लाख तथा

₹ 11,24.97 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआः—

' kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
% yk[k #i;k e%%			

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

04- डिजास्टर रिस्क मैनेजमेन्ट

परियोजना हेतु सहायता—

पुनर्विं	3,45.49	3,45.49	3,45.49	..
प्रावधान में ₹ 3,45.49 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

vunku | a; k 52-jktLo foHkkx ¼ jktLo i f "kn~rFkk vU; 0; ; ½

ed[; 'kh"kl

dly vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

; k

fofu; kx

cpr &

%gtkj #i;kae%

jktLo&

2029- भू-राजस्व,

2049- ब्याज अदायगियां,

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2059- लोक निर्माण कार्य,

2075- विविध सामान्य सेवायें,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा

3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

nRrer&

मूल	14,05,26,76			
पूरक	24,21,61	14,29,48,37	13,64,83,45	-64,64,92
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				48,03,12

i Hkfj r&

मूल	69,77			
पूरक	..	69,77	2,26,58	+1,56,81
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				28,84

i nthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय,

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

nRrer&

मूल	10,00			
पूरक	38,15	48,15	98,80	+50,65
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

i Hkfj r&

मूल	10,51			
पूरक	..	10,51	62	-9,89
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &
jktLo&
nRrer&

- (i) ₹ 64,64.92 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 48,03.12 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 64,64.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 24,21.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसको यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kz d̥y v̥nqku okLrfod ɻ; ; vf/kd ɻ; ; \$
cpr & ɻ ykfk #i; k̥ eɻ ɻ

2029- भू-राजस्व-

103- ભૂ-અભિલેખ-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	24,21.61			
पुनर्विना	-23,35.75	85.86	77.15	-8.71

₹ 23,35.75 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

05- कृषि गणना-

মূল	54.02				
পুনর্বিন্দি	-6.37	47.65	48.59		+0.94

₹ 6.37 लाख के अभ्यर्पण के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

03- खेतों की चकबन्दी—

مُول	1,65,11.35			
پناریں	-13,26.36	1,51,84.99	1,52,81.03	+96.04

₹ 13,26,36 लाख के अभ्यर्पण के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

099- राजस्व बोर्ड-

03- राजस्व परिषद-

مُول	13,55.49				
پندریں	-2,02.35	13,53.14	11,30.43		-22.71

₹ 2,02.35 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 2,05.35 लाख का अर्थर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 & cpr &
 % yk[k #i ; k e% %

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	2,12,44.59				
पुनर्विं	-1,59.09	2,10,85.50	1,98,07.73		-12,77.77

₹ 1,59.09 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य—

80- सामान्य—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

05- भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान,

हरदोई के अनावासीय भवनों

का अनुरक्षण

5.00	..	-5.00
------	----	-------

3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—

110- राज्य विवरणिका तथा

सांख्यिकीय संस्मरण—

03- जिला विवरणियों (गजेटियर्स)

का पुनरीक्षण	80.45	63.57	-16.88
--------------	-------	-------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
 (जून 2010)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2029- भू-राजस्व—

103- भू-अभिलेख—

03- अधीक्षण—

मूल	1,46.84				
पुनर्विं	-8.71	1,38.13	2,84.87		+1,46.74

₹ 8.71 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2075- विविध सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

06- वक्फों, न्यासों (द्रस्ट) और

धर्मस्वाँ को देय वार्षिक

वृत्तियाँ (एनुस्टीज)—

मूल	12.00				
पुनर्विं	-3.96	8.04	16.99		+8.95

₹ 3.96 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k e%

11- न्यायालय के आज्ञप्ति के समाधान

के सम्बन्ध में भुगतान ..	14.97	+14.97
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 तथा 2005-06 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के		
₹ 14.24 लाख की धनराशि सम्मिलित है।		

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

- (v) ₹ 2,26.58 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,45.45 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (vi) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 11,35,946 (₹ 1,56,80,679 - ₹ 1,45,44,733) अधिक हुआ; अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (vii) ₹ 11.36 लाख (₹ 1,56.81 लाख - ₹ 1,45.45 लाख) के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 28.84 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (viii) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k e%

2049- ब्याज अदायगियां—

01- अन्तर्रिक ऋण पर ब्याज—

101- बाजार कर्जों पर ब्याज—

03- प्रतिकर बन्धों तथा स्टाक

प्रमाण पत्रों पर ब्याज	0.10	1,76.62	+1,76.52
------------------------	------	---------	----------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,45.38 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

06- उत्तर प्रदेश ऋण ग्रस्त सम्पत्ति

अधिनियम बन्धों पर ब्याज	0.01	0.07	+0.06
-------------------------	------	------	-------

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i ; k e%'

2029- भू—राजस्व—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- भूमि अध्याप्ति—सामान्य

राजस्व व्यय	5.00	..	-5.00
-------------	------	----	-------

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

101- संग्रहण प्रभार—

03- भू—राजस्व (माल गुजारी) तकावी

नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी

देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार—

मूल	10.50
पुनर्विंशति	-10.50

₹ 10.50 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 10.00 लाख, ₹ 10.50 लाख तथा ₹ 10.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

intxr&

nRrer&

(x) ₹ 98.80 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 53.93 लाख की धनराशि समिलित है।

(xi) ₹ 3.28 लाख (₹ 53.93 लाख - ₹ 50.65 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(xii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i ; k e%

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

800- अन्य व्यय—

05- भू—अभिलेखों के अभिलेखागारों

के लघु निर्माण कार्य	10.00	6.72	-3.28
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।			

(xiii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		% yk[k #i ; k e g %	

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

04- राजा टोडरमल एल0आर0टी0आई0,

हरदोई के नये भवन के निर्माण

हेतु प्रबन्ध	..	53.93	+53.93
वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन से			
सम्बन्धित है।			

i Hkkfj r&

(xiv) ₹ 9.89 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(xv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dly fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		% yk[k #i ; k e g %	

6003- राज्य सरकार का

आन्तरिक ऋण-

106- प्रतिकर तथा अन्य

बन्ध पत्र-

04- बिना ब्याज वाले बन्ध पत्र	5.00	..	-5.00
-------------------------------	------	----	-------

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त था।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | ; k 53- jk"Vh; , dhadj . k foHkkx

ed[; 'kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

%gtkj #i;kae%

jktLo&

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा

2202- सामान्य शिक्षा

nRrer&

मूल	1,31,32			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		1,31,32	69,84	-61,48

intxr&

6851- ग्राम तथा लघु उद्योगों

के लिए कर्ज

nRrer&

मूल	1,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		1,00	15	-85

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 61.48 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 54.82 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

%ykjk #i;kae%

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	20.01			
पुनर्विं०	-19.21			

0.80

0.85

+0.05

₹ 19.21 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त न होने तथा तत्सम्बन्धी नियमावली में संशोधन प्रस्तावित होने के कारण हुआ ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #i; k[e%

06- राज्य एकीकरण परिषद् के
 उपाध्यक्ष को देय सुविधायें—

मूल	9.50		3.85	3.85	..
पुनर्विं०	-5.65				

₹ 5.65 लाख का अभ्यर्पण उपाध्यक्ष द्वारा मांग न किये जाने के कारण हुआ।

08- महान विभूतियों के जन्मदिन पर
 राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक

सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन—

मूल	25.00		18.66	15.80	-2.86
पुनर्विं०	-6.34				

₹ 6.34 लाख का अभ्यर्पण जिलों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

09- जिला एकीकरण समितियों

पर व्यय—

मूल	17.75		15.52	12.68	-2.84
पुनर्विं०	-2.23				

₹ 2.23 लाख का अभ्यर्पण जिलों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्रम के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

13- अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन

(नकद पुरस्कार)

(राज्यांश 100 प्रतिशत)—

मूल	10.00	
पुनर्विं०	-10.00				

₹ 10.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 8.00 लाख का अभ्यर्पण नियमावली में प्रस्तावित संशोधन होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

14- राज्य एकीकरण परिषद्

के अध्यक्ष को सुविधायें—

मूल	11.45		6.31	6.31	..
पुनर्विं०	-5.14				

₹ 5.14 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 7.14 लाख का अभ्यर्पण अध्यक्ष द्वारा मांग न किये जाने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vunku | a; k 54&ykd fuekLk foHkkx (vf/k"Bku ½

मुख्य शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

अधिक व्यय +

बचत -

या

विनियोग

(हजार रुपयों में)

राजस्व—

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

2059- लोक निर्माण कार्य

nRrer&

मूल	10,34,53,02			
पूरक	..	10,34,53,02	5,92,42,26	-4,42,10,76

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) 2,83,27

i Hkkfj r&

मूल	4,00			
पूरक	..	4,00	..	-4,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) 3,59

fVlif.k; ka , o@Vhdk; &

jTkLo&

nRrer&

(i) ₹ 5,92,42.26 लाख के वास्तविक व्यय में आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 4,30.50 लाख सम्मिलित हैं, जो कि वर्ष 1994-95 से सम्बद्धित हैं।

(ii) ₹ 4,46,41.26 लाख (₹ 4,42,10.76 लाख + ₹ 4,30.50 लाख ½ की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,83.27 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी थी।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

4 yk[k #lk; k[e g%

2059- लोक निर्माण कार्य—

80- सामान्य—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- निदेशन—

मूल	56,36.36				-25,58.31
पुनर्विभाजित	-2,09.14	54,27.22	28,68.91		

₹ 2,09.14 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,72.14 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 37.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 21,02.80 लाख (प्रावधान का 62 प्रतिशत), ₹ 4,89.92 लाख (प्रावधान का 12 प्रतिशत) तथा ₹ 28,07.15 लाख (प्रावधान का 61 प्रतिशत) की बचत थी।

97- बाह्य सहायतित योजनायें—

मूल	1,25.33				-40.91
पुनर्विभाजित	-41.37	83.96	43.05		

₹ 41.37 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 59.82 लाख (प्रावधान का 41 प्रतिशत), ₹ 22.83 लाख (प्रावधान का 16 प्रतिशत) तथा ₹ 77.55 लाख (प्रावधान का 60 प्रतिशत) की बचत थी।

003- प्रशिक्षण—

03- प्रशिक्षण (संशोधन) अधिनियम

1973 अन्तर्गत लोक निर्माण

विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा

प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण	50.00	23.19	-26.81
----------------------------------	-------	-------	--------

2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 29.20 लाख (प्रावधान का 42 प्रतिशत) तथा ₹ 45.00 लाख (प्रावधान का 64 प्रतिशत) की बचत थी।

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

/ yk[k #lk; ka egl

004- योजना तथा अनुसंधान—

03- लोक निर्माण विभाग—

लोक संस्थान

मूल	1,02.98				
पुनर्विंशति	-44.62	58.36	0.91		-57.45

₹ 44.62 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 58.14 लाख (प्रावधान का 91 प्रतिशत), ₹ 39.84 लाख (प्रावधान का 53 प्रतिशत) तथा ₹ 74.46 लाख (प्रावधान का 91 प्रतिशत) की बचत थी।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

800- अन्य व्यय—

07- अधिष्ठान व्यय का अनुपातिक

विवरण	..	-4,42,75.68	-4,42,75.68
ऋणात्मक व्यय प्रोराटा समायोजन के कारण है।			

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2059- लोक निर्माण कार्य—

80- सामान्य—

001- निवेशन तथा प्रशासन—

02- स्थापन वेतन	..	3,72.88	+3,72.88
वास्तविक व्यय वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित हैं।			

04- कार्यकारी—

मूल	7,27,92.20			
पुनर्विंशति	31.07	7,28,23.27	7,52,24.40	+24,01.13

प्रावधान में ₹ 31.07 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 5.93 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 37.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- कार्य प्रभारित कर्मचारियों के

मजदूरी भुगतान हेतु	1,05,00.00	1,09,50.01	+4,50.01
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।			

800- अन्य व्यय—

02- पहाड़ी क्षेत्रों के लिए

लोक निर्माण की स्थापना	..	57.62	+57.62
वास्तविक व्यय वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित हैं।			

vunku | a; k 55&ykd fuekZ k foHkkx ¼Hkou ½

eq; 'kh"kl
 dly vunku okLrfod 0; ;
 ; k
 fofu; kx
%gtkj #lk; ka e9%

vf/kd 0; ; \$
 cpr &

jktLo&

2059- लोक निर्माण कार्य तथा

2216- आवास

nRrer&

मूल	30,65,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		30,65,00	32,04,04	+1,39,04

i Hkkfj r&

मूल	2,61,87			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		2,61,87	2,69,67	+7,80

i nthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय तथा

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	34,05,04			
पूरक	3,79,63			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		37,84,67	3,99,97,37	+3,62,12,70

i Hkkfj r&

मूल	52,85			
पूरक	1,57,65			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		2,10,50	1,56,40	-54,10

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jkTKLo&

nRrer&

- (i) ₹ 32,04.04 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन की ₹ 1,58.82 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54- लोक निर्माण विभाग (अधिक्षान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है। वास्तविक व्यय में वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 17.76 लाख भी सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 37.54 लाख (₹ 1,58.82 लाख + ₹ 17.76 लाख – ₹ 1,39.04 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 8.90 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी थी।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr & % yk[k #lk; ka e9%

2216- आवास—

01- सरकारी रिहायशी भवन—

700- अन्य आवास—

03- निर्माण—

मूल	57.90				
पुनर्विनियोग	-17.05		40.85	40.45	-0.40

₹ 17.05 लाख की कुल कमी में से, ₹ 7.05 लाख का अभ्यर्पण तथा विनियोग में ₹ 10.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

2059- लोक निर्माण कार्य—

01- कार्यालय भवन—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

03- रखरखाव तथा मरम्मत—

मूल	2,03.97				
पुनर्विनियोग	6.37		2,10.34	2,06.77	-3.57

₹ 6.37 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 3.63 लाख का अभ्यर्पण तथा विनियोग में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

800- अन्य व्यय—

01- निर्माण

.. 22.44 +22.44

वास्तविक व्यय के वर्ष 1994-95 आकस्मिकता निधि—प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित है।

intxr&

nRrer&

- (ix) ₹ 3,99,97.37 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन की ₹ 2,65.62 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54- लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (x) व्यय दल्तमत प्रावधान से ₹ 3,59,47,07,743 (₹ 3,62,12,69,807 - ₹ 2,65,62,064) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (xi) ₹ 3,59,47.08 लाख के अन्तिम व्याधिक्य को देखते हुये, ₹ 10,79.67 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (xii) ₹ 3,59,47.08 लाख के अन्तिम व्याधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 3,79.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(xiii) व्याधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ :—

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr &
 % yk[k #lk; ka egl%

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

06- निर्माण—लोक निर्माण—

मूल	30.03				
पुनर्विनियोग	22.37		52.40	40.36	-12.04

₹ 22.37 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 0.04 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 22.41 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

60- अन्य भवन—

799- उचन्ता—

03- भण्डार उचन्ता	..	2,13,94.60	+2,13,94.60
-------------------	----	------------	-------------

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 2,01,14.64 लाख, ₹ 3,29,00.54 लाख तथा ₹ 4,13,88.08 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

04- विविध कार्य अग्रिम	..	1,56,29.64	+1,56,29.64
------------------------	----	------------	-------------

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 2,33,54.99 लाख, ₹ 3,10,62.78 लाख तथा ₹ 3,54,82.84 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

80- सामान्य—

051- निर्माण—

23- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में

अधिकारी हास्टल /ट्रांजिट

हास्टल का निर्माण (चालू कार्य)—

मूल	2,00.00			
पुनर्विनियोग	63.27	2,63.27	2.89.60	+26.33

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 26.33 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 63.27 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(xiv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr & % yk[k #lk; ka egl

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

04- अम्बेडकर नगर में सर्किट

हाउस का निर्माण-

मूल	3,50.00				+20.00
पुनर्विभाग	-1,50.00		2,00.00	2,20.00	

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 20.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1,50.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- प्रदेश के निरीक्षण गृहों

के जीर्णोद्धार का कार्य	25.00	10.95	-14.05
-------------------------	-------	-------	--------

21- निरीक्षण भवनों/सर्किट

हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण-

मूल	15,00.00			+1,31.02
पुनर्विभाग	-3,55.24	11,44.76	12,75.78	

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,15.98 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 3,55.24 लाख की कुल कमी में से, ₹ 2,69.56 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 85.68 लाख की

कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

22- राज्य के विभिन्न जनपदों में

अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट

हास्टल का निर्माण-

मूल	2,99.99			+5.96
पुनर्विभाग	-2,40.43	59.56	65.52	

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5.96 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 2,40.43 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; ka e@%

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय—

01- सरकारी रिहायशी भवन—

106- साधारण पूल आवास—

03- निर्माण—लोक निर्माण —

मूल	10,00.00			
पूरक	3,79.63	9,60.00	10,70.93	+1,10.93
पुनर्विद्यु	-4,19.63			

वास्तविक व्यय में प्रोटोटा समायोजन के ₹ 97.36 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 4,19.63 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

- (xv) ₹ 54.10 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 71.85 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (xvi) ₹ 54.10 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 1,57.65 लाख का अनुपूरक विनियोग अधिक सिद्ध हुआ।
- (xvii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; ka e@%

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

80- सामान्य—

051- निर्माण—

20- राजभवन, लखनऊ परिसर

में विभिन्न निर्माण कार्य—

मूल	32.85			
पूरक	1,57.65	1,18.65	1,36.46	+17.81
पुनर्विद्यु	-71.85			

₹ 71.85 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(xviii) mpurr yu&nu %

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 3,70.24 करोड़ सम्मिलित हैं।

उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 96- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

2009-2010 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

mpUlr 'kh"kl **4059&ykdl fuekZk dk; l i j i wthxr ifj0; ; ** ds
vUrxlr o"kl 2009-2010 ds nk§ku fd;s x; s yu&nu dk fooj.k

' kh"kl	1 vi §y 2009	uke§	tek	fuoy	31 ekpl 2010
dk§ vUfn 'k§k (ukes + tek &)				dk vUlr 'k§k (ukes + tek &)	

॥ yk[k #lk; k§ e§ ॥

उचन्त स्टाक	+3,29.15	2,13,94.60	2,20,91.81	-6,97.21	-3,68.06
कार्यशाला					
उचन्त	+4,89.93	+4,89.93
विविध निर्माण					
कार्य पेशगियां	+1,03,08.62	1,56,29.64	1,71,07.32	-14,77.68	+88,30.94
; k§x					
	+1,11,27.70	3,70,24.24	3,91,99.13	-21,74.89	+89,52.81

vunku | a[; k 56&ykd fuekZ k foHkkx ¼fo'ks= dk; de ½

eq; 'kh"kz	dy vunku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
------------	--------------------------	--------------	------------------------

jktLo&

2216- आवास तथा

2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

nRrer&

मूल	25,00,00			
पूरक	..	25,00,00	24,16,80	-83,20
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

i Hkkfj r&

मूल	..			
पूरक	24,32	+24,32
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

i nthxr&

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	3,00,00,01			
पूरक	13,93,14	3,13,93,15	3,02,42,59	-11,50,56
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

fVif.k; ka , o@ Vhdk; &

jkTkLo&

nRrer&

- (i) ₹ 83.20 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

i Hkkfj r&

- (ii) ₹ 24.32 लाख का वास्तविक व्यय वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित हैं।

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl	dly fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

% yk[k #lk; k[e g%

2216- आवास-

01- सरकारी आवासीय भवन-

700- अन्य आवास-

06- निर्माण

.. 24.32 +24.32

वास्तविक व्यय वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित हैं।

i nthxr&

nRrer&

- (iv) ₹ 11,50.56 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (v) ₹ 11,50.56 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 13,93.14 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

% yk[k #lk; k[e g%

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

800- अन्य व्यय-

07- पूर्वाचल की विशेष योजनाओं

पर पूंजीगत परिव्यय के चालू

कार्य 90,00.00 80,31.91 -9,68.09

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

800- अन्य व्यय-

03- पूर्वाचल की विशेष योजनाओं

पर पूंजीगत परिव्यय 25,00.00 29,40.19 +4,40.19

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 57&ykd fuekZ k foHkkx ½ | pkj | k/ku&I s½ ½

eq; ' kh"kl

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

अधिक व्यय +
बचत -

(हजार रुपयों में)

jktLo&

3054- सङ्क तथा सेतु

nRrer&

मूल	11,00,00		11,00,00	11,80,45	+80,45
पूरक

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

intxr&

5054- सङ्कों तथा सेतुओं पर
पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	6,20,42,92		6,20,42,92	5,91,85,87	-28,57,05
पूरक	..				74,05,65

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 11,80.45 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन ₹ 1,06.74 लाख की धनराशि के सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिकारी) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (ii) ₹ 26.29 लाख (₹ 1,06.74 लाख – ₹ 80.45 लाख ½ की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

½ yk[k #lk; ka e½

3054- सङ्क तथा सेतु-

04- जिला तथा अन्य सङ्क-

800- अन्य व्यय-

03- नावों के पुल और

नौधाट

4,00.00

4,27.65

+27.65

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 38.88 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

04- पुलों का अनुरक्षण और

मरम्मत

7,00.00

7,52.80

+52.80

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 67.86 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i nthx &

nRrer &

- (iv) ₹ 5,91,85.87 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 53,82.91 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54- लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (v) ₹ 82,39.96 लाख (₹ 53,82.91 लाख + ₹ 28,57.05 लाख½ की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 74,05.65 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

% yk[k #lk; ka egl%

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर

पूँजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़कें

101- सेतु—

34- नाबाड़ पोषित आर0 आई0 डी0

एफ0 के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं
के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था—

मूल	40,00.00	27,14.10	28,06.74	+92.64
पुनर्विं0	-12,85.90			

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2,55.16 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 12,85.90 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

35- राज्य सेक्टर (सामान्य) निर्माण के

अन्तर्गत नये सेतुओं के निर्माण

कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान—

मूल	40,00.00	38,50.00	36,88.65	-1,61.35
पुनर्विं0	-1,50.00			

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3,37.70 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के

मार्गों पर नये सेतुओं का

निर्माण (नाबाड़ पोषित) —

मूल	1,27,14.00	67,44.25	76,12.98	+8,68.73
पुनर्विं0	-59,69.75			

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 6,92.09 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 59,69.75 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; ka egl%

97- बाह्य सहायित योजनायें	32,00.00	27,50.00	-4,50.00
---------------------------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2,50.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर

पूँजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़कों—

101- सेतु—

04- सामान्य सेतु निर्माण

(राज्य सेक्टर) (01-04-97

के बाद के कार्य)

2,00,28.92	2,24,17.51	+23,88.59
------------	------------	-----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 20,37.96 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

05- रेलवे उपरिगामी सेतु

1,81,00.00	1,99,10.00	+18,10.00
------------	------------	-----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 18,10.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

vupku | ; k 58&ykd fuekz k foHkkx ¼ | pkj | k/ku&l Mdi ½

eq; ' kh" kz
d y vupku okLrfod 0; ;
; k
fofu; kx
vf/kd 0; ; \$
cpr &
% g t k j # lk; k e s %

jktLo&

3054- सङ्क तथा सेतु

nRrer&

मूल	12,84,37,86			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		12,84,37,86	14,16,77,34	+1,32,39,48

i Hkkfj r&

मूल	5,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		5,00	..	-5,00

i vthxr&

5054- सङ्कों तथा सेतुओं पर

पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	27,63,04,76			
पूरक	3,40,92,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		31,03,96,76	42,44,80,46	+11,40,83,70

i Hkkfj r&

मूल	5,50,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		5,50,00	4,31,18	-1,18,82

fVif.k; ka , oVhdik; &

jTkLo&

nRrer&

- ₹ 14,16,77,33,731 के वास्तविक व्यय में प्रोटोटो समायोजन के ₹ 1,28,74,51,264 की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिकार) में मुख्य शीर्ष 2059—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 3,64,96,467 (₹ 1,32,39,47,731 - ₹ 1,28,74,51,264) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- ₹ 3,64.96 लाख के अन्तिम व्याधिक्य को देखते हुये, ₹ 2,70.88 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(iv) व्याधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

'kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ;
vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #lk; ka e% %

3054- सङ्क तथा सेतु—

04- जिला तथा अन्य सङ्क—

337- सङ्क निर्माण कार्य—

03- अनुरक्षण तथा मरम्मत—

मूल	2,77,68.00				+40,35.35
पुनर्वि०	-14.66	2,77,53.34	3,17,88.70		

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 28,89.88 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 14.66 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- राज्य सङ्क निधि के

अन्तर्गत सङ्कों का

अनुरक्षण	10,00,00.00	10,94,35.76	+94,35.76
----------	-------------	-------------	-----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 99,49.28 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

07- अनुरक्षण तथा मरम्मत—

मूल	3,50.00				+38.69
पुनर्वि०	-5.90	3,44.10	3,82.79		

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 34.80 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 5.90 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत / व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

3054- सङ्क तथा सेतु—

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

08- वर्ष 2009 - 2010 में

भारतीय सङ्क कांग्रेस
के 70 वें अधिवेशन का
आयोजन—

मूल	2,50.00			
पुनर्वि०	-2,50.00

₹ 2,50.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

i Hkkfj r &

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		%"yk[k #lk; kae@%	

3054- सङ्क तथा सेतु-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

04- न्यायालय की आज्ञाप्रियों

का भुगतान-

मूल	5.00	[
पुनर्विद्या	-5.00	

₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(vii) उत्तर प्रदेश सङ्क तथा सेतु निधि से किया गया व्यय :-

यह निधि राज्य में सङ्कों और संचार साधनों के विकास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए बनायी गयी थी। यह निधि मोटर गाड़ियों पर करों से होने वाली आय से बनी है जिसे “अनुदान संख्या 43— परिवहन विभाग” के नामे डाल कर इस निधि में जमा किया जाता है। सङ्कों और संचार साधनों पर वास्तविक व्यय को इन अनुदानों में की गयी धन व्यवस्था के मुकाबले पहले मुख्य शीर्ष “3054—सङ्क तथा सेतु” तथा “3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन” “अनुदान संख्या 2— आवास विभाग” तथा “अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)” के नामें डाला जाता है तथा बाद में वर्ष के लेखे बन्द होने से पहले उक्त निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिये धन जुटाने के लिए सरकार 21 जुलाई 1956 के बाद यातायात के लिए खोले गये ऐसे स्थायी पुलों से पथ करों की वसूली करती है जो कि राज्य लोक-निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन है। इनकी प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष “1054—सङ्क तथा सेतु” में जमा किया जाता है और 1 अप्रैल 1959 से इसके बराबर राशि को इस अनुदान (मुख्य शीर्ष 3054— सङ्क तथा सेतु) के नामें डालते हुए उपरोक्त निधि में अन्तरित किया जाता है। पुलों पर वास्तविक व्यय को जिसे इस निधि से पूरा करने का निर्णय किया जाता है, शुरू में इस अनुदान के अधीन पुस्तांकित किया जाता है और बाद में उस वर्ष के लेखे बन्द करने से पहले इस निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान निधि में न ही कोई धनराशि जमा की गई और न ही निधि से कोई व्यय किया गया।

31 मार्च 2010 का निधि में ₹ 9,98.41 करोड़ जमा शेष था।

(viii) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता :-

मोटर स्प्रिट पर उत्पाद एवं आयात शुल्क में वृद्धि से वसूल किया गया अतिरिक्त राजस्व भारत सरकार द्वारा बनायी गयी केन्द्रीय सड़क निधि में जमा किया जाता है, इस निधि में से राज्यों के सड़क विकास की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर व्यय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि को भारत सरकार से प्राप्त कर अनुदानों के रूप में राज्य सरकार के लेखे में जमा किया जाता है और साथ ही साथ इसके बराबर राशि को इस अनुदान (अनुदान सुंख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के नामे डालते हुए निष्क्रेप लेखा “केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता” में जमा किया जाता है।

सड़क विकास योजनाओं पर वास्तविक व्यय को शुरू में इस अनुदान के अधीन पुस्तांकित किया जाता है और बाद में इसे जमा लेखे में अन्तरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2010 का निधि में जमा शेष ₹ 81.08 करोड़ था।

वर्ष के दौरान जमा लेखे में लेन-देन का व्यौरा वित्त लेखे 2009-10 के विवरण संख्या 16 में दिया गया है।

in thxr&
nRrer&

- (ix) ₹ 42,44,80,46,440 के वास्तविक व्यय में वर्ष 1994-95 के आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 1,74,88,000 सम्मिलित हैं, इसमें प्रोराटा समायोजन की धनराशि ₹ 2,54,87,07,444 भी सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54- लोक निर्माण विभाग (अधिकार) में मुख्य शीर्ष 2059—लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।

(x) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 8,84,21,74,996 { ₹ 11,40,83,70,440 – (₹ 1,74,88,000 + ₹ 2,54,87,07,444) } अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(xi) ₹ 8,84,21.75 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 1,29,05.41 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(xii) ₹ 8,84,21.75 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 3,40,92.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(xiii) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

' kh"kl dly vurnku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr & % yk[k #lk; k[e g%
%

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर

पूंजीगत परिव्यय—

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- राज्य राज मार्गों का

निर्माण कार्य-

মূল	2,30,00.00			
পুনর্বিন্দি	13,00.00	2,43,00.00	2,66,57.23	+23,57.23

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 24,23.39 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 13,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; k[e g%

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त	..	6,29,79.02	+6,29,79.02
2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 4,28,17.68 लाख, ₹ 6,63,26.70 लाख तथा ₹ 8,17,30.66 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।			
04- विविध कार्य अग्रिम	..	5,00,51.54	+5,00,51.54
2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 4,05,89.50 लाख, ₹ 5,81,62.16 लाख तथा ₹ 6,75,83.09 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।			
04- जिला तथा अन्य सङ्कें-			
337- सङ्क निर्माण कार्य-			
05- उत्तर प्रदेश व्यापार			
विकास निधि से व्यय	2,36,00.00	2,37,49.94	+1,49.94
13- एक मुश्त व्यवस्था-			
मूल 9,89,54.74			
पूरक 3,10,92.00			
पुनर्विनियोग 71,30.01	13,71,76.75	15,09,80.61	+1,38,03.86
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,37,24.38 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 71,30.01 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 74,40.69 लाख की वृद्धि तथा ₹ 3,10.68 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
33- नई सङ्कों/पुलों			
का निर्माण .. 1,74.88			+1,74.88
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि-प्रतिपूर्ति वर्ष 1994-95 से सम्बन्धित है।			
57- राज्य सङ्क निधि के			
अन्तर्गत सङ्कों का			
निर्माण/सुदृढ़ीकरण 3,00,00.00 3,28,31.39			+28,31.39
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 29,84.67 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
63- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में			
मार्गों तथा लघु सेतुओं के निर्माण के चालू			
कार्यों हेतु व्यवस्था 50,00.00 54,86.31			+4,86.31
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 4,98.76 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
65- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में			
ग्रामीण मार्गों तथा लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु			
एक मुश्त व्यवस्था 40,00.00 43,91.96			+3,91.96
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3,99.26 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; kse%

74- मान्यवर श्री कांशीराम जी

शहरी समग्र विकास योजना
 के अन्तर्गत शहरी मार्गों का
 सुधार / पुनर्निर्माण के चालू
 कार्यों हेतु व्यवस्था—

मूल	0.01		39,13.15	35,31.32	-3,81.83
पुनर्विभाग	39,13.14				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 35.65 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 39,13.14 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 41,72.37 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,59.23 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

76- प्रदेश में नहरों के सेवा

मार्गों (पटरी) को पक्का
 करने के चालू कार्यों
 हेतु व्यवस्था—

मूल	20,00.00		24,77.72	26,83.02	+2,05.30
पुनर्विभाग	4,77.72				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2,43.91 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 4,77.72 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

97- बाह्य सहायतित

योजनायें—

पुनर्विभाग	2,00.00	2,00.00	0.11	-1,99.89
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के	₹ 0.01 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

04- केन्द्रीय सड़क निधि के

अन्तर्गत निर्माण कार्य—

मूल	3,00,00.00		3,25,00.00	3,17,67.90	-7,32.10
पुनर्विभाग	25,00.00				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 28,86.74 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 25,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत /बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #lk; k[e g%

69- यातायात की सुरक्षा के लिए

मार्गों के सुधार के नये कार्यों

हेतु एक मुश्त व्यवस्था –

मूल	2,00.00				+4.92
पुनर्विधि	-1,50.00	50.00	54.92		

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 4.99 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

72- प्रदेश में नहरों के सेवा

मार्गों (पटरी) को पवका

कराया जाना—

मूल	20,00.00				+70.51
पुनर्विधि	-11,10.00	8,90.00	9,60.51		

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 87.32 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 11,10.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

73- मार्गों के सुधार के चालू

कार्यों हेतु व्यवस्था—

मूल	2,00.00				+5.06
पुनर्विधि	-1,49.44	50.56	55.62		

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5.06 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 1,49.44 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

75- एक लाख से अधिक आबादी

वाले शहरों के बाईपास के

निर्माण के चालू कार्यों हेतु

व्यवस्था —

मूल	30,00.00				..
पुनर्विधि	-30,00.00

प्रावधान में ₹ 30,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr & % yk[k #lk; k[e g%

77- मान्यवर श्री कांशीराम जी

शहरी गरीब आवास योजना
 के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के
 निर्माण / पुर्ननिर्माण के नये
 कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	30,00.00
पुनर्विद्युत	-25,62.61

4.37.39 9,10.20 +4,72.81

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 84.26 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 25,62.61 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 25,41.72 लाख की कमी तथा ₹ 20.89 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- अन्तर्राज्यीय या आर्थिक

महत्व की सङ्केत—

337- सङ्केत निर्माण कार्य—

97- बाह्य सहायतित

योजनायें—

मूल	1,90,00.00
पूरक	-27,00.00

1,63,00.00 93,76.55 -69,23.45

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 8,52.41 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 27,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य—

004- अनुसंधान—

04- अनुसंधान संरक्षण तथा

क्वालिटी प्रमोशन सेल

की प्रयोगशालाओं का

सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण—

मूल	1,50.00
पुनर्विद्युत	-1,50.00

..

प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रत्येक वर्ष अप्रयुक्त था।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; kse g%

800- अन्य व्यय—

05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन

एवं नियोजन के कार्यो हेतु

एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	2,00.00				-8.51
पुनर्विभाग	-1,68.71	31.29	22.78		

प्रावधान में ₹ 1,68.71 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkkfj r&

(xv) बचत निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; kse g%

5054- सङ्कों तथा सेतुओं पर

पूंजीगत परिव्यय—

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- अन्य व्यय—

मूल	5,50.00				+0.05
पुनर्विभाग	-1,18.87	4,31.13	4,31.18		

₹ 1,18.87 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(xvi) mp/rr yu&nw %

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 11,30.31 करोड़ सम्मिलित हैं।

उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 96-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

2009-2010 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

mplJr 'kh"kl **5054&| Melka rFkk I svkij j i thxr ifj0; ; ** ds
vUrxr o"kl 2009-2010 ds nkjku fd;s x;s yu&nu dk fooj.k

' kh"kl	1 vi dy 2009	uke	tek	fuoy	31 ekpl 2010
dk s vlfn 'k;k (ukes + tek &)				dk vUrxr 'k;k (ukes + tek &)	

½ yk[k #lk; kse ½

उचन्त स्टाक	+44,24.94	6,29,79.02	6,00,61.30	+29,17.72	+73,42.66
विविध निर्माण					
कार्य पेशगियां	+73,80.92	5,00,51.54	5,09,58.65	-9,07.11	+64,73.81
कार्यशाला					
उचन्त	-2,44.75	-2,44.75*
;					
; kx	+1,15,61.11	11,30,30.56	11,10,19.95	+20,10.61	+1,35,71.72

* ऋणात्मक राशि की राज्य सरकार के साथ जांच की जा रही है।

vunku | a; k 59&ykd fuekZ k foHkkx 1jkt; | Ei fRr funs kky; 1/2

eq; 'kh"kZ dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
%gtkj #lk; ka ea%

jkLo&

- 2013- मंत्रि परिषद्,
- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2059- लोक निर्माण कार्य,
- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा
- 2216- आवास

nRrer&

मूल	90,79,12	90,94,30	84,53,34	-6,40,96
पूरक	15,18			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				2,96,10

intxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर
पूंजीगत परिव्यय तथा
- 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	90,67,02	1,02,47,02	1,04,50,35	+2,03,33
पूरक	11,80,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				2,34,07

fVif.k; ka , oVhdk; &

jkTkLo&

nRrer&

- (i) ₹ 6,40.96 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,96.10 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 6,40.96 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 15.18 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr & % yk[k #lk; ka e@%

2013- मंत्रि परिषद्—

800- अन्य व्यय—

03- मंत्रियों तथा उप

मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय—

मूल	9,50.00				
पुनर्विभाजित	-1,52.30	7,97.70	7,96.26		-1.44

₹ 1,52.30 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,31.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 21.30 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	4,21.09				
पुनर्विभाजित	-99.01	3,22.08	3,23.34		+1.26

₹ 99.01 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 66.68 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 32.33 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य—

01- कार्यालय भवन—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

03- रखरखाव तथा मरम्मत—

मूल	1,23.00				
पुनर्विभाजित	-0.25	1,22.75	1,03.37		-19.38

₹ 0.25 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

04- मुख्यमंत्री के आवासीय

कार्यालयों का रखरखाव	80.00	58.02		-21.98
----------------------	-------	-------	--	--------

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; ka e% %

80- सामान्य—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

04- विधायक निवासों की साज

सज्जा हेतु एकमुश्त व्यवस्था

मूल	56.00				
पुनर्विंग	-0.02		55.98	48.93	-7.05

₹ 0.02 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

06- अनावासीय भवनों का

रख रखाव तथा मरम्मत—

मूल	6,30.00				
पुनर्विंग	-0.10		6,29.90	3,33.85	-2,96.05

₹ 0.10 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

115- अतिथि गृह, सरकारी

हास्टल आदि—

03- विधायक निवासों में

भोजन प्रबन्ध व्यय—

मूल	92.76				
पुनर्विंग	-23.30		69.46	72.07	+2.61

₹ 23.30 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

2216- आवास—

01- सरकारी रिहायशी भवन—

700- अन्य आवास—

08- बटलर पैलेस एवं बादशाहनगर

कालोनी में सीवेज पम्पिंग

स्टेशन का रख रखाव व

संचालन कार्य

10.00 .. -10.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr & % yk[k #lk; ka e@%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवाये—

090- सचिवालय—

03- राज्य सम्पत्ति विभाग—

मूल	28,01.98		27,88.39	28,11.77	+23.38
पुनर्विंशति	-13.59				

₹ 13.59 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,75.00 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 0.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1,87.84 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

091- संलग्न कार्यालय—

03- राज्य सम्पत्ति निदेशालय—

मूल	1,47.98		1,67.18	1,67.41	+0.23
पुनर्विंशति	19.20				

₹ 19.20 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 22.68 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 3.48 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य—

80- सामान्य—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

05- विभाग के नियंत्रणाधीन

समस्त अतिथि गृहों के साज

सज्जा हेतु एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	60.00		60.73	68.53	+7.80
पुनर्विंशति	0.73				

₹ 0.73 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 0.75 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.02 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

2216- आवास—

01- सरकारी रिहायशी भवन—

700- अन्य आवास—

04- आवासीय भवनों का रख

रखाव तथा मरम्मत—

मूल	14,58.90		15,04.74	14,98.74	-6.00
पूरक	15.18				
पुनर्विंशति	30.66				

₹ 30.66 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 31.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.34 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

' kh"kl dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; ka e% %

07- लखनऊ (शहर) स्थित

राजकीय कर्मचारियों/
 अधिकारियों की राज्य
 सम्पत्ति विभाग की
 सरकारी आवासीय
 कालोनियों/भवन हेतु
 प्रावधान—

मूल	1,07.29			
पुनर्विंग	-0.01	1,07.28	1,13.28	+6.00

₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i nthxr&

nRrer&

(v) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 2,03,33,267 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

- (vi) ₹ 2,03.33 लाख के अन्तिम व्याधिक्य को देखते हुये, ₹ 2,34.07 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।
- (vii) ₹ 2,03.33 लाख के अन्तिम व्याधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 11,80.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (viii) व्याधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ :—

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूँजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

05- अन्य भवन—

मूल	10,87.00			
पुनर्विंग	98.04	11,85.04	16,88.04	+5,03.00

प्रावधान में ₹ 98.04 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 % yk[k #lk; ka e% %

80- सामान्य—

051- निर्माण—

03- अनावासीय भवनों के

जीर्णोद्धार एवं जल
 वितरण कार्य हेतु
 एकमुश्त प्रावधान—

मूल	0.01
पूरक	5,80.00
पुनर्विनियोग	2,26.51

₹ 2,26.51 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 3,29.30 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 98.04 लाख की कमी तथा ₹ 4.75 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

04- सचिवालय भवन—

मूल	41,70.00			
पुनर्विनियोग	-3,42.44	38,27.56	37,32.62	-94.94

₹ 3,42.44 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 6,18.23 लाख की कमी तथा ₹ 24.21 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

80- सामान्य—

051- निर्माण—

10- बटलर पैलेस वलब का उन्नयन/

जीर्णोद्धार तथा डालीबाग वलब

का निर्माण—

मूल	50.00			
पुनर्विनियोग	-31.93	18.07	18.07	..

₹ 31.93 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vunku l a; k 60 &ou foHkkx

eq; ' kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k	cpr&
	fofu; kx	
	%gtkj : lk; ka e%	

jktLo&

- 2052- सचिवालय—समान्य सेवायें,
- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
- 2406- वानिकी तथा वन्य जीव,
- 2407- बागान,
- 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा एवं
- 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

nRrer&

मूल	3,71,33,32				
पूरक	3,11,14				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		3,74,44,46	3,09,32,18	-65,12,28	

iHkkfj r&

मूल	13,70				
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		13,70	3,02	-10,68	9,92

iHkxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4216- आवास पर पूंजीगत पर परिव्यय,
- 4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4407- बागानों पर पूंजीगत परिव्यय एवं
- 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	1,66,17,85				
पूरक	71,36				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		1,66,89,21	1,64,04,53	-2,84,68	2,84,58

fVII f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 65,12.28 लाख की अंतिम बचत मे से, मात्र ₹ 63,58.92 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी ।
 - (ii) ₹ 65,12.28 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 3,11.14 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
 - (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हड्ड़:-

' kh"kl d^g vunku okLrfod Ø; ; vf/kd Ø; ; \$ cpr&

$$\forall yk[k : lk; k \in y]$$

2406- वानिकी तथा वन्य जीव,

01- वानिकी

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

মূল	2,30.86			
পুনর্বিন্দি	-93.48	1,37.38	1,76.38	+39.00

₹ 93.40 लाख की कुल बचत में से ₹ 4.98 लाख का अध्यर्पण व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहने एवं फोटोकापी मशीने कम दरों पर उपलब्ध हो जाने थे कारण था जबकि प्रावधान ₹ 88.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी अग्रेतर कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

07- वन विभाग का आधुनिकीकरण—

मूल	1,46.75			
		1,08.67	1,08.67	..
पुनर्विनापन	-38.08			

₹ 38.08 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति राशि सीमा तक वाहनों की क्रय के उपरांत अवशेष राशि थी।

09- वन विभाग का आधुनिकीकरण

(सी० सी० एल० प्रणाली)— 97.30 58.30 -39.00
 उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

'kh"kh7

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

$$\frac{1}{4} yk[k : lk; k] e^{\frac{1}{2}}$$

97- वाह्य सहायतित योजना-

মূল	54,90.00	
পুনর্বিন্দু	-54,90.00	

₹ 54,90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव परिक्षण-

09- उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि

মূল	5,00.00		
		2,50.00	2,50.00
পুনর্বিন	-2,50.00		.

₹ 2,50.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हआ ।

111- चिडिया घर-

03- प्रिंस आर्प वेल्स जुलोजिकल गार्डन, लखनऊ-

مُول	79.57		60.00	60.00
پُونارِ ویو	-19.57			

₹ 19.57 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

(iv) व्याधकिय मुख्यतः निम्न के अधीन हआः—

406- वानिकी त

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन

सामान्य निदेशन-				
मूल	1,89.51			
पार्टिंग	1,16.28	3,05.89	3,06.05	+0.16

रुपांप० 1,16.38]
₹ 1,16.38 लाख की शुद्ध प्रत्याशित वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,21.33 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 4.95 लाख का अर्भ्यपण वास्तविक व्यय के आधार पर हड्डा।

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ yk[k : lk; k e॥

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव परिरक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	4,93.09				
पूरक	63.57				
पुनर्विभाग	83.09				-4.26

प्रावधान में ₹ 83.09 लाख की शुद्ध वृद्धि में से ₹ 88.50 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 5.41 लाख का अभ्यर्पण वाहन का क्षय दूसरी योजना से कर लेने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i kkfj r&

(v) ₹10.68 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 9.92 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी थी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ yk[k : lk; k e॥

2406- वानिकी तथा वन्य जीव-

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- अधिष्ठान-

मूल	13.70				
पुनर्विभाग	-9.92				-0.76

₹ 9.92 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः

₹ 10.36 लाख (विनियोग का 76 प्रतिशत), ₹ 13.30 लाख (विनियोग का 97 प्रतिशत)

और ₹ 12.15 लाख (विनियोग का 89 प्रतिशत) की बचत थी।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i ~~thxr~~&
n~~rer~~&

- (vii) ₹ 2,84.68 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया
 ₹ 71.36 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (viii) बचत अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dy vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	-----------------------	-----------------------

॥ ykIk : lk; k e॥

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर

पूंजीगत परिव्यय,

01- वानिकी

102- समाज तथा फार्म वानिकी-

07- लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वानिकीकरण

मूल	1,00.00		56.08
पुनर्विंशति	-43.92		56.08

₹ 43.92 लाख की कुल बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 11.46 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 32.46 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ।

11- वृक्षावरण विस्तार योजना

(सी सी एल प्रणाली)-

मूल	30,00.00		26,16.88
पुनर्विंशति	-3,83.12		26,16.87

प्रावधान में ₹ 3,83.12 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	1,27.92		95.61
पुनर्विंशति	-32.31		98.31

₹ 32.31 लाख की कुल बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 32.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 0.06 लाख का अभ्यर्पण व्यय को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर ही रखने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत / व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2010)।

' kh"kz dʒy vunku okLrfod ə; ; vf/kd ə; ; \$ cpr&

$$\frac{1}{4} yk[k : lk; k] e^{\frac{1}{2}k}$$

06- वन विभाग का आधुनिकीकरण

(सी सी एल प्रणाली)–

مूल	1,98.72
پونڈیں	-1,98.72

₹ 1,98.72 लाख का अभ्यर्पण वित्त समिति द्वारा खर्चे का अनुमोदन न होने के कारण हुआ।

(ix) व्याधकिय निम्न के अधीन हुआ:-

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर

पूंजीगत परिव्यय—

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव-

05- झादी ताल संरक्षण योजना

(दुधवा टाईगर रिजर्व)

(सी सी एल प्रणाली)–

पुनर्विनियोग द्वारा किये गये प्रावधान के विरुद्ध व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

111- चिड़िया घर-

04- चिड़िया घर की स्थापना-

(सी सी एल प्रणाली)–

पुनर्विनियोग द्वारा किये गये प्रावधान के विरुद्ध व्यय के कारण सूचित नहीं
किये गये हैं।

vunku | a; k **61** &foRr foHkkx ¼_.k | ok rFkk vU; 0; ; ½

eq; ' kh"kl

dqy vunku
; k
fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

kgtkj : lk; ka e%

jktLo&

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर,

2048- ऋण घटाने या उसका परिहार
करने के लिये विनियोजन,

2049- ब्याज अदायगियां,

2052- सचिवालय—समान्य सेवायें,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2075- विविध—समान्य सेवायें,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2425- सहकारिता एवं

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

nRrer&

मूल	43,29,73,24	44,91,05,25	42,73,79,43	-2,17,25,82
पूरक	1,61,32,01			

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

2,18,14,98

i Hkfj r&

मूल	1,63,52,89,66	1,69,58,93,18	1,66,06,74,39	-3,52,18,79
पूरक	6,06,03,52			

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

1,23,11

i thxr&

4075- विविध—समान्य सेवाओं पर पूँजीगत
परिव्यय,

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण,

6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

6075- विविध समान्य सेवाओं के लिए कर्ज एवं

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

nRrer&

मूल	4,60,00,50	4,60,00,50	1,85,87,82	-2,74,12,68
पूरक	..			

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

2,69,39,72

(284)

ed[; ' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr&
	fofu; kx		
		yg tkj : lk; ka e%	
i hkkfj r&			
मूल	1,58,66,83,56		
पूरक	..	1,58,66,83,56	66,46,87,24
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)			-92,19,96,32
			90,41,69,79

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 2,17,25.82 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 2,18,14.98 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।
- (ii) ₹ 2,17,25.82 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,61,32.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यकता सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः : निम्न के अधीन हुईः-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		yg tkj : lk; ka e%	

2052- सचिवालय—समाच्य सेवायें,

800- अन्य व्यय—

04- वित्त विभाग में संस्थागत क्षमता

के विकास हेतु विश्व बैंक से तकनीकी

सहायता	11.00	..	-11.00
--------	-------	----	--------

05- गवर्नेंस प्लान के क्रियान्वयन

हेतु गवर्नेंस फण्ड	10,00.00	..	-10,00.00
--------------------	----------	----	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2010) ।

' kh"kz dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
% yk[k : lk; k e zh

2075- विविध-समान्य सेवायें-

190- सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों /
स्वायत्त संस्थाओं को सहायता—

03- राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकरणों /
निगमों / स्वायतशासी संस्थाओं तथा
सहकारी संस्थाओं के पुनर्वासन
हेतु अनुदान

মূল	5,00.00
পুনর্বিন্দি	-5,00.00

₹ 5,00,00 लाख का अभ्यर्पण विभागों से स्वीकृति हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हआ ।

(iv) व्याधकिय मुख्यतः निम्न के अधीन हआः—

2052- सचिवालय—समान्य सेवाये,

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भूगतान

25.85

31.14

+5.29

2075- विविध—समान्य सेवाये—

800- अन्य व्यय-

03- कालवाधित सरकारी प्रतिभतियों

पर ब्याज का भगतान—

0.01

59.74

+59.73

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सचित नहीं किये गये हैं (जन 2010)।

i Hkkfj r&

(v) ₹ 3,52,18.79 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,23.11लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) ₹ 3,52,18.79 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 6,06,03.52 लाख का अनुपूरक विनियोग अधिक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हई:-

'kh^hkz d^g okLrfod ə; ; vf/kd ə; ; \$
 f^gf^g; k^x y^gy^g : lk; k^ge^g cpr&

2049- ब्याज अदायगियां-

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-

101-- बाजार कर्ज़ों पर व्याज-

22- 10.82 % उ0 प्र0 राज्य विकास

ऋण 2011

32,68.15

16,47.29

-16,20.86

	dy fofu; kx	okLrfod 0; ; ykl : lk; kxe	vf/kd 0; ; \$ cpr&
24- वित्तीय वर्ष 2002-03 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	2,33,54.92	1,94,82.97	-38,71.95
26- वित्तीय वर्ष 2003-04 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	3,29,08.28	2,88,12.99	-40,95.29
31- वित्तीय वर्ष 2008-09 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज			
मूल 6,05,14.30		10,69,67.70	8,18,40.08
पूरक 4,64,53.40			-2,51,27.62
32- वित्तीय वर्ष 2008-09 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज			
मूल 1,97,76.01		2,58,05.00	1,19,67.50
पूरक 60,28.99			-1,38,37.50
200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
03- रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज—			
मूल 5,00.00		36.28	53.35
पुनर्विभाग -4,63.72			+17.07
₹ 4,63.72 लाख की कुल बचत में से, ₹ 51.60 लाख का अभ्यर्पण भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रत्याशा से कम रहने के कारण हुआ जबकि ₹ 4,12.12 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
11- मोन्टेक सिंह अहलूवालिया समिति की संस्तुतियों के क्रम में जारी ऊर्जा बंध पत्रों (धनराशि ₹ 587.86 करोड़) पर ब्याज	3,61,85.33	1,74,68.78	-1,87,16.55
03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज—			
104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज—			
03- भविष्य निधियाँ 12,30,00.00		12,14,89.22	-15,10.78
04- भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	20,00.00	8,66.40	-11,33.60

'kh"kl dly okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 fofu; kx cpr&
 % yk[k : lk; k e%

04- केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा

अग्रिमों पर ब्याज—

101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत

योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज—

03- एक मुश्त उधार—

पुनर्विंदि	3,53,11.24	3,53,11.24	..	-3,53,11.24
------------	------------	------------	----	-------------

₹ 3,53,11.24 लाख की शुद्ध पुनर्विनियोग में से, ₹ 3,60,95.43 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान

में की गयी वृद्धि तथा ₹ 7,84.19 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी कमी के कारण

सूचित नहीं किये गये हैं।

103- केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनागत

योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज—

03- ब्याज का भुगतान—

मूल	33,96.04	30,16.67	30,16.67	..
पुनर्विंदि	-3,79.37			

₹ 379.37 लाख की कुल बचत में से, ₹ 71.32 लाख का अभ्यपर्ण भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रत्याशा से कम रहने के कारण हुआ जबकि ₹ 3,08.05 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- आरक्षित निधियों पर ब्याज—

101- मूल्यहास नवीकरण आरक्षित

निधियों पर ब्याज—

03- जल विद्युत और नलकूप आदि के

मूल्य हास आरक्षित निधि पर

ब्याज	10,00.00	..	-10,00.00
-------	----------	----	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्याधिक्य/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2049- ब्याज अदायगियां—

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज—

101-- बाजार कर्जों पर ब्याज—

09- 11.50% उ0प्र0 राज्य विकास

ऋण, 2009	25,30.87	30,45.94	+5,15.07
----------	----------	----------	----------

11- 11.50% उ0प्र0 राज्य विकास

ऋण, 2010	22,36.42	36,65.85	+14,29.43
----------	----------	----------	-----------

18- उ0प्र0 राज्य विकास

ऋण, 2007	..	62.74	+62.74
----------	----	-------	--------

	dy fofu; kx	okLrfod 0; ; %	vf/kd 0; ; \$ cpr&
20- उ0प्र0 राज्य विकास			
ऋण, 2009	1,10,97.64	1,11,48.18	+50.54
21- उ0प्र0 राज्य विकास			
ऋण, 2010	1,82,03.55	1,93,05.96	+11,02.41
23- वित्तीय वर्ष 2001-02 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	2,20,88.15	2,43,68.70	+22,80.55
28- वित्तीय वर्ष 2005-06 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	2,37,47.26	2,75,41.57	+37,94.31
29- वित्तीय वर्ष 2006-07 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	2,67,10.04	4,20,67.51	+1,53,57.47
30- वित्तीय वर्ष 2007-08 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	3,62,23.50	5,67,76.21	+2,05,52.71
123- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज –			
04- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज –			
मूल 42,81,39.71			
पूरक 51,21.13	43,39,60.84	43,39,60.82	-0.02
पुनर्विर्ग 7,00.00			
₹ 7,00.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में की गयी वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज –			
04- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये ऋणों पर ब्याज –			
मूल 1,70,00.00			
पूरक 30,00.00	2,01,06.29	2,01,07.13	+0.84
पुनर्विर्ग 1,06.29			
₹ 1,06.29 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में की गयी वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
305- ऋण प्रबन्ध –			
03- ऋण प्रबन्ध पर व्यय –			
मूल 10,00.00			
पुनर्विर्ग 3,05.83	13,05.83	12,71.45	-34.38
₹ 3,05.83 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में की गयी वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

' kh"kz d^g okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 fofu; kx cpr&
 ¼ yk[k : lk; k^o e^z

03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों

आदि पर ब्याज—

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज—

07- सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधियों पर

ब्याज 6,00,00.00 6,05,82.93 +5,82.93

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य / बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

04- केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा

अग्रिमों पर ब्याज—

104- योजनेत्तर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज-

04- अन्य आयोजनेत्तर ऋणों पर ब्याज-

মূল	<i>10,63.99</i>			
		<i>14,56.23</i>	<i>14,56.23</i>	
পনর্বি০	<i>3,92.24</i>			..

₹ 3,92,24 लाख की पनर्विनियोग द्वारा विनियोग में की गयी वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये

1

introduction

nRrer&

(ix) ₹ 2,74,12.68 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,69,39.72 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(x) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हई:-

' kh"kz d̥y vunku okLrfod ɻ; ; vf/kd ɻ; ; \$
cpr&
14 Vf/k : lk: kze

4075- विविध-समान्य सेवाओं पर पंजीगत परिव्यय-

190- सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य

उपक्रमों से नितेश—

03- शास्त्रीय संस्कार के सार्वजनिक उपकरणों /

निगमों / स्वायत्रासी संस्थाओं तथा

सहकारी संस्थाओं के पनवासन

हेत अंशपंजी विनियोजन-

मुल 5.00.00

प्राचीन १.२३.३८

₹ 1,23,38 लाख का अस्तर्पण विभागों से स्थीकृति देते परिपक्व पञ्चांश पात्र न होने के कारण इस।

'kh"kl
dly
fofu; kx
okLrfod 0; ;
vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ yk[k : lk; k e॥

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय

अग्रिम—

03- अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान—

मूल	1,00,00,00.00			
पुनर्विभाग	-90,40,04.00	9,59,96.00	9,59,96.00	..

₹ 90,40,04.00 लाख का अभ्यर्पण भारतीय रिजर्व बैंक में अर्थोपाय अग्रिम प्रत्याशा से कम रहने के कारण हुआ ।

6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—

04- केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज—

800- अन्य कर्ज—

11- आवास छोटे/मध्य नगरों का विकास

मूल	9,91.01			
पुनर्विभाग	-1,80.30	8,10.71	8,10.71	..

₹ 1,80.30 लाख की कुल बचत में से ₹ 1,65.55 लाख का अभ्यर्पण भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रत्याशा से कम रहने के कारण था जबकि ₹ 14.75 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में की गयी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

(xiii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—

800- अन्य कर्ज—

03- अन्य कर्ज— 5,87,18.60 5,87,52.97 +34.37

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—

01- आयोजनेत्तर कर्ज

201- आवास निर्माण अग्रिम—

03- आवास निर्माण अग्रिम—

मूल	76.90			
पुनर्विभाग	11.11	88.01	88.01	..

₹ 11.11 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में की गयी वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

' kh"kl dly okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 fofu; kx cpr&

॥ yk[k : lk; k e॥

800- अन्य कर्ज—

03- अन्य कर्ज—

मूल	5,01.41			
पुनर्विभाग	1,80.30	6,81.71	6,81.71	..

₹ 1,80.30 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में की गयी वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

04- क्रन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज—

800- अन्य कर्ज—

12- फसल कृषि कर्म—

मूल	5,08.66			
पुनर्विभाग	45.36	5,54.02	5,54.02	..

₹ 45.36 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में की गयी वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

vunku | ; k 62 &forr foHkkx %vf/ko"kl HkRrs rFkk i d ku%

eq; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr&
	fofu; kx		
		%gtkj : lk; ka e	

jktLo&

2049- ब्याज अदायगियां,

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ एवं

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	87,86,82,75			
पूरक	4,33,36,00	92,20,18,75	91,42,34,93	-77,83,82
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				2,81,57,99

i Hkkfj r&

मूल	17,54,67			
पूरक	..	17,54,67	7,84,63	-9,70,04
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				15,12,01

i thxr&

6075- विविध समान्य सेवाओं के लिए कर्ज

nRrer&

मूल	1,50,00,00			
पूरक	..	1,50,00,00	56,44,91	-93,55,09

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 77,83.82 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 2,81,57.99 लाख का अभ्यर्पण

न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) ₹ 77,83.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया

₹ 4,33,36.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई

' kh"kl

dyv vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

% yk[k : lk; k e%

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति

हित लाभ—

01- सिविल—

101- अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते—

04- जल निगम के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की

राजकीय सेवा के लिए अंशदान—

मूल	10,00.00		9,49.18	..	-9,49.18
पुनर्विभ	-50.82				

₹ 50.82 लाख का अभ्यर्पण कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हुआ ।

103- अनुकम्पा भत्ता

03- अनुकम्पा भत्ता— 44.68 4.23 -40.45

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण

संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन—

04- सहायता प्राप्त अशासकीय

महाविद्यालयों के शिक्षण / शिक्षणेत्तर

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति सुविधायें—

मूल	2,86,15.00		2,33,84,18	2,29,52.42	-4,31.76
पुनर्विभ	-52,30.82				

₹ 52,30.82 लाख का अभ्यर्पण कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हुआ ।

05- राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन—

मूल	81,49.00		80,60.23	54,33.22	-26,27.01
पुनर्विभ	-88.77				

₹ 88.77 लाख का अभ्यर्पण कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हुआ ।

07- राज्याधीन इंजीनियरिंग कालेजों के

शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को

सेवानिवृत्ति सुविधायें

मूल	18,23.00		11,56.35	8,57.70	-2,98.65
पुनर्विभ	-6,66.65				

₹ 6,66.65 लाख का अभ्यर्पण कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हुआ ।

' kh"kz dʒy vupku okLrfod ə; vf/kd ə; ; \$ cpr&

$\frac{1}{4} yk[k : lk; k] e^{\frac{1}{2}}$

10- सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के सेवानिवृत्ति शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति सुविधायें

मूल	13,96.00			
		24,64.00	20,90.45	-3,73.55
पुरक	10,68.00			

111- विधायकों को पेंशन-

03- विधायकों को पेंशन— राज्य

विधान सभा के सदस्य—

मूल	20,43.00			
पुनर्विद्या	-6,13.17	14,29.83	17,60.98	+3,31.15

₹ 6,13.17 लाख का अभ्यर्पण कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हुआ ।

117- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए

सरकारी अंशदान—

03- राज्य सरकार का अंशदान-

مُول	1,44,00.00			
		74,81.41	0.51	-74,80.90
پنڈیو	-69,18.59			

₹ 69,18,59 लाख का अभ्यर्पण कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हआ।

800- अन्य व्यय-

03- ਤੱਤਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ / ਤੁਲਚਿਤਰ ਨਾਗਰਿਕ

सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को धरेल

सेवक भत्ता—

मूल	3,00.00			
पन्निंग	-2.1981	80.19	..	-80.19

₹ 2,19,81 लाख का अस्यर्पण कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हआ।

08- अशाक्तता पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर

三

A horizontal number line with tick marks at -10.00, 0, and 10.00. Above the line, there is an open bracket spanning from -10.00 to 10.00. The label 'mool' is positioned above the tick mark for -10.00, and the label 'prantik' is positioned above the tick mark for 10.00.

₹10.00 लाख का अभारी कम पक्षा पाव दोबे के कला हआ।

' kh"kz dʒy vupku okLrfod ə; vf/kd ə; ; \$ cpr&

$$\frac{1}{4} yk[k : lk; k] e^{\frac{y}{2}}$$

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम—

104- निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना—सरकारी

भविष्य निधि—

03- जमा सम्बद्ध बीमा योजना-

مُول	15,09.00			
پُونر्विं	-7,89.12	7,19.88	7,19.38	-0.50

₹ 7,89.12 लाख का अभ्यर्पण कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

071- पेंशन तथा

01- सिविल-

104- उपदान-

उपदान-				
मूल	10,74,32.00			
पूरक	1,61,68.00	12,19,32.71	12,39,02.14	+19,69.43
पनर्विंग	-16.67.29			

₹ 16,67,29 लाख का अभ्यर्पण के कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हआ।

105- ਪਿੰਡਾਤ ਪੇਂਥਾਨ-

03- ਪਟਿਆਲ ਪੇਂਥਾਨ— 12.56.39.00 12.97.05.17

140 66 17

109- राज्य से सहायता पाने वाली शिक्षण

संख्याओं के कर्मचारियों को मेंशन-

03 महाराष्ट्रा प्रावि अधिकारीय उच्चालय

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षणोक्तर

कर्मचारियों को जेलान्वित हित उत्पन्न हाये—

मूल	14,22,93.00		13,82,73.77	15,53,25.27	+1,70,51.50
पनर्वि०	-40,19,23				

₹ 40,19,23 लाख का अभ्यर्पण के कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हआ।

06- अशासकीय बहुधंधी संस्थाओं के शिक्षकों

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को

ਪੰਨਾ

4 74 00

25 56 62

+20 82 62

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ yk[k : lk; k e॥

08- राज्याधीन कृषि विश्वविद्यालयों एवं इलाहाबाद

कृषि संस्थान के शिक्षकों / शिक्षणैत्तर कर्मचारियों
को सेवानिवृत्ति सुविधाएं—

मूल	8,05.00			
पुनर्विभाग	-2,35.15	5,69.85	10,17.32	+4,47.47

₹ 2,35.15 लाख का अभ्यर्पण के कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हुआ ।

09- पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों
को पेंशन

82.00 2,34.50 +1,52.50

115- छुट्टी नगदीकरण हितलाभ—

03- सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण—

मूल	6,02,17.00			
पुनर्विभाग	-1,48.76	6,00,68.24	6,51,45.96	+50,77.72

₹ 1,48.76 लाख का अभ्यर्पण के कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय

04- राज्य सरकार के सेवा निवृत्ति कर्मचारियों

एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के
अधीन सेवा निवृत्ति अखिल भारतीय सेवाओं
के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित
सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार

हेंतु सहायता 22,41.00 74,86.31 +52,45.31

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2010)।

i kkfj r&

(v) ₹ 9,70.04 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 15,12.01 लाख का अभ्यर्पण
न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः:

निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl

dly fofu; kx okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

4/ yk[k : lk; k e

2049- ब्याज अदायगियां—

03- अल्प बचतों भविष्य निधियों

आदि पर ब्याज—

117- अंशदायी पेंशन स्कीम

पर ब्याज—

03- निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना

निधि में जमा राशि पर ब्याज—

मूल	15,00.00				
पुनर्विभ	-13,53.98				
₹ 13,53.98 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।		1,46.02	6,98.50	+5,52.48	

60- अन्य दायित्वों पर ब्याज—

701- विविध—

04- पेंशन के देर से अदायगी के कारण ब्याज

आदि का भुगतान	56.60	32.95	-23.65
---------------	-------	-------	--------

05- मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात देय अवकाश

नगदीकरण के देर से अदायगी पर ब्याज—

मूल	7.00			
पुनर्विभ	-6.66			
₹ 6.66 लाख का अभ्यर्पण भुगतान के लिए कोई प्रकरण प्राप्त न होने के कारण था।		0.34	0.81	+0.47

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2010)।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति

हित लाभ—

01- सिविल—

106- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के

संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार—

03- पेंशन तथा उपादान के अंशदान—

मूल	1,50.00			
पुनर्विभ	-1,50.00			
₹ 1,50.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।	

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

' kh"kl	dy fofu; kx okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
		/% yk[k : lk; k e%

2049- ब्याज अदायगियां—

60- अन्य दायित्वों पर ब्याज—

701- विविध—

03- मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपादान पेंशन के देर से अदायगी के कारण ब्याज का

भुगतान	39.70	52.37	+12.67
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।			

i thxr&

nRrer&

(vii) ₹ 93,55.09 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(ix) बचत निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
		/% yk[k : lk; k e%

6075- विविध समान्य सेवाओं के लिए कर्ज—

800- अन्य ऋण—

03- रुग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा

निवृत्ति योजना हेतु कर्ज—	1,50,00.00	56,44.91	-93,55.09
---------------------------	------------	----------	-----------

2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः

₹ 51,52.56 लाख (प्रावधान का 52 प्रतिशत), ₹ 45,53.29 लाख (प्रावधान का 91 प्रतिशत) और ₹ 53,01.96 लाख (प्रावधान का 53 प्रतिशत) की बचत थी।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

vunku | q; k 63 & foRr foHkkx
 %dk\$kkxkj rFkk ys[kk i t kkI u%

ed; 'kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ; ; k fofu; kx	vf/kd 0; ; \$ cpr& <i>Ygtkj : lk; ka e%</i>
------------	--	---

jktLo&

2052- सविवालय—समान्य सेवायें एवं

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन

nRrer&

मूल	1,20,72,49				
पूरक	..	1,20,72,49	1,14,50,52	-6,21,97	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				6,15,48	

i Hkkfj r&

मूल	I				
पूरक	..	I	..	-I	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				I	

intxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	2,71,71				
पूरक	..	2,71,71	1,64,40	-1,07,31	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				1,07,31	

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 6,21.97 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 6,15.48 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी ।

,
(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vuŋku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
--------	----------	--------------	-----------------------

॥ yk[k : lk; k̤ e॥

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

003- प्रशिक्षण-

03- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं

शोध संस्थान-

मूल	2,98.79		2,65.64	2,66.06	+0.42
पुनर्विं	-33.15				

₹ 33.15 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, प्रशिक्षण भत्ते के पुनरीक्षण न होने, प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित होने, मितव्ययिता के कारण और वास्तविकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i n̤thxr&

nRrer&

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

03- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,

उत्तर प्रदेश में प्रेक्षागृह का निर्माण-

मूल	2,69.71		1.62,41	1,62.41	..
पुनर्विं	-1,07.30				

₹ 1,07.30 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः निदेशक आवास तथा क्लब भवन के निर्माण न होने के कारण हुआ।

vunku | a[; k 65 &foRr foHkkx %ys[kk ijh{kk] vYi cpr vkn%

ed[; 'kh"kl

dly vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

%gtkj : lk;k e%

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद्,

2047- अन्य राजकोषीय सेवायें,

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2075- विविध—सामान्य सेवायें,

2425- सहकारिता एवं

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	1,37,51,25				
पूरक	23,30	1,37,74,55	1,27,87,00	-9,87,55	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				10,50,35	

i thxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	8,50				
पूरक	..	8,50	7,76	-74	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				73	

fVif.k; ka , o@ Vhdk; &

jktLo

nRrer&

(i) ₹ 1,27,87.00 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 1996-97 की आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 0.07 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 9,87.62 लाख (₹ 9,87.55 लाख + ₹ 0.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये ₹ 10,50.35 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था एवं व्यय केन्द्रिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(iii) ₹ 9,87.62 लाख की अन्तिम बचतको देखते हुये, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 23.30 लाख का अनुपुरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यथावश्यकता सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr& % yk[k : lk; ka e%

2047- अन्य राजकोषीय सेवायें-

103- अल्प बचतों की अभिवृद्धि-

03- राज्य अल्प बचत संगठन-

मूल	13,50.47			
पुनर्विभाग	-1,51.56	11,98.91	12,05.10	+6.19

(i) ₹ 1,51.56 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की आकस्मिकता मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति होने, डाक वितरण हेतु अन्य विभागों के कर्मचारी उपलब्ध न होने, आपूर्ति बाधित रहने के कारण जनपदीय कार्यालयों में विद्युत मांग में कमी आगे कम्प्यूटरी करण के कारण जनपद(मण्डल कार्यालयों में लेखनसामग्री की मांग कम होने इन कार्यालयों में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध न होने, कुछ वाहनों के निष्प्रयोज्य हो जाने से डीजल पेट्रोल की खपत में कमी आने, राष्ट्रीय बचत के प्रचार की आवश्यकता न होने, पुरस्कार स्वीकृत न होने, परिपक्व चित्तिसा देयकों के दावे उपलब्ध न होने, रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों को वर्दी देय न होने तथा मितव्यता के कारण हुआ

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

090- सेवाये-

03- वित्त विभाग में कम्प्यूटरीकरण-

मूल	18.50			
पुनर्विभाग	-6.73	11.77	11.77	..

₹ 6.73 लाख का अभ्यर्पण उपयोग न होने कारण हुआ।

091- संलग्न कार्यालय

05- अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो

मूल	81.05			
पुनर्विभाग	-15.93	65.12	66.78	+1.66

₹ 15.93 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर था।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-

03- आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय-

मूल	1,65.51			
पुनर्विभाग	-23.32	1,42.19	1,42.10	-0.09

₹ 23.32 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण तथा वास्तविकता के आधार पर था।

(305)

' kh"kl

dly vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

॥ ykIk : lk; ka e॥

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

105- विशेष जांच आयोग—

03- राज्य आयोग और समितियां—

मूल	79.84				
पुनर्विदी	-14.20	65.64	66.90	+1.26	

₹ 14.20 लाख की कुल बचत में से ₹ 10.05 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2425- सहकारिता—

101- सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा—

03- सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान—

मूल	55,48.19				
पुनर्विदी	-6,89.01	48,59.18	48,51.56	-7,62	

₹ 6,89.08 लाख का अभ्यर्पण मकान मालिकों द्वारा बिजली का बिल समय पर प्रस्तुत न करने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(v) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- लाटरी निदेशालय—

मूल	95.59				
पुनर्विदी	-11.12	84.47	95.67	+11.20	

₹ 11.12 लाख का अभ्यर्पण कर्मचारियों की तैनाती अन्य इकाइयों में होने जल संस्थान सें बिल प्राप्त न होने, भवन एवं पानी की टंकी की मरम्मत न होने, कर्मचारियों को वर्दी देय न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | a; k 66 & foRr foHkkx ॥ kefgd chekh
 eq; ' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 ; k cpr&
 fofu; kx *Agtkj : lk; ka e॥*

jktLo&

- 2049- ब्याज अदायगियां,
 2052- सचिवालय—समान्य सेवायें एवं
 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	2,17,37			
पूरक	..	2,17,37	2,11,40	-5,97
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				5,90

i Hkkfj r&

मूल	1,31,48,90			
पूरक	..	1,31,48,90	1,31,51,77	+2,87
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				I

i thxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	75,46			
पूरक	..	75,46	70,80	-4,66
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				4,66

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

i Hkkfj r&

(i) वास्तविक व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 2,86,71 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(ii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr& *kykIk : lk; ka e॥*

- 2049- ब्याज अदायगियां—

03- अल्प बचतों भविष्य निधियों आदि पर ब्याज

108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज—

03- कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना

पर ब्याज 1,31,48.89 1,31,51.77 +2.88
 उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 67 & fo/kku i fj "kn- | fpoky;

eq; 'kh"kl	dy vunku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
<i>kg tij : lk; ka e</i>			

jktLo&

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल,

2052- सचिवालय—समान्य सेवायें,

2059- लोक निर्माण कार्य एवं

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	21,97,90			
पूरक	..	21,97,90	18,82,87	-3,15,03
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				3,15,14

i Hkkfj r&

मूल	46,54			
पूरक	..	46,54	30,57	-15,97
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				15,96

i thxr&

6210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के

लिए कर्ज और

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

nRrer&

मूल	6,00			
पूरक	10,00	16,00	10,00	-6,00
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				6,00

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 3,15.03 लाख की बचत को देखते हुए, ₹ 3,15.14 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अंतर्गत लघु व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः
निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dly vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	------------------------	-----------------------

॥ yk[k : lk; k e॥

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान

मंडल—

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल—

102- विधान परिषद्—

03- विधान परिषद्—

मूल	10,26.51		
पुनर्विभाग	-1,89.19		

₹ 1,89.19 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंकित व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	1,78.96		
पुनर्विभाग	-36.10		

₹ 36.10 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

i ॥ yk[k : lk; k e॥

(iii) बचत निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dly fofu; kx okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	---------------------------	-----------------------

॥ yk[k : lk; k e॥

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विधान मंडल—

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल—

102- विधान परिषद्—

03- विधान परिषद्—

मूल	46.54		
पुनर्विभाग	-15.96		

₹ 15.96 लाख का अभ्यर्पण मात्र उपाध्यक्ष महोदय का पद रिक्त रहने के कारण हुआ।

vunku | ; k 68 & fo/kku | Hkk | fpoky;

ed; 'kh"kl	dy vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k	cpr&
	fofu; kx	

%gtkj : lk; k e%

jktLo&

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
विधान मंडल,

2052- सचिवालय-समान्य सेवायें,

2059- लोक निर्माण कार्य और

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	56,79,14			
पूरक	41,35	57,20,49	53,96,33	-3,24,16
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				3,25,70

i Hkkfjr&

मूल	61,00			
पूरक	..	61,00	35,44	-25,56
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				24,13

i thxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

6210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के

लिए कर्ज और

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

nRrer&

मूल	4,60,55			
पूरक	40,00	5,00,55	4,89,65	-10,90
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				12,00

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 3,24.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 और फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 41.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथावश्यकता सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आशिंक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः:

निम्न के अधीन हुई:-

' klt"kl	dly vunku	okLrfod l; ;	vf/kd l; ; \$
			cpr&

% yk[k : lk; lk e%

2052- सचिवालय—समान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	3,21.94			
पुनर्विभाग	-3,21.94			

₹ 3,21.94 लाख की कुल बचत में से ₹ 1,00.94 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के हुआ ₹ 2,21.00 लाख के पुनर्विभाग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम—

200- अन्य कार्यक्रम—

05- सदस्यता की अवधि के दौरान मृत विधान सभा सदस्यों के आश्रितों को एकमुश्त वित्तीय सहायता—

मूल	25.00			
पुनर्विभाग	-20.00			

₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विधान मंडल—

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल—

103- विधान मंडल सचिवालय—

03- विधान सभा सचिवालय—

मूल	16,44.05			
पुनर्विभाग	2,14.39			

₹ 2,14.39 लाख की कुल वृद्धि में से पुनर्विभाग द्वारा प्रावधान की गई ₹ 2,56.92 लाख की वृद्धि एवं ₹ 12.31 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 30.22 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्त रहने के कारण था।

i Hkkfj r&

(iv) ₹ 25.56 लाख की कुल बचत में से, ₹ 24.13 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित थी ।

(v) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dly fofu; kx okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr&

% yk[k : lk; k e%

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

03- विधान सभा-

मूल	61.00	36.87	35.44
पुनर्विभाग	-24.13		-1.43

₹ 24.13 लाख का अभ्यर्पण माननीय उपसमाप्ति महोदय का पद रिक्त रहने के कारण हुआ

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुन 2010)।

i Hkkfj r&

(vi) ₹ 10.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये ₹ 12.00 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं

था एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।

(vii) ₹ 10.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 40.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(viii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dly vunku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr&

% yk[k : lk; k e%

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-

201- भवन निर्माण अग्रिम-

03- राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व

सदस्यों को आवास हेतु ऋण-

मूल	6.00	..	1.10
पुनर्विभाग	-6.00		+1.10

₹ 6.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी इस शीर्ष के अंतर्गत कमशः ₹ 90.00 लाख एवं

₹ 6.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा ।

202- मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम-

03- राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व

सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए ऋण-

मूल	6.00
पुनर्विभाग	-6.00		

₹ 6.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 19.85 लाख (प्रावधान का 99 प्रतिशत) एवं ₹ 6.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान की बचत थी।

vupku | q; k 70 & foKku , oa i kS| kfxdh foHkkx

eq; ' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
-------------	----------	--------------	-----------------------

%gtkj : lk; kse

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2810- अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत और

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

nRrer&

मूल	31,14,37			
पूरक	16,64,05			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		47,78,42	42,51,87	-5,26,55

4,91,96

iWthxr&

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान

पर पूँजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	..			
पूरक	10,00	10,00	10,00	..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 5,26.55 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 4,91.96 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 5,26.55 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 16,64.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	-----------	--------------	-----------------------

1/4 yk[k : lk; k e%

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान

मूल	1,08.49
पुनर्विद्युत	-1,08.49

छठें वेतन आयोग लागू किये जाने से देय बकायों का भुगतान स्थगित कर दिये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा ।

2810- अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत —

02- सौर—

101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम—

03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत—

मूल	15,55.00			
पूरक	2,63.00	15,94.53	16,07.06	+12.53
पुनर्विद्युत	-2,23.47			

₹ 2,23.47 लाख का अभ्यर्पण लाभार्थियों द्वारा सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना स्थगित कर देने एवं नेडा कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के बकाये का भुगतान न करने के कारण हुआ ।

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान—

60- अन्य—

200- अन्य वैज्ञानिक निकायों की सहायता—

05- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत

मूल	6,15.36			
पूरक	1,60.00	7,75.36	6,15.36	-1,60.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

vunku | a; k 71 & f' k{kk foHkkx %i kfKfed f' k{kk%

eq; 'kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

%gtkj : lk; ka e%

jktLo&

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ,

2202- सामान्य शिक्षा तथा

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें

nRrer&

मूल	1,22,96,16,64			
पूरक	10,00,00	1,23,06,16,64	1,09,92,71,26	-13,13,45,38

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

i thxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	8,34,30			
पूरक	1,00,00	9,34,30	7,78,09	-1,56,21

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

fVlif.k; ka , o a Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 13,13,45.38 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 13,13,45.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यकता सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

%yklk : lk; ka e%

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-

01- सिविल-

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन-

03- पेंशन आदि का भुगतान- 14,37,56.56 11,90,10.41 -2,47,46.15

2202- सामान्य शिक्षा—

01- प्रारम्भिक शिक्षा—

053- भवनों का अनुरक्षण—

04- प्राइमरी तथा जूँहां स्कूलों के भवनों का रख रखाव हेतु

एक मुश्त प्राविधान—

मूल	5,00.00			
पुनर्विद्या	-4.24	4,95.76	8.41	4,87.35

प्राविधान में ₹ 4.24 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को

सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें	13,75,65.65	12,18,35.13	-1,57,30.52
----------------------	-------------	-------------	-------------

14- सहायता प्राप्त उमातो विद्यालयों से सबद्ध

प्राइमरी प्रभाग को सहायक

अनुदान	39,90.75	34,99.61	-4,91.14
--------	----------	----------	----------

105- अनौपचारिक शिक्षा—

10- प्रौढ़ शिक्षा के अधीन सम्पूर्ण साक्षरता

अभियान (सी-67% एस-33%)	10,00.00	5,00.00	-5,00.00
------------------------	----------	---------	----------

109- छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन—

04- प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 तक के

बच्चों को पन्द्रह रुपये प्रतिमाह की दर

से 3 वर्ष के लिये योग्यता

छात्रवृत्ति (जिला योजना)	40.00	16.23	-23.77
--------------------------	-------	-------	--------

112- विद्यालयों में मध्याहन भोजन का राष्ट्रीय

कार्यक्रम —

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें	9,27,06.00	5,45,91.15	-3,81,14.85
----------------------	------------	------------	-------------

03- मिड डे मील योजना	3,58,47.00	2,45,85.29	-1,12,61.71
----------------------	------------	------------	-------------

800- अन्य व्यय—

04- अवशेषों का भुगतान—

मूल	12,91,14.47		
पुनर्विद्या	-9,42,22.06	3,48,92.41	3,58.14

प्राविधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,42,22.06 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये

गये हैं।

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

% yk[k : lk; k e%

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

06- परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक
विद्यालयों में छात्रों एवं विद्यालयों की

डिजीटल फोटोग्राफी 2,00.00 62.67 -1,37.33

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2202- सामान्य शिक्षा—

01- प्रारम्भिक शिक्षा—

102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालय को

सहायता—

05- मा० कांशीराम जी शहरी समग्र

विकास योजना 0.01 4.83 +4.82

07- बे० शि० परिषद के मुख्यालयों/क्षेत्रीय

कार्यालयों तथा प्रा० विद्यालयों और सहायता

प्राप्त जू० हा० वि० एवं के० जी०/नर्सरी

विद्यालयों को सहायता—

मूल	66,55,69.87	75,55,69.87	75,05,01.06	-50,68.81
-----	-------------	-------------	-------------	-----------

पुनर्वि० 9,00,00.00]

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,00,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर

शिक्षा 0.01 4,63.22 +4,63.21

15- गैर सरकारी मा० विद्यालयों को संबद्ध

प्राइमरी कक्षाओं हेतु सहायक अनुदान

(बालक) 49,78.93 50,47.77 +68.84

23- शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान

(जिला योजना)—

मूल	26,68.68	68,90.74	64,16.64	-4,74.10
-----	----------	----------	----------	----------

पुनर्वि० 42,22.06]

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42,22.06 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ ykfk : lk; ka e॥

27- सामान्य वर्ग के कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण—

मूल	11,88.00				
पूरक	5,00.00	16,88.00	21,00.85	+4,12.85	

800- अन्य व्यय—

03- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना में राज्य सरकार का अंशदान 41.95 62.11 +20.16 उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

intx&

nRrer&

(v) ₹ 1,56.21 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) ₹ 1,56.21 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यकता सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(vii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4202- शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पर पूँजीगत परिव्यय—

01- सामान्य शिक्षा—

201- प्रारम्भिक शिक्षा—

05- बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अग्नि शमन यंत्र—

पूरक	1,00.00	1,00.00	..	-1,00.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।				

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl	dy vurku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

॥ yk[k : lk; ka e॥

4202- शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर

पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्रारम्भिक शिक्षा-

03- जिलो में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के
कार्यालय भवनों का निर्माण

(जिला योजना)	98.60	1,05.25	+6.65
--------------	-------	---------	-------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vupku | a[; k 72 & f' k{kk foHkkx %ek/; fed f' k{kk%
 vupku | a[; k 72 & f' k{kk foHkkx %ek/; fed f' k{kk%

ed[; 'kh"kz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

; k

fofu; kx

cpr&

%gtkj : lk; k e%

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद,

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति

हित लाभ,

2202- सामान्य शिक्षा,

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें तथा

2205- कला एवं संस्कृति

nRrer&

मूल

48,24,84,49

49,42,91,31

46,84,56,11

-2,58,35,20

पूरक

1,18,06,82

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i Hkkfj r&

मूल

2,70

2,70

-2,70

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i Hkxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल

45,73,90

51,23,90

47,55,94

-3,67,96

पूरक

5,50,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

(i) ₹ 2,58,35.20 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 2,58,35.20 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 और फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,18,06.82 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

% yk[k : lk; ka e%

2202- सामान्य शिक्षा—

02- माध्यमिक शिक्षा—

101- निदेशन तथा प्रशासन (क्रमशः)—

05- व्यवसायिक शिक्षा योजना

के अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय

मे व्यवसायिक प्रकोष्ठ की

स्थापना

19.27

10.70

-8.57

107- छात्रवृत्तियों—

11- ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) के

प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय

छात्रवृत्तियां

24.00

5.84

-18.16

13- हाई स्कूल और इन्टर छात्र वृत्तियों की

दरों में वृद्धि

मूल

40.00

30.44

7.44

-23.00

पुनर्विद्या

-9.56

प्रावधान में पुनर्विद्यायोजन द्वारा ₹ 9.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

14- मा० शिक्षा परिषद की हाई स्कूल तथा

इन्टर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त

करने वाले परिक्षार्थियों को विशेष

ौक्षिक सुविधाये—

6.96

..

-6.96

18- प्रदेश के मैदानी जिले में कक्षा 6-8 में

15 रुपये प्रतिमास की दर से 3 वर्ष के

लिये योग्यता छात्रवृत्ति

45.00

17.46

-27.54

108- परीक्षाएं—

05- पत्राचार शिक्षा संस्थान

1,91.16

1,58.13

-33.03

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल

8,19.37

13,19.37

4,30.00

-8,89.37

पुनर्विद्या

5,00.00

प्रावधान में पुनर्विद्यायोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

• kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

$$\frac{1}{4} yk[k : lk; k] e^{\frac{y}{2}}$$

04- सन्त रविदास एवं अम्बेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरेवली, बिजनौर का प्रान्तीयकरण—

पुरक 88.57 88.57 56.72 -31.85

06- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों
में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये
विषयों का समावेश (जिला योजना)

08- राजकीय हाईस्कूलों का इंटर स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)–

मल 3.91.33

परक	20,00.00	23,91.33	12,44.60	-11,46.73
-----	----------	----------	----------	-----------

26- असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय हाईस्कूल (बालक / बालिका)की स्थापना तथा राजकीय कन्या जू० हाई स्कूल(बालक / बालिका)का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण (जिला योजना)

110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों
को सहायता-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा परोनिधानित योजनाएं—

मूल	48,05.62
पूरक	5,00.00
पुनर्विनापन	-5,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों
में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान
हेतु व्यवस्था (जिला योजना)

800- अन्य व्यय-

20- अवशेषों का भूगतान—

मूल	6,89,98.27
पूरक	10,10.00
पुनर्विदो	-5,54.57

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,54.57 लाख की कर्मी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

॥ yk[k : lk; ka e॥

2205- कला एवं संस्कृति—

105- सार्वजनिक पुस्तकालय—

08- वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का
विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना

(जिला योजना) 2,49.02 1,95.92 -53.10

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण
सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2071- पेशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ

01- सिविल—

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के
कर्मचारियों का पेंशन—03- सैनिक स्कूल लखनऊ के कर्मचारियों को
पेंशन का भुगतान—

मूल	54.00			
पुनर्विद्वान्	11.00	65.00	81.39	+16.39

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2202- सामान्य शिक्षा—

02- माध्यमिक शिक्षा —

104- अध्यापक तथा अन्य सेवायें—

04- माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन

बोर्ड की स्थापना 0.01 2,01.01 +2,01.00

110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों

को सहायता—

03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों

को सहायक अनुदान (बालक) 31,15,07.52 34,64,36.51 +3,49,28.99

04- ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों से सहायता प्राप्त
उमातीविद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं
के लिये विशेष सुविधा हेतु अनावर्तक अनुदान
(जिला योजना)

42.00 46.33 +4.33

05- सहायक प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों

के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण 5.00 14.80 +9.80

11- अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को
अनुदान सूची में लाने हेतु अनुदान

0.01 11.94 +11.93

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

॥ yk[k : lk; ka e॥

800- अन्य व्यय—

03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान—	23.54	4,98.74	+4,75.20
07- बिड़ला विद्या मन्दिर नैनीताल को अनुदान	0.01	13.02	+13.01
08- आचार्य नरेन्द्रदेव पुस्तकालय, लखनऊ को सहायता	2.00	8.94	+6.94
10- राजाराममोहन राय पुस्तकालय संस्थान कलकत्ता को सहायक	50.00	1,03.48	+53.48
12- उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल समिति को सहायक अनुदान—			
मूल	1,74.21		
पूरक	6,06.21		
पुनर्विनियोग	43.57		
		8,23.99	7,88.09
			-35.90
₹ 43.57 लाख की वृद्धि में से ₹ 54.57 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किय गये हैं।			
15- राजमुक्त विद्यालय परिषद	1,22.88	1,75.96	+53.08
05- भाषा विकास—			
001- निदेशन तथा प्रशासन			
03- उर्दू निदेशन	22.96	1,14.21	+91.25
102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का सम्बर्धन—			
03- गैरसरकारी उमा विद्यालयों में दूसरी भाषा पढ़ाने हेतु अनुदान	0.54	2,13.18	+2,12.64
103- संस्कृत शिक्षा—			
03- राजकीय संस्कृत पाठशाला उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।	19.57	24.89	+5.32

intlxr&

nRrer&

- (v) ₹ 3,67.96 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 3,67.96 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

% ykfk : lk; k e%

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

202- माध्यमिक शिक्षा-

03- राजकीय उठ माठ विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन

के लिये सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण
(जिला योजना)

58.00 34.31 -23.69

04- माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों

में स्कूटिनी हालो का निर्माण-

पूरक 40.00 40.00 .. -40.00

07- असेवित विकास खण्डां के लिए निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा

कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु

अनावर्तक अनुदान 1,00.00 90.00 -10.00

19- ग्रामीण क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा माध्यमिक

विद्यालयों की स्थापना-

मूल	5,00.00	1,42.18	..	-1,42.18
पुनर्विभाग	-3,57.82			

प्रावधान में पुनर्विभाग द्वारा ₹ 3,57.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(xi) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

202- माध्यमिक शिक्षा-

06- जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय

भवनों का निर्माण (जिला योजना)

मूल	1,37.80	4,95.62	4,95.62	..
पुनर्विभाग	3,57.82			

प्रावधान में पुनर्विभाग द्वारा ₹ 3,57.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vupku | ; k 73 & f' k{kk foHkkx 1/mPp f' k{kk/

eq[; 'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr&
	fofu; kk		
		1g tklj : lk; ka e\$	

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद,

2202- सामान्य शिक्षा तथा

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें

nRrer&

मूल	11,39,36,95			
पूरक	5,01	11,39,41,96	10,45,91,78	-93,50,18
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				1,22,55,58

i Hkfj r&

मूल	1			
पूरक	..	1	..	-1
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2009)				1

i thxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	71,71,03			
पूरक	1,00,00	72,71,03	52,16,50	-20,54,53
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				20,54,53

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 93,50.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 1,22,55.58 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।
- (ii) ₹ 93,50.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 5.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(326)

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	-----------	--------------	-----------------------

॥ yk[k : lk; k e॥

2202- सामान्य शिक्षा-

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

102- विश्वविद्यालयों को सहायता-

06- विश्वविद्यालयों में आन लाइन एजूकेशन

संचालित किया जाना-

मूल	4,00.00		0.50	2.50	+2.00
पुनर्विभाग	-3,99.50				

₹ 3,99.50 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

20- लखनऊ विश्वविद्यालय को कला एवं

शिल्प महाविद्यालय हेतु अनुदान-

मूल	98.01		98.00	54.66	-43.34
पुनर्विभाग	-0.01				

₹ 0.01 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पण की गई थी।

40- राज्य विश्वविद्यालयों की आथिक कठिनाइयों

के निराकरण हेतु अतिरिक्त अनुरक्षण

अनुदान	3,24.99	2,29.20	-95.79
--------	---------	---------	--------

43- शिक्षण शुल्क जून 1995 के स्तर पर लिए

जाने से विश्वविद्यालयों की आय में कमी

की प्रतिपूर्ति-

मूल	4,94.78		4,94.76	3,20.84	-1,73.92
पुनर्विभाग	-0.02				

₹ 0.02 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गई थी।

48- इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो/गाइडेंस सेल/प्लेसमेन्ट

सेल की स्थापना-

मूल	3,00.00		85.65	85.65	..
पुनर्विभाग	-2,14.35				

₹ 2,14.35 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ yk[k : lk; k e॥

49- सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना—

मूल	7,50.00			
पुनर्विभाग	-2,15.65	5,34.35	5,34.35	..

₹ 2,15.65 लाख अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान—

05- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में

सेमिनार तथा सिम्पोजियम—				
मूल	16.50
पुनर्विभाग	-16.50

₹ 16.50 लाख का अभ्यर्पण सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को

सहायता—				
05- पंचशील डिग्री कालेज आगरा—				
मूल	99.00

पुनर्विभाग	-99.00
------------	--------	----	----	----

₹ 99.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने कारण हुआ।

06- प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में

सेमिनार तथा सिम्पोजियम—				
मूल	16.50
पुनर्विभाग	-16.50

₹ 16.50 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने कारण हुआ।

107- छात्रवृत्तियां—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	13,26.01
पुनर्विभाग	-13,26.01

₹ 13,26.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ ykIk : lk; k e॥

800- अन्य व्यय—

05- अवशेषों का भुगतान—

मूल	1,70,63.77				
पुनर्विद्या	-65,55.63	1,05,08.14	95,72.74		-9,35.40

₹ 65,55.63 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने तथा वित्तीय सहायता जारी होने के न कारण हुआ।

09- पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद—

मूल	62.32				
पुनर्विद्या	-10.68	51.64	51.51		-0.13

₹ 10.68 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें—

102- विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम—

03- छात्र कल्याण निधि से पोषित कार्यक्रमों

के लिए अनुदान

मूल	20.00				
पुनर्विद्या	-20.00

₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2202- सामान्य शिक्षा—

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ,

गोरखपुर, कानपुर, बरेली, वाराणसी, झौसी, आगरा

और मेरठ—

मूल	1,90.72				
पुनर्विद्या	29.31	2,20.03	2,16.67		-3.36

₹ 29.31 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 15.69 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ जबकि प्रावधान में ₹ 45.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ yk[k : lk; k e॥

102- विश्वविद्यालयों को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

योजनायें—

मूल	0.01			
पूरक	0.01			
पुनर्विभाजित	-0.02			

₹ 0.02 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गई थी ।

04- लखनऊ विश्वविद्यालय

16,14.41 32,36.35 +16,21.94

09- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

5,04.50 9,47.50 +4,43.00

11- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय—

मूल	3,05.03			
पुनर्विभाजित	-0.02			

₹ 0.02 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गयी थी

12- काशी विद्यापीठ—

मूल	3,93.21			
पुनर्विभाजित	-0.01			

₹ 0.01 लाख का सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गयी थी ।

33- अन्तर्विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता के

आयोजन हेतु अनुदान—

मूल	10.00			
पुनर्विभाजित	3.00			

प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान—

04- राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण

एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों

का समावेश—

मूल	2,63.01			
पुनर्विभाजित	77.41			

₹ 77.41 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 32.59 लाख का अभ्यर्पण मांग के अनुसार खर्च होने के कारण हुआ प्रावधान में ₹ 1,10.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

(330)

' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ yk[k : lk: k e॥

06- राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

मूल	2,46.85			
पुनर्विनाश	35.78	2,82.63	2,71.87	-10.76

₹ 35.78 लाख की शुद्ध वृद्धि में से जबकि, ₹ 14.22 लाख का अभ्यर्पण मांग के अनुसार खर्च होने के कारण हुआ जबकि प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

03- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा

आयोग को अनुदान	35.00	7,94.37	+7,59.37
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।			

i thxr&

nRrer&

(v) ₹ 20,54.53 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुईः—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

01- सामान्य शिक्षा—

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा—

04- नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना—

मूल	10,00.00			
पुनर्विनाश	-5,78.29	4,21.71	4,57.00	+35.29

₹ 5,78.29 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 3,43.27 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 2,35.02 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

09- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का

निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण—

मूल	5,00.00			
पुनर्विनाश	-2,32.53	2,67.47	2,67.47	..

₹ 2,32.53 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,52.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 80.03 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

॥ ykIk : lk; k e॥

15- राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत

सुविधाओं हेतु व्यवस्था-

मूल	4,00.00			
		1,63.44	1,63.44	..
पुनर्विभाग	-2,36.56			

₹ 2,36.56 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 18.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 2,18.11 लाख का अभ्यर्पण सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

17- राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

मूल	70.00			
	
पुनर्विभाग	-70.00			

₹ 70.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

19- राज्य विश्वविद्यालयों को चालू भवन

निर्माण एवं अन्य विकास कार्या हेतु

अनुदान-

मूल	12,00.00			
		6,09.66	6,09.66	..
पुनर्विभाग	-5,90.34			

₹ 5,90.34 लाख का अभ्यर्पण सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

21- अशासकीय महाविद्यालयों में आधारभूत

सुविधाओं का विस्तार-

मूल	10,00.00			
	
पुनर्विभाग	-10,00.00			

₹ 10,00.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 7,60.00 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में रुपये 2,40.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

23- प्रदेश के राजकीय स्नातकोत्तर/स्नातक

महाविद्यालयों में आन लाइन एजूकेशन

संचालित किया जाना-

मूल	1,00.00			
	
पुनर्विभाग	-1,00.00			

₹ 1,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआः—

' kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	-----------	--------------	-----------------------

॥ yk[k : lk; k e॥

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय—

01- सामान्य शिक्षा—

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा—

05- कठिपय राजकीय महाविद्यालयों के

निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना—

मूल	10,00.00		14,15.06	13,79.77	-35.29
पुनर्विनियोग	4,15.06				

प्रावधान में ₹ 4,15.06 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

06- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय

हेतु भूमि कर्य/भवन निर्माण—

मूल	1,00.00		1,99.16	1,99.16	..
पुनर्विनियोग	99.16				

प्रावधान में ₹ 99.16 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

20- प्रदेश में निजी प्रबंध तत्रों/संस्थाओं

असैवित क्षेत्रों विद्यालय खोलने हेतु

अनुदान—

मूल	10,00.00		12,40.00	12,40.00	..
पुनर्विनियोग	2,40.00				

प्रावधान में ₹ 2,40.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vupku | a; k 75 &f' k{kk foHkkx 1j kT; 'ks{kcd vud vkkku , oa i f' k{kk. k i f' "kn%

ed; 'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;
		vf/kd 0; ; \$ cpr&

%gtkj : lk; k e%

jktLo&

2202- सामान्य शिक्षा

nRrer&

मूल	97,12,79			
पूरक	25,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च, 2010)		97,37,79	81,64,32	-15,73,47

16,63,50

i thxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—

nRrer&

मूल	10,04			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च, 2010)		10,04	16,00	+5,96

10,04

fVif.k; ka , oa Vhdङ्ग;

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 81,64.32 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2007-08 और 2008-09 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 36.07 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं। ₹ 16,09.54 लाख (₹ 15,73.47 लाख + ₹ 36.07 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुये ₹ 16,63.50 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था ।
- (ii) ₹16,09.54 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 25.00 लाख अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr& *% yk[k : lk; ka e%*

2202- सामान्य शिक्षा-

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	69,40.67		54,73.68	56,50.65	+1,76.97
पुनर्विभाजित	-14,66.99				

₹ 14,66.99 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 77.73 लाख की कमी तथा

₹ 13,89.26 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

05- राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, उत्तर प्रदेश

लखनऊ के कार्मिकों के वेतनादि एवं अन्य

मदों हेतु व्यवस्था-

मूल	2,11.62		1,70.91	1,72.32	+1.41
पूरक	25.00				
पुनर्विभाजित	-65.71				

₹ 65.71 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- अवशेषों का भुगतान-

मूल	13,25.93		10,63.65	8,83.96	-1,79.69
पुनर्विभाजित	-2,62.28				

₹ 2,62.28 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से ₹ 1,64.26 लाख के अभ्यर्पण के कारण

₹ 1,64.26 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2010)

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2202- सामान्य शिक्षा-

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

03- परिषद का प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद-

मूल	1,76.74		1,69.69	2,13.17	+43.48
पुनर्विभाजित	-7.05				

₹ 7.05 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(335)
 ' kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr&

% ykfk : lk; k ekk

04- परिषद का हिन्दी भाषा विभाग

राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी—

मूल	49.94				
पुनर्विंग	-0.94		49.00	52.44	+3.44

₹ 0.94 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- परिषद का अंग्रेजी विभाग / आंगल

भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद—

मूल	57.63				
पुनर्विंग	-3.84		53.79	65.81	+12.02

₹ 3.84 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- परिषद का दृश्य श्रव्य शिक्षा अनुभाग

शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद—

मूल	16.04				
पुनर्विंग	7.98		24.02	22.01	-2.01

प्रावधान में ₹ 7.98 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

09- राजकीय प्रशिक्षण संस्थाये (प्राथमिक)

(पुरुष / महिला) —

मूल	1,80.71				
पुनर्विंग	13.85		1,94.56	2,10.34	+15.78

₹ 13.85 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16.35 लाख की वृद्धि और

₹ 2.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

15- गैर सरकारी शारीरिक प्रशिक्षण

संस्थाओं को सहायता— 13.79 16.30 +2.51

20- कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन

(सी० टी० ई०) —

मूल	1,30.98				
पुनर्विंग	29.08		1,60.06	1,52.00	-8.06

₹ 29.08 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, पृनविनियोजन द्वारा ₹ 41.97 लाख की वृद्धि और

₹ 12.89 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dʒy vupku okLrfod ə; vf/kd ə; ; \$ cpr&

$$\frac{1}{4} yk[k : lk; k] e^{\frac{1}{2}}$$

004- शोध-

03- परिषद का मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निदेशन

विभाग मनोविज्ञान शाखा इलाहाबाद—

মূল	1,84.52			
পুনর্বিন্দু	34.25	2,18.77	2,26.28	+7.51

₹ 34.25 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34.75 लाख की वृद्धि और ₹ 0.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	53.48		1,05.08	1,31.25	+26.17
पनर्वि०	51.60				

₹ 51.60 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 58.20 लाख की वृद्धि तथा ₹ 6.60 लाख के अर्पण के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2010)

intxr&

nRrer&

- (v) ₹ 16.00 लाख का वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशेधन से सम्बंधित है। ₹ 10.04 लाख (₹ 16.00 लाख – ₹ 5.96 लाख) की अंतिम बचत अभ्यर्पित कर दी गई थी।

(vi) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ –

4202- શક્ષા, ખલકૂદ, કલા તથા સરકૃત પર

पूजागत पारव्यय-

०१- सामान्य शिक्षा-

201- प्रारम्भिक शिक्षा-

01- कन्द्राय आयाजनागत / कन्द्र द्वारा

पुरानंधानत याजनाय—

মূল	10.04		..	16.00	+16.00
পুনর্বিন্দি	-10.04				

₹ 16.00 लाख को वास्तविक व्यय वर्ष 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित हैं ।

vupku | a; k 76 & Je foHkkx (Je dY; k.k)

ed[; 'kh"kl	dY vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
--------------	----------	--------------	-----------------------

¼ gtlj #i; ka eß ½

jktLo&

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं

2230- श्रम तथा रोजगार

nRrer&

मूल	1,48,70,46		1,60,27,86	1,57,21,97	-3,05,89
पूरक	11,57,40				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)					4,16,85

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 3,05.89 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 4,16.85 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत

नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था ।

(ii) ₹ 3,05.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया

₹ 9,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dY vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
--------	----------	--------------	-----------------------

¼ yklk #i; ka eß ½

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-

03- अधिष्ठान-

मूल	2,11.98		1,67.74	1,71.35	+3.61
पुनर्विभाग	-44.24				

₹ 44.24 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 28.24 लाख के अभ्यर्पण तथा

₹ 16.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

' kh"kz d^gy vur^gku okLrfod Ø; vf/kd Ø; + cpr -

$\frac{1}{4} yk[k \# i; k \# e] \frac{1}{2}$

04- क्षेत्रीय कार्यालय-

मूल	68.10			
पूरक	2.50	60.20	60.22	+0.02
पुनर्विनापन	-10.40			

₹ 10.40 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 10.90 लाख के अभ्यर्पण, प्रावधान में ₹ 1.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1.00 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

2230- श्रम तथा रोजगार-

01- ଶ୍ରୀ-

004- अनसंधान तथा सांख्यिकी-

03- अनुसंधान प्रख्यापन एवं श्रम सम्बंधी आंकडे—

मूल	1,71.34			
पूरक	13.53	1,65.68	1,64.39	-1.29
पनविंगो	-19.19			

₹ 19.19 लाख की कुल बचत में से, ₹ 15.13 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हआ। प्रावधान में ₹ 4.06 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

101- औद्योगिक संबंध-

05- औद्योगिक प्रबन्ध तन्त्र का

सद्दृष्टीकरण तथा विकेन्द्रीकरण

समितियों सम्मेलनों तथा

आयोगों का संयोजन-

مूल	33.53			
पुनर्विनापन	-16.68	16.85	14.74	-2.11

₹ 16.68 लाख की कुल बचत में से, ₹ 13.93 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हआ। प्रावधान में ₹ 2.75 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

102- कार्य की परिस्थितियां तथा संरक्षा-

04- स्टीम व्हायलर निरीक्षक-

মূল	76.75				
পন্তর্ভি	-20.18	56.57	55.86		-0.71

₹ 20.18 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हआ ।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

½ yk[k #i; kg eg ½

103- सामान्य श्रम कल्याण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	24.60				
पूरक	30.00		21.00	21.00	..
पुनर्विभाग	-33.60				

₹ 33.60 लाख की कुल बचत में से, ₹ 25.10 लाख का अभ्यर्पण धनराशि स्वीकृत न होने तथा भारत सरकार द्वारा योजना में धनराशि सीधे जनपदों को अवमुक्त करने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 8.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

03- व्यापार संघों का निबन्धन और

स्थायी आदेशों का प्रभावीकरण—

मूल	1,39.83				
पूरक	4.77		1,30.98	1,28.40	-2.58
पुनर्विभाग	-13.62				

₹ 13.62 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत / व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	21,95.73				
पुनर्विभाग	-4.35		21,91.38	23,49.52	+1,58.14

₹ 4.35 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें— अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—

102- होम्योपैथी—

03- कर्मचारी राज्य बीमा योजना—

मूल	75.73				
पूरक	8.90		83.64	86.77	+3.13
पुनर्विभाग	-0.99				

₹ 0.99 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।

dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
' kh"kz cpr -

$\frac{1}{4} yk[k \# i; k] \approx \frac{1}{2}$

2230- श्रम तथा रोजगार-

01- ଶ୍ରୀ-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- श्रमायुक्त का अधिष्ठान-

मूल	2,89.40			
पूरक	15.60	2,99.50	3,09.73	+10.23
पुनर्विदी	-5.50			

₹ 5.50 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 17.25 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 11.75 लाख की वृद्धि के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

103- सामान्य श्रम कल्याण-

08- बाल श्रम उन्मूलन-

मूल	10.00			
पूरक	5.00	13.42	33.08	+19.66
पुनर्विधि	-1.58			

₹ 1.58 लाख का अभ्यर्पण जिला कार्यालयों द्वारा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सचित नहीं किये गये हैं (जन 2010)।

vupku | [; k 77& Je foikkx (| ok; kstuk)

ed[; 'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
--------------	----------	--------------	------------------------

% gtlj #lk; ka e% %

jktLo&

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें तथा

2230- श्रम तथा रोजगार

nRrer&

मूल	42,07,89		43,27,57	42,15,94	-1,11,63
पूरक	1,19,68				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010) 1,73,86

i thxr&

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	18,25		18,25	20,22	+1,97
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 1,11.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,73.86 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था ।

(ii) ₹ 1,11.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,19.68 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -

¼ yk[k #lk; k[e ¼

2230- श्रम तथा रोजगार—

02- रोजगार सेवायें—

800- अन्य व्यय—

05- विकलांगों को रोजगार सहायता देने हेतु रोजगार कार्यालय में विशिष्ट रोजगार कोष्ठक का गठन—

मूल	92.62			
पूरक	31.22	1,18.38	1,11.73	-6.65
पुनर्विभाजन	-5.46			

₹ 5.46 लाख के अभ्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

2230- श्रम तथा रोजगार—

02- रोजगार सेवायें—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- रोजगार निदेशालय—

मूल	4,98.39			
पूरक	45.26	5,07.80	5,99.01	+91.21
पुनर्विभाजन	-35.85			

₹ 35.85 लाख की कुल बचत में से, ₹ 36.35 लाख के अभ्यर्पण, प्रावधान में

₹ 0.50 लाख की वृद्धि तथा अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

i withx &

nRrer &

(v) वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखा के समाशोधन के ₹ 1,98,000 की धनराशि सम्मिलित है। अतः ₹ 1,090 (₹ 1,98,000—₹ 1,96,910) की अंतिम बचत हुई।

(vi) व्याधिक्य (अन्य शीर्षों के अल्प बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ :—

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

203- रोजगार—

31- रोजगार निदेशालय	3.00	5.04	+2.04
---------------------	------	------	-------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखा के समाशोधन के ₹ 1.98 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

vunku | a; k 78 & | fpoky; i t kkl u foHkkx

ed[; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

% gtlj #lk; ka e% %

jktLo&

- 2013- मंत्रि परिषद,
- 2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,
- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,
- 2075- विविध सामान्य सेवायें,
- 2220- सूचना तथा प्रचार,
- 2251- सचिवालय—सामाजिक सेवायें तथा
- 3451- सचिवालय—आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	3,48,88,52			
पूरक	..	3,48,88,52	3,18,15,84	-30,72,68
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				29,86,32

i thxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा
- 6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	..			
पूरक	62,82,45	62,82,45	1,00,00	-61,82,45
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				61,82,45

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 30,72.68 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 29,86.32 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

½ yk[k #lk; kg eg ½

2013- मंत्रि परिषद—

101- मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन—

03- मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव—

मूल	83.48				+2.08
पुनर्विभाग	-53.84				
₹ 53.84 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।					

04- भारत सरकार को देय आय की

धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन

की जायेगी—

मूल	25.00				-0.01
पुनर्विभाग	-21.12				
₹ 21.12 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।					

102- आतिथ्य और अन्य भत्ते—

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों के भत्ते—

मूल	5,00.40				+7.53
पुनर्विभाग	-2,96.28				
₹ 2,96.28 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,61.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । ₹ 35.28 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।					

108- दौरा खर्च—

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों का यात्रा व्यय—

मूल	6,00.00				-0.72
पुनर्विभाग	-1,49.49				
₹ 1,49.49 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ ।					

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

½ yk[k #lk; k9 e9 ½

800- अन्य व्यय—

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय—

मूल	2,65.01				
पुनर्विद्या	-2,14.96		50.05	52.38	+2.33

₹ 2,14.96 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,61.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 53.26 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 1,14.92 लाख (प्रावधान का 53 प्रतिशत), ₹ 1,11.89 लाख (प्रावधान का 52 प्रतिशत) तथा ₹ 1,28.90 लाख (प्रावधान का 60 प्रतिशत) की बचत हुई थी।

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

090- सचिवालय—

04- सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं

पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार—					
मूल	48.00		15.77	19.04	+3.27

पुनर्विद्या -32.23
₹ 32.23 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

07- सचिवालय का आधुनिकीकरण—

मूल	8,81.00		2,29.30	2,17.83	-11.47
पुनर्विद्या	-6,51.70				

₹ 6,51.70 लाख का अभ्यर्पण उपकरण क्या न किये जाने के कारण हुआ।

11- ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत सचिवालय में

कम्प्यूटर लैपटाप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्या—

मूल	6,00.00		4,85.97	4,91.96	+5.99
पुनर्विद्या	-1,14.03				

₹ 1,14.03 लाख का अभ्यर्पण कम्प्यूटर न खरीदे जाने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	41,07.63		40,41.33	35,07.65	-5,33.68
पुनर्विद्या	-66.30				

₹ 66.30 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 16.30 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

'kh"kz

dy vunku

okLrfod 0; ;

$\sqrt{f/kd} \approx 0.1$

cpr -

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

003- प्रशिक्षण-

04- सचिवालय प्रशिक्षण एवं

प्रबंध संस्थान—

মূল	1,88.33			
প্রতি	39.99	1,57.43	1,61.40	+3.97

₹ 30.90 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के स्थित होने, मितव्ययिता एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति न मिलने के कारण हआ ।

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें-

090- सचिवालय-

03- सचिवालय-

মূল	42,06.49			
পরিশোধ	4,50.75	37,55.74	37,78.21	+22.47

₹ 4,50.75 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, मितव्ययिता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर हआ ।

04- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग-

মূল	24.75			
পুনর্বিন্দু	-7.15	17.60	15.37	-2.23

₹ 7.15 लाख का अन्यर्पण मितव्ययिता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर हआ ।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवायें-

090- सचिवालय-

03- सचिवालय-

মূল	48,83.27		39,87.93	39,85.87	-2.06
পরিপূর্ণ	8,05.34				

₹ 8,95.34 लाख की कुल बचत में से, ₹ 5,95.34 लाख का अर्थर्पण मुख्यतः अवशेषों का आहरण न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर एवं मितव्ययिता के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख रुपये की दर्जी है।

रु ५,००,०० लाख रुपये का बजार में विक्री की गयी है।

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

½ yk[k #lk; kse ½

2013- मंत्रि परिषद—

104- मनोरंजन तथा सत्कार खर्च—

03- मनोरंजन तथा सत्कार खर्च—

मूल	1,50.00				
पुनर्विभाग	94.37	2,44.37	2,41.09	-3.28	

₹ 94.37 लाख की शुद्ध वेद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 5.63 लाख का अभ्यर्पण मितव्यिता के कारण हुआ।

105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान—

03- मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान—

मूल	20,00.00				
पुनर्विभाग	2,52.09	22,52.09	22,41.74	-10.35	

रुपये 2,52.09 लाख की शुद्ध वेद्धि में से, प्रावधान में रुपये 2,61.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। रुपये 8.91 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

090- सचिवालय—

03- सचिवालय—

मूल	1,62,99.16				
पुनर्विभाग	-4,07.83	1,58,91.33	1,63,21.12	+4,29.79	

₹ 4,07.83 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 7,57.83 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, वाहन क्रय न होने, स्मार्ट कार्ड योजना के लागू न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

2220- सूचना तथा प्रचार—

60- अन्य—

800- अन्य व्यय—

03- राजकीय उत्सवों के सम्बन्ध में व्यय—

मूल	12.00				
पुनर्विभाग	59.14	71.14	71.14	..	

₹ 59.14 लाख की शुद्ध वेद्धि में से, प्रावधान में ₹ 61.70 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 2.56 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

i ~~thxr&~~n~~rer&~~

(iv) ₹ 61,82.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया

₹ 61,82.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

½ yk[k #lk; kg ea ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—

80- समाच्च—

800- अन्य व्यय—

04- सचिवालय में सी०सी०टी०वी० /

सर्विलांस कैमरा एवं सहवर्ती

उपकरणों की स्थापना—

पूरक 4,30.62]

पुनर्विं 0 -4,30.62]

₹ 4,30.62 लाख का अभ्यर्पण सी०सी०टी०वी० / सर्विलांस कैमरा एवं सहवर्ती उपकरणों की स्थापना के संबंध में कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के कारण हुआ ।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

03- सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था

का आधुनिकीकरण—

पूरक 57,51.83]

पुनर्विं 0 -57,51.83]

₹ 57,51.83 लाख का अभ्यर्पण सुरक्षा उपकरणों के क्रय के संबंध में कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के कारण हुआ ।

vunku | a; k 79 & | ekt dY; k.k foHkkx
 ¼ fodykx , oaf NMk oxl dY; k.k ½

ed; 'kh"kl
 dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &

¼ gtlj #lk; kg ea ½

jktLo&

- 2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें,
 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं
 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	13,12,38,76			
पूरक	1,21,08,96	14,33,47,72	14,27,94,43	-5,53,29
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

iRthxr&

- 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
 पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 पर पूंजीगत परिव्यय तथा
 6235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	1,02,60,02			
पूरक	11,45,12	1,14,05,14	1,09,28,12	-4,77,02
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 5,53.29 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 5,53.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया
 ₹ 1,02,12.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

½ yk[k #lk; k[e ½

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—				
03- अवशेषों का भुगतान	3,11.28	2,56.90		-54.38

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण—

03- मुख्यालय/मंडलीय/जिला

कार्यालयों का अधिष्ठान—

मूल	5,43.42			
पुनर्विभाग	2.88	5,46.30	4,35.43	-1,10.87

प्रावधान में ₹ 2.88 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये

आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र—

मूल	2,07.27			
पुनर्विभाग	-7.20	2,00.07	1,17.41	-82.66

प्रावधान में ₹ 7.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

14- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए राजकीय

विद्यालयों/ छात्रावासों का संचालन—

मूल	6,96.45			
पुनर्विभाग	7.20	7,03.65	4,10.01	-2,93.64

प्रावधान में ₹ 7.20 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

15- विकलांग जन आयुक्त

कार्यालय की स्थापना	30.87	17.82	-13.05
---------------------	-------	-------	--------

16- ब्रेल प्रोत्साहन योजना

11.85	0.18	-11.67
-------	------	--------

22- लखनऊ में ब्रेल प्रेस की स्थापना

18.37	0.19	-18.18
-------	------	--------

' kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

½ yk[k #lk; ka es ½

30- डां शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश

विकलांग विश्वविद्यालय—

मूल	18,12.56				
पुनर्विर्जित	-5,11.84		13,00.72	87.24	-12,13.48

प्रावधान में ₹ 5,11.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

31- बचपन, नर्सरी स्कूलों का संचालन—

पूरक	96.92	96.92	23.35	-73.57
------	-------	-------	-------	--------

107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता—

03- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के कल्याण

हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं
को सहायता—

मूल	50.00			
पुनर्विर्जित	-10.38	39.62	26.14	-13.48

प्रावधान में ₹ 10.38 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण —

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण —

277- शिक्षा—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	35,00.00			
पूरक	11,40.00	46,40.00	61,78.33	+15,38.33

05- पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10

तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं

अनावर्ती सहायता—

मूल	6,35,74.78			
पूरक	16,70.00	6,52,44.78	6,53,26.37	+81.59

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

½ yk[k #lk; ka es ½

07- दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े

वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रवेश शुल्क
की धनराशि की प्रतिपूर्ति-

मूल	1,79,29.00			
पूरक	54,12.04	2,33,41.04	2,33,58.20	+17.16

08- पिछड़े वर्गों के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं

का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण 50.00 1,65.99 +1,15.99

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-

05- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग,
श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिये

सहायता	2,50.00	2,78.56	+28.56
--------	---------	---------	--------

07- नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से

विकलांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान-

मूल	2,06,00.00		
पूरक	8,00.00	2,19,09.34	2,17,66.24
पुनर्विभाग	5,09.34		-1,43.10

प्रावधान में ₹ 5,09.34 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

09- विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा

प्रदान करने हेतु उठोप्रोरासोपोनिभाव	4,50.00	4,55.72	+5.72
को क्षति पूर्ति			

13- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के

पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना 24.12 35.11 +10.99

26- अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय

विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी 22.60 25.10 +2.50

800- अन्य व्यय-

04- असहाय विकलांग व्यक्तियों को

बीमारी के इलाज हेतु अनुदान-	4.00		
मूल		14.00	4.49

पुनर्विभाग 10.00 -9.51

प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य / बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

inthr&

nRrer&

(v) ₹ 4,77.02 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(vi) ₹ 4,77.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 7,06.38 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -

% yk[k #lk; k[e] %

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय—

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण —

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों में निवेश—

03- उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं

विकास निगम के अंशकां का क्रय	1,00.00	..	-1,00.00
------------------------------	---------	----	----------

277- शिक्षा—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	7,16.52	18,61.64	15,01.58	-3,60.06
पूरक	11,45.12			

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय —

02- समाज कल्याण—

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण—

03- संकेत राजकीय, (मूकबधिर) हाईस्कूल,

आगरा के छात्रावास एवं आवासीय

भवन का निर्माण	49.86	41.94	-7.92
----------------	-------	-------	-------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने/ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

vunku | a[; k 80 & | ekt dY; k.k foHkkx
 % | ekt dY; k.k , oa vud fpr tkfr; kdk dY; k.k %

ef[; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
-------------	----------	--------------	------------------------

% gtlj #lk; kae%h

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद,

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	23,35,75,19			
पूरक	4,83,18,77	28,18,93,96	27,27,53,15	-91,40,81

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 91,40.81 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(ii) ₹ 91,40.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,22,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
--------	----------	--------------	-----------------------

% yklk #lk; kae%h

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान	25,04.69	13,21.59	-11,83.10
-----------------------	----------	----------	-----------

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- मुख्यालय अधिकारी	6,85.49	5,96.15	-89.34
----------------------	---------	---------	--------

' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

½ yk[k #lk; k[e ½

793- अनुसूचित जातियों की घटक योजना

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता—

04- सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान

28.94

17.25

-11.69

80- सामान्य—

102- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता—

03- डाओ अम्बेडकर जन्म शताब्दी

फाउन्डेशन की स्थापना

14.80

9.52

-5.28

800- अन्य व्यय—

04- पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों

के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति / अनावर्ती सहायता

(कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिये)

4,55.00

..

-4,55.00

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 4,53.30 लाख (प्रावधान का 99

प्रतिशत) तथा ₹ 1,96.53 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान की बचत थी ।

05- आर्थिक उत्थान

1,20.91

97.24

-23.67

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

01- पुनर्वास—

800- अन्य व्यय—

03- कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों

को पुनर्वास हेतु सहायता

27.81

13.60

-14.21

02- समाज कल्याण—

104- वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय

व्यक्तियों का कल्याण—

03- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के

लिये आवासीय गृह

36.99

25.42

-11.57

04- मिक्षावृत्ति का निवारण

2,67.59

2,25.91

-41.68

105- नशाबंदी—

04- मण्डलीय कार्यालय

2,13.75

1,67.32

-46.43

107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता—

03- मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं
संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने

के लिये अनुदान

5,12.39

4,31.96

-80.43

200- अन्य कार्यक्रम

05- सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे

के परिवारों के युवक / युवतियों के

लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण

2,08.00

34.43

-1,73.57

' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

½ yk[k #lk; kq e8 ½

08- आई०ए०एस० / पी०सी०एस० मुख्य

परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	55.00	30.15	-24.85
2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 53.16 लाख (प्रावधान का 97 प्रतिशत) तथा ₹ 53.30 लाख (प्रावधान का 97 प्रतिशत) की बचत थी।			

09- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित

योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण—

पूरक	2,00.00	2,00.00	1,06.44	-93.56
------	---------	---------	---------	--------

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—

800- अन्य व्यय—

03- गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के गरीबी

की रेखा के नीचे आने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को विदेश में शिक्षा

ग्रहण करने के लिये विशेष छात्रवृत्ति	2,16.00	75.56	-1,40.44
--------------------------------------	---------	-------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्रम निम्न के अधीन हुआ :—

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण—

277- शिक्षा—

07- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति

के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)—

मूल	39,23.80			
-----	----------	--	--	--

पुनर्विनियोग	14,42.34	53,66.14	52,37.23	-1,28.91
--------------	----------	----------	----------	----------

प्रावधान में ₹ 14,42.34 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

19- अनुसूचित जाति के दशामोत्तर

कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति	2,67,32.00	2,67,71.19	+39.19
-----------------------------------	------------	------------	--------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 तथा 2008-09 के आपत्ति पुस्तिका उच्चत्त लेखे के समाशोधन के ₹ 42.52 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

793- अनुसूचित जातियों की घटक योजना

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता—

03- मंडल/ जनपद/ विकास खंड स्तर

पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था	25,87.29	28,09.65	+2,22.36
-----------------------------	----------	----------	----------

' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

½ yk[k #lk; k[e ½

800- अन्य व्यय—

05- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की
बीमारी के इलाज तथा प्रर्थियों की
पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता
(जिला योजना) 40,00.00 41,38.23 +1,38.23
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2005-06 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के
समाशोधन के ₹ 1,27.17 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—

200- अन्य कार्यक्रम—

07- आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य)
के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर
छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति—
मूल 1,98,11.42]
पूरक 49,93.54]

2,48,04.96 3,33,01.81 +84,96.85

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—

102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन—

03- वृद्धावस्था / किसान पेंशन 1,15,21.58 1,16,85.32 +1,63.74
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2006-07 तथा 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका
उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,73.19 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k **81** & | ekt dY; k.k foHkkx ¼ tutkfr dY; k.k ½

ed[; 'kh"kl

dly vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

; k

fofu; kx

cpr &

¼ gtlj #lk; k# e# ½

jktLo&

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2215- जल पूर्ति तथा सफाई,

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,

2230- श्रम तथा रोजगार,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,

2401- फसल कृषि कर्म,

2402- मृदा तथा जल संरक्षण,

2403- पशु पालन,

2405- मछली पालन,

2425- सहकारिता,

2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम,

2505- ग्राम रोजगार,

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,

2702- लघु सिंचाई तथा

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

nRrer&

मूल

42,46,06
[..]

42,46,06

30,55,26

-11,90,80

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i Hkkfj r&

मूल

10
[..]

10

..

-10

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i Hkxr&

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय,

ef[; ' kh"kl	dly vunku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
---------------	------------------------------	--------------	------------------------

½ g t k j # lk; kg e g ½

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यकर्मों पर पूंजीगत परिव्यय,

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय तथा

6425- सहकारिता के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	8,11,93	8,11,94	50,18
पूरक	1		-7,61,76

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 11,90.80 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl	dly vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
---------	-----------	--------------	-----------------------

½ yk[k # lk; kg e g ½

2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान	1,59.21	40.18	-1,19.03
-----------------------	---------	-------	----------

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण—

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	12,71.13	8,71.13	4,37.46
-----	----------	---------	---------

पुनर्विनाम	-4,00.00	8,71.13	4,37.46
------------	----------	---------	---------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.22 लाख

की धनराशि सम्मिलित है ।

प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

½ yk[k #lk; kse ½

03- मुख्यालय अधिष्ठान—

मूल	1,71.24			
पुनर्विदी	-60.00	1,11.24	78.66	-32.58

वास्तविक व्यय ₹ 78.66 लाख में वर्ष 2001-02 के विभागीय समायोजन उचन्त लेखा के समाशोधन के रुपये 2.80 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।
प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- एकीकृत जनजाति विकास

परियोजना का कियान्वयन	97.90	39.54	-58.36
2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 41.60 लाख (प्रावधान का 52 प्रतिशत), ₹ 96.93 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान तथा ₹ 54.94 लाख (प्रावधान का 58 प्रतिशत) की बचत हुई थी ।			

06- जिला कार्यालय का जनजाति

विकास सम्बन्धी अधिष्ठान—

मूल	1,35.50		
पुनर्विदी	-78.38	57.12	7.16

प्रावधान में ₹ 78.38 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जो

इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं के लिए सहायक अनुदान	20.00	8.92	-11.08
---	-------	------	--------

08- अनुसूचित जनजातियों के

विद्यार्थियों के लिये छात्रावास	22.37	11.65	-10.72
---------------------------------	-------	-------	--------

09- अनुसूचित जनजातियों के लिये

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	4,24.81	2,86.80	-1,38.01
------------------------------	---------	---------	----------

10- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु

बुक बैंक याजना के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान	10.00	3.60	-6.40
--	-------	------	-------

11- अनुसूचित जन जातियों के कक्षा 1 से 10

तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	6,67.02	3,90.79	-2,76.23
---	---------	---------	----------

15- अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित

जनजातियों की सहायता	11.00	3.34	-7.66
---------------------	-------	------	-------

18- अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार की

बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	30.00	23.69	-6.31
---	-------	-------	-------

'kh"kl
dly vurnku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

½ yk[k #lk: k[e ½

19- अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें	1,31.51	1,15.07	-16.44
2230- श्रम तथा रोजगार— 03- प्रशिक्षण—			
796- जनजाति क्षेत्र उप योजना— 03- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	10.00	..	-10.00
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम— 796- जनजाति क्षेत्र उप योजना— 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत / सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।	22.50	16.86	-5.64

(iii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

2215- जल पूर्ति तथा सफाई— 01- जलपूर्ति – 796- जनजाति क्षेत्र उप योजना— 03- जनजातियों के लिये जलापूर्ति कार्यक्रम— मूल 2,75.00] पुनर्विभाग 4,00.00]	6,75.00	6,75.00	..
प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण— 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण— 796- जनजाति क्षेत्र उप योजना— 04- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन 8.35 16.74 +8.39 वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 8.35 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

' kh"kz d^g vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

$\frac{1}{4} yk[k \neq k; k \in \mathbb{N}]$

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

03- बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण

(जिला योजना)

43.70

36.96

-6.74

04- ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत

नाली का निर्माण

22.50

1

-22.50

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 82 & | rdk foHkkx

ed[; 'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

; k

fofu; kx

1/4 gtkj #lk; ka ea 1/

jktLo&

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें तथा

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

nRrer&

मूल	26,42,05		
पूरक	1,65,00	28,07,05	26,33,30

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

i Hkfj r&

मूल	2,26,69		
पूरक	40,13	2,66,82	2,14,28

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

i thxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	9,69,30		
पूरक	..	9,69,30	4,31,99

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 1,73.75 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,96.14 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था ।
- (ii) ₹ 1,73.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 1,65.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ । उसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन
 ' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

¼ yk[k #lk; kse ¼

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

104- सतर्कता—

04- सतर्कता निदेशालय—

मूल	21,25.23		
पूरक	1,65.00	20,94.61	20,76.46
पुनर्विभाजन	-1,95.62		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 तथा 2007-08 के आपत्ति पुस्तिका र समाशोधन के ₹ 8.21 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

₹ 1,95.62 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, बिल प्राप्त न होने इत्यादि के कारण उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान	3,75.37	4,14.71
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)		

i. khkfj r&

(v) ₹ 52.54 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 54.55 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गई

(vi) ₹ 52.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया

₹ 40.13 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ उसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था ।

(vii) बचत निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ;

¼ yk[k #lk; kse ¼

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	25.41		
पुनर्विभाजन	-5.18	20.23	20.23

₹ 5.18 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने तथा उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारि वेतनमान पुनरीक्षित न होने के कारण हुआ ।

' kh"kl

dy fofu; kx

okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg e, ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाये—

104- सतर्कता—

05- लोक आयुक्त संगठन—

मूल	2,01.28		
पूरक	40.13		
पुनर्विभाग	-49.38		

₹ 49.38 लाख के अभ्यर्पण तथा अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

i thxr&

nRrer&

(viii) बचत निम्न के अधीन हुई :—

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

03- सतर्कता निदेशालय भवन—

मूल	4,00.00		
पुनर्विभाग	-3,93.01		

₹ 3,93.01 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

04- लोक आयुक्त संगठन का कार्यालय भवन—

मूल	5,69.30		
पुनर्विभाग	-1,44.30		

₹ 1,44.30 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

vf/kd 0; ; \$
cpr &

-1,73,75

1,96,14

-52,54

54,55

-5,37,31

5,37,31

· हुई :-
vf/kd 0; ; +
cpr -

-18.15

उचन्ता लेखे के

रण हुआ ।

+39.34
) |

|

vf/kd 0; ; +
cpr -

यों के

vf/kd 0; ; +
cpr -

+2.02

..

..

vupku | ॥ ; k 83 & l ekt dY; k.k foHkkx
 /vud fpr tkfr; k ds fy; s fo'ksk ?kVd ; kst ukh

ek ; kh"kh

dy vupku

okLrfod ॥ ;

॥ gtkj #lk; ka ea ॥

jktLo&

- 2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,
- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें
- 2202- सामान्य शिक्षा,
- 2203- तकनीकी शिक्षा,
- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
- 2215- जल पूर्ति तथा सफाई,
- 2217- शहरी विकास,
- 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,
- 2230- श्रम तथा रोजगार,
- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
- 2401- फसल कृषि कर्म,
- 2403- पशु पालन,
- 2404- डेरी विकास,
- 2405- मछली पालन,
- 2425- सहकारिता,
- 2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम,
- 2505- ग्राम रोजगार,
- 2506- भूमि सुधार,
- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
- 2702- लघु सिंचाई,
- 2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत तथा
- 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

nRrer&

मूल	36,35,57,67		
पूरक	..	36,35,57,67	33,44,01,91

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i thxr&

- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,
- 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय,

e[; ' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

½ gtlj #lk; ka eß ½

4215- जल पूर्ति तथा सफाई

पर पूंजीगत परिव्यय,

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों

के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4406- वानिकी तथा बन्ध जीव पर पूंजीगत परिव्यय,

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,

4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों

पर पूंजीगत परिव्यय,

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,

6225- अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज एवं

6425- सहकारिता के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	48,19,94,52		
पूरक	82,73,00	49,02,67,52	41,78,37,85

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVII f.k; ka , oa Vhdळ; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 2,91,55.76 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निः अधीन हुई :—

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; ka eß ½

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- अवशेषों का भुगतान

8,56.56

75.32

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; ka e, ½

2203- तकनीकी शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-

03- आई0टी0 पालीटेक्निकों की स्थापना 18.00

10.00

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राजकीय आयुर्वेदिक /

यूनानी चिकित्सालय 87.16

..

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राजकीय आयुर्वेदिक /

यूनानी चिकित्सालय 2,58.58

..

04- अस्पताल और औषधालय 1,75.45

41.40

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों

के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत अनुसूचित

जाति की छात्राओं के लिये बुक बैंक

की स्थापना 1,00.00 6.12

04- राज्य सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत

अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये

बुक बैंक की स्थापना-

मूल 3,00.00]

.. 5.30

पुनर्विभाग -3,00.00]

प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- छत्रपति साहू जी महाराज शोध

एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ 45.00 27.92

07- अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माणार्थ

स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान 30.00 ..

10- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं

के छात्रावासों का संचालन 4,57.01 64.67

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

11- अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10

में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति
एवं अनावर्ती सहायता—

मूल	4,00.00		
पुनर्विद्या	-4,00.00	..	0.02

प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

12- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

28,33.88

22,29.69

14- अनुसूचित जाति के गरीब एवं बेरोजगार

व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति
वित्त विकास निगम के द्वारा संचालित
योजनाओं के 10 वर्ष से अधिक पुराने

ऋणों की माफी

1,20,27.96

77,75.51

80- सामान्य—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- कोल जाति के लिए विशेष

उत्थान कार्यक्रम

6,79.50

2,62.91

2230- श्रम तथा रोजगार—

02- रोजगार सेवायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र

52.29

36.58

04- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र

9.00

..

03- प्रशिक्षण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- आई0टी0आई0 अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक

स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र

1,14.72

6.17

04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों की स्थापना

14,52.11

4,75.71

05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में

अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण

1,23.40

17.81

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- महामाया गरीब बालिका

आर्शीवाद योजना—

मूल	2,25,00.00		
पुनर्विभाग	-41,69.28	1,83,30.72	72,68.72

प्रावधान में ₹ 41,69.28 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- छात्र/छात्राओं को परीक्षा

पूर्व प्रशिक्षण	1,00.00	..
-----------------	---------	----

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- वृद्धावस्था/किसान पेंशन

(जिला योजना)—

मूल	60,00.00		
पुनर्विभाग	-24,69.57	35,30.43	30,19.15

प्रावधान में ₹ 24,69.57 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- वृद्धावस्था/किसान पेंशन

(राज्य सेक्टर)	7,00,00.00	1,71,46.24
----------------	------------	------------

2401- फसल कृषि कर्म—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	40,72.50	31,93.72
-----------------------------	----------	----------

04- गन्ना विकास योजना

(जिला योजना)	90.00	67.98
--------------	-------	-------

05- किसान मित्र योजना—

मूल	9,55.13		
पुनर्विभाग	-4,13.10	5,42.03	26.04

प्रावधान में ₹ 4,13.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में

औद्यानिक विकास (जिला योजना)	1,50.00	1,01.31
-----------------------------	---------	---------

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

2403- पशु पालन—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- पैरावेट्स प्रशिक्षण योजना	2,60.00	1,92.98
06- अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम	2,75.00	51.98
10- सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)	1,23.00	50.06

2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम—

02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	3,15.00	2,15.80
---	---------	---------

05- बंजर भूमि विकास—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,00.00	59.43
---	---------	-------

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत

स्वच्छ शौचालयों का निर्माण—

मूल	1,80,00.00	77,16.97	40,58.67
पुनर्विनियोग	-1,02,83.03		

प्रावधान में ₹ 1,02,83.03 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2702- लघु सिंचाई—

02- भू-जल—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

04- एलूवियम क्षेत्रों में मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण	3,00.00	2,62.24
--	---------	---------

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

06- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग

रोजगार योजना	1,44.00	1,13.18
--------------	---------	---------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- शिक्षा	10,96.41	18,06.93
------------	----------	----------

2215- जल पूर्ति तथा सफाई—

01- जलपूर्ति —

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- ग्रामीण पेयजल योजना—

मूल	90,00.00		
पुनर्वित्र	35,39.57	1,25,39.57	1,23,33.36

प्रावधान में ₹ 35,39.57 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2217- शहरी विकास—

04- गंदी बस्तियों का विकास—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—

मूल	1,00,00.00		
पुनर्वित्र	4,13.10	1,04,13.10	1,07,38.28

प्रावधान में ₹ 4,13.10 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- मूलभूत नगरीय सुविधायें एवं आवास	12,50.00	86,97.99
-------------------------------------	----------	----------

04- शुष्क शौचालयों का जल प्रवाहित

शौचालयों में परिवर्तन—

मूल	5,00.00		
पुनर्वित्र	32,37.75	37,37.75	35,81.26

प्रावधान में ₹ 32,37.75 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

05- अन्य शहरी विकास योजनायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 1,10,00.00

2,21,69.28 2,49,68.37

पुनर्विभ 1,11,69.28

प्रावधान में ₹ 1,11,69.28 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 3,22,65.72

3,13,81.35 4,57,58.26

पुनर्विभ -8,84.37

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 7.88 की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 8,84.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- अनुसूचित जाति / जनजातियों

के लिए राज्य सेवाओं हेतु

परीक्षा पूर्व, प्रशिक्षण केन्द्र

69.82 71.87

09- राजकीय छात्रावासों / राजकीय आश्रम

पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण

1,00.00 2,63.57

13- विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं

का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण

1,00.00 1,12.10

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

04- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास

परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने

वाला पोषाहार (राज्य योजना)

1,20,00.00 2,69,99.75

2405- मछली पालन—

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाये

..

3.60

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम—

01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	65,00.00		
पुनर्विभाग	5,59.65	70,59.65	69,70.54

प्रावधान में ₹ 5,59.65 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2505- ग्राम रोजगार—

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,35,00.01	2,61,34.24
वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06, 2007-08 तथा 2008-09 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेख के ₹ 93.91 लाख की धनराशि सम्मिलित है।		

60- अन्य कार्यक्रम—

104- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	..	3,72.27
वास्तविक व्यय वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोध सम्बन्धित है।		

2702- लघु सिंचाई—

02- भू-जल—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- सामूहिक लघु सिंचाई योजनान्तर्गत खराब पड़े नलकूपों को चालू किया जाना (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित)

0.01 20.25

80- सामान्य—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता के अन्तर्गत बोरिंग तथा पम्प सेट निर्माण हेतु अंश का

50% अनुदान (जिला योजना) 40,00.00 40,27.15

06- डाठ भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना 1,20.00 12,33.71

2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत—

02- सौर—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त

उर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	25.00	1,58.20
--	-------	---------

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

10- माडल चाकी कीट पालन—शहतूत

उद्यान की स्थापना (जिला योजना) 2,90.00 4,22.95

11- टसर रेशम विकास

योजना (जिला योजना) 27.50 61.86

13- नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम

उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन 3,70.75 3,72.98

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य/बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के क
नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i thxr&

nRrer&

(iv) ₹ 7,24,29.67 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित
नहीं की जा सकी ।

(v) ₹ 7,24,29.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया
₹ 82,73.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ । इसको सांकेतिक प्रावधा-
से सीमित किया जा सकता था ।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः नि:-
अधीन हुई :-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

02- तकनीकी शिक्षा—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- आई0टी0 पॉलिटेक्निकों की स्थापना 21,00.00 12,84.00

03- खेलकूद तथा युवा सेवा—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- अनुसूचित जाति के युवाओं के
लिये ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण 75.00 31.61

04- सोनभद्र में विशिष्ट

स्टेडियम का निर्माण 1,50.00 1,12.67

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय—

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का

निर्माण (जिला योजना) 15,00.00 6,36.05

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

05- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सा०स्वा० केन्द्रों
व उपकेन्द्रों में जल सम्पूर्ति विद्युतीकरण
सुधार विस्तार एवं नवीनीकरण 30.00 4.09

06- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन
निर्माण (जिला योजना)–

मूल	29,70.00		
पुनर्विद्युत	-14,65.93	15,04.07	12,76.64

प्रावधान में ₹ 14,65.93 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- होम्योपैथी चिकित्सालय
भवनों का निर्माण 16.34 ..

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–

04- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल

कालेज, कन्नौज–			
मूल	40,00.01		
पूरक	38,05.00	78,05.01	59,68.96

05- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल

कालेज, उरई, जालौन–			
मूल	40,00.01		
पूरक	44,68.00	84,68.01	66,17.05

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों

का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण–

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनायें 13,42.16 5,85.90

03- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिंग में पूंजी निवेश 10.00 ..

04- अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना 6,00.00 ..

05- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों

का कक्षा 12 तक उच्चीकरण 2,00.00 ..
 (379)

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; ka e, ½

06- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के		
लिये छात्रावासों का निर्माण	15,40.26	5,50.12
08- स्वैच्छिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय		
परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं		
हेतु छात्रावास	1,00.00	..
09- कोचिंग केन्द्र भवन का निर्माण	11,06.83	1,47.67
10- अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के		
लिये एकीकृत विकास योजना-		
मूल 20,50.00	17,53.13	..
पुनर्विभाग -2,96.87		

प्रावधान में ₹ 2,96.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- कोल जाति के लिये

विशेष उत्थान कार्यक्रम 8,05.00 ..

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

04- राज० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 7,88.13 6,82.83

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

98- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना 12,42,00.00 10,45,18.38

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—

60- अन्य—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- पूर्वाचल की विशेष योजनाओं

पर पूंजीगत परिव्यय 1,41,00.00 91,03.98

04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं

पर पूंजीगत परिव्यय 39,00.00 28,38.32

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg es ½

5054- सङ्को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सङ्को—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- डा० अम्बेडकर ग्राम सभा विकास

योजनान्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं

में कृषि विपणन के लिए नये सम्पर्क

मागों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था—

मूल 12,00,00.00]

7,96,35.55 1,57.80

पुनर्विभाग -4,03,64.45]

प्रावधान में ₹ 4,03,64.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

98- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना 1,56,95.00 6,81.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत / सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित :
किये गये हैं (जून 2010)।

(vii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय—

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

04- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का

भवन निर्माण (जिला योजना)

मूल 15,00.00]

29,65.93 29,34.57

पुनर्विभाग 14,65.93]

प्रावधान में ₹ 14,65.93 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- आयुर्वेदिक चिकित्सालय

भवन का निर्माण 61.00 1,43.41

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- राजकीय होम्योपैथीक मेडिकल

कालेज की स्थापना 2,00.00 12,00.00

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों

का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय—

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

07- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 15,00.00 55,35.86
 (381)

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; ka e# ½

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

के अवशेष निर्माण—

मूल	14,20.70			
पुनर्विभाग	2,96.87	17,17.57		16,91.53

प्रावधान में ₹ 2,96.87 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले

ग्रामों में सामुदायिक हाल / केन्द्र

का निर्माण—

मूल	20,00.00			
पुनर्विभाग	2,00,00.00	2,20,00.00		3,64,78.98

प्रावधान में ₹ 2,00,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- चौथरी चरण सिंह नलकूप

परियोजना (नाबाड़ पोषित) 10,90.00 10,92.34

05- सामुदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण 71.00 78.16

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

06- ग्रामीण विद्युतीकरण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- डाठ अम्बेडकर ग्राम सभा विकास

योजनान्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण /

सुदृढ़ीकरण कायों हेतु उत्तर प्रदेश

विद्युत निगम को अंशपूंजी—

मूल	1,00,00.00			
पुनर्विभाग	87,50.00	1,87,50.00		1,87,50.00

प्रावधान में ₹ 87,50.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; kg eg ½

5054- सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़के—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- वर्ष 1995-96, 1997-98, 2002-03 तथा अप्रैल, 03 से

अगस्त, 2003 तक के मध्य चयनित असंतुप्त अम्बेडकर

ग्रामों के सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों

हेतु एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	0.01		
पुनर्विभाग	1,14,73.50	1,14,73.51	6,18,17.73

प्रावधान में ₹ 1,14,73.50 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- वर्ष 2007-08 में चयनित डा० अम्बेडकर ग्राम

सभाओं में कृषि विपणन के लिये ग्रामीण सम्पर्क

मार्गों के नये कार्यों हेतु —

मूल	0.01		
पुनर्विभाग	1,40.95	1,40.96	2,97.25

प्रावधान में ₹ 1,40.95 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (ज

vf/kd 0; ; \$
cpr &

-2,91,55,76

..

vf/kd 0; ; \$
cpr &

-7,24,29,67

..

मन के

vf/kd 0; ; +
cpr -

-7,81.24

vf/kd 0; ; +
cpr -

-8.00

-87.16

-2,58.58
-1,34.05

-93.88

+5.30

-17.08

-30.00

-3,92.34

vf/kd 0; ; +
cpr -

+0.02

-6,04.19

-42,52.45

-4,16.59

-15.71

-9.00

-1,08.55

-9,76.40

-1,05.59

vf/kd 0; ; +
cpr -

-1,10,62.00

-1,00.00

-5,11.28

-5,28,53.76

-8,78.78

-22.02

-5,15.99

-48.69

vf/kd 0; ; +
cpr -

-67.02

-2,23.02

-72.94

-99.20

-40.57

-36,58.30

-37.76

vf/kd 0; ; +
cpr -

-30.82

रण सुचित नहीं

+7,10.52

-2,06.21

+3,25.18

+74,47.99

-1,56.49

vf/kd 0; ; +
cpr -

+27,99.09

+1,43,76.91

₹ लाख

+2.05

+1,63.57

+12.10

+1,49,99.75

+3.60

vf/kd 0; ; +
cpr -

-89.11

+1,26,34.23
वे के समाशोधन

+3,72.27
न से

+20.24

+27.15
+11,13.71

+1,33.20

vf/kd 0; ; +
cpr -

+1,32.95

+34.36

+2.23

अरण सूचित

न

मन के

-8,16.00

-43.39

-37.33

-8,63.95

vf/kd 0; ; +
cpr -

-25.91

-2,27.43

-16.34

-18,36.05

-18,50.96

-7,56.26

-10.00

-6,00.00

-2,00.00

vf/kd 0; ; +
cpr -

-9,90.14

-1,00.00
-9,59.16

-17,53.13

-8,05.00

-1,05.30

-1,96,81.62

-49,96.02

-10,61.68

vf/kd 0; ; +
cpr -

-7,94,77.75

-1,50,14.00

नहीं

-31.36

+82.41

+10,00.00

+40,35.86

vf/kd 0; ; +
cpr -

-26.04

+1,44,78.98

+2.34
+7.16

vf/kd 0; ; +
cpr -

+5,03,44.22

+1,56.29

तृते 2010)।

vunku | a; k 84 & | kekU; i t kk| u foHkkx

ed[; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

% gtkj #lk; ka e% %

jktLo&

2053- जिला प्रशासन,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2075- विविध सामान्य सेवायें तथा

2250- अन्य सामाजिक सेवायें

nRrer&

मूल	1,14,73			
पूरक	..	1,14,73	1,02,48	-12,25
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)				10,57

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 12.25 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 10.57 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गई ।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत अल्प व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -

% yk[k #lk; ka e% %

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

04- उ0 प्र0 नागरिक परिषद्—

मूल	14.69			
पुनर्विभ	-7.59	7.10	7.95	+0.85

₹ 7.59 लाख का अभ्यर्पण उ0 प्र0 नागरिक परिषद् में सभापति/उपसभापति का पद रिक्त होने, उनके कार्यालय भवन न होने तथा फर्नीचर न खरीदे जाने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

vupku | ꝓ; k 85 & | koLtfud m | e foHkkx

ed; 'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtlj #lk; ka e ¼

jktLo&

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें तथा

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	3,13,74				
पूरक	36.93				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		3,50,67	3,42,78	-7,89	7,85

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 7.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 36.93 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(ii) बचत(एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -

¼ yk[k #lk; ka e ¼

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- सार्वजनिक उद्यम निदेशालय—

मूल	2,54.97				
पूरक	36.93				
पुनर्विभाग	-7.93	2,83.97	2,84.48	+0.51	

₹ 7.93 लाख की कुल बचत में से, ₹ 6.13 लाख का अभ्यर्पण मितव्यिता तथा पद रिक्त होने के कारण हुआ । प्रावधान में ₹ 1.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	50.72				
पुनर्विभाग	2.37	53.09	53.08	-0.01	

₹ 2.37 लाख की शुद्ध वेद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2.40 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.03 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

vupku | a; k 86 & | ipuk foHkkx

ed[; 'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

% g t k j # lk; k e s %

jktLo&

2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें तथा

2220- सूचना तथा प्रचार,

nRrer&

मूल	70,04,40			
पूरक	15,70,06	85,74,46	45,92,04	-39,82,42

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 39,82.42 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 39,82.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 तथा फरवरी 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 15,70.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

% yk[k # lk; k e s %

2220- सूचना तथा प्रचार—

01- फिल्म—

105- फिल्मों का निर्माण—

03- अधिष्ठान—

मूल	1,44.31			
पुनर्विद्या	-0.24	1,44.07	1,28.47	-15.60

प्रावधान में ₹ 0.24 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

60- अन्य—

101- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार—

05- अधिष्ठान—

मूल	26,08.67			
पूरक	13,99.00	40,07.67	6,59.19	-33,48.48

' kh"kl

dgy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

½ yk[k #lk;k e ½

110- प्रकाशन—

03- अधिष्ठान

7,72.42

5,80.36

-1,92.06

800- अन्य व्यय—

08- मा० कांशीराम जन्म स्मृति समारोह

4,00.00

1,62.83

-2,37.17

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 87 & | fud dY; k.k foHkkx

ed[; 'kh"kl

dy vunku

okLrfod 0; ;

; k

fofu; kx

1/ gtlj #lk; kg es }

jktLo&

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,

2075- विविध सामान्य सेवायें तथा

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल

54,12,35

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

54,12,35

37,22,59

i Hkkfj r&

मूल

10

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

10

..

i Hthxr&

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल

86,00

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

86,00

5,19

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 37,22.59 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 से 2004-05 तथा 2007-08 से 2008 आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 86.63 लाख तथा वर्ष 2001-02 तथा 20 विभागीय समायोजन उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 5.13 लाख की धनराशि सम्मिलित है ₹ 17,81.52 लाख (₹ 16,89.76 लाख+ ₹ 86.63 लाख+ ₹ 5.13 लाख) की अन्तिम बचत के ₹ 17,84.68 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गई ।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न अधीन हुई :-

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; k[e ½

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	1,61.04		
पुनर्विभाजित	-38.61	1,22.43	1,25.07

₹ 38.61 लाख का अभ्यर्पण अधिक प्रावधान तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

2075- विविध सामान्य सेवायें-

104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल

में पेंशन तथा पुरस्कार-

06- उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध
के भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं
को पेंशन-

मूल	42,00.00		
पुनर्विभाजित	-15,82.86	26,17.14	26,62.33

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2007-08 तथा 2008-09 के आपत्ति पुस्तिका रूप समाशोधन के ₹ 42.00 लाख की धनराशि तथा वर्ष 2002-03 के विभागीय समायोजन उचन के समाशोधन के ₹ 2.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

₹ 15,82.86 लाख का अभ्यर्पण पेंशनरों के मृत्यु होने के कारण हुआ ।

10- कारगिल युद्ध से पूर्व शहीद हुए

सैनिकों की पत्नियों को सहायता-

मूल	15.00		
पुनर्विभाजित	-15.00

₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय-

03- राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक

सम्मेलन का आयोजन-

मूल	5.00		
पुनर्विभाजित	-5.00

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण राज्यस्तरीय सैनिक सम्मेलन मनाये जाने हेतु कोई भी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

' kh"kl

dgy vupku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; ka e ½

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- सैनिक कल्याण एवं

पुनर्वास निदेशालय-

मूल

9,90.18

पुनर्विं०

-1,42.62

8,47.56

8,88.04

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 से 2004-05 तथा 2008-09 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेर समाशोधन के ₹ 44.60 लाख की धनराशि तथा वर्ष 2001-02 के विभागीय समायोजन उचन के समाशोधन के ₹ 3.13 लाख की धनराशि भी सम्मिलित है ।

₹ 1,42.62 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः अधिकारियों के वेतन निर्धारण न होने तथा कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया पूर्ण न होने, मितव्ययिता, के अवकाश यात्रा पर न जाने, प्रशिक्षणार्थियों की अनुपस्थिति इत्यादि के कारण हुआ ।
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)

(iii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2075- विविध सामान्य सेवायें-

104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल

में पेशन तथा पुरस्कार-

05- बार टू सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त

उ0प्र0 के एवं सीमा सुरक्षा दल के सैनिकों

को एक मुश्त सैनिक नगद पुरस्कार-

मूल

23.30

22.73

29.48

पुनर्विं०

-0.57

₹ 0.57 लाख का अभ्यर्पण पदक विजेता के पते का सत्यापन न होने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)

i ~~thxr&~~

nRrer&

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

%

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम—

800- अन्य व्यय—

09- जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के

भवन एवं विश्राम गृह का निर्माण—

मूल	80.00	..
पुनर्विभास	-80.00	

₹ 80.00 लाख का अभ्यर्पण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा वांछित सूचना के नि
के सबंध में सूचना प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

vf/kd 0; ; \$
cpr &

-16,89,76

17,84,68

-10

10

-80,81

80,20

3-09 के
02-03 के
|
विरुद्ध

। के

vf/kd 0; ; +
cpr -

+2.64

+45.19

अचन्त लेखे के
त लेखे

..

..

प्त

vf/kd 0; ; +
cpr -

+40.48

ਖੇ ਕੇ
ਤ ਲੇਖੇ

ਸੰਚਾਰਿਯਾਂ

) |

+6.75

) |

vf/kd 0; ; +
cpr -

..

राकरण

vunku | a; k 88 & | LFkxr foRr foHkkx ¼ funs kky; ½

ed; 'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		½ gtlj #lk; ka e ½	

jktLo&

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें

nRrer&

मूल	34,22,56		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)		34,22,56	19,32,86

fVli f. k; ka , oa Vhd़k; &

jktLo&

nRrer&

(i) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -
		½ ylk[k #lk; ka e ½	

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

04- ग्रामीण भूमिहीन परिवारों हेतु

आम आदमी बीमा योजना—

मूल	30,00.00		
पुनर्विं	-14,71.63		
₹ 14,71.63 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।		15,28.37	15,28.37

(ii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

091- संलग्न कार्यालय&

05- गोरखपुर, इलाहाबाद व आगरा में

संस्थागत वित्त निदेशालय के

क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना—

मूल	52.14		
पुनर्विं	4.63		
₹ 4.63 लाख की शुद्ध वैद्वि में से, प्रावधान में ₹ 6.01 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.91 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । ₹ 0.47 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।	56.77	56.74	-0.03

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

vunku | a; k 89 & | LFkxr foRr foHkkx
 ¼ okf.kT; dj ½

ed; 'kh"kl

dly vunku

okLrfod 0; ;

; k

fofu; kx

¼ gtlj #lk; kg ea ½

jktLo&

2040- विक्री, व्यापार आदि पर कर,

2049- ब्याज अदायगियों,

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,

2059- लोक निर्माण कार्य तथा

2216- आवास

nRrer&

मूल

3,91,10,02

3,91,70,16

3,70,51,90

पूरक

60,14

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

i Hkkfj r&

मूल

65,44,37

65,44,39

65,34,41

पूरक

2

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

i Vthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल

7,20,51

7,20,51

4,33,61

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 21,18.26 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, ₹ 21,87.01 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की

(ii) ₹ 21,18.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया

₹ 60.14 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के
 ' kh"kl
 dgy vupku okLrfod ॥ ;

॥ yk[k #lk; ka es ॥

2040- विक्री, व्यापार आदि पर कर—

800- अन्य व्यय—

04- वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान—

मूल	12,05.33		9,13.70	9,39.65
पुनर्विभाग	-2,91.63			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 के आपत्ति पुस्तिका उचन्ता लेखे के समाशो के ₹ 26.36 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

₹ 2,91.63 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, मितव्ययिता, वास्तविक व्यय, परिप्राप्त न होने आदि के कारण हुआ ।

05- व्यवस्थापन आयोग का अधिष्ठान—

पूरक	60.14		..	24.57
पुनर्विभाग	-60.14			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्ति पुस्तिका उचन्ता लेखे के समाशोधन के ₹ 24.51 की धनराशि सम्मिलित है ।

₹ 60.14 लाख का अभ्यर्पण धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून-

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

2040- विक्री, व्यापार आदि पर कर—

800- अन्य व्यय—

06- वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण

संस्थान लखनऊ—

मूल	1,61.34		1,80.77	1,83.30
पुनर्विभाग	19.43			

₹ 19.43 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 27.02 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2.35 लाखी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । ₹ 5.24 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः डी0ए0 भुक्ता का समायोजन, वास्तविक व्यय, मितव्ययिता इत्यादि के कारण हुआ ।

07- उ0 प्र0 पंजीकृत व्यापारियों के लिये

जोखिम व्यवित्तगत दुर्घटना योजना—

मूल	2,50.00		2,55.46	2,55.45
पुनर्विभाग	5.46			

प्रावधान में ₹ 5.46 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून-

i Hkkfj r&

- (v) ₹ 9.98 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 4.25 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।
- (vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत अल्प व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्य अधीन हुई :—

' kh"kl

dy fofu; kx okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; ka es ½

2040- विक्री, व्यापार आदि पर कर—

800- अन्य व्यय—

03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान—

मूल	10.00			
पुनर्विभाग	-4.21		5.79	..

₹ 4.21 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

i Hkhxr&

nRrer&

- (vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kl

dy vuqku okLrfod 0; ;

½ yk[k #lk; ka es ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

11- अनावासीय भवनों हेतु भूमि क्या / भवन

निर्माण (चालू कार्य) (एकमुश्त व्यवस्था)—

मूल	2,47.58			
पुनर्विभाग	-1,31.80		1,15.78	1,15.78

₹ 1,31.80 लाख का अभ्यर्पण गौरीपुर, बागपत सहायता केन्द्र बन्द हो जाने के कारण हुआ

13- क्षेत्रीय कार्यालय—

मूल	2,75.00			
पुनर्विभाग	-1,50.00		1,25.00	1,25.39

₹ 1,50.00 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)

vf/kd 0; ; \$
cpr &

-21,18,26

21,87,01

-9,98

4,25

-2,86,90

2,86,26

| \overline{A}^S_x |

अधीन हुई :—

vf/kd 0; ; +

cpr -

+25.95

धन

रक्ष प्रस्ताव

+24.57

1 लाख

₹ 2010)।

+2.53

ख

गतान

-0.01

₹ 2010)।

तः निम्न के

vf/kd ०; ; +
cpr -

-5.79

vf/kd ०; ; +
cpr -

..

|

+0.39

)।

vunku | \ddot{a} ; k 90 & | LFkkxr foRr foHkkx
%eukjatu rFkk ckthdj%

eq; 'kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

% gtlj #lk; ka ea %

jktLo&

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर

अन्य कर तथा शुल्क तथा

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें

nRrer&

मूल

65,10,57

65,10,57

63,35,25

-1,75,32

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

1,76,91

fVli . kh , oa Vhdk&

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 1,75.32 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 1,76.91 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गई।

vunku | १; क ७१ & | लक्खर फर्र फलक्ख
 १/ लवेइ, ओइथडज. क १

एँ; ' कहक्क

द्य वुन्कु

ओलफोड ०; ;

वफ़क्क ०; ; \$

; क

फोफु; क्स

सप्र &

१/ गत्क्ज नक्क एवं १

जक्तलों

2030- स्टाम्प पंजीकरण,

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें तथा

2059- लोक निर्माण कार्य

नररेर &

मूल

1,35,50,38

1,35,50,38

1,24,02,17

-11,48,21

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

ि लक्खर &

मूल

4

4

..

-4

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

ि लक्खर &

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

नररेर &

मूल

2,00,00

2,00,00

1,93,06

-6,94

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

फ्लिफ. क, ओवल्डक; &

जक्तलों

नररेर &

- (i) ₹ 11,48.21 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :—

' kh"kz d̥y vurku okLrfod ɻ; ; vf/kd ɻ; ; +
cpr -

$\frac{1}{4} yk[k \neq k; k \in \frac{1}{2}$

2030- स्टाम्प पंजीकरण—

02- स्टाम्प न्यायिकतर-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान-

ਮੂਲ	69.33			
ਪੁਨਰਵਿ0	-1.20	68.13	37.69	-30.44

प्रावधान में ₹ 1.20 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

04- वाटर मार्क पेपर के

बिक्की पर व्यय 55.00 23.00 -32.00

03- पंजीकरण—

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- जिला व्यय-

ਮੂਲ	45,48.70			
ਪੁਨਰ्वਿ0	-42.00	45,06.70	30,36.76	-14,69.94

प्रावधान में ₹ 42.00 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

051- ਨਿਰ্মਾਣ-

03- अनावासीय भवनों की मरम्मत

तथा रख—रखाव 25.00 16.91 -8.09

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

2030- स्टाम्प पंजीकरण-

01- स्टाम्प-न्यायिक-

101- स्टाम्पों की लागत-

03- न्यायिक स्टाम्प 5,00.00 6,05.67 +1,05.67

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-

03- न्यायिक स्टाम्प

02- स्टाम्प-न्यायिकतर-

101- स्टाम्पों की लागत—

03- गैर अदालती स्टाम्प 47,00.00 47,62.44 +62.44

' kh"kz d̥y vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

$\frac{1}{4} yk[k \neq k; k \in \mathbb{Z}]$

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय—

03- गैर अदालती स्टाम्प

16.00.00

18.71.85

+2.71.85

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिक्य के कारण सचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

int hr&
nRrer&

(iv) ₹ 6.94 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्थण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

vurku | a; k 92 & l dfr foHkkx

ed[; 'kh"kl

dy vurku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

; k

fofu; kx

cpr &

% gtlj #i; kae %

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें तथा

2205- कला एवं संस्कृति

nRrer&

मूल

25,59,36

पूरक

2,20

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

25,61,56

23,19,26

-2,42,30

i Hkfj r&

मूल

5

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

5

..

-5

5

i thxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल

17,18,95

पूरक

27,12,46

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2010)

44,31,41

39,57,63

-4,73,78

4,73,78

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 2,42.30 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, ₹ 2,53.43 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।
- (ii) ₹ 2,42.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया ₹ 2.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dyv vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

1/4 yk[k #i;k e# 1/4

2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	2,72.76				
पुनर्विभाजन	-71.87	2,00.89	2,02.15	+1.26	

₹ 71.87 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

2205- कला एवं संस्कृति—

101- ललित कला शिक्षा—

16- उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध

संस्थान, लखनऊ को अनुदान—

मूल	9.41				
पुनर्विभाजन	-5.01	4.40	4.40	..	

₹ 5.01 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 3.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1.61 लाख का अभ्यर्पण पुरस्कार कार्यक्रम स्थगित होने के कारण हुआ ।

103- पुरातत्व विज्ञान—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	89.42				
पुनर्विभाजन	-25.09	64.33	65.44	+1.11	

₹ 25.09 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

104- अभिलेखागार—

03- राज्य अभिलेख—

मूल	2,43.71				
पुनर्विभाजन	-29.84	2,13.87	2,13.74	-0.13	

₹ 29.84 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत / व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010) ।

' kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

½ yk[k #i; ka e½

800- अन्य व्यय—

11- कला एवं संस्कृति की शिक्षा, लोक परम्पराओं
का वीडियो अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों एवं
वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना—

मूल	10.00
पुनर्विभाग	-10.00

₹ 10.00 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 7.10 लाख की कमी के कारण सूचित
नहीं किये गये हैं। ₹ 2.90 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :—

2205- कला एवं संस्कृति—

101- ललित कला शिक्षा—

08- भारतेन्द्र नाट्य अकादमी

लखनऊ को अनुदान—

मूल	1,06.63	1,16.01	1,16.01	..
पुनर्विभाग	9.38			

प्रावधान में ₹ 9.38 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

i thxr&

nRrer&

(v) ₹ 4,73.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2009 में प्राप्त किया गया

₹ 27,12.46 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के
अधीन हुई :—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

04- कला तथा संस्कृति—

106- संग्रहालय—

05- संग्रहालयों का आधुनिकीकरण

एवं सुदृढ़ीकरण—

मूल	67.42	29.67	29.67	..
पुनर्विभाग	-37.75			

₹ 37.75 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 37.42 लाख की कमी के कारण सूचित
नहीं किये गये हैं। ₹ 0.33 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

'kh"kz

dy vunku okLrfod 0; ;

$\nabla f / k d \theta ; +$

cpr -

$\frac{1}{4} yk[k \# i; k] \approx \frac{1}{2}$

09- महापुरुषों की मूर्तियों

का निर्माण—

मूल	1,00.00			
पूरक	26,74.95	22,35.73	22,35.73	
पुनर्विनापन	-5,39.22			

₹ 5,39.22 लाख की कुल बचत में से, ₹ 4,73.44 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 65.78 लाख की कमी के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

(vii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—

04- कला तथा संस्कृति-

106- संग्रहालय—

03- बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के

अन्तर्गत ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों,

सार्वजनिक पस्तकालयों संग्रहालयों एवं

अभिलेखागारों का प्रतिरक्षण एवं संरक्षण—

मूल	12,01.52			
पूरक	16.77	12,84.07	12,84.07	
पुनर्विदी	65.78			..

प्रावधान में ₹ 65.78 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- संग्रहालयों का भवन निर्माण-

पुनर्विं०

37,42

37.42

37.42

2

प्रावधान में ₹ 37.42 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

vunku | a; k 95& fl pkbz foHkkx 1/af/k"Bku1/

ek; 'kh"kl	dy vunku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
------------	--------------------------	--------------	-----------------------

%tkj #lk; ka e%

jktLo&

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें,

2551- पहाड़ी क्षेत्र तथा

2701- मध्यम सिंचाई

nRrer&

मूल	15,85,40,09			
पूरक	..	15,85,40,09	15,68,63,91	-16,76,18
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)				51,70,71

i Hkkfj r&

मूल	50,00			
पूरक	..	50,00	6,15	43,85
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)				25,33

i Hkxr&

4551- पहाड़ी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय,

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा

6551- पहाड़ी क्षेत्र के लिए कर्ज

nRrer&

मूल	2,78,93,20			
पूरक	..	2,78,93,20	2,78,06,32	-86,88
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)				29,56,74

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय ₹ 15,68,63.91 लाख में वर्ष 1991-92, 1994-95, 1999-2000 तथा 2000-2001

की आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 34,88.32 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 51,64.50 लाख (₹ 16,76.18 लाख + ₹ 34,88.32 लाख) की अन्तिम बचत के विस्तर,

₹ 51,70.71 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

'k\h"kl d\y vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -
 \y\k[k #lk; k\ e\k

2701- मध्यम सिंचाई—

02- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- निदेशन—

मूल	1,11,23.29				
पुनर्वि०	-24,03.22	87,20.07	96,83.43	+9,63.36	

₹ 24,03.22 लाख की कुल बचत में से, ₹ 14,03.22 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(iv) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआः—

2551- पहाड़ी क्षेत्र—

60- अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

116- जलपूर्ति—

03- जल निगम को सहायता

.. 14,22.95 +14,22.95

वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1994-95 तथा 1999-2000 से सम्बंधित है।

145- वनिकी तथा वन्य जीवन—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें .. 89.50 +89.50

वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1991-92 से सम्बंधित है।

13- टेहरी बांध की प्राथमिक इकाई

के अन्तर्गत वानिकी— .. 1,00.00 +1,00.00

वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1991-92 से सम्बंधित है।

30- केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य

जीव विहार योजना .. 7.00 +7.00

वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1999-2000 से सम्बंधित है।

33- रामपुर हल्द्वानी मार्ग पर

निर्बन्धीकरण के सापेक्ष

मुआवजा का भुगतान .. 17.64 +17.64

वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1991-92 से सम्बंधित है।

151- सहकारिता—

10- समेकित सहकारिता विकास की

विस्तृत योजना की तैयारी हेतु

सहायता .. 1.77 +1.77

वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1999-2000 से सम्बंधित है।

' kh"kz d̥y vurnku okLrfod ɻ; ; vf/kd ɻ; ; +
cpr -
/yklk #lk; kg e12

153- भूमि सुधार-

07- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम .. 1,01.19 +1,01.19
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपर्ति वर्ष 1991-92 से सम्बंधित है।

154- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

06- भवनों का निर्माण .. 77.00 +77.00
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपर्ति वर्ष 1991-92 से सम्बन्धित है।

181- उत्तराखण्ड राज्य का गठन-

03- अधिष्ठान सुविधायें .. 16,69.96 +16,69.96^{वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपर्ति वर्ष 2000-2001 से सम्बन्धित है।}

30- केदारनाथ कस्तरी मुग वन्य

जीव विहार योजना .. 1.30 +1.30
तास्त्रिक द्वाया आकस्मिकता विषि प्रतिवार्षि वर्ष 1999-2000 से समर्पित है।

2701 संदर्भ सिंचाई-

02- संदर्भ सिंचार्व ताणिलिङ्क-

001- निटेशन तथा पशासन-

05- कार्यकारी अधिकान/सिंचार्ड विभाग के

कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों
एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेत

एकमुश्त व्यवस्था) 40,00.00 40,14.15 +14.15
जागेकूल शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्यापारिका के कागज संचित नहीं किये गये हैं (जन 2010)।

j kkkfir&

(v) वास्तविक दाया ₹ 6.15 लाख आकस्मिकता निधि प्रतिपर्वि वर्ष 1994-95 से सम्बंधित है।

(vi) ₹ 50.00 लाख (₹ 43.85 लाख + ₹ 6.15 लाख) की अन्तिम बचत में से मात्र

रुपये 25 33 लाख अमार्पण के लिये पद्धतिशील किये जा सके।

(vii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यायाधिक्रम द्वारा आंशिक रूप से परिसंतलित) निम्न के अधीन

-

$\frac{1}{4}yk[k \neq k; k \in \mathbb{N}]$

2701- मध्यम सिंचाई-

02- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- कार्यकारी अधिष्ठान-

মূল	50.00
পুনর্ধী0	-25.33

24.67 .. -24.67

₹ 25.33 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हआ।

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr -
kyk[k #lk; ka ekk]

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग प्रत्येक वर्ष अप्रयुक्त रहा।
 उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
 (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2701- मध्यम सिंचाइ-

01- मुख्य सिंचाइ वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- शीर्ष उपलब्ध नहीं	..	6.15	+6.15
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1994-95 से सम्बंधित है।			

~~i nthxr&~~

~~nRrer&~~

(ix) ₹ 2,78,06.32 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1999-2000 तथा 2000-2001 के आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के ₹ 26,23.52 लाख कीधनराशि सम्मिलित है।

(x) ₹ 27,10.40 लाख (₹ 86.88 लाख + ₹ 26,23.52 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 29,56.74 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।

(xi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr -
kyk[k #lk; ka ekk]

4701- मध्यम सिंचाइ पर पूंजीगत परिव्यय-

02- मध्यम सिंचाइ वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- कार्यकारी अधिष्ठान-

मूल	2,14,67.67			
पुनर्विनाश	-21,22.08	1,93,45.59	1,92,26.00	-1,19.59
		₹ 21,22.08 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।		

05- अवशेषों का भुगतान-

मूल	40,64.07			
पुनर्विनाश	-2,34.70	38,29.37	36,60.94	-1,68.43
		₹ 2,34.70 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।		

' kh"kl
 dḡ vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr -
 /ykl[k #lk; k e/

07- सिंचाई विकास एवं बाढ़

नियंत्रण आयोग—

मूल	28.56		5.63	5.61	-0.02
पुनर्विधि	-22.93				

₹ 22.93 लाख का अभ्यर्थण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2010)।

(xii) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4551- पहाड़ी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय—

60- अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

104- उच्चतर शिक्षा—

01- राजकीय विद्यालयों में त्रिवर्षीय कक्षाओं

का निर्माण	..	39.50	+ 39.50
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1993-94 से सम्बंधित है।			

06- राजकीय डिग्री कालेजों में भवन

का निर्माण	..	2,19.80	+2,19.80
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1999-2000 से सम्बंधित है।			

106- शिक्षा—

01- अल्मोड़ा में सभागार का निर्माण

वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1987-88 से सम्बंधित है।	..	5.00	+5.00
---	----	------	-------

107- तकनीकी शिक्षा—

02- विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत

बहुउद्देशीय संस्थान का निर्माण	..	6,50.00	+6,50.00
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1995-96 से सम्बंधित है।			

110- चिकित्सा—

03- ऋषिकेस, देहरादून में राजकीय

चिकित्सालय भवन का निर्माण	..	90.00	+90.00
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1994-95 से सम्बंधित है।			

127- तकनीकी शिक्षा—

02- अनुसूचित जनजाति के लिये महिला

छात्रावास का निर्माण	..	12.25	+ 12.25
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1993-94 से सम्बंधित है।			

03- पिथौरागढ़ में राजी अनुसूचित जनजाति

के प्रशिक्षण भवन का निर्माण	..	2.00	+ 2.00
वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1993-94 से सम्बंधित है।			

' kh"kl
 dḡ vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr -
 /yklk #lk; kse/

142- पशुपालन-

02- नये मुर्गीपालन प्रक्षेत्रों की स्थापना,
 मुर्गीपालन प्रक्षेत्रों का विस्तार और
 सुदृढ़ीकरण .. 25.00 + 25.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1987-88 तथा 1993-94 से सम्बंधित है।

144- मत्स्यपालन-

03- हेचरियों का रखरखाव .. 18.09 + 18.09
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1990-91 से सम्बंधित है।

151- सहकारिता-

03- सहकारिता विपणन योजना के अन्तर्गत अंशपूंजी विनियोजन .. 12.50 + 12.50
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1995-96 से सम्बंधित है।

04- कय विक्रय योजना के अन्तर्गत राज्य भण्डागार निगम में अंशपूंजी विनियोजन .. 20.00 + 20.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1995-96 से सम्बंधित है।

07- एन. सी. डी. सी. द्वारा प्रायोजित

गोदामों का निर्माण .. 26.46 + 26.46
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1990-91 से सम्बंधित है।

161- सहकारिता-

05- सहकारी विपणन भण्डागार गोदामों में अंशपूंजी विनियोजन .. 8.50 + 8.50
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1987-88 से सम्बंधित है।

164- ग्राम्य तथा लघु उद्योग-

02- उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक निगम में अंशपूंजी विनियोजन .. 92.06 + 92.06
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1990-91 तथा 1993-94 से सम्बंधित है।

03- कुमाऊं डिवीजन विकास बोर्ड

में अंशपूंजी विनियोजन .. 41.80 + 41.80
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1990-91 से सम्बंधित है।

169- सड़कें तथा सेतु-

01- मंसूरी में मोतीलाल नेहरू मार्ग की मरम्मत (गांधी चौक से पार्क टाल तक) .. 6.00 + 6.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1994-95 से सम्बंधित है।

' kh"kl
 dḡ vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 .. cpr -
 /yklk #lk; ksekk

170- सङ्क परिवहन—

01- पौड़ी में कारखाने का और पुरोला, उत्तरकाशी
 में बस स्टैण्ड का निर्माण .. 50.00 + 50.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1990-91 से सम्बंधित है।

173- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ—

02- उत्तराखण्ड में विश्व बैंक द्वारा
 प्रायोजित योजना के अन्तर्गत
 भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में मरम्मत
 और निर्माण कार्य .. 3,40.00 + 3,40.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1993-94 से सम्बंधित है।

175- पर्यटन—

18- जोशीमठ चमोली में शीतकालीन
 खेल केन्द्र में स्कीयिंग लिफ्ट
 का निर्माण .. 4,14.00 + 4,14.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1991-92 से सम्बंधित है।

19- पर्वतीय क्षेत्र में रोडवेज सुविधा .. 74.37 + 74.37
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1991-92 से सम्बंधित है।

177- ग्राम्य तथा लघु उद्योग—

07- कुमार्यू मण्डल विकास निगम लिमिटेड
 में अंशपूँजी विनियोजन .. 40.00 + 40.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1987-88 से सम्बंधित है।

178- वित्तीय संस्थान—

01- पिथौरागढ़ में रनवे का निर्माण .. 53.72 + 53.72
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1993-94 से सम्बंधित है।
 03- उत्तरकाशी में रनवे का निर्माण .. 1,00.00 + 1,00.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1993-94 से सम्बंधित है।

181- उत्तराखण्ड राज्य अधिष्ठान—

03- अधिष्ठान सुविधा .. 57.03 + 57.03
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 2000-2001 से सम्बंधित है।

193- सङ्कें तथा सेतु—

02- बी. डी. आर. ई. नदी पर पानीपत-खटीमा
 एन. एच. 12 पर सेतु का निर्माण .. 12.00 + 12.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1987-88 से सम्बंधित है।

' kh"kl
 dg̥ vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
 cpr -
kyk[k #lk; k ekk

198- पर्यटन-

- 04- गढ़वाल मण्डल विकास निगम में
 अंशपूंजी विनियोजन .. 20.00 + 20.00
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1987-88 से सम्बंधित है।
- 203- लोक निर्माण सामान्य विभागीय
 आवास—
- 01- भवन .. 1,90.42 + 1,90.42
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1987-88, 1990-91, 1991-92 तथा 1995-96 से
 सम्बंधित है।
- 6551- पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कर्ज—
- 60- अन्य पहाड़ी क्षेत्र—
- 164- ग्राम्य और लघु उद्योग विकास—
- 10- कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड
 में अंशपूंजी विनियोजन .. 3.02 +3.02
 वास्तविक व्यय आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति वर्ष 1993-94 से सम्बंधित है।

vunku | a; k 96&fl pkbz foHkkx 1/uekz k dk; h

ed[; 'kh"kl	dy vunku ; k	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	fofu; kx		cpr &
		1/gtkj #lk; ka e\$	

jktLo&

- 2700- मुख्य सिंचाई,
- 2701- मध्यम सिंचाई,
- 2702- लघु सिंचाई तथा
- 2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास

nRrer&

मूल	14,08,94,41			
पूरक	..	14,08,94,41	12,50,42,60	-1,58,51,81

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010) 2,81,39

i thxr&

- 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा
- 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	26,30,90,56			
पूरक	..	26,30,90,56	26,08,77,76	-22,12,80
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2010)				6,52,70,05

i Hkkfj r&

मूल	10,00,00			
पूरक	..	10,00,00	6,72,90	-3,27,10

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

fVif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 1,58,51.81 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,81.39 लाख अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित किये जा सके।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dy vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		%ykl[k #lk; kse	

2700- मुख्य सिंचाई—

04- अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)—

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	9,35.18	7,85.18	7,85.53	+0.35
पुनर्विद्युत	-1,50.00			

प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- लोअर गंगा नहर (वाणिज्यिक)—

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	11,67.66	10,17.66	10,15.36	-2.30
पुनर्विद्युत	-1,50.00			

प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)—

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	10,25.30	8,87.40	8,89.41	+2.01
पुनर्विद्युत	-1,37.90			

प्रावधान में ₹ 1,37.90 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की कमी तथा ₹ 12.10 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- बेतवा नहर (वाणिज्यिक)—

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	4,32.34	3,51.13	3,50.91	-0.22
पुनर्विद्युत	-81.21			

प्रावधान में ₹ 81.21 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 83.00 लाख की कमी तथा ₹ 1.79 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- ब्याज 2,18,85.28 1,77,92.82 -40,92.46

' kh"kl dly vunku okLrfod vf/kd 0; ; \$
 0; ; cpr &

1/2k[k #lk; k e12

2701- मध्यम सिंचाई—

05- घाघर व गरद्द नहरें (वाणिज्यिक) —

101- रख-रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख-रखाव व्यय—

मूल	1,35.46	94.31	97.84	+3.53
पुनर्विद्या	-41.15			

प्रावधान में ₹ 41.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- बेलन नहर (वाणिज्यिक) —

101- रख-रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख-रखाव व्यय—

मूल	94.54	65.96	69.54	+3.58
पुनर्विद्या	-28.58			

प्रावधान में ₹ 28.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- केन नहर (वाणिज्यिक) —

101- रख-रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख-रखाव व्यय—

मूल	1,79.37	1,14.32	1,17.00	+2.68
पुनर्विद्या	-65.05			

प्रावधान में ₹ 65.05 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

09- तुमसिया योजना (वाणिज्यिक) —

101- रख-रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख-रखाव व्यय—

मूल	44.03	37.56	37.56	..
पुनर्विद्या	-6.47			

प्रावधान में ₹ 6.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- चन्द्रप्रभा नहर (वाणिज्यिक) —

101- रख-रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख-रखाव व्यय—

मूल	31.58	20.83	21.32	+0.49
पुनर्विद्या	-10.75			

प्रावधान में ₹ 10.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
 0; ; cpr &

॥ykl[k #lk; kse॥

16- ललितपुर नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	26.72	17.03	17.02	-0.01
पुनर्विनियोग	-9.69			

रुपये ₹ 9.69 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

17- गुरसराय नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	34.25	28.34	28.36	+0.02
पुनर्विनियोग	-5.91			

रुपये ₹ 5.91 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

19- धसान नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	58.93	49.56	49.20	-0.36
पुनर्विनियोग	-9.37			

प्रावधान में ₹ 9.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

20- जामिनी नहरें (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	55.33	36.46	36.46	..
पुनर्विनियोग	-18.87			

₹ 18.87 लाख की कुल बचत में से, ₹ 13.58 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 5.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

21- कर्मनाशा नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	78.19	54.24	48.51	-5.73
पुनर्विनियोग	-23.95			

₹ 23.95 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

' kh"kl
dly vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
0; ; cpr &
%ykl[k #lk; kse%

22- पीली बॉथ व नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	1,80.62			
पुनर्विद्युत	-26.84	1,53.78	1,53.77	-0.01

₹ 26.84 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

23- बेगुल जलाशय (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	1,69.24			
पुनर्विद्युत	-37.15	1,32.09	1,34.45	+2.36

₹ 37.15 लाख की कुल बचत में से, ₹ 33.53 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 3.62 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	77.48			
पुनर्विद्युत	-20.78	56.70	56.69	-0.01

प्रावधान में ₹ 20.78 लाख की कमी किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

28- नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	1,81.84			
पुनर्विद्युत	-48.36	1,33.48	1,30.54	-2.94

प्रावधान में ₹ 48.36 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 49.75 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 1.39 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vupku
okLrfod
vf/kd 0; ; \$
0; ;
cpr &

॥ykl[k #lk; kse॥

30- क्वानों पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	63.26			
पुनर्विनियोग	-19.47			

₹ 19.47 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

34- सोन पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	37.71			
पुनर्विनियोग	-5.24			

₹ 5.24 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

35- सरयू पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख—रखाव और मरम्मत—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	65.22			
पुनर्विनियोग	-15.58			

₹ 15.58 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 17.33 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 1.75 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- ब्याज 3,01,59.51 61,99.10 -2,39,60.41
2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 2,15,81.67 लाख (प्रावधान का 72 प्रतिशत), ₹ 2,23,64.27 लाख (प्रावधान का 74 प्रतिशत) तथा ₹ 2,31,62.40 लाख (प्रावधान का 77 प्रतिशत) की बचत थी।

06- पं० दीनदयाल उपाध्याय सिंचाई एवं

सांस्कृतिक संग्रहालय व उद्यान

परिसर का अनुरक्षण कार्य—

मूल	10.00			
पुनर्विनियोग	-10.00			

₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

' kh"kz dʒy vɯŋku okLrfod vf/kd ə; ; \$
0; ; cpr &

$\frac{1}{4}yk[k \neq k; k \in e]$

2702- लघु सिंचाई-

01- सतही जल-

800- अन्य व्यय—

03- ब्याज 40,37.00 7,92.65 -32,44.35

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 35,43.82 लाख

(प्रावधान का 88 प्रतिशत), ₹ 35,25.41 लाख (प्रावधान का 87 प्रति-

₹ 32,60.03

03- रख-रखाव-

१०२- उद्योग संस्थाइ घोषणाः—

अन्य रक्ष-रक्षाप्रदाय 47,40.00 57,04.09

(— 2010).

(iii) वायाधिका मात्रावः विन्द के अधीन हैं।

2700 मराठा सिंचार्फ-

80 *JHR*

799- उत्तर-

03- सण्डार ज्यूनियर 38 25 22 +38 25 22

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 35,46,27 लाख

₹ 28,69,30 लाख तथा ₹ 21,19,53 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हआ था।

04- विविध कार्य अधिकारी 34 96 01 +34 96 01

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 36,05,69 लाख

₹ 20,53,00 लाख तथा ₹ 2,53,65,33 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हआ था।

2701- सध्यम सिंचाई-

08- दोहरी घाट पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत-

03- अन्य रख-रखाव व्यय-

ਮੂਲ	1,77.78			
ਪਨਾਵਿ	-4.01	1,73.77	1,83.67	+9.90

प्रावधान में ₹ 4.01 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 10.33 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 6.32 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत-

03- अन्य रख—रखाव व्यय 62.92 80.01 +17.09

' kh"kz dʒy vurku okLrfod vf/kd ə; \$
0; ; cpr &

$\frac{1}{4}yk[k \neq k; k \in \mathbb{N}]$

64- कैनाल कालोनी लखनऊ (अवाणिज्यिक)-

101- रख-रखाव और मरम्मत-

03- अन्य रख-रखाव व्यय-

مُول	17.19		1,92.19	1,92.19	..
پُونر्विंہ	1,75.00				

प्रावधान में ₹ 1,75.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

71- पचवारा नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत-

03- अन्य रख-रखाव व्यय-

মূল	0.01			
পুনর্বিন্দু	3.09	3.10	3.10	..

प्रावधान में ₹ 3.09 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

72- बरुरा सागर नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत-

03- अन्य रख-रखाव व्यय-

مूल	0.01		3.29	3.29	..
पनविं	3.28				

प्रावधान में ₹ 3.28 लाख की वट्टि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

73- स्थावरी नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)–

101- रखु—रखाव और मरम्मत-

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	0.01		3.44	3.44	..
पनर्वि0	3.43				

पावधान से ₹ 343 लाख की वट्टि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

80 **THE**

700 उत्तर-

03- ભાગ્યાર ઉદ્ઘાત

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी इस शीर्ष के अन्तर्गत कमज़ोर ₹ 13,51,09 लाख

₹ 14,61,26 लाख तथा ₹ 16,65,75 लाख का व्यय बिना पावधान के हुआ था।

04- वित्तिधि कार्य अधिस

10.98.18 +10.98.18

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 11,68,97 लाख

₹ 7 89 30 लाख तथा ₹ 7 19 35 लाख का व्यय बिना पावधान के हुआ था।

' kh"kl
dly vunku
okLrfod
vflkd 0; ; \$
0; ;
cpr &
%ykl[k #lk; kse%

800- अन्य व्यय—

11- कालिन्दी कुंज (आगरा नहर) —

मूल	50.00		1,06.50	1,06.50	..
पुनर्विंशति	56.50				

प्रावधान में ₹ 56.50 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2702- लघु सिंचाई—

02- सतही जल—

800- अन्य व्यय—

03- ब्याज

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः व्यय प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 25,56.17 लाख, प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 29,75.72 लाख तथा प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 26,98.75 लाख अधिक था।

04- नये पम्प सेट लगाना/गूलों का

जीर्णोद्धार 10,04.93 10,47.54 +42.61

03- रख—रखाव—

103- नलकूप—

03- अन्य रख—रखाव व्यय—

मूल	4,47,00.00		4,46,10.80	4,55,70.28	+9,59.48
पुनर्विंशति	-89.20				

₹ 89.20 लाख की कुल बचत में से, ₹ 49.06 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 40.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य—

052- मशीनरी तथा उपस्कर—

03- नवीन सम्पूर्ति 2.40 8.56 +6.16

799- उचन्त—

03- भण्डार उचन्त .. 2,06.67 +2,06.67

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 1,73.36 लाख, ₹ 1,86.46 लाख तथा ₹ 2,24.46 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हुआ था।

04- विविध कार्य अग्रिम

.. 6.03 +6.03

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 37.98 लाख, ₹ 30.08 लाख तथा ₹ 45.16 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हुआ था।

2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास—

01- बाढ़ नियन्त्रण—

103- सिविल निर्माण—

03- सिविल निर्माण 29,01.07 30,17.96 +1,16.89

' kh"kl	dly vupku	okLrfod l; ;	vf/kd l; ; \$ cpr &
<i>lyk[k #lk; k e</i>			

03- जल निकास-

103- सिविल निर्माण-

03- सिविल निर्माण	6,53.40	10,80.03	+4,26.63
-------------------	---------	----------	----------

04- सोडिक ड्रैनों का अनुरक्षण

पुनर्विं०	6,33.00	6,33.00	1,25.00	-5,08.00
-----------	---------	---------	---------	----------

प्रावधान में ₹ 6,33.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य/बिना प्रावधान के व्यय किये जाने के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2010)।

(iv) *mpUlr yu&npu:-*

लघु शीर्ष “उचन्त” अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अन्तिम रूप से लेखे में दर्ज किये जाने से पूर्व जहां और अदायगियां या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहां अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार, इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अन्तिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाये जाते हैं। उचन्त के तीन उप प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1)स्टाक, (2)विविध निर्माण कार्य पेशगियां और (3)वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) स्टाक:- इस शीर्ष में उस सामग्री का मूल्य नामें डाला जाता है जो स्टाक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण-कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामें शेष दिखलायेगा जो स्टाक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) विविध निर्माण कार्य-पेशगियां:- इस शीर्ष में उधार में बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के लिए नामें राशियां होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामें शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) वर्कशाप उचन्त- विभागीय वर्कशापों में किये गये कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामें डाले जाते हैं।

2009-2010 के लेन-देन का विश्लेषण और आदि शेष तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

(4) लोक निर्माण विभाग की स्थापना, औजार और संयंत्र के प्रभारों का यथानुपात वितरणः— अन्य सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों आदि के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये कार्य के लिए विभाग के सकल प्रभारों से स्थापना, औजार और संयंत्र प्रभारों के लिये प्रतिशत वसूलियां काट ली जाती हैं और निवल प्रभार सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षों में ऐसे प्रत्येक शीर्ष के विशेष स्थापनाओं (यदि कोई हो) द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों पर होने वाले परिव्यय को छोड़कर वास्तविक निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित कर दिये जाते हैं।

निदेशन एवं प्रशासन और मशीनरी एवं उपस्कर प्रभारों की समीक्षा परिशिष्ट -IV में दी गयी है।

i mthxr&
nRrer&

- (v) ₹ 26,08,77.76 लाख के वास्तविक व्यय में ₹ 60.89 लाख वर्ष 1994-95 की आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति के सम्मिलित हैं।
- (vi) ₹ 22,73.69 लाख (₹ 22,12.80 लाख + ₹ 60.89 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 6,52,70.05 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का घोतक था।
- (vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—

' kh"kl	dly vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

07- सरयू नहर परियोजना(वाणिज्यिक) —

051- निर्माण—

05- ए0 आई0 बी0 पी0 पोषित—

मूल	96,59.00			
पुनर्विभीत	-44,53.00	52,06.00	57,10.45	+5,04.45

₹ 44,53.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से मैचिंग ग्राण्ट की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

08- बाण सागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक) —

051- निर्माण—

05- ए0 आई0 बी0 पी0 तथा नाबार्ड पोषित—

मूल	2,68,27.00			
पुनर्विभीत	-28,20.25	2,40,06.75	2,44,95.06	+4,88.31

₹ 28,20.25 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से मैचिंग ग्राण्ट की द्वितीय किश्त की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kl
 dly vupku
 okLrfod
 0; ;
 /ykl[k #lk; ka ekl
 vf/kd 0; ; \$
 cpr &

10- कनहर सिंचाई योजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	2,00.00				
पुनर्विद्धि	-2,00.00				

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

15- निचली गंगा नहर प्रणाली की क्षमता

पुनर्स्थापना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- नाबाड़ पोषित–

मूल	10,00.00				
पुनर्विद्धि	1,00.00				

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

19- वाह्य सहायतित योजनाएँ (वाणिज्यिक)–

800- अन्य व्यय–

97- वाह्य सहायतित योजनाएँ–

मूल	3,20,00.00				
पुनर्विद्धि	-1,75,00.00				

₹ 1,75,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,26,40.51 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने तथा प्रावधान में ₹ 48,59.49 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

20- अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- ए0 आई0 बी0 पी0 पोषित–

मूल	30,00.00				
पुनर्विद्धि	-13,00.00				

₹ 13,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 10,37.92 लाख का अभ्यर्पण पहली किश्त विलम्ब से प्राप्त होने तथा दूसरी किश्त भारत सरकार से प्राप्त न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 2,62.08 लाखकी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

22- नहरों की लाईनिंग से जल संरक्षण–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	13,87.00				
पुनर्विद्धि	-6,37.00				

प्रावधान में ₹ 6,37.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl	dly vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &

॥ykl[k #lk; kg e॥

30- जनपद बलिया में दोहरी घाट सहायक
पम्प नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना
(वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- नाबार्ड पोषित–

मूल	3,00.00		
पुनर्विद्धि	-2,55.00		

₹ 2,55.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 2,05.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

34- समानान्तर हिण्डन कट नहर के
निर्माण की परियोजना(वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- नाबार्ड पोषित–

पुनर्विद्धि	2,50.00	2,50.00	..	-2,50.00
-------------	---------	---------	----	----------

37- पूर्ण योजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर
का भुगतान(वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	15,00.00		
पुनर्विद्धि	-5,00.00		

प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

38- मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय
चरण (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- ए० आई० बी० पी० पोषित–

मूल	2,00,00.00		
पुनर्विद्धि	-20,00.00		

₹ 20,00.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से मैचिंग ग्राण्ट की दूसरी किशत देर से प्राप्त होने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
 0; ; cpr &
 %yklk #lk; kae%

39- बदायूं सिंचाइ योजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- ए0 आई0 बी0 पी0 पोषित–

मूल	68,00.00
पुनर्विद्युति	-68,00.00

₹ 68,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,45.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 66,55.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

40- शारदा नहर की खीरी शाखा प्रणाली की सिंचन क्षमता वृद्धि की परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	4,24.00				
पुनर्विद्युति	-3,27.79	96.21	1,04.00	+7.79	

₹ 3,27.79 लाख की कुल बचत में से, ₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण तथा प्रावधान में ₹ 3,17.79 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

44- सरयू लिंक नहर के कि.मी. 0.00 से 1.00 तक लाइनिंग की परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	1,00.00				
पुनर्विद्युति	-65.00	35.00	22.80	-12.20	

प्रावधान में ₹ 65.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

48- रिलायन्ट पावर प्रोजेक्ट हेतु ऊपरी गंगा नहर से 150 क्यूसेक जलापूर्ति हेतु लाइनिंग की परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	3,00.00				
पुनर्विद्युति	-3,00.00	

प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vupku
okLrfod
vflkd 0; ; \$
0; ;
cpr &

1/2/k[k #lk; k e12

49- रामगंगा पोषक नहर के किमी 0.40 से
4.05 एवं 73.00 से 78.00 तक लाइनिंग
की परियोजना—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	2,08.00			
पुनर्विद्युत	-2,08.00

प्रावधान में ₹ 2,08.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

50- शारदा सहायक पोषित नहर की
किमी 128.250 से 129.250 तक
एवं 173.580 से 174.580 तक लाइनिंग
की परियोजना—

051- निर्माण—

05- नाबार्ड पोषित—

मूल	1,00.00			
पुनर्विद्युत	-1,00.00

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

51- चौधरी चरण सिंह देवकली पम्प नहर की
कंकीट लाइनिंग की परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

05- नाबार्ड पोषित—

मूल	2,99.00			
पुनर्विद्युत	-1,01.08	1,97.92	1,97.93	+0.01

₹ 1,01.08 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

59- विभिन्न नहरों के पुलों साइफनों पशु
घाटों आदि का निर्माण (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	5,08.07			
पुनर्विद्युत	-4,09.09	98.98	1,52.32	+53.34

प्रावधान में ₹ 4,09.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vupku
okLrfod
vf/kd 0; ; \$
0; ;
cpr &

1/2k[k #lk; kse

60- विभिन्न राजवाहे, अतिका, नहर पटरी
एवं माइनर फीडर आदि का निर्माण
(वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	13,93.04			
पुनर्विद्धि	-4,03.50	9,89.54	8,32.78	-1,56.76

₹ 4,03.50 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 57.24 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता
न होने के कारण तथा प्रावधान में ₹ 5,03.50 लाख की कमी तथा ₹ 1,57.24 लाख की
वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

61- विभिन्न परियोजनाओं की क्षमता
पुनर्स्थापना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	13,57.03			
पुनर्विद्धि	-4,48.54	9,08.49	9,08.56	+0.07

₹ 4,48.54 लाख की कुल बचत में से, ₹ 7.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के
कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 4,41.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

63- सिंचार्ड खण्ड कानपुर का मुख्यालय
कानपुर देहात पर किये जाने की
परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित

1,06.00 87.73 -18.27

65- मध्य गंगा नहर के अवशेष कार्य
(वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	73.00			
पुनर्विद्धि	-73.00

₹ 73.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

69- गणक नहर प्रणाली की क्षमता पुर्नस्थापना
(वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

05- ए० आई० बी० पी० पोषित-

ਮੂਲ	67,97.00				
ਪੁਨਰ्वਿੰਦ	-67,80.80	16.20	..		-16.20

₹ 67,80.80 लाख की कुल बचत में से, ₹ 43,80.80 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से स्थीकृत प्राप्त न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 24,00.00 लाख की कमी के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

70- हरदोई शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना

(वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

05- ए० आई० बी० पी० तथा नाबार्ड पोषित-

মূল	36,02.00				
পনর্বিদ্র	-9,00.50	27,01.50	26,97.21	-4.29	

प्रावधान में ₹ 9,00,50 लाख की कमी के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

71- शारदा सहायक प्रणाली की क्षमता

पनस्थर्पना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

05- ए0 आई0 बी0 पी0 पोषित-

मूल	95,00.00		10,40.00	10,40.00	..
पन्नविंशति	-84,60.00				

₹ 84,60.00 लाख का अर्भ्यपण भारत सरकार से पहली किश्त विलम्ब से प्राप्त होने तथा दूसरी किश्त प्राप्त न होने के कारण हआ।

72- कर्मनाशा कट नहर की लाइनिंग

(वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

05- नाबाड्ड पोषित-

मूल	3,24.00			
पनवि०	-3,24.00			

₹ 3,24.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,32.38 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 1,91.62 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

73- अहरौरा हाई लेविल फीडर चैनल की
लाइनिंग (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

মূল	1,07.00				
পনর্বি	-24.67	82.33	83.43	+1.10	

प्रावधान में ₹ 24.67 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

74- शारदा सहायक परियोजना द्वितीय
चरण (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

মূল	1,00.00	
পুনর্বিন্দি	-1,00.00				

प्रावधान में ₹ 1,00,00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

77- अनुपश्चात् शाखा के कि.मी. 0.00 से
कि.मी. 131.94 तक क्षमता पुर्णस्थापना-

051- निमोण-

03- राज्य वित्त पोषित-

ਮੂਲ	3,00.00	
ਪੁਨਰ्वਿੰਗ	-3,00.00	
ਜਾਰੀ ਹੋਏ	₹ 3,00.00	ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੁਧਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ॥

प्रावधान में ₹ 3,00,00 लाख का कमा के कारण सूचत नहीं किया गया है।

18- अनुपसंहर शाखा के १००•मा• ०.०० स
कि•मी• 90.10 तक बैंक के किनारे

८५

051-1111-0

राज्य वित्त पाषत-	
मूल	3,00.00
पुनर्विना	-3,00.00

प्रावधान में ₹ 3,00,00 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

८०- सामाज्य-

052- ਸ਼੍ਰੀਨਾਨੀ ਤਥਾ ਉਪਸ਼ਕਰ-

03- नवीन सम्पर्ति-

মূল	20,64.00		6,31.49	6,31.84	+0.35
পর্যবেক্ষণ	-14,32.51				

पावधान से ₹ 14,32,51 लाख की कमी के कारण संचित नहीं किये गये हैं।

' kh^hkz d^gy vurku okLrfod vf/kd ɬ; ; \$
0; ; cpr &

$\frac{1}{4}yk[k \neq k; k \in e]$

87- क्योलारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

04- नाबाड्ड पोषित-

पुनर्विद्या 1,00.00 1,00.00 .. -1,00.00
प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

88- राजघाट नहर निर्माण परियोजना (द्वितीय चरण) (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

04- नाबाड्ड पोषित-

पुनर्विं 3,00.00 3,00.00 .. -3,00.00 प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

90- आवासीय एवं अनावासीय भवन (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

04- विभिन्न जनपदों में स्थापित कार्यालय
भवन, कालोनी, एप्रोच रोड आदि का
पनरुद्धार एवं संधार-

प्रावधान में ₹ 10.15 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

4701- मध्यम सिंचार्ड पर पंजीगत परिव्यय-

12- औंगासी पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित

46- विभिन्न नहरों की क्षमता पुनर्व्यापका

(वाणिज्यिक)–

- निर्माण -

03 गाड़ा टि

मुल

पुनर्विनापन -1,36.00

1.26.00 1.25.40 -0.60

प्रावधान में ₹ 1,36.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vupku
okLrfod
vflkd 0; ; \$
0; ;
cpr &
%yklk #lk; kae%

48- विभिन्न नहरों के राजवाहे, अल्पिका,

साइफन एवं फीडर चैनल का

निर्माण (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित

मूल	72.00				
पुनर्विनियोग	-45.50	26.50	26.50	..	

₹ 45.50 लाख की कुल बचत में से, ₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 30.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

52- सिंचार्ड विभाग में विभिन्न निरीक्षण

भवनों के जीर्णोद्धार एवं विस्तार के कार्य (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित

मूल	15,00.00				
पुनर्विनियोग	-10,93.42	4,06.58	3,96.35	-10.23	

₹ 10,93.42 लाख की कुल बचत में से, ₹ 93.42 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति जारी न होने के कारण किया गया तथा होने तथा प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

54- चौधरी चरण सिंह डलमऊ बी पम्प नहर

पुनर्स्थापना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- नाबार्ड पोषित–

मूल	3,16.00				
पुनर्विनियोग	-1,53.00	1,63.00	1,63.00	..	

₹ 1,53.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

71- जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत घाघरा नदी

के दायें तट पर गुप्तारा घाट का निर्माण

एवं कटान निरोधक कार्य–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित–

मूल	2,00.00				
पुनर्विनियोग	-2,00.00	

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
 0; ; cpr &

1/2/2023

72- जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत घाघरा नदी
 के दायें तट पर मिलान घाट का निर्माण
 एवं कटान निरोधक कार्य—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	2,00.00			
पुनर्विद्युत	-2,00.00			

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

73- जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत घाघरा नदी
 के दायें तट पर जानकी घाट का निर्माण
 एवं कटान निरोधक कार्य—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	2,00.00			
पुनर्विद्युत	-2,00.00			

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

75- जनपद बरेली में फरीदपुर ब्रांच की
 क्षमता पुनर्स्थापना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	1,57.00			
पुनर्विद्युत	-83.33	73.67	73.64	-0.03

प्रावधान में ₹ 83.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

79- बिराट सागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

05- ए0 आई0 बी0 पी0 पोषित—

मूल	20,00.00			
पुनर्विद्युत	-20,00.00			

₹ 20,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 6,39.50 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से
 स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 13,60.50 लाख की कमी के
 कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

004- शोध-

03- निर्माण कार्य-

মূল	10.00
পুনর্বিন্দু	-10.00

₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

052- मशीनरी तथा उपस्कर-

03- नवीन सम्पूर्ति-

مُول	4,41.00			
پُونر्विं	-2,00.00	2,41.00	2,19.17	-21.83

प्रावधान में ₹ 2,00,00 लाख की कमी के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

81- जनपद हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर में नहर बंदी के दौरान कराये जाने वाले कार्य

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

মূল	1,46.00
পুনর্বিন্দি	-1,46.00

प्रावधान में ₹ 1,46.00 लाख की कमी के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

86- रिलायंस पावर प्रोजेक्ट हेतु नूरपुर राजवाहे के डाइवर्जन की पुनरीक्षित परियोजना-

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

মূল	1,37.00
পুর্ণি০	-1,37.00

प्रावधान में ₹ 1,37.00 लाख की कमी के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

87- ग्राम हर्ष कटैना से निकलकर दरगाहपुर
भारौल तक निर्माणाधीन बदनपुर राजवाहे
की पनरीक्षित परियोजना—

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

مूल	1,84.00				
پुنर्विन	-93.89	90.11	87.92		-2.19

प्रावधान में ₹ 93.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh" k	dly vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &

॥ykl[k #lk; kg e॥

89- पं० दीनदयाल उपाध्याय पथरझ बांध के
झूब क्षेत्र में आ रहे ग्रामों में विद्युतीकरण-

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

मूल	66.00				
पुनर्विभाग	-20.10		45.90	55.95	+10.05

प्रावधान में ₹ 20.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

90- शारदा नहर के किनारे आवासीय

कालोनी का निर्माण-

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

मूल	1,50.00				
पुनर्विभाग	-1,50.00	

प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

03- उठाऊ सिंचाई-

मूल	34,19.86				
पुनर्विभाग	-19,30.58		14,89.28	10,04.31	-4,84.97

₹ 19,30.58 लाख की कुल बचत में से, ₹ 18,44.45 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 86.13 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर

पूँजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियंत्रण-

103- सिविल निर्माण कार्य-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	3,75,00.00				
पुनर्विभाग	-2,13,57.58		1,61,42.42	1,61,82.90	+40.48

₹ 2,13,57.58 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने तथा भारत सरकार से कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kl
dly vupku
okLrfod
vf/kd 0; ; \$
0; ;
cpr &

॥yk[k #lk; kg e॥

10- पलड प्रूफिंग योजनायें—

मूल	50.00				
पुनर्विभाग	-50.00

₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

11- वर्ष 2007–08 की कटाव निरोधक

योजनायें—	मूल	10,20.99	4,54.34	4,32.59	-21.75
पुनर्विभाग	-5,66.65				

₹ 5,66.65 लाख की कुल बचत में से, ₹ 2,25.81 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 3,40.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

12- वर्ष 2007–08 में तटबन्धों का निर्माण—

मूल	2,05.68	79.90	1,77.20	+97.30
पुनर्विभाग	-1,25.78			

₹ 1,25.78 लाख की कुल बचत में से, ₹ 25.78 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

24- सीमान्त बांध की नई योजनाएं

(नाबाड़ पोषित)—	मूल	50,00.00	35,51.48	27,86.96	-7,64.52
पुनर्विभाग	-14,48.52				

₹ 14,48.52 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 17,10.60 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 2,62.08 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- जलनिकास-

103- सिविल निर्माण कार्य—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	25,00.00	40.00	40.00	..
पुनर्विभाग	-24,60.00			

₹ 24,60.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kl
 dly vupku
 okLrfod
 0; ;
 /ykl[k #lk; kse

07- जल निकास योजना (नाबार्ड वित्त पोषित)–

मूल	7,00.00				-0.10
पुनर्विद्धि	-6,52.53		47.47	47.37	

₹ 6,52.53 लाख की कुल बचत में से, ₹ 38.13 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 6,14.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2010)।

(viii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

4700- मुख्य सिंचाइ पर पूँजीगत परिव्यय-

04- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- टिहरी जलउपयोग योजना (नाबार्ड पोषित)–

मूल	5,00.00				-9.46
पुनर्विद्धि	2,00.00		7,00.00	6,90.54	

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

18- दोहरी घाट पम्प नहर की क्षमता

पुनर्स्थापना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- नाबार्ड पोषित–

मूल	1,00.00				..
पुनर्विद्धि	50.00		1,50.00	1,50.00	

प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

45- सुल्तानपुर शाखा की लाइनिंग (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

03- राज्य वित्त पोषित

30.00 35.52 +5.52

53- गण्डक नहर प्रणाली की ऊपरी नारायणी

शाखा नहर के कि.मी. 0.00 ls 4.00 तक

कंकरीट लाइनिंग कार्य की परियोजना–

051- निर्माण–

05- नाबार्ड पोषित–

मूल	2,00.00				+2,56.47
पुनर्विद्धि	-2,00.00		..	2,56.47	

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

54- वहद सिंचाई योजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

مُول	12,09.01		20,56.47	20,83.44	+26.97
پونار्विद	8,47.46				

प्रावधान में ₹ 8,47.46 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 10,91.92 लाख की वृद्धि के कारण सुचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 2,44.46 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हआ।

55- कचनौदा बांध परियोजना-

051- निर्माण-

05- नाबाड्ड पोषित-

मूल	10,00.00			
पुनर्विनापन	30,00.00	40,00.00	40,10.82	+10.82

प्रावधान में ₹ 30,00,00 लाख की वट्ठि के कारण सुचित नहीं किये गये हैं।

56- मुद्गागवां ब्रांध सहायक परियोजना-

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

मूल	14.00				
प्रतिश्व.	1.6050	1,74.50	1,74.43	-0.07	

प्रात्धान में ₹ 160.50 लाख की रुटि के काणा सचिव चर्चीं किये गये हैं।

57 ਅੰਨ੍ਤਰ ਵਾਲੀ ਵਾਂਝ ਸਹਿਯੋਗ

051 विर्या-

05 नावार्द प्रेषित

मूल	10,00.00		11,00.00	11,00.07	+0.07
प्रतिश्व.	1.00.00				

मालवार में ₹ 1,00.00 रुपये की रक्ति को कमाया गया है जिसे आप देख सकते हैं।

79- चौधरी चरण सिंह जमानिया पम्प नहर
की जातिंग (प्राप्तिकारक)

051 विर्या-

05 नाहार्द प्रैषित-

মূল	2,00.00		3,00.00	3,05.79	+5.79
পুনর্বিন্দু	1,00.00				

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl dly vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
 0; ; cpr &

1/2k[k #lk; kse]

80- सामान्य—

052- मशीनरी तथा उपस्कर—

04- मरम्मत	9.00	16.71	+7.71
------------	------	-------	-------

799- उचन्त—

03- भण्डार उचन्त	..	1,13,18.06	+1,13,18.06
------------------	----	------------	-------------

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 1,25,48.19 लाख,
 ₹ 1,52,64.20 लाख तथा ₹ 1,67,33.33 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

04- विविध कार्य अग्रिम	..	85,54.71	+85,54.71
------------------------	----	----------	-----------

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 1,24,96.22 लाख,
 ₹ 1,09,75.70 लाख तथा ₹ 1,20,31.83 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

81- लोअर रोहिणी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

05- नाबार्ड पोषित—

मूल	5,00.00	20,00.00	20,00.00	..
पुनर्विनियोग	15,00.00			

प्रावधान में ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

82- उठारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

05- नाबार्ड पोषित—

मूल	10,00.00	12,00.00	12,16.12	+16.12
पुनर्विनियोग	2,00.00			

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

83- जमरार बांध परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

05- नाबार्ड पोषित—

मूल	5,00.00	10,37.88	10,37.86	-0.02
पुनर्विनियोग	5,37.88			

प्रावधान में ₹ 5,37.88 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl
dly vupku
okLrfod
vflkd 0; ; \$
0; ;
cpr &
%yklk #lk; kse

84- शारदा नहर के लखनऊ शाखा के दांयी
बैंक का सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	5,00.00				
पुनर्विभाग	1,18,56.20		1,23,56.20	1,23,56.00	-0.20

प्रावधान में ₹ 1,18,56.20 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

86- रत्नौली बियर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

05- नाबार्ड पोषित—

मूल	1,00.00				
पुनर्विभाग	2,91.62		3,91.62	3,91.61	-0.01

प्रावधान में ₹ 2,91.62 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

87- क्योलारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	1,00.00				
पुनर्विभाग	-1,00.00		..	1,00.00	+1,00.00

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

88- राजघाट नहर निर्माण परियोजना (द्वितीय चरण)(वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	3,00.00				
पुनर्विभाग	-3,00.00		..	3,00.01	+3,00.01

प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

95- शारदा नहर लखनऊ शाखा के निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित

मूल	25,00.00				
पुनर्विभाग	19,55.08		44,55.08	44,55.08	..

प्रावधान में ₹ 19,55.08 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kz dʒy vɯŋku okLrfod vf/kd ə; ; \$
0; ; cpr &

$\frac{1}{4}yk[k \neq k; k \in \mathbb{N}]$

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

01- मुख्य सिंचाई (वाणिज्यिक)–

800- अन्य व्यय—

35- सरयू नहर योजना

.. 60.89 +60.89

+60.89

11- जमानिया पम्प नहर (वाणिज्यक)–

800- अन्य व्यय—

03- लोक निर्माण-

पुनर्विंग 90.00 90.00 90.00 ..
प्रावधान में ₹ 90.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

36- चौधरी चरण सिंह यमुना पम्प नहर की क्षमता पुनरस्थापिना (वाणिजिक)–

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

मूल	1,00.00			
पुनर्विद्या	20.00			
		1,20.00	1,20.00	..

प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

37- चौधरी चरण सिंह टाडा पम्प नहर

पनरोद्धार योजना-

051- निर्माण-

05- नाष्टार्ड पोषित-

मूल	50.00			
पुनर्विनापन	61.13	1,11.13	1,11.08	-0.05
पावधान में ₹ 61.13 लाख की वटि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।				

३८- ज्ञानपर पम्प तहर पनरोदार परियोजना-

051 विर्या-

05- चाहाई पोषित-

मूल	3,93.74				
पुनर्विनापन	2,00.50		5,94.24	5,94.25	+0.01
पावधान में ₹ 200.50 लाख की वट्टि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।					

' kh"kz dʒy vurku okLrfod vf/kd ə; \$ ə; ; cpr &

$\frac{1}{4}yk[k \neq k; k \in e]$

- 40- मध्यम सिंचाइ योजनाओं हेतु
एकमुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

مُول	4,45.00				
پُونر्विं	13.54	4,58.54	4,59.60	+1.06	

प्रावधान में ₹ 13.54 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,78.11 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 1,44.57 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

- 43- ऊपरी गंगा नहर के पुनर्स्थापना
कार्यों की परियोजना -

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

মূল	2,00.00		3,10.92	3,10.92	..
পুনর্বিন্দু	1,10.92				

प्रावधान में ₹ 1,10,92 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

- 45- विभिन्न नहरों की पटरियों, पुलों एवं बैंकों का सदाचारीकरण (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

মূল	60.00		1,55.40	1,58.00	+2.60
পুনর্বিন্দু	95.40				

प्रावधान में ₹ 95.40 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,24.40 लाख की वृद्धि के कारण सचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 29.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हआ।

- 65- जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत घाघरा नदी
(सरयू) के दायें तट पर जमधरा घाट के
निर्माण एवं कटान नियोधक कार्य-

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

ਮੂਲ	1,00.00				
ਪੁਨਰ्वਿੰਗ	97.31	1,97.31	5,97.39	+4,00.08	

प्रावधान में ₹ 97.31 लाख की वट्टि के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

67- नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं
हेतु एकमुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)–

800- अन्य व्यय—

03- निर्माण कार्य-

पुनर्विं० 13,96.20 13,96.20 9,96.19
 प्रावधान में ₹ 13,96.20 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 1,03.80 लाख अर्थर्पण समयभाव के कारण निधि का उपयोग न करने के कारण हआ।

70- केन नहर प्रखण्ड, बांदा की नहरों
का पुनरोद्धार-

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित 2,00.00 2,02.55 +2.55

74- लखनऊ शाखा के दाहिने तट पर

रिटेलिंग वाल एवं लाईनिंग (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण-

03- राज्य वित्त पोषित-

মূল	1,00.00			
পুনর্বিন্দু	2,50.00	3,50.00	3,50.21	+0.21

प्रावधान में ₹ 2,50.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 4,50.00 लाख का अभ्यर्पण समयाभाव के कारण निधि का उपयोग न करने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 7,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

03- निर्माण कार्य-

ਮੂਲ	10.00			
ਪੁਨਰ्वਿੱਖ	-10.00	..	34.85	+34.85

प्रावधा

००५- शोध-

निर्माण कार्य-				
मूल	5,00.00	5,62.76	7,20.49	+1,57.73

पुनर्विं० 62.76]

प्रावधान में ₹ 62.76 ला

०५२- मशीनरा तथा उपस्कर-

' kh"kl
dly vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
0; ; cpr &

॥ykl[k #lk; kse॥

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त .. 51,03.43 +51,03.43
2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 21,95.34 लाख,
₹ 38,45.50 लाख तथा ₹ 57,76.30 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 40,67.60 +40,67.60
2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 21,97.48 लाख,
₹ 19,03.35 लाख तथा ₹ 29,33.88 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

84- ऊपरी गंगा नहर के मंगलार से मुरादनगर
तक बांये सेवा मार्ग, कावड़ सड़क का
चौड़ीकरण—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	3,00.00				
पुनर्वित	2,00.00	5,00.00	5,00.00	..	

प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

85- जनपद सहारनपुर में मैथ छपपर रजवाहा
के शहरी क्षेत्र में आर•सी•सी• पाइप
डालकर सड़क का चौड़ीकरण—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित—

मूल	2,00.00				
पुनर्वित	1,00.00	3,00.00	2,99.94	-0.06	

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

101- सतही जल—

04- प्रस्यावतन योजनायें—

मूल	33,50.02				
पुनर्वित	1,53.13	35,03.15	34,03.80	-99.35	

प्रावधान में ₹ 1,53.13 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 4,88.56 लाख की वृद्धि तथा
प्रावधान में ₹ 1,64.88 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1,70.55 लाख
का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने, निधि जारी न होना तथा परियोजनाओं की स्वीकृति समय से
नहीं मिल पाने के कारण हुआ।

' kh"kl dly vunku okLrfod vf/kd 0; ; \$
 0; ; cpr &
 %yklk #lk; kse%

102- भू-जल-

03- नलकूप योजनायें-

मूल	2,08,83.68			
पुनर्विद्या	-5.36	2,08,78.32	2,12,87.78	+4,09.46

₹ 5.36 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

799- उचन्त-

03- भण्डार .. 1,88,00.80 +1,88,00.80
 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 1,19,06.79 लाख,
 ₹ 1,30,59.49 लाख तथा ₹ 1,68,90.15 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 25,70.98 +25,70.98
 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 25,90.77 लाख,
 ₹ 22,98.57 लाख तथा ₹ 24,26.04 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

4711- बाढ़—नियंत्रण परियोजनाओं पर

पूंजीगत परिव्यय—

01- बाढ़ नियंत्रण—

052- मशीनरी तथा उपस्कर-

03- नवीन सम्पूर्ति	1,00.00	1,04.70	+4.70
05- गाड़ी भाड़ा	25.00	29.11	+4.11

103- सिविल निर्माण कार्य—

03- सीमान्त बांध—

मूल	15,00.00		
पुनर्विद्या	-6.25	14,93.75	15,12.25

₹ 6.25 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,60.00 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 1,53.75 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य—

मूल	3,00.00		
पुनर्विद्या	1,00.00	4,00.00	3,56.73

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

09- कटाव निरोधक योजनायें—

मूल	8,15.30		
पुनर्विद्या	1,00.00	9,15.30	9,15.19

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl	dly vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &

%ykl[k #lk; kse#

23- नदी में सुधार व कटाव निरोधक

योजनाएं (नाबार्ड पोषित)–

मूल	54,00.00	77,25.00	80,75.11	+3,50.11
पुनर्विद्या	23,25.00			

प्रावधान में ₹ 23,25.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

29- प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा योजनायें–

मूल	8,50.00	9,71.17	16,00.85	+6,29.68
पुनर्विद्या	1,21.17			

₹ 1,21.17 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,76.84 लाख की वृद्धि तथा ₹ 55.67 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- जल निकास-

103- सिविल निर्माण कार्य–

03- जल निकास योजनायें(रा•से•)–

मूल	1,00.00	1,60.00	1,60.00	..
पुनर्विद्या	60.00			

₹ 60.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 85.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 25.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

11- सतही जल निकास व्यवस्था में सुधार–

मूल	5,00.00	6,28.18	6,26.80	-1.38
पुनर्विद्या	1,28.18			

₹ 1,28.18 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,81.33 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 53.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

799- उचन्त–

03- भण्डार उचन्त .. 1,11,47.06 +1,11,47.06

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 52,80.94 लाख, ₹ 51,89.07 लाख तथा ₹ 1,27,46.95 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 2,83.25 +2,83.25

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 11,25.11 लाख, ₹ 7,83.93 लाख तथा ₹ 5,14.99 लाख का व्यय बिना प्रावधान के था।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2010)।

i ~~kkfj~~ r &

- (ix) ₹ 3,27.10 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (x) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dy fofu; kx	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &

%ykl[k #lk; kze@

4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—

13- सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बांध परियोजनाओं के अनुबन्ध से अन्तर्गत देय डिक्रीटल राशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था—

051- निर्माण—

03- राज्य वित्त पोषित	10,00.00	6,72.90	-3,27.10
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2010)।			

(xi) उचन्त के अन्तर्गत ₹ 6,18.46 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

उचन्त लेन-देन की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया अनुदान के राजस्व प्रभाग में दर्शायी गयी है। 2009-2010 के अन्तर्गत आदि शेष और अन्त शेष के साथ लेन-देन का विश्लेषण परिशिष्ट v में दिया गया है।

i f'f' k"V - I

(सन्दर्भः विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ 17)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2009-10 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों में से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में आपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे:-

de vupku dh a; k e[; ys[kk 'kh"kl	vfxe s 0; ;	vfxe dh Lohdfr
I a; k rFkk uke	dh jkf'k	dh frfFk
<i>1g tkj #i; ka e[;</i>		

; ksX	' kh"; *
-------	----------

* वर्ष 2009-10 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किन्तु वर्ष के अन्त तक निधि में जिनकी आपूर्ति नहीं की गई हो ऐसा कोई भी अग्रिम बाकी नहीं है।

i f j f' k"V & II
(सन्दर्भ – सारणी पृष्ठ 19)

वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया है, अनुदान वार विवरण :–

de	vupku ; k fofu; kx dh t; k	vk; &0; ; d t; k vkJ uke	okLrfod vukku	vk; &0; ; d vkdm\$	vukku dh rjyuk es okLrfod vkdm\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>% gtlj #lk; ka es %</i>					

1.	2-	आवास विभाग			
		पूंजीगत—			
		दत्तमत	..	13,07	+13,07
2.	3-	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)			
		पूंजीगत—			
		दत्तमत	..	2,37,73	+2,37,73
3.	4-	उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज)			
		पूंजीगत—			
		दत्तमत	8,00,00	..	-8,00,00
4.	9-	ऊर्जा विभाग			
		पूंजीगत—			
		दत्तमत	2,30,00,00	2,30,00,00	..
5.	10-	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)			
		पूंजीगत—			
		दत्तमत	2,00,00	..	-2,00,00
6.	11-	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)			
		पूंजीगत—			
		दत्तमत	64,06,20	2,19,90,14	+1,55,83,94
7.	13-	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)			
		राजस्व—			
		दत्तमत	..	2,64,35	+2,64,35
		पूंजीगत—			
		दत्तमत	..	16,14,55	+16,14,55

de	vupku ; k fofu; kx dh t; k t; k vkg uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkDMs	vk; &0; ; d vupku dh ryuk e okLrfod vkDMs vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

% gtlj #lk; ka ea %

8.	16- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घशाला विकास)	पूंजीगत— दत्तमत	..	1,00,00	+1,00,00
9.	18- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	पूंजीगत— दत्तमत	..	5,25,94	+5,25,94
10.	21- खाद्य तथा रसद विभाग	पूंजीगत— दत्तमत प्रभारित	68,44,76,81 4,00,00,00	74,09,84,36 5	+5,65,07,55 -3,99,99,95
11.	22- खेल विभाग	पूंजीगत— दत्तमत	..	3,60	+3,60
12.	24- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व— दत्तमत	30,00,00	..	-30,00,00
13.	25- गृह विभाग (कारागार)	राजस्व— दत्तमत	8,00	..	-8,00
14.	26- गृह विभाग (पुलिस)	पूंजीगत— दत्तमत	..	15,44	+15,44
15.	37- नगर विकास विभाग	पूंजीगत— दत्तमत	2,34,00,00	2,17,20,38	-16,79,62
16.	38- नागरिक उड़डयन विभाग	पूंजीगत— दत्तमत	..	15,58,46	+15,58,46

de	vupku ; k fofu; kx dh t; k t; k vkg uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkDMs	vk; &0; ; d vupku dh rlyuk e okLrfod vkDMs vf/kd \$ de &
----	--	----------------------	------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

%gtkj #lk; ka ea%

17.	39- भाषा विभाग			
	राजस्व—			
	दत्तमत	40,00	..	-40,00
18.	40- नियोजन विभाग			
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	..	94,66,83	+94,66,83
19.	44- पर्यटन विभाग			
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	..	12,49,37	+12,49,37
20.	47- प्राविधिक शिक्षा विभाग			
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	..	12	+12
21.	49- महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	..	88,50	+88,50
22.	50- राजस्व विभाग			
	(जिला प्रशासन)			
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	..	52	+52
23.	51- राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)			
	राजस्व—			
	दत्तमत	3,32,75,00	..	-3,32,75,00
24.	52- राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)			
	राजस्व—			
	दत्तमत	2,10,00	..	-2,10,00
25.	55- लोक निर्माण विभाग			
	(भवन)			
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	..	3,91,99,13	+3,91,99,13
26.	56- लोक निर्माण विभाग			
	(विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)			
	पूंजीगत—			
	दत्तमत	..	12,83,09	+12,83,09

de t; k	vupku ; k fofu; kx dh t; k vkj uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkdm\$	vk; &0; ; d vupku dh rjuk e okLrfod vkdm\$ vf/kd \$ de &
--------------	---	----------------------	-------------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

%gtkj #lk; ka ea%

27.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	पूजीगत— दत्तमत	2,36,00,01	13,46,31,63	+11,10,31,62
28.	60- वन विभाग	पूजीगत— दत्तमत	..	2	+2
29.	61- वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	पूजीगत— प्रभारित	26,33,81,94	..	-26,33,81,94
30.	73- शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व— दत्तमत	20,00	..	-20,00
31.	83- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	पूजीगत— दत्तमत	..	11,98,05	+11,98,05
32.	96- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व— दत्तमत पूजीगत— दत्तमत	96,71,16 6,32,38,19	+96,71,16 +6,32,38,19

de	vupku ; k fofu; kx dh	vk; &0; ; d	okLrfod	vk; &0; ; d
t; k	t; k vkg uke	vupku	vkdm\$	rjuk e okLrfod vkdm\$
				vf/kd \$

(1)

(2)

(3)

(4)

(

(5)

%gtkj #lk; ka ea%

; kx&

jkTkLo&

nRrer	3,65,53,00	99,35,51	-2,66,17,49
-------	-------------------	-----------------	--------------------

i Hkkfjr

..

..

..

i thxr&

nRrer	76,18,83,02	1,06,21,19,13	+30,02,36,11
-------	--------------------	----------------------	---------------------

i Hkkfjr

30,33,81,94**5****-30,33,81,89**

egk; kx&

jkTkLo&	3,65,53,00	99,35,51	-2,66,17,49
---------	-------------------	-----------------	--------------------

i thxr&

1,06,52,64,96**1,06,21,19,18****-31,45,78**

i f j f' k"V III
 [सन्दर्भः टिप्पणी (iv) पृष्ठ 420]

mpUlr yu&nu& vuñku | ; k 96-fl pkbz foHkkx½ fuekz k ½jktLo i Hkkx

' kh"kl	1 vi 2009	ukes	tek	fuoy	31 ekp 2010
dkš vñfn ' k"kl					dkš vñfr ' k"kl
(ukes+)					(ukes+)
(tek -)					(tek -)

½ yk[k #lk; ka ega½

2700-मुख्य सिंचाई—

उचन्त स्टाक	+35.92	38,25.22	37,66.48	58.74	+94.66
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+11,88.26	34,96.01	34,42.54	53.47	+12,41.73

; kx	+12,24.18	73,21.23	72,09.02	1,12.21	+13,36.39
------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------

2701-मध्यम सिंचाई—

उचन्त स्टाक	+48,39.60	11,72.44	12,51.28	-78.84	+47,60.76
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	-27,47.58	10,98.18	9,63.77	1,34.41	-26,13.17
कार्यशाला उचन्त	+18,07.32	+18,07.32

; kx	+38,99.34	22,70.62	22,15.05	55.57	+39,54.91
------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------

2702-लघु सिंचाई—

उचन्त स्टाक	+9,21.58	2,06.67	2,32.53	-25.86	+8,95.72
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+50,89.87	6.03	14.39	-8.36	+50,81.51
कार्यशाला उचन्त	-1,77.26	-1,77.26

; kx	+58,34.19	2,12.70	2,46.92	-34.22	+57,99.97
------	------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

i f j f' k"V IV

[सन्दर्भ : टिप्पणी (iv) पृष्ठ 421]

funšku , oa i t kkl u vks e' khujh , oa mi Ldj l a æ i tkkj 2009-2010

de l a; k	y[kk 'kh"kz i j forj.k v[k/kkfjr g§	fuekZ k dk; z i fj0; ; ft l funšku , oa i t kkl u i t[kkj	i šku i t[kkj ka ds vfrfj Dr i t[kkj	e'khujh , oa mi Ldj
1	2	3	4	vunku okLrfod vkadMs
5	6	7	8	vunku okLrfod vkadMs
<i>½ yk[k #lk; ka eš½</i>				

- | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|------|
| 1. | 2052- सचिवालय—सामान्य | | | | | | |
| | सेवायें— | | | | | | |
| | दत्तमत | 2,39,89 | 2,35,27 | .. | .. | .. | .. |
| 2. | 2700- मुख्य सिंचाई— | | | | | | |
| | दत्तमत | 2,82,75 | 3,08,91 | .. | .. | .. | .. |
| 3. | 2701- मध्यम सिंचाई— | | | | | | |
| | दत्तमत | 5,03,10 | 2,84,07 | 13,45,51 | 12,98,49 | 12 | 11 |
| | प्रभारित | .. | .. | 50 | 6 | .. | .. |
| 4. | 2702- लघु सिंचाई— | | | | | | |
| | दत्तमत | 5,87,56 | 6,15,22 | .. | .. | 3 | 9 |
| 5. | 2711- बाढ़ नियंत्रण तथा | | | | | | |
| | जल निकास— | | | | | | |
| | दत्तमत | 35,54 | 42,23 | .. | .. | .. | .. |
| 6. | 4700- मुख्य सिंचाई पर | | | | | | |
| | पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| | दत्तमत | 15,24,52 | 13,65,71 | .. | .. | 20,82 | 6,58 |
| | प्रभारित | 10,00 | 6,75 | .. | .. | .. | .. |
| 7. | 4701- मध्यम सिंचाई पर | | | | | | |
| | पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| | दत्तमत | 2,30,40 | 2,94,73 | 2,78,93 | 2,51,83 | 4,59 | 2,40 |
| 8. | 4702- लघु सिंचाई पर | | | | | | |
| | पूंजीगत परिव्यय— | | | | | | |
| | दत्तमत | 2,79,49 | 4,73,48 | .. | .. | 2,95 | 2,80 |

de I k; k	y[kk 'kh"kl	fuekZ k dk; l i fj0; ; ft l ij forj.k vkl/kkfjr gS	i \$ku i Hkkjka ds vfrfjDr fun\$ku , oa i t kkl u i Hkkj	e' khujh , oam i Ldj i Hkkj
	vunku	okLrfod vkadMs	vunku	okLrfod vkadMs
1	2	3	4	5
$\frac{1}{4} yk[k \#lk; ka es \frac{1}{4}$				
7	8			

9. 4711- बाढ़ नियंत्रण तथा

जल निकास परियोजनाओं

पर पूंजीगत परिव्यय—

दत्तमत 5,96,50 4,74,83 1,50 1,59

ykd fuekZ k&

10. 2013- मंत्रि परिषद्—

दत्तमत 9,50 7,96

11. 2052- सचिवालय—

सामान्य सेवायें—

दत्तमत 1,76,17 1,72,79

12. 2059-लोक निर्माण—

दत्तमत 42,15 4,92,32 8,92,07 1,59

प्रभारित 2,04 2,29 4

13. 2070- अन्य प्रशासनिक

सेवायें—

दत्तमत 6,43 5,99

14. 2216- आवास—

दत्तमत 29,80 29,93

प्रभारित 58 65

15. 2575- अन्य विशेष

क्षेत्र कार्यक्रम—

दत्तमत 25,00 24,17

16. 3054- सड़क तथा सेतु—

दत्तमत 12,95,38 14,28,58 .. 1,29,81

प्रभारित 5

17. 4059- लोक निर्माण कार्यों

पर पूंजीगत परिव्यय—

दत्तमत 90,52 4,59,09 .. 1,68

प्रभारित 1,91 1,36

de l [k	y[kk 'kh"kl	fuek[k dk; l i fjl; ; ftl ij forj.k vkl/kkfjr g§	i lku i Hkkjkas vfrfjDr funsku ,oa i t kkl u i Hkkj	e'khujh ,oa mi LdJ i Hkkj
	vunku	okLrfod vkadMs	vunku	okLrfod vkadMs
1	2	3	4	5

vunku okLrfod
vkadMs

7

8

Yk[k #lk; ka es%

18. 4216- आवास पर पूंजीगत

परिव्यय-

दत्तमत	49,80	45,39	..	97
प्रभारित	20	20

19. 4575- अन्य विशेष क्षेत्र

कार्यक्रम पर

पूंजीगत परिव्यय-

दत्तमत	3,13,93	3,02,43
--------	---------	---------	----	----	----	----

20. 5054- सङ्क तथा सेतु पर

पूंजीगत परिव्यय-

दत्तमत	37,24,40	48,36,66	..	3,08,70
प्रभारित	5,50	4,31

; lk	nRrer	1,00,42,83	1,18,99,76	25,16,51	19,93,07	30,01	13,57
	i Hkkfjr	20,28	15,56	54	6

fVII . kh	ctV e; ; Fkk i oklupkfur	okLrfod vkadM\$
1. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की सिंचाई निर्माण—कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (1) से (9)	38	38
2. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की लोक निर्माण—कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (10) से (20)	15	6
3. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की राज्य के सभी निर्माण—कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (1) से (20)	25	17

वर्ष 2006-07 तथा उसके बाद के वर्षों के लिए निदेशन एवं प्रशासन प्रभारों की सिंचाई और लोक निर्माण—कार्यों के लिए निर्माण कार्य परिव्यय की प्रतिशतता की तुलना नीचे दिखायी गयी है:-

o"kl i fj0; ;	fuekZ k dk; l i z kkI u i tkkj	fun\\$ ku , oa i fr' krrk	i yk[k #i; ka e;
सिंचाई निर्माण कार्य मद (1) से (9)			

2006-07	35,62,93	9,75,00	27
2007-08	37,23,49	10,59,88	28
2008-09	44,88,25	13,19,85	29
2009-10	41,01,20	15,50,38	38

लोक निर्माण कार्य मद (10) से (20)

2006-07	61,74,22	6,10,64	10
2007-08	71,58,73	3,19,46	4
2008-09	84,75,26	4,69,43	6
2009-10	78,14,12	4,42,75	6

i f j f' k"V V

[सन्दर्भः टिप्पणी (xi) पृष्ठ 445]

mpUlr yu&nu& vuñku | ; k 96-fl pkbz foHkkx½ fuekZk dk; l ½ i Hthxr i Hkkx

' kh"kz	1 vi ૩y 2009	ukes	tek	fuoy	31 ekpZ2010
dkš vkfn ' k"k					dkš vUlr ' k"k
(ukes+)					(ukes+)
(tek -)					(tek -)

॥ yk[k #lk; k[e ॥

4225- अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछडे वर्गों
के कल्याण पर पूँजीगत
परिव्यय—

उचन्ता स्टाक	+69.46	+69.46
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+43.37	+43.37
;	1,12.83	1,12.83

4700- मुख्य सिंचाई पर
पूँजीगत परिव्यय—
उचन्ता स्टाक

+30,93.92	1,13,18.06	1,13,43.95	-25.89	+30,68.03
विविध निर्माण				
कार्य अग्रिम	+19,55.64	85,54.71	87,40.94	-1,86.23 +17,69.41

;	50,49.56	1,98,72.77	2,00,84.89	-2,12.12	+48,37.44
---	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

4701- मध्यम सिंचाई पर
पूँजीगत परिव्यय—

उचन्ता स्टाक	+1,26,51.80	51,03.43	49,56.87	1,46.56	+1,27,98.36
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+74,13.67	40,67.60	52,33.51	-11,65.91	+62,47.76
कार्यशाला उचन्ता	+2,38.08	+2,38.08

;	2,03,03.55	91,71.03	1,01,90.38	-10,19.35	+1,92,84.20
---	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	--------------------

i f j f' k"V V

' kh"kz	1 vi ૭y 2009	ukes	tek	fuoy	31 ekpl 2010
	dks vlfn ' k"k				dks vJlr ' k"k
	(ukes+)				(ukes+)
	(tek -)				(tek -)

%

4702- લઘુ સિંચાઇ પર
પૂંજીગત પરિવ્યય-

ઉચ્ચન્ત સ્ટાક	+1,24,63.24	1,88,00.80	1,86,49.74	1,51.06	+1,26,14.30
વિવિધ નિર્માણ					
કાર્ય અગ્રિમ	-60,69.77	25,70.98	26,46.50	-75.52	-61,45.29
કાર્યશાલા ઉચ્ચન્ત	-17,87.70	-17,87.70

; kx	+46,05.77	2,13,71.78	2,12,96.24	75.54	+46,81.31
------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------

4711- બાઢ નિયંત્રણ

પરિયોજનાઓ પર					
પૂંજીગત પરિવ્યય-					
ઉચ્ચન્ત સ્ટાક	+41,49.28	1,11,47.06	1,11,80.15	-33.09	+41,16.19
વિવિધ નિર્માણ					
કાર્ય અગ્રિમ	+20,89.38	2,83.25	4,19.51	-1,36.26	+19,53.12
કાર્યશાલા ઉચ્ચન્ત	+0.59	+0.59

; kx	+62,39.25	1,14,30.31	1,15,99.66	-1,69.35	+60,69.90
------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------